सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

विषय सूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
(1)	जन सामान्य तक सूचनाओं एवं अभिलेखों की पहुंच	1–4 तक
मैनुअल–5		
(2)		
	औद्योगिक नीति–2003	5–20 तक
(3)	एकल खिड़की सम्पर्क सूचना एवं सुगमता व्यवस्था भाग–1	3–269 तक
(4)	एकल खिड़की सम्पर्क सूचना एवं सुगमता व्यवस्था भाग–2	3–142

अध्याय .....
जन सामान्य तक सूचनाओं एवं अभिलेखों की पहुंच

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 (परिशिष्ट–I)		प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिये लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से अस्तित्व में है।
लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी (परिशिष्ट–II)	2.	उद्योग विभाग की समस्त प्रशासनिक इकाईयों में अधिनियम की धारा 5(1), धारा 5(2) एवं धारा 19(1) के अन्तर्गत क्रमशः लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों का नामांकन किया गया है।
सूचना हेतु प्राप्त अनुरोध पत्रों का पंजीकरण एवं निस्तारण	3.	नागरिकों से प्राप्त सूचना के अनुरोधों का पंजीकरण यथास्थिति पार्श्वांकित शासनादेश में दिये गये किसी एक प्रारूप में किया जायेगा। सहायक लोक सूचना अधिकारी स्तर पर सूचना के अनुरोध को प्राप्त करने की स्थिति में उक्त लोक सूचना अधिकारी को शीघ्रताशीघ्र परन्तु विलम्बतः 5 दिन के अन्दर निर्धारित प्रारूप में अग्रेषित करेगा।
	3.1	अनुरोधकर्ता को सूचना का अनुरोध का प्राप्ति पत्र आवेदन शुल्क रसीद सहित दिया जायेगा। यदि अनुरोधकर्ता गरीबी रेखा से निम्न आय वर्ग का हो तो उससे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।
शासनादेश संख्या–146/सु./XXXI(3)G–/3.2 2006 दिनांक 22 मार्च, 2006 (परिशिष्ट–II)	3.2	अधिनियम की धारा 6 के अधीन सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी यथा सम्भव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध प्राप्ति के तीन दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाये या तो सूचना उपलब्ध करायेगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। यदि लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिये अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।

सूचना का अधिकारी (फीस एवं लागत का विनियमन) नियम, 2005

अधिसूचना ए.–266/XXII/205–9(31) दिनांक 13 अक्टूबर, 2005
एवं
संशोधित अधिसूचना सं. 165/मू/XXXI (13)G–2(2)/2006 दिनांक 31 मार्च, 2006

4. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ देय फीस एवं अभिलेखों की छायाप्रतियरां अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु पार्श्वांकित अधिसूचना के अनुसार शुल्क देय होगा।

5. यदि लोक सूचना अधिकारी के पास किसी ऐसी सूचना दिये जाने का अनुरोध प्राप्त होता है जो तीसरे पक्षकार से सम्बन्धित है और तीसरे पक्षकार द्वारा उक्त गोपनीय माना गया है, तो ऐसी दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिनों के भीतर, ऐसे तीसरे पक्षकार को इस तथ्य की लिखित रूप से सूचना देगा और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिये या नहीं लिखित रूप में या मौखिक रूप में निवेदन करने के लिये तीसरे पक्षकार व आमंत्रित करेगा एवं सूचना के प्रकटन के बारे में कोई निर्णय करते समय तीसरा पक्षकार के उत्तर को ध्यान में रखेगा।

पर व्यक्ति सूचना

5.1 तीसरे पक्षकार को ऐसी सूचना के प्रस्तावित प्रकटन के रूिद्ध अभ्यावेदन कर का अवसर दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा तीसरे पक्षकार सम्बन्धित सूचना के अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् 40 दिन के भीतर इस बारे में निर्णय लिया जायेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकट किये जाये या नहीं और अपने निर्णय की सूचना लिखित में तीसरे पक्षकार का भी देगा। लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्षकार को यह भी सूचित करेगा कि उसे निर्णय से असन्तुष्ट होने पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहां 30 दिन के अन्दर अपील करने का अधिकार है।

	6.	अपील करने वाला व्यक्ति सूचना प्राप्त के लिये निर्धारित समय सीमा व समाप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर अथवा लोक सूचना अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभागीय अपीलीय अधिकारी के समीप अपील कर सकता है। सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी को यदि यह विश्वास हो जाता है कि किन्ही अपरिहार्य कारणों से अपीलकर्ता अपनी अपील की याचिका निर्धारित समय मतें प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो तो वह उक्त समय सीमा बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है।
प्रथम अपील धारा 9(1)	6.1	लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत यदि तीसरे पक्ष से समन्धित सूचना अनुरोधकर्ता को देने के सम्बन्ध में निर्णय दिया गया है तो इस आदेश से प्रभावित तीसरा पक्ष, आदेश की तिथि से 30 दिनों के अन्दर उद्योग विभाग को अपीलीय अधिकारी के यहां अपील कर सकता है।
	6.2	उद्योग विभाग के अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील का निस्तारण, याचिका की तिथि से 30 दिनों के अन्दर किया जायेगा।
सूचनाओं का स्वेच्छिक प्रकटन	7.	अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अधीन विभाग की सभी प्रशासनिक इकाईयों का लोक प्राधिकारी घोषित है, के द्वारा 17 बिन्दुओं पर सूचनायें संकलित कर प्रत्येक बिन्दु पर मैनुअल बनाये जायेंगे। उक्त सभी मैनुअल पर सी.डी. तैयार कर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को उपलब्ध कराई जायेगी। उद्योग विभाग के प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर उक्त मैनुअल की हार्ड प्रति एवं साफ्ट प्रति उपलब्ध रहेगी।
(उत्तरॉचल सूचना आयोग परिपत्र सं. 65 /उ.सू.आ./मु.सू.आ. /2005 दिनांक 6 दिसम्बर, 2005) (परिशिष्ट–VI)	7.1	उक्त मैनुअल यथास्थिति प्रत्येक वर्ष के अन्त में अद्यावधिक किये जायेंगे तथा मैनुअल सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जन साधारण को अवलोकनार्थ बराबर उपलब्ध रहेंगे।
मासिक प्रगति प्रतिवेदन	8.	सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(3) के अधीन उपबन्ध (क) से (ङ) के सम्बन्ध में 5 बिन्दुओं पर विभाग की प्रत्येक लोक प्राधिकारी इकाई मासिक प्रगति

प्रतिवेदन अपने उच्च लोक प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे। विभाग निदेशालय स्तर से ऐसे प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन को संकलित कर उत्तरॉचल सूचना आयोग को प्रत्येक माह दसवीं तारीख तक प्रेषित किया जाना होगा।

सूचना पटों को प्रदर्शित करना

8.1 सूचना आयोग इन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का उपयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में करेगा।

लोक प्राधिकारियों द्वारा आयोग स्तर से प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर कार्यवाही

9. जन सामान्य की सुविधा हेतु प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर अपेन कार्यालय के प्रमुख स्थान पर नामित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नाम पदनाम तथा दूरभाष नम्बर प्रदर्शित करते हुए सूचना पट्ट लगाये जायेंगे।

10. आयोग में धारा 18(1) के अधीन प्राप्त शिकायतों एवं धारा 19(3) के अन्तर्गत प्राप्त दूसरी अपील पर लोक प्राधिकारी को जारी नोटिस को प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर एक प्रथक पंजिका में दर्ज किया जायेगा। इस पंजिका प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर पर लोक प्राधिकारी स्तर पर समय–समय पर की गई कार्यवाही का दिनांक सहित अंकन किया जायेगा।

द्वितीय अपील

11. अधिनियम की धारा 19(3) में राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील दायर करने हेतु राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 का पालन किया जायेगा)

राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005
अधिसूचना सं. 305/XXII/2005–9 (33) 2005 दिनांक 13 दिसम्बर, 2005 (परिशिष्ट–VII)

अपने द्वारा अपने नियंत्राधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रत्येक किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

औद्योगिक नीति–2003

औद्योगिक नीति, 2001 नये राज्य उत्तरॉचल में सम्भावनाओं तथा नई आशाओं की पृष्ठभूमि में तैयार की गई थी। नीति में मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिनमें उत्तरॉचल राज्य में अन्तर्निहित लाभ धरोहर के रूप में उपलब्ध है, जैसे पर्यटन, जल विद्युत, फ्लोरिकल्चर, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, खादी व ग्रामोद्योग आदि।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने नैनीताल प्रवास के दौरान मार्च, 2002 में धोषणा की थी कि उत्तरॉचल राज्य में औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया जायेगा ताकि राज्य में उद्योगों की प्रगति में बाधकों को दूर किया जा सके। यह प्रोत्साहन पैकेज औपचारिक रूप से दिनांक 7 जनवरी, 2003 को घोषित किया गया। इस नये पैकेज के परिपेक्ष्य में तथा नये उद्यमियों द्वारा दर्शाई गई रूचि, वर्तमान नीति के प्रावधानों एवं अन्य राज्यों के अनुभवों से सीख लेते हुए, उदारीकरण की धरातलीय वास्तविकताओं तथा आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश शासन द्वारा एक सुविचारित नई औद्योगिक नीति बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।

इस नीति का उद्देश्य एक ऐसा समन्वित कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराना है, जिससे कि उद्यमियों को औद्योगिक विकास हेतु निवेश के लिये मैत्रीपूर्ण वातावरण सुलभी हो तथा इसके द्वारा रोजगार के अतिरिक्त अवसर विकसित हो सकें जिससे उत्तरॉचल राज्य के घरेलू उत्पादों एवं संसाधनों में उल्लेखनीय व1द्धि हो सके और अन्ततोगत्वा राज्य के आर्थिक एवं मनव संसाधनों का विकास हो सके। यह नीति औद्योगिक नीति, 2003 के रूप में जानी जायेगी तथा पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

परिकल्पना:

- राज्य में विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व अन्य मुख्य बाजारों हेतु संयुज्जता (connectivity) बढ़ाना।
- राज्य में एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे स्वीकृति की औपचारिकताओं में लगने वाले समय की बचत की जा सके तथा निवेशकों हेतु मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार किया जा सके।
- औद्योगिक इकाईयों एवं अवस्थापना परियोजनाओं हेतु त्वरित गति से भूमि उपलब्ध कराना।

- औद्योगिक आस्थानों, विकास केन्द्रों, एकीकृत विकास केन्द्रों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं उत्पादों, थीम पार्कों, पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं, पर्यटन स्थलों के विका, हवाई अड्डों/हैलीपैडों/हवाई पट्टियों, सड़कों, विद्युत उत्पादन, पारेषण व वितरण एवं उद्यानिकी, फ्लोरिकल्चर, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में प्रबन्धक हेतु निजी क्षेत्र सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना।
- उद्योगों को उच्च गुणवत्ता वाली विश्वसनीय, निर्बाधित एवं उचित मूल्य पर ऊर्जा उपलब्ध कराना।
- श्रम कानूनों व इसकी प्रक्रिया को वर्तमान समय की आवश्यकतानुसार सरल तथा सुसंगत बनाना जिससे श्रमिकों को राज्य की आर्थिक सम्पन्नता में उचित भागीदारी प्राप्त हो सके।
- राज्य में प्रमतुख रूप से लघु उद्योग, कुटीर, रेशम, खादी एवं ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, हथकरघा उद्योगों को स्थापित करने हेतु प्रोत्सयाहन देना तथा उनके आधुनिकीकरण तथा तकनीकी उच्चीकरण हेतु आवश्यक बैकवर्ड व फारवर्ड लिंकेज हेतु सामान्य सुविधाएं जैसे वस्तु अभिकल्प तथा विपणन सहयोग उपलब्ध कराना जिससे उनके उत्पाद विश्व में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से स्थापित हो सकें।
- बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से उद्योगों, विशेषतः लघु उद्योगों की रूग्णता, तथा संभावित रूग्णता की समस्याओं के निराकरण तथा पुर्नवास हेतु प्रयास करना।
- राज्य के स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों प्रमुखतः कृषि, उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण एवं फ्लोरिकल्चर को प्रोत्साहित करना।
- राज्य की खनिज सम्पदा का नियोजित व वैज्ञानिक विधि से दोहन करते हुए मूल्य संवर्धिता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना।
- राज्य में नए सूर्यादय उद्योगों (sunrise industries) तथा उच्च तकनीकी वाले उद्योगों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी व जैव प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना।
- विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के सुदृढ़ीकरण हेतु निजी क्षेत्रों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना।
- पर्यटन को फोकस एरिया के रूप में प्रोत्साहित करना तथा उत्तरॉचल राज्य को विश्व के प्रमुख पर्यटक स्थल (premier tourism destination) के रूप में विकसित करना।
- पिछड़ें क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु उद्यमियों को विशेष सहायता प्रदान करना।
- सड़क, रेल तथा वायुयान व अन्य संयुज्जताओं का विकास व सुदृढ़ीकरण करना।

- राज्य में उपलब्ध विश्व स्तरीय अनुसंधान व तकनीकी संस्थाओं की उपलब्धता की पृष्ठभूमि में उत्तरॉचल को शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित करना।

उत्तरॉचल की धरोहर :

गैर वित्तीय :

- ❖ उत्तरॉचल में प्रकृति के वरदान स्वरूप दुष्प्राप्य जैव–विविधता रखने वाली लगभग 175 सुगन्धित एवं चिकित्सकीय पौधों की दुर्लभ प्रजातियां उपलब्ध हैं।
- ❖ राज्य में लगभग सभी मुख्य जलवायु क्षेत्र उपलब्ध होने के कारण बागवानी, फ्लोरिकल्चर एवं कृषिक के विभिन्न प्रकार के वाणिज्यि अवसर उपलब्ध हैं।
- ❖ राज्य में अन्य खनिजों के अतिरिक्त चूना पत्थर, सोप स्टोन, मैग्नेसाईट इत्यादि के खनिज भण्डार प्रचुर मरात्रा में उपलब्ध हैं। संसाधनों का मानचित्रीकरण किया जा रहा है।
- ❖ राज्य में पर्यटन, प्राद्यम (एडवैन्चर), अवकाश, पर्यावणर्भ्य पर्यटन विशेषकर धार्मिक एवं आध्यात्मिक, की बृहद सम्भावनाओं की उपलब्धता को दृष्टिगत् रखते हुए पारम्परिक निवेश सम्भावनाओं के अतिरिक्त इनसे सम्बन्धित सेवाओं हेतु नये बाजारों के विस्तार की अपार म्भावनायें हैं।
- ❖ राज्य की साक्षरता दर 72 प्रतिशत है जो स्वयं ही उच्च स्तरीय मानव संसाधनों की उपलब्धता का सूचक है। राज्य में उच्च कोटि के अनेक शिक्षा संस्थानों की उपलब्धता के साथ अनेक उत्कृष्ट राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अनुसन्धान व प्रशिक्षण संस्थान भी उपलब्ध हैं।
- ❖ राज्य में आद्योगिक विकास एवं अच्छी जीवन शैली हेतु आवश्यक शान्तिपूर्ण एवं प्रदूषण रहित वातावरण उपलब्ध है। राज्य की कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा स्थिति अत्यन्त उत्तम है।
- ❖ राज्य में विद्युत ऊर्जा स्रोत बहुतायत में उपलब्ध होने के कारण अच्छी गुणवत्ता की विद्युत ऊर्जा निर्बाधित, प्रति स्पर्धात्मक व वहनीय दरों पर उपलब्ध होगी।
- ❖ श्रम कानूनों के सरलीकरण एवं उन्हें तर्कसंगत बनाने की कार्यवाही की जा रही है।
- ❖ राज्य के देहरादून नगर में एक अर्थ स्टेशन स्थिति है तथा दो अन्य स्थानों पर भी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना भी प्रक्रिया में है।
- ❖ राज्य में लीची/फल, फ्लोरिकल्चर, जड़ी–बूटी एवं औषधीय पौधों तथा बासमती चावल हेतु चार निर्यात क्षेत्र हैं।

- ❖ माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की स्थापना की गई है।
- ❖ बहुउद्देशीय औद्योगिक प्रोत्साहन, निवेश एवं अवस्थापना विकास निगम के रूप में उत्तरॉचल राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई है, जिसमें बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं जैसे कि सिडबी, आई.सी.आई.सी.आई., एल.आई.सी. भागीदारी हेतु वचनबद्ध हैं एवं इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं की भागीदारी प्रस्तावित है।
- ❖ खादी एवं ग्रामोद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उन आधारित उद्योग, हथकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प उद्योगों के लिये विपणन सहायता।
- ❖ पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के समीप प्रमुख बॉयोटेक्नॉलोजी संकुल की स्थापना प्रस्तावित है।
- ❖ राज्य द्वारा ऐसी प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है जिससेः–
  - O प्रदेश में एकल खिड़की सुगमता व्यवस्था (पदहसम ूपदकवू बिपसपजंजपवद) लागू कर निवेशकों के साथ मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाने में सहायता मिले, ताकि अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सके।
  - O औद्योगिक उपक्रमों एवं अवस्थापना परियोजनाओं हेतु त्वरित गति से उपलब्ध करायी जा सके।
  - O बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के कन्सोर्शियम के माध्यम से वित्तीय सहातया का प्रबन्ध कराया जा सके।
  - O औद्योगिक आस्थानों, विकास केन्द्रों, एकीकृत विकास केन्द्रों, विशेष्ज्ञ आर्थिक क्षेत्रों एवं विशेष उत्पादों हेतु औद्योगिक पार्कों, थीम पार्कों, पर्यटकीय अवस्थापना सुविधाओं, नये पर्यटन स्थलों, हवाई अड्डों/हैलीपैड़ों/हवाई पट्टियों, सड़क, विद्युत पारेषण एवं वितरण तथा हार्टीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, बॉयो प्रौद्योगिकी सम्बन्धी परियोजनाओं के विकास एवं प्रबन्धक हेतु निजी क्षेत्र सहभागिता को विकसित एवं प्रोत्साहित किया जायेगा।

<u>वित्तीय</u> :

- ❖ भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज की नकारात्मक सूची में दर्शायी गई इकाईयों को छोड़कर, अन्य सभी इकाईयों पर दस वर्ष तक कैन्द्रीय उत्पादन शुल्क पर शत्–प्रतिशत छूट।
- ❖ आयकर में पहले 5 वर्षों तक शत–प्रतिशत छूट, तदोपरान्त अगले 5 वर्षों के लिए कम्पनियों को 30 प्रतिशत की छूट तथा अन्य को 25 प्रतिशत की छूट देय होगी।
- ❖ 15 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश उपादान अधिकतम रूपये 30 लाख तक।

- केन्द्रीय परिवहन उपादान सुविधा वर्ष 2007 तक बढ़ायी गई है।
- नये उद्योगों की स्थापना अथवा स्थापित उद्योगों के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु क्रय किये जाने वाले संयंत्रों एवं मशीनों पर प्रवेश कर में छूट।
- भू–उपयोग परिवर्तन एवं विकास शुल्क व प्रक्रिया को तर्क संगत बनाया जायेगा।
- सूचना प्रौद्योगकी पार्क तथा अन्य विशेष वस्तु मकोडिटी पार्कों की स्थापना हेतु दी जाने वाली भूमि पर रियायती स्टाम्प शुल्क लागू होगा।
- ब्याज प्रोत्साहन के रूप में 3 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू. 2 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई उपलब्ध कराया जायेगा। यह प्रोत्साहन केवल नये लघु उद्योगों को तथा वर्तमान में कार्यरत लघु इकाईयों को उनके आधुनिकीकरण एवं पर्याप्त विस्तारीकरण हेतु तभी उपलब्ध होगा जबकि उन्होंने राज्य वित्तीय संस्थाओं अथवा उत्तरॉचल में स्थित किसी बैंक से ऋण लिया हो तथा मूलधन व ब्याज के भुगतान में किसी प्रकार की चूक न की हो। दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले लघु उद्योगों एवं थ्रस्ट उद्योगों के रूप में अभिज्ञापित इकाईयों हेतु इस ब्याज प्रोत्साहन की अनुमन्य दर 5 प्रतिशत होगी जिसकी अधिकतम सीमा रू. 3 लाख प्रति वर्ष होगी। यह ब्याज प्रोत्साहन केवल उन्हीं इकाईयों को उपलब्ध होगा जो प्रोत्साहन की अन्तिम किश्त मिलने की तिथि के बाद कम से कम 3 वर्षों तक कार्यरत रहेंगी अन्यथा शासन को अधिकार होगा कि प्रोत्साहन की उपभोगित समस्त राशि इकाई से वसूल कर ली जाये।
- ब्याज प्रोत्साहन के अन्तर्गत, पर्याप्त विस्तारीकरण का तात्पर्य उस अतिरिक्त निवेश से है, जो स्थापित उद्योगों की संयंत्र व मशीनों के मूल्यह्रास रहित स्थिर पूंजी (बुक वैल्यू) के 25 प्रतिशत से कम न हो।
- ब्याज प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत इकाई के आधुनिकीकरण का तात्पर्य किसी उद्योग में संयंत्र व मशीनों के क्रय तथा तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने हेतु किये गये उस नए पूंजी निवेश से होगा जिसकी राशि संयंत्र व मशीन की मूल्यह्रास रहित (बुक वैल्यू) के 25 प्रतिशत तक या उससे अधिक होगी।
- रूग्ण लघु इकाईयों के पुनरोद्धार पुनर्जीवीकरण हेतु 3 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू. 2 लाख प्रतिवर्ष ब्याज प्रोत्साहन उन इकाईयों को उस ऋण पर दिया जायेगा, जिनके पुनरोद्धार प्रस्ताव के अन्तर्गत किसी वित्तीय संस्था अथवा बैंक से ऋण प्रस्ताव निश्चित कर लिये गये हों। औद्योगिक इकाई के दूरस्थ स्थलों में स्थित होने की दशा में ब्याज उपादान की धनराशि 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू. 3 लाख तक उपलब्ध कराई जाएगी। यह ब्याज उपादान केवल उन्हीं इकाईयों हेतु अनुमन्य होगा, जो उपादान राशि की अन्तिम किश्त मिलने की तिथि के बाद कम से कम 3 वर्ष तक कार्यरत रहेगी अन्यथा शासन

को अधिकार होगा कि उपभोगित सम्पूर्ण धनराशि इकाई को वसूल करने का अधिकार होगा।

- ❖ गैर लघु उद्योगों की रूग्ण इकाईयों के पुनरोद्धार पुनर्जीवीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं/बैंकों/ऑपरेटिंग एजेन्सी द्वारा तैयार किये गये वांछित प्रस्तावों पर शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।
- ❖ राजय में सभी मल्टीप्लैक्स परियोजनाओं हेतु प्रथम तीन वर्ष तक तथा सभी नए मनोरंजन पार्क व रोप–वे परियोजनाओं हेतु प्रथम पांच वर्ष तक मनोरंजन कर में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
- ❖ इकाई द्वारा उत्पादित माल की गुणवत्ता हेतु राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रदत्त आई.एस.ओ. सर्टिफिकेशन आदि हेतु उद्यमियों द्वारा व्यय की गई धनराशि का 75 प्रतिशत या अधिकतम रूपये दो लाख अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा, परन्तु इस हेतु सभी स्रोतों से प्राप्त अनुदान/प्रतिपूर्ति की धनराशि, इस मद में किये गये व्यय से अधिक नहीं होगी।
- ❖ प्रदूषण नियंत्रक उपकरण स्थापित करने हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रूपये उद्यमियों को अनुदान के रूप में दिया जायेगा। बशर्ते कि इस मद में सभी स्रोतों से प्राप्त अनुदान/प्रतिपूर्ति इस मद में किये गये व्यय से अधिक न हो।
- ❖ उत्पाद का पेटेन्ट पंजीकृत कराने हेतु किये गये व्यय का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 2 लाख रू. प्रतिपूर्ति/अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा, बशर्ते कि इस मद में सभी स्रोतों से प्राप्त अनुदान/प्रतिपूर्ति, इस मद में किये गये व्यय से अधिक न हो।
- ❖ प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को निर्माण इकाईयों की स्थापना/सेवा उद्योगों हेतु अधिकतम रू. 2 लाख तक की परियोजना लागत पर वित्तीय ऋण सहायता तथा व्यापार क्षेत्र में निवेश करने हेतु अधिकतम रू. 1 लाख तक की परियोजना लागत पर वित्तीय ऋण सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही अनुदान के रूप में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अधिकतम 15000 रू. भी प्रदान किये जायेंगे। इसके लिये आयु सीमा 35 वर्ष से 40 वर्ष कर दी गई है।
- ❖ रोजगार उपलबध कराने वाली इकाईयों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- ❖ राज्य में स्थित लघु स्तरीय औद्योगिक इकाईयों को राजकीय खरीददारी पर क्रय वरीयता एवं मूल्य वरीयता प्रदान की जायेगी।
- ❖ राज्य की गैर लघु स्तरीय औद्योगिक इकाईयों को राज्य से बाहर स्थापित इकाईयों के सापेक्ष क्रय वरीयता दी जायेगी।

❖ नेशनल हार्टीकल्चर बोर्ड (एनएचबी), एग्रीकल्चर एण्ड प्रोसेस्ट फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट ऑथौरिटी (एपीडा), नेशनल मेडिसिनल प्लान्ट बोर्ड (एनएमपीबी) द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं हेतु उपलब्ध अनुदान के समानान्तर राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 20 लाख रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह भी होगा कि अनुदान की कुल राशि परियोजना की लागत के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

नीतिगत व्यवस्था

संस्थागत प्रक्रिया :

एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता

- इस योजना को जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्रों तथा राज्य स्तर पर उत्तरॉचल राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) द्वारा लागू किया जायेगा। ये केन्द्र सभी प्रकार की सूचनायें एवं एस्कॉर्ट सेवाएं उद्यमियों को उपलब्ध कराएंगे।
- इन केन्द्रों पर डाटा बैंक की भी स्थापना की जायेगी तथा संयुक्त आवेदन–पत्र एवं अन्य सम्बन्धित सूचनायें भी उद्यमियों को उपलब्ध कराई जायेगी।
- जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरॉचल राज्य औद्योगिक विकास निगम के जिला कार्यालय के रूप में भी कार्यरत हैं।

एकल खिड़की निकासी प्रक्रिया :

- माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया जायेगा। सम्बन्धित मंत्री, सरकारी अधिकारी, शीर्ष उद्योगपति, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे।
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निवेश एवं अवस्थापना सुविधा समिति की स्थापना की जायेगी, सम्बन्धित सचिव जिसके सदस्य होंगे। यह समिति अन्तर्विविभागीय मुद्दों से जुड़ी तथा अन्य परियोजनाओं पर त्वरित निस्तारण हेतु संस्तुति माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अन्तिम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।
- जिला स्तर पर एकल खिड़की निकासी प्रक्रिया के सहायतार्थ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी।

- जिला उद्योग केन्द्र एवं सिडकुल क्रमशः इन जिला एवं राज्य स्तरीय समितियों के सचिवालय के रूप में कार्य करेंगे।

स्वस्वीकृत निकासी (Deemed Clearence) :

यथा सम्भव स्वस्वीकृत निकासी तन्त्र की स्थापना की जायेगी एवं विभिन्न सम्बन्धित विभागों के सम्बन्ध में कार्यों की समय सीमा निर्धारित की जायेगी।

अन्य वैधानिक, वित्तीय एवं केन्द्र सरकार से सम्बन्धत निकासियों के लिए उद्यमियों को राज्य सरकार द्वारा हर सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जायेगी एवं उद्यमियों को एस्कॉर्ट सेवाएं भी उपलब्ध कराई जायेगी।

उद्योग मित्र :

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरी उद्योग मित्र का गठन किया गया है जो विचार–विमर्श, नीतिगत व समस्याओं के निस्तारण हेतु एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगी। सभी सम्बन्धित मंत्रिगण, सरकार अधिकारी, बैंक, वित्तीय संस्थाओं वऔद्योगिक एसोसिएशन के प्रतिनिधि इसके सदस्य रहेंगे।

जिला स्तर पर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उद्योग मित्र उपरोक्त आशय हेतु कार्यशील है। विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को इसमें सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है।

भूमि :

राज्य सरकार नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर रही है, जिसमें उद्यमियों की आवश्यकता, प्राथमिकता उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें शीघ्र ही भूमि/भूखण्ड उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा विकसित व निर्दिष्ट विशेष औद्योगिक क्षेत्रों, थीम पार्कों व आई टी पार्कों में आवंटित भू–खण्डों हेतु रियायती स्टाम्प शुल्क देय हो। भू–उपयोग परिवर्तन एवं विकास शुल्क तथा प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाया जायेगा।

राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक पैकेज के सन्दर्भ में अभिज्ञापित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों को चिन्हित किया है। ऐसे क्षेत्रों को समय–समय पर आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा अभिज्ञापित किया जायेगा। राज्य सरकार आवश्यकतानुसार इन क्षेत्रों में उद्यमियों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु सहायता करेगी।

निजी क्षेत्र की सहभागिता :

राज्य सरकार विशेष औद्योगिक क्षेत्रों, आर्थिक क्षेत्रों, निर्यात क्षेत्रों, खाद्य पार्कों, थीम पार्कों, बॉयोपोलिस, पर्यटक स्थलों, विद्युत उर्जा उत्पादन, पारेषण, वितरण, सड़कों, विमान पत्तन, आई.सी.डी., एकीकृत औद्योगिक नगरों, नागरिक अवस्थापनाओं सहित अन्य अवस्थापना क्षेत्रों की परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों की सहभागिता आमंत्रित करती है।

अवस्थापना सुविधाएं :

इन परियोजनाओं को गुण–अवगुण के आधार पर विशेष सुविधाएं उपलबध कराने पर विचार किया जायेगा। इस संदर्भ में राज्य सरकार एवं आई.डी.एफ. सी. के सहयोग से एक संयुक्त उपक्रम कम्पनी उत्तरॉचल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी (यूडेक) के नाम से गठित की गई है, जो कि राज्य सरकार को ऐसी अवस्थापना परियोजनाओं हेतु आवश्यक वृत्तिक (प्रोफेशनल) सेवाएं उपलबध करायेगी।

बृहत परियोजनाएं :

प्रदेश में प्रस्तावित रू. 50 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश वाली अथवा राज्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परियोजनाओं हेतु प्रत्येक योजना के गुणावगुण के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वीकृति तथा सुविधा इत्यादि देने पर राज्य स्तरीय निवेशक अवस्थापना समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

वित्त :

राज्य सरकार, सिडकुल के माध्यम से, बैकों तथा वित्तीय संस्थाओं से कन्सोर्शियम व्यवस्था द्वारा समय से एवं पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। उचित परियोजनाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा वैन्चर कैपिटल फन्ड से वैन्चर कैपिटल व्यवस्थाकराने का प्रयास किया जायेगा। राज्य सरकार राज्य में वैन्चर कैपिटल फन्ड स्थापित करने पर भी विचार करेगी।

ऊर्जा :

- उत्तरॉचल राज्य में पर्याप्त विघुत उपलब्ध है तथा वर्तमान दशक की समाप्ति तक 5000 मेगा वाट अतिरिक्त जल विघुत उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कई लघु एवं मध्यम जल विघुत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र ,सार्वजनिक क्षेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र में विकसित करने हेतु चिन्हित किया जा चुका है। इस प्रकार राज्य में प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों को उचित दर पर निर्बाध एवं उच्च गुणवत्ता वाली विघुत की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाएगी।
- ऊर्जा नियामक अधिनियम के अनुसार राज्य विघुत नियामक आयोग द्वारा राज्य में विघुत दरों का निर्धारण व विनियमन किया जायेगा। तथापि विघुत उत्पादन क्षमता में अभिवृद्वि ,वर्तमान उत्पादन क्षमता में वृद्वि तथा पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के फलस्वरूप राज्य में आकर्षक व प्रतिस्पर्धात्म दरों पर विघुत उपलब्ध करायी जायेगी।
- राज्य में पीक आवर विघुत उपयोग पर कोई पाबन्दी नही है तथापि राज्य में कन्टीन्युअस व नॉन–कन्टीन्युअस दरों का निर्धारण नियामक आयोग द्वारा किया जायेगा।
- विघुत वितरण तंत्र हेतु किये जा रहे वृहद निवेश के कारण सिस्टम लोडिंग शुल्क को प्रभावी मात्रा में कम करने में सहायता मिलेगी।
- 50 बी0एच0पी0 तक विघुत भार की स्वीकृति जिला स्तरीय उद्योग मित्र द्वारा जारी की जाएगी, तथा 50 बी0एच0पी0 सी अधिक की स्वीकृतयां उत्तरॉचल पावर कारपोरेशन की क्षेत्रीय समिति द्वारा जारी की जाएंगी।
- न्यूनतम शुल्क मासिक बिल में सम्मिलित किया जाएगा।
- औद्योगिक उपभोक्ताओं को इस बात का विकल्प होगा कि वे पंजीकृत अभियन्ताओं /ठेकेदारों के द्वारा उत्तरॉचल पावर कारपोरेशन के निकटतम सब–स्टेशन से अपनी लाइन एवं मूल्य वहन कर खिंचवा सकते है।

श्रम कानूनों का सरलीकरण :

- श्रमिकों के हितों के सुरक्षित रखते हुए श्रम कानूनों को इस प्रकार सरलीकृत किया जाएगा कि ओद्योगिकरण हेतु उचित वातावरण तैयार हो सके।
- कागजी कार्यवाही को कम करने के दृष्टिकोण से रिटनों के समामेलन एवं स्वतः प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू की जाएगी।
- निरीक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य दण्डात्मक न होगर सुधारात्मक होगा ताकि उद्यमियों को असुविधा का समाना न करना पड़े।

दूरस्थ स्थल :

उत्तरॉचल राज्य का अधितर भू–भाग पर्वतीय एवं दूरगामी है। ऐसे क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं की कमी के साथ बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराने में कई बाधाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के समुचित औद्योगिकरण हेतु निम्न प्रयास किये जायेंगे:

- राज्य में समुद्र तल से 3000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले सभी क्षेत्रों को राज्य ब्याज प्रोत्साहन हेतु दूरस्थ क्षेत्र माना जाएगा।
- ब्याज प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले लघु उद्योगों एवं थ्रस्ट उद्योगों के रूप में अभिज्ञापित इकाइयों को अधिक ब्याज प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा, जो कि 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 3 लाख रू0 प्रति वर्ष की सीमा तक देय होगा। ब्याज प्रोत्साहन उन इकाइयों को ही अनुमन्य होगा जो इस प्रोत्साहन की अन्तिम किश्त प्राप्त होने के तीन वर्ष उपरान्त तक कार्यरत रहेंगी, अन्यथा इकाई को भुगतान की गयी प्रोत्साहन धनराशि की वसूली का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।
- राज्य सरकार इन दूरस्थ क्षेत्रों में अवस्थापना एवं अन्य सामान्य सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान देगी।

खादी एवं ग्रामोद्योग :

- खादी एवं ग्रामाद्योग, कुटरी व लघु उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया जायेगा।
- पैकेजिंग एवं विपणन हेतु सामन्य सुविधा केन्द्रों का विकास किया जायेगा। निजी पिपणन संस्थाओं के माध्यम से उत्तरॉचल में निर्मित वस्तुओं की ब्राण्डिग तथा विपणन हेतु विश्व के अन्य देशों को निर्यात किये जाने के सूत्र विकसित करने का प्रयास किया जायेगा।
- खादी रेशम सहित उपभोक्ता मांग के अनुरूप नवीनतम अभिकल्प विकसित करने हेतु सहायता प्रदान करने के प्रयास किये जायेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा खादी वस्त्र से निर्मित पूर्ण निर्मित परिधान (रेडीमेड गारमेन्टस) एवं उनकी गुणवता के मानकीकरण हेतु सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

संख्या 353/औ0वि0–1/उद्योग/2004–05

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव एवं अवस्थापना विकास आयुक्त,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन,
समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तरांचल,
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास विभाग **दिनांक : 26 अगस्त, 2004**

विषय :– **औद्योगिक नीति, 2003 के अन्तर्गत "एकल खिडकी सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता" व्यवस्था का कियान्वयन।**

महोदय,

औद्योगिक विकास में तीव्र गति लाने के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने तथा उद्यमियों के बहुमूल्य समय का सदुपयोग, उत्पादन में वृद्वि हेतु केन्द्रित किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश की औद्योगिक नीति–2003 के अन्तर्गत **"एकल खिडकी सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता"** व्यवस्था प्राविधान किया गया है।

2– **"एकल खिडकी सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता"** व्यवस्था का उद्देश्य उद्योगों हेतु विभिन्न विभागों से वांछित अनुमोदनों ,स्वीकृतियों, अनापत्तियों, अनुज्ञा–पत्रों इत्यादि के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एवं आवेदन–पत्र तथा इनका निस्तारण एक ही स्थान पर केन्द्रीय तथा समयबद्व रूप से सुनिश्चित कराना है ताकि निवेशकों हेतु मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार किया जा सके तथा वांछित स्वीकृतियां समयबद्ध रूप से जारी की जा सकें।

3– **एकल खिडकी सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता** व्यवस्था के प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व जिला स्तर पर जनपद के महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा । महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका तटस्थ सम्पर्क माध्यम की न होकर उक्त व्यवस्था के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रो–एक्टिव होगी । राज्य स्तर पर यह उत्तरदायित्व निदेशक उद्योग/सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तरॉचल का होगा ।

4– **"एकल खिडकी सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता"** व्यवस्था के प्रभावी कियान्वयन हेतु शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

(1)– औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों से वांछित अनुमोदनों/अनापत्तियों/अनुज्ञा इत्यादि प्राप्त करने होते हैं जिसमें से कुछ इकाई की स्थापना के पूर्व तथा कुछ इकाई की स्थापना के उपरान्त परन्तु उत्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व वांछित होते हैं। इनको आवश्यकतानुसार प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है :–

प्रथम चरण में (इकाई की स्थापना से पूर्व)

1. लघु उद्योग का प्रस्तावित पंजीकरण
2. भूमि आवंटन, औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू उपयोग की अनुमति/प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योग की स्थापना की अनुमति
3. प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण–पत्र
4. कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत भवन मानचित्र अनुमोदन
5. निर्माण हेंतु विद्युत संयोजन/विद्युत भार स्वीकृति
6. व्यापार कर पंजीयन
7. वन विभाग की अनुमति/लाइसेंस हेतु अनापत्ति

द्वितीय चरण में(इकाई की स्थापना के पश्चात्)

1. लघु उद्योग का प्रस्तावित पंजीकरण
2. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति–पत्र
3. फैक्ट्री एक्ट में पंजीकरण
4. कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन
5. दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पंजीकरण
6. ड्रग/कास्मेटिक अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञां/अनापत्ति आवेदन
7. अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति
8. प्रोत्साहन सहायताएं (पंजीकरण तथा आवेदन पत्र)

(2)– उद्योग स्थापना से पूर्व तथा उद्योग स्थापना के पश्चात् अनुमोदनों, अनापत्तियों तथा अनुज्ञां इत्यादि के लिए सम्बन्धित विभागों के निर्धारित आवेदन–प्रपत्रों तथा अनुदेशों को संकलित रूप से जिला उद्योग केन्द्रों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था उद्योग निदेशालय द्वारा की जायेगी।

(3)– सभी विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि उक्त व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन हेतु 15 दिन में राज्य एवं जनपद तथा जहां क्षेत्रीय अधिकारी हों, उनके स्तर पर अपने विभाग से सम्बन्धित नोडल अधिकारी का नाम व पता, दूरभाष संख्या, फैक्स आदि का विवरण उद्योग निदेशक/सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तरॉचल को उपलब्ध करा देंगे।

5– उद्यमी उक्त समस्त विभागों के प्रपत्र, जो आवश्यक हो, पूर्ण रूपेण भरकर, अनुलग्नकों के साथ वांछित प्रक्रियानुसार शुल्क भुगतान करते हुए सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में प्रत्येक कार्य–दिवस में जमा कर सकेंगे। महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसी समय या तत्काल यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदन–पत्र पूर्ण–रूपेण भरा हुआ है तथा चैक लिस्ट के अनुसार प्रपत्र संलग्न है। जनपद देहरादनू, हरिद्वार, पौड़ी, उद्यमसिंहनगर तथा नैनीताल से सम्बन्धित उद्यमियों को महा में प्रत्येक शुक्रवार को तथा अन्य शेष जनपदों से सम्बन्धित उद्यमियों को महा में प्रथम व अन्तिम शुक्रवार को प्रकरण पर कार्यवाही एवं प्रगति की जानकारी हेतु सम्पर्क करने को कहा जायेगा।

6– महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उद्यमियों से प्राप्त आवेदन–पत्रों को सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरणों/निगमों को तत्काल प्रेषित कर उनसे पावती प्राप्त कर लेंगे। सम्बन्धित विभाग प्राप्त आवेदन–प्रत्रों पर विश्लेषण करके यह चैक करेंगे कि उक्त आवेदन–पत्र पूर्ण रूपसे भरकर निर्धारित संलग्नों एवं शुल्क के साथ प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं। यदि आवेदन–पत्र में कोई कमी है, तो सम्बन्धित विभाग उसको लिखित रूप से इकाई तथा महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को तीन दिन के भीतर सूचित करेंगें।

7– उद्यमियों से प्राप्त आवेदन–पत्रों के परीक्षण के लिए सम्बन्धित विभाग अपने विभाग के ऐसे स्तर के अधिकारी को, जिन्हें विभाग से सम्बन्धित नियमों, प्रक्रियाओं एवं औपचारिकताओं आदि की समुचित जानकारी हो, को आवेदन–पत्रों पर कार्यवाही के लिए नामित कर उसकी सूचना महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे ताकि मामलें के निस्तारण के सम्बन्ध में सूचना एवं प्रगति की जानकारी के आदान–प्रदान में सुगमता व सीधा संवाद सम्बन्धित अधिकारी से रहे।

8– प्रत्येक आवेदन–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में सूचना एवं प्रगति समीक्षा हेतु जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उद्यमसिंहनगर तथा नैनीताल के जिला उद्योग केन्द्रों में प्रत्येक शुक्रवार को जिला उद्योग केन्द्र के महा प्रबन्धक अन्य विभागों के नामित अधिकारियों के साथ प्रातः 11 से 12 बजे तक उपस्थित रहेंगे, ताकि उद्यमियों के सम्पर्क करने पर उनसे सीधा संवाद कर प्रकरण के निस्तारण में सुगमता एवं शीघ्रता से कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। अन्य जनपदों में माह में प्रथम शुक्रवार तथा अन्तिम शुक्रवार को इस प्रकार की बैठक का आयोजन किया जायेगा। शुक्रवार को अवकाश की दशा में आगामी कार्यदिवस में बैठक आयोजित की जायेगी। प्राप्त/सन्दर्भित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में सूचना एवं प्रगति की जानकारी सम्बन्धित विभाग महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रत्येक सप्ताह बैठक से पूर्व बृहस्पतिवार तक उपलब्ध करा देंगे।

9– प्रत्येक विभाग आवेदन–पत्रों के सम्बन्ध में निस्तारण हेतु निर्धारित समय–सारिणी (परिशिष्ट–1) के अन्तर्गत ही महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को अपने निर्णय की लिखित सूचना उपलब्ध

करा देंगें। समय–सीमा की गणना पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने तथा तद्नुसार पावती जारी होने के दिनांक से की जायेगी।

10– यदि इस प्रकार से पूर्ण आवेदन–पत्र की प्राप्ति के उपरान्त किसी विभाग से निर्धारित समय–सारिणी के अन्तर्गत उस विभाग का निर्णय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्राप्त नहीं होता है तो महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उक्त आवेदन–पत्र पर **स्वतः स्वीकृत** (डीम्ड एप्रूवल) लिखकर हस्ताक्षर करके उद्यमी को स्वीकृति प्रदत्त मानी जायेगी। महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र प्रत्येक **'स्वतः स्वीकृत'** के केस को जिलाधिकारी को सूचित करेंगें तथा जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभाग से समय–सारिणी के अन्तर्गत निर्णय प्राप्त न होने के कारणों की जांच जिम्मेदारी निश्चित करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही हेतु संस्तुति सक्षम विभागीय अधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी तथा इसकी सूचना औद्योगिक विकास विभाग को भी दी जायेगी।

11– **"एकल खिडकी सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता"** व्यवस्था के कियान्वयन का अनुश्रवण प्रत्येक माह जिला स्तर पर **"जिला उद्योग मित्र"** द्वारा तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा तथा मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा । जिला उद्योग केन्द्र इस सम्बन्ध में **सचिवालय** का कार्य करेगा।

12– 100 प्रतिशत निर्यातोमुखी परियोजनायें, अप्रवासी भारतीय उद्यमियों की परियोजनायें, मैगा एवं सुपर मैगा परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यवाही एवं वांछित स्वीकृतियों से सम्बन्धित प्रकरणों पर अनुश्रवण कर निर्णय राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उत्तरॉचल शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा लिया जायेगा।

13– जनपद स्तर पर उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण, उनके साथ सतत् संवाद एवं परामर्श, नये उद्योगों एवं उद्यमियों के प्रस्तावों पर दिशा–निर्देश जिला स्तर पर जिला उद्योग मित्र द्वारा निर्णित किये जायेंगे। जिला समस्याओं का निराकरण राज्य स्तर पर किया जाना है, के निराकरण, उद्यमियों से सतत् संवाद एवं परामर्श, औद्योगिक विकास से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार एवं निर्णय का दायित्व राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उद्योग मित्र का होगा।

14– **"एकल खिडकी सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता"** व्यवस्था तत्काल प्रभावी हो जायेगी तथा इसका सफल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का सार्वभौमिक उत्तरदायित्व समस्त विभागाध्यक्षों होगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 353/उपरोक्त तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल, देहरादून
2. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), सचिवायल, उत्तरॉचल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया इसे उत्तरॉचल वैबसाईट में प्रसारित करने का कष्ट करें।
3. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल (SIDCUL), देहरादून।
4. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, समस्त विकास प्राधिकरण तथा निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थायें, उत्तरांचल।
5. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरांचल।
6. अध्यक्ष, कुमांयूं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, काशीपुर/इण्डियन इण्डस्ट्रीज एशोसियेशन, देहरादून/कन्फडरेशन आु इण्डियन इण्डस्ट्रीज, देहरादून/उत्तरॉचल इण्डस्ट्रीज एशोसियेशन, देहरादून।

(संजीव चोपडा)
सचिव
औद्योगिक विकास।

परिशिष्ट–1

विभिन्न विभागों द्वारा उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली स्वीकृतियों/अनापत्तियों/लाईसेंस इत्यादि के निर्णय के लिए अधिकतम समय–सीमा का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र. सं.	विभाग	अधिकतम समय–सीमा
1	2	3
1.	**उद्योग विभाग**	
	(क) लघु उद्योगों का अस्थायी पंजीकरण जारी करना, जिसमें 220 प्रकार के अप्रदूषणकारी लघु उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करना निहित है।	उसी दिन (Same day)
	(ख) लघु उद्योगों का स्थायी पंजीकरण, जिसमें 220 प्रकार के प्रदूषणकारी लघु उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण सहमति–पत्र निर्गत करना निहित है। औद्योगिक इकाईयों के प्रदूषण नियंत्रण सहमति आवेदन–पत्र जिला उद्योग केन्द्र से बोर्ड को हस्तगत कराकर उनसे पावती प्राप्त करने के उपरान्त उक्त प्रकार के लघु उद्योगों के स्थायी पंजीकरण प्रमाण–पत्र में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रदूषण नियंत्रण सहमति भी सन्निहित की जायेगी।	एक माह
2.	**उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम**	
	(क) निर्माण कार्य हेतु विद्युत भार की स्वीकृति	पन्द्रह दिन
	(ख) स्थायी विद्युत भार की स्वीकृति	एक माह
3.	**उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि./ उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि./ उद्योग विभाग, उत्तरांचल**	
	औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों में भूमि/शेड का आवंटन	एक माह
4.	**उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**	
	(क) अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करना–	
	(1) पदूषणकारी उद्योगों हेतु	चार माह
	(2) 220 प्रकार के अप्रदूषणकारी लघु उद्योगों के अतिरिक्त उद्योगों हेतु	एक माह
	(ख) कन्सेण्ट प्रदान करना	
	(1) प्रदूषणकारी उद्योगों हेतु	चार माह
	(2) 220 प्रकार के अप्रदूषणकारी लघु उद्योगों के अतिरिक्त उद्योगों हेतु	प्रार्थना–पत्र पावती ही सहमति है
	(3) अधिक प्रदूषणकारी उद्योगों के अतिरिक्त मध्यम एवं वृहत उद्योगों हेतु	एक माह
नोट–हैजार्डस प्रकृति के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों हेतु स्वतः स्वीकृति का नियम लागू नहीं होगा।		
5.	**व्यापार कर विभाग**	
	(क) अस्थायी व्यापार कर पंजीकरण	तीन दिन
	(ख) स्थायी व्यापार कर पंजीकरण	एक माह

6.	**श्रम विभाग**	
	(क) कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कारखाना भवनों के निर्माण/कारखाने के रूप में प्रयोग से पूर्व स्वीकृति	
	(1) नॉन–हैजार्डस उद्योगों हेतु	एक माह
	(2) हैलार्डस एवं मेजर हैजार्डस उद्योगों हेतु	दो माह
	(ख) कारखाना अधिनियम में पंजीकरण/लाइसेंस	
	(1) नॉन–हैजार्डस उद्योगों हेतु	एक माह
	(2) हैलार्डस एवं मेजर हैजार्डस उद्योगों हेतु	दो माह
	(ग) दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पंजीकरण	एक माह
7.	**अग्नि शमन विभाग**	
	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति	एक माह
8.	**राजस्व विभाग**	
	(क) धारा 143 के अन्तर्गत भूमि को गैर–कृषि योग्य घोषित करना	एक माह परन्तु स्वतः स्वीकृति का नियम लागू नहीं होगा
	(ख) उत्तरांचल जमींदारी उन्मूलन एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही	15 दिन
	(ग) निजी/संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/आस्थान की स्थापना के लिये औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय की अनुमति तथा सीलिंग ऐक्ट से छूट	एक माह परन्तु स्वतः स्वीकृति का नियम लागू नहीं होगा
9.	**खाद्य विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना**	10 दिन
10.	**एच0एस0डी0 भण्डारण/विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ भण्डारण हेतु जिलाधिकारी स्तर पर अनुमति/अनापत्ति**	एक माह परन्तु स्वतः स्वीकृति का नियम लागू नहीं होगा
11.	**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग**	
	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री निर्माण लाइसेंस (स्थापना के उपरान्त)	दो माह
12.	**राज्य आबकारी विभाग**	
	(क) राज्य आबकारी विभाग	एक माह
	(ख) आबकारी लाइसेंस	एक माह
13.	**वन विभाग**	
	वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र (वनाधारित कुछ उद्योगों हेतु)	एक माह
14.	**विकास प्राधिकरण/ नगर निगम/ नगरपालिका/ टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया/ सिडकुल द्वारा कारखाना भवन मानचित्र का अनुमोदन**	एक माह

2–दून घाटी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी, 1989 द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्यवाही वांछित होगी।

भवदीय,

एम. रामचन्द्रन,

अपर मुख्य सचिव।

लघु उद्योग, पारिस्थितिकी पर्यटन/ पुष्पकृर्षि तथा प्रोत्साहन सहायता के लिए प्रस्तावित पंजीयन का आवेदन प्रपत्र एवं अनुदेश

DEFINITION OF SSI UNITS
SSI Registration

List of Eligible/Ineligible activities under various categories

1. **Small Scale Industrial Undertaking**

Industrial undertaking in which the investment in fixed assets in plant & machinery, excluding land and building, whether held on ownership terms or on lease or on hire purchase, does not exceed Rs. 1 Crore (One Crore).

a) Ancillory Industrial Undertaking:

An Industrial undertaking which is engages or is proposed to be engaged in the manufacture or production of parts, components, sub-assemblies, tooling or intermediates, or the rendering of services and undertaking supplies or proposes to supply or renders not more than fifty percent of its production or services, as the case may be, to one or more other industrial undertaking and whose investment in fixed assests in plant and machinery, whether held on ownership terms or on lease or on hire purchase, does not exceed rupees one crore.

b) Tiny Industries:

All Small Scale units wherein investment on plant and machinery (excluding land and building) upto Rs. 25 Lakhs are classified as tiny industries.

c) Export Oriented Units:

All small scale units which exports more than 50% or their output is classified as Export Oriented Units.

2. Definition of Small Scale Service Business Enterprises (SSSBE)

Industrial related service/business enterprises with investment on plant and machinery upto Rs. 10 lakhs excluding land and building is registered under SSSBE.

3. Specified activities eligible for SSI Registration up to Rs. 5 Crores

There are certain types of industries/activities wherein investment on plant and machinery upto Rs. 5 Crores can also be registered under SSI category and such list of industries are available in Info-help

Note 1:

No Small Scale or ancillary industrial undertaking referred to above shall be subsidiary, or owned or controlled by any other industrial undertaking.

Explanation: For the purposes of this note. "owned" shall have the meaning as derived from the definition of the expression "owner" specified in clause (1) of section 3 of the said Act. "subsidiary" shall have the same meaning as in clause (47) of

section 2 read with section 4, of the Companies Act 1956 (1 of 1956). "controlled by any other industrial undertaking means as under:-

(i) Where two or more industrial undertakings are set up by the same person as a proprietor, each of such industrial undertakings shall be considered to be controlled by the other industrial undertaking or undertakings.

(ii) Where two or more industrial are set up as partnership firms under the Indian Partnership Act 1932 (1 of 1932) and one or ore partners are common partner of partners in such firms, each such undertaking shall be considered to be controlled by the other undertaking or undertakings.

(iii) Where industrial undertakings are set up by companies under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), an Industrial undertakings shall be considered to be controlled by other industries undertaking if:-

(a) The equity holding by other industrial undertaking in it exceeds twenty Four Percent (24%) of its total equity; or

(b) The management control of an undertaking is passed on to the other, industrial undertaking by way of the Managing Director of the first mentioned undertaking being also the Managing Director or Director in the other industrial undertaking or the majarity of Directors on the Board of the first mentioned undertaking being the equity holders in the other industrial undertaking in terms of the provision of the following items (a) and (b) of sub-clause (iv);

(iv) The extent of equity participation by other industrial undertaking or undertakings in the undertakings as per sub-clause (III) above shall be worked out as follows:

(a) The equity participation by other industrial undertaking shall include both foreign and domestic equity;

(b) Equity participation by other industrial undertaking shall mean total equity held in an industrial undertaking by other industrial undertaking or undertakings, whether small scale or otherwise, put together as well as the equity held by persons who are Directors in any other industrial undertaking or undetakings even if the person concerned is a Director in other Industrial Undertaking or Undertakings;

(c) Equity held by a person, having special technical qualification and experience, appointed as a Director in a small scale industrial undertakings, to the extent of qualification shares, if so provided in the Articles of Association, shall not be counted in computing the equity held by other industrial undertaking or undertakings even if the person concerned is a Director in other industrial undertaking or undertakings.

(v) Where an industrial undertaking or undertakings is a subsidiary of or is owned or Controlled by any other industrial undertaking or undertakings in terms of sub-clauses (I); (II); or (III) and if the total investment in fixed assets in plant and machinery of the first mentioned industrial undertaking and the other industrial undetaking or undertakings clubbed together exceeds the limit of investment specified in paragraphs (1) or (2) of this notification as the case may be, none of these industrial undertakings shall be considered to be a small scale or ancillary industrial undertaking.

(for more details may visit Development commissioner (Small Scale Industrial)'s web site http://www.laghuudyog.com/ssiindia/defition.htm)

GOVERNMENT OF UTTARANCHAL
DIRECTORATE OF INDUSTRIES
Application Form for Provisional Registration As Small Scale Industires
(TO BE FILLED DUPLICATE)

प्रपत्र / FORM

1. इकाई / आवेदक का नाम / Name of Unit/Applicant.

2. पत्र–व्यवहार का पता / Address for Communication.

दूरभाष
Tel.:

पिन कोड
Pin Code

3. इकाई की श्रेणीः
Category of Unit:

लद्यु उद्योग–1 / SSI-1, सहायक उद्योग–2 / ANC-2, लद्यु सेवा और व्यापार उद्यम–3 / SSSBE-3, अति लद्यु–4 / TINY-4, निर्यातोन्मुखी इकाई–5 / EOU-5

4. स्थानः
Location:

स्थान / शहरः
Place/Town :

तहसील / तालुक
Tehsil/Taluk

जिला
District

राज्य

State

5. संगठन का प्रकारः
Type of Organisation:
स्वामित्व–1/ Proprietory-1, भागीदारी–2/ Partnership-2, निजी कम्पनी–3/ Pvt. Company-3, सहकारी–4/ Cooperative-4, अन्य–5/ Others-5.

6. कार्यकलाप की प्रकृति/Nature of activity.
विनिर्माण/एसेम्बली (01)/Manufacturing/Assembly (01)
प्रोसेसिंग (02)/Processing (02)
जॉब कार्य (04)/Job Work (04)
मरम्मत/सेवा (08)/Repairing/Servicing (08)

नोटः कार्यकलापों के संयोजन की दशा में अपेक्षित कोड प्राप्त करने के लिए संबंधित कोड जोड़े ।

Note: For any combination of activities, add the respective code to get the required code.

7. कार्यकलाप/विनिर्माण की मुख्य मदें:
Main items of manufacture/activities:

(1) नामः
Name:
कोडः

(2) नामः
Name:
कोडः

(3) नामः
Name:
कोडः

(4) नामः
Name:
कोडः

(5) नामः
Name:
कोडः

8. अचल परिसम्पत्तियों में निवेश (रूपये हजारों में)/Investment in Fixed assests (Rs. in '000)

(1) भूमि/Land

(2) भवन / Building
(3) संयंत्र एवं मशीनरी / Plant and Machinery
(4) अन्य अचल परिसंपत्तियां / Other fixed assets
योगः / **TOTAL:**

9. संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश / Investment in Plant and Machinery
(प्रारम्भिक मूल्य रू0 हजारों में) / (Original value Rs. in '000)

टिप्पणीः उन वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए जिनके मूल्यों को निवेश की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाना है। यदि संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 40 लाख रूपये से अधिक हो तो कृपया परियोजना रिपोर्ट संलग्न करें।

NOTE: Should exclude items whose value is not taken into account while computing the investment. Please enclose project profile in case value of investment in Plant and Machinery exceeds Rs. 40 lacs.

10. शक्ति भार अ0 श0 / H. P.
(1 अश्व शक्ति = 0.795 किलोवाट) कि0 वा0 / K.W.
Power Load
(1 H. P. = 0.795 K.W.)

11. रोजगारः
Employment:

(क) प्रबंधकीय और कार्यालय कर्मचारी
(a) Managerial & Office Staff

(ख) पर्यवेक्षक एवं कामगार
(b) Supervisors and Workers

12. उत्पादन आरम्भ करने की तिथि (अनुमानित)
Date of commencement of production (estimated)

आवेदक के हस्ताक्षर (प्राधिकृत व्यक्ति)
Signature of Applicant (Authorised Person)

दिनांक :
Date :

स्वामी / भागीदार / प्रबन्ध निदेशक का नाम
Name of Proprietor/Partner/Managing Director

GOVERNMENT OF UTTARANCHAL
DIRECTORATE OF INDUSTRIES
District Industries Centre _____

FOR OFFICE USE ONLY

Application No. NIC Code
Block Code District Code State Code
Application of Unit:-

(Conforming-1 Non Conforming-2)
Whether the items of manufacture/ activity require and industrial licence.
Yes-1, No.2
(No industrial licence is required for items listed in Schedule II of the licencing notification dated 25/7/1991 if the unit employes are less than 50/100 workers with or without power)

PROVISIONAL REGISTRATION

The Application is accepted for Provisional Registration as a SSI/SSSBE unit for the manufacture of items/activities on stated in the application form.
Permanent Registration No.
Date of Issue
Category of Unit (S. No. 3): _____
Name of Product

Signature
Name & Designation of
Registering Authority

महत्वपूर्ण शर्तें एवं निर्देश/(Important Conditions & Instruction):

1. The endorsed application form is a part of the certificate of registration.
2. The provisional registration is valid for a period of five years from the date of issue.
3. The provisional registration will automatically lapse at the end of the validity period or the date of commencement of production, whichever is earlier.
4. If an applicant unit is unable to set up the unit within the validity period, the applicant/unit has the option to apply for a fresh provisional registration using standard procedure.
5. The provisional registration is given to enable the unit to obtain all facilities, clearance etc. required in the pre-production stage.
6. The provisional registration is subject to any or all conditions that may be imposed by the Registering Authority.

पत्रांक /उ0नि0–थ्रस्ट उद्योग/पंजीकरण/2004–05

उद्योग निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।
दिनांक : 27 दिसम्बर, 2004

समस्त महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
उत्तरांचल।

विषयः **एस0एस0आई0/एस0एस0एस0बी0ई0 से इतर थ्रस्ट उद्योग के रूप में चिन्हित पारिस्थिकीय पर्यटन एवं फ्लोरिकल्चर उद्योगों के पंजीकरण के सम्बन्ध में।**

भारत सरकार के विशेष प्रोत्साहन पैकेज में चिन्हित थ्रस्ट उद्योगों, विशेषकर पारिस्थिकीय पर्यटन, फ्लोरिकल्चर, पोल्ट्री इत्यादि के विभाग में पंजीकरण हेतु निदेशालय द्वारा निर्धारित आवेदन–पत्र एवं पंजीकरण प्रमाण–पत्र का प्रारूप संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

एस0एस0आई0/एस0एस0एस0बी0ई0 से इतर थ्रस्ट उद्योगों के रूप में चिन्हित क्रियाकलापों के पंजीकरण के लिए जनपद के महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक अधिकृत रहेंगे। पंजीकरण संख्या का आवंटन एस0एस0आई0/एस0एस0एस0बी0ई0 से भिन्न अलग पंजिका बनाकर क्रमवार पंजिका में दर्ज संख्या के आधार पर पंजीकरण प्रमाण–पत्र में अंकित की जायेगी तथा जारी होने की तिथि पंजीकरण की तिथि रहेगी। थ्रस्ट उद्योगों की पंजीकरण पंजिका का प्रारूप अनुलग्नक–1 में दिया गया है। यदि कोई अन्य विवरण पंजिका में अंकित किया जाना वांछित हो, तो उसे भी पंजिका में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

एस0सी0 चन्दोला,
संयुक्त निदेशक उद्योग,
उत्तरांचल।

पृष्ठांकन संख्या 2994–सी/उक्त, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, कुमायूं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, औद्योगिक आस्थान, काशीपुर।
2. अध्यक्ष, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एशोसियेशन,, औद्योगिक क्षेत्र, मोहब्बेवाला, देहरादून।
3. अध्यक्ष, कन्फडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज, देहरादून।
4. अध्यक्ष उत्तरांचल इण्डस्ट्रीज एशोसियेशन, रुड़की (हरिद्वार)।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., कैन्ट रोड, देहरादून।

एस0सी0 चन्दोला,
संयुक्त निदेशक उद्योग,
उत्तरांचल।

GOVERNMENT OF UTTARANCHAL
DIRECTORATE OF INDUSTRIES
Application Form of Provisional Registration for Floriculture, Poultry, Eco-Tourism
(Hotels, Resorts, Spa, Amusement/Entertainment Parks & Ropeways)
other than SSI/SSSBE
(TO BE FILLED DUPLICATE)

फार्म / **FORM**

1. प्रतिष्ठान / आवेदक का नाम / Name of Enterprise/Applicant:

2. पत्र–व्यवहार का पता / Address for Communication:

3. दूरभाषः / Tel.: पिन कोडः / Pin Code:

4. इकाई की श्रेणी
Category of Unit: ……

5. प्रस्तावित कार्य स्थलः / Proposed Location:

6. संगठन का प्रकार :
Type of Organisation:
स्वामित्व–1 / Proprietory-1, भागीदारी–2 / Partnership-2, निजी कम्पनी–3 / Pvt. Company-3, सहकारी–4 / Cooperative-4, अन्य–5 / Others-5.

7. कार्यकलाप की प्रकृति / Nature of Activity:

8. अचल परिसम्पत्तियों में निवेश (रुपये हजारों में) / Investment in Fixed assests (Rs. in '000)

1. भूमि / Land

2. भवन / Building

3. साधन एवं सहायक उपकरण / Equipement and Accessary

4. अन्य अचल परिसम्पत्तियों / Other fixed assests

योगः / Total:

9. विद्युत भार / Power Load in HP/KW

10. प्रस्तावित रोजगार / Proposed Employment:
    (क) प्रबन्धकीय एवं पर्यवेक्षक / Managerial and Supervisors
    (ख) निपुण कर्मकार / Skilled Worker
    (ग) अकुशल कर्मकर / Unskilled Worker.

11. कार्य आरम्भ करने की प्रस्तावित तिथिः
    Proposed date of commencement of Activity/commercial operation:

आवेदक के हस्ताक्षर (प्राधिकृत व्यक्ति)
Signature of Applicant (Authorised Person)

दिनांकः
Date:

स्वामी / भागीदार / प्रबन्ध निदेशक का नाम
Name of Proprietor/Partner/Managing Director

Declaration

I/We hereby affirm the following

1. that I/We have obtained all the statutory clearances/No Objection Certificates/permission required to carry out the business/activity under the prevalent laws, regulations and rules in force.
2. that I/We have also obtained the necessary registration/licence, wherever required, under the relevant laws, rules or orders, for the time being in force, for carrying out the said industrial activity.
3. I/We declare that all information given in this form is true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Place :
Date :

Signature of Applicant (Authorised Person)

उत्तरांचल शासन, औद्योगिक विकास विभाग

संख्याः– 812/औ0वि0/2003 देहरादून : दिनांक : 29 अक्टूबर, 2003

अधिसूचना

उत्तरांचल प्रदेश में पुष्पकृर्षि व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने हेतु पुष्पकृर्षि (Floriculture) क्रियाकलापों को प्रदेश में उद्योग का दर्जा निम्नवत् अनुमन्य किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः

1. न्यून्तम 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फ्लोरिकल्चर का कार्य।
2. फ्लोरीकल्चर कार्य हेतु निर्धारित परिक्षेत्र में पोली हाऊस अथवा ग्रीन हाऊस की स्थापना।

उपरोक्त उद्योग को प्रदेश सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट जोर दिये जाने वाले उद्योगों (Thrust Sector) को प्रदत्त समस्त सुविधाएं अनुमन्य की जायेंगी।

संजीव चोपड़ा,
सचिव।

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2003

सं. 1(10)/2001–एनईआर0–भारत सरकार ने उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्यों में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से इन राज्यों में औद्योगिक एककों हेतु केन्द्रीय अनुदान अथवा राजसहायता की निम्नलिखित योजना बनाई है :

1. संक्षिप्त नामः–

   यह योजना केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2003 कहलायेगी।

2. योजना का प्रारंभ और अवधिः–

   यह योजना 7 जनवरी, 2003 से प्रभावी होगी तथा 6.1.2013 मे प्रवृत्त रहेगी।

3. योजना का लागू होनाः–यह योजना उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के लिए अनुमोदित विकास केन्द्रों में उन सभी औद्योगिक एककों में और नई औद्योगिक एककों अथवा उनके विकास केन्द्रों में पर्याप्त विस्तार अथवा औद्योगिक अवसंरचनात्मक विकास केन्द्रों (आई आई डी सी) अथवा उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्यों द्वारा स्थापित औद्योगिक एस्टेटों/पार्कों/निर्यात संवर्धन क्षेत्रों और वाणिज्यिक संपदाओं तथा इन विकास केन्द्रों से बाहर स्थापित तथा अन्य अभिज्ञात स्थापना स्थलों के विनिर्दिष्ट जोर दिये जाने वाले उद्योगों (अनुबन्ध के अनुसार) में नये औद्योगिक एककों अथवा उनके पर्याप्त विस्तार में भी लागू रहेगीं।

4. पात्रता की अवधिः–

   यह राजसहायता, प्रात्र औद्योगिक एकक के लिए, योजना की अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

5. परिभाषाएंः–

   (क) ''औद्योगिक एकक'' से अभिप्रेत है कोई भी औद्योगिक एकक जिसमें विनिर्माणकारी कार्यकलाप किया जा रहा हो अथवा लघु उद्योग मंत्रालय के दिनांक 30.9.1991 के पत्र संख्या 2(3)/91–एस एस आई, बी डी में यथा परिभाषित एक उपयुक्त सेवा एकक जो सरकार द्वारा विभागीय रूप से न चलाया जा रहा हो।

(ख) ''नया औद्योगिक एकक'' से वह औद्योगिक एकक अभिप्रेत है जिसको स्थापित करने के लिए प्रभावपूर्ण कार्यवाही 7 जनवरी, 2003 से पूर्व नहीं की गई थी।

(ग) ''विद्यमान औद्योगिक एकक'' से वह औद्योगिक एकक अभिप्रेत है जो 7 जनवरी, 2003 को विद्यमान है।

(घ) ''पर्याप्त विस्तार'' से क्षमता के विस्तार/आधुनिकीकरण और विविधीकरण के प्रयोजन के लिए किसी औद्योगिक एकक के संयंत्र तथा मशीनरी में स्थिर पूंजी निवेश के मूल्य में 25 प्रतिशत से अन्यून की वृद्धि अभिप्रेत है।

(ङ) ''प्रभावी उपाय'' से निम्नलिखित कार्यवाहियों में से एक या अधिक उपाय अभिप्रेत हैंः–

(i) कि औद्योगिक एकक के लिए जारी पूंजी का 10 प्रतिशत अथवा अधिक प्रदत्त किया जा चुका है।

(ii) कि विनिर्माणकारी कार्यकलाप के लिए अपेक्षित फैक्ट्री बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा निर्मित कर दिया गया है।

(iii) कि औद्योगिक एकक के लिए अपेक्षित किसी संयंत्र तथा मशीनरी हेतु निश्चित ऑर्डर दे दिया गया है।

(च) ''स्थिर पूंजी निवेश'' से इस योजना के प्रयोजन के लिए संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश अभिप्रेत है।

6. स्वीकार्य राजसहायता की सीमाः–

विकास केन्द्रों में स्थापित सभी पात्र औद्योगिक एककों अथवा आई आई डी सी अथवा उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में स्थापित औद्योगिक संपदाओं/पार्कों/निर्यात संवर्धन क्षेत्रों को उनके नये एककों के संबंध में उनके निवेश की 15 प्रतिशत की दर पर पूंजीगत निवेश राजसहायता दी जायेगी अथवा संयंत्र तथा मशीनरी में पर्याप्त विस्तार के संबंध में अतिरिक्त निवेश दिया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये होगी।

6.1 उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित नये औद्योगिक एककों अथवा अन्य विकास केन्द्रों में उनके पर्याप्त विस्तार अथवा आई आई डी सी अथवा औद्योगिक एस्टेट/पार्क/निर्यात संवर्धन क्षेत्रों और वाणिज्यिक संपदाओं में भी इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। इन विकास केन्द्रों से बाहर तथा अन्य अभिज्ञात स्थापना स्थलों में स्थापित विनिर्दिष्ट जोर दिये जाने वाले उद्योगों (अनुबंध के अनुसार) में नए औद्योगिक एकक अथवा उनका पर्याप्त विस्तार भी इसी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहनों के पात्र होंगे।

7. संयंत्र तथा मशीनरीः–

संयंत्र तथा मशीनरी के मूल्य की गणना करने में स्थापना स्थल पर पूर्ण रूप से स्थापित हो जाने पर औद्योगिक संयंत्र तथा मशीनरी की लागत को हिसाब में

लिया जायेगा जिसमें टूल, जिंग्स, डाइयां तथा मोल्ड्स जैसे उत्पादक उपकरणों की लागत, बीमा प्रीमियम और उनकी परिवहन लागत भी शामिल होगी।

7. (क) कच्चे माल के परिवहन तथा तैयार उत्पादों के विपणन हेतु वास्तविक रूप से उपयोग की गई राशि को? माल लाने ले जाने में निवेश की गई राशि के बराबर ही हिसाब में लिया जायेगा।

7. (ख) कच्चे माल तथा अन्य उपभोज्य भंडारों सहित कार्यशील पूंजी को संयंत्र तथा मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय शामिल नहीं किया जायेगा।

8. राज सहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेंसीः–
पूंजी निवेश राजसहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेंसी को राज्य सरकारों के परामर्श से अधिसूचित किया जायेगा।

9. पूंजी निवेश राजसहायता का दावा करने हेतु प्रक्रियाः–
उक्त योजना के तहत राजसहायता के लिए पात्र औद्योगिक एककों को नये एककों को स्थापित करने अथवा विद्यमान एककों का पर्याप्त विस्तार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने से पूर्व राज्य औद्योगिक विभाग में अपने आपको पंजीकृत कराना होगा तथा निवेश राजसहायता के दावों में अपने एककों की संयंत्र तथा मशीनरी में उनके द्वारा की जाने वाली कुल अतिरिक्त संभावित स्थिर पूंजी का अपना निर्धारण दर्शाना होगा।

10. पूंजी निवेश राजसहायता के संवितरण हेतु प्रक्रियाः–
राज्य सरकार प्रत्येक मामले के संबंध में राजसहायता की स्वीकृति और उसकी मात्रा के बारे में अर्हता पर निर्णय लेने के लिए एक समिति गठित करेगी जिसमें राज्य वित्त विभाग और राज्य उद्योग निदेशालय का एक–एक प्रतिनिधि तथा यदि औद्योगिक एकक की सहायता वित्तीय संस्थान करता है तो संबंधित वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

10.1 वित्तीय संस्थानों अथवा राज्य सरकार से सहायता के बिना स्थापित नये औद्योगिक एकक के संबंध में एकक को राजसहायता विनिर्दिष्ट की गई एजेंसी द्वारा एकक के उत्पादन शुरू करते समय राज्य सरकार की सिफारिश पर वितरित की जायेगी। इसी तरह राज्य सरकार के वित्तीय संस्थानों के बिना सहायता प्राप्त विद्यमान औद्योगिक एकक द्वारा उसके पर्याप्त विस्तार के संबंध में एकक को राज्य सहायता विनिर्दिष्ट की गई एजेंसी द्वारा राज्य सरकार की सिफारिश पर एकक में पर्याप्त विस्तार किये जाने और एकक द्वारा बढ़ाया गया उत्पादन शुरू कर दिये जाने के पश्चात दी जायेगी। तथापि ऐसे मामलों में जहां संबंधित राज्य सरकार सरकारी निधियों के सुरक्षा के बारे में संतुष्ट है, अनुमानित राजसहायता की आधे से अनधिक राशि एकक के उत्पादन शुरू होने से पूर्व उद्यमी द्वारा राज्य उद्योग निदेशालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रभावी कदम उठाये जाने संबंधी एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही जारी की जाएं तथा शेष राशि एकक द्वारा उत्पादन शुरू होने के पश्चात ही जारी की जाए।

10.2 राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक एकक के संबंध में राजसहायता राज्य सरकार की सिफारिश पर विनिर्दिष्ट की गई एजेंसी द्वारा वितरित की जायेगी। ऐसे मामलों में राज्य सरकार तथा संबंधित एकक के बीच एक अनुबंध/करार किया जाए जिसमें गिरवी, शपथ राजसहायता की राशि तक परिसंपत्तियों को गिरवी रखना शामिल हो। वित्तीय संस्थान से सहायता प्रापत नये औद्योगिक एकक अथवा विद्यमान औद्योगिक एकक पर्याप्त विस्तार के संबंध में एकक को राजसहायता उतनी ही किस्तों में वितरित की जायेगी जैसे कि वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण वितरित किया जाता है तथा साथ ही साथ विनिर्दिष्ट की गई एजेंसी से वित्तीय संस्थान द्वारा दावा किया जाए। ऐसे मामलों में वित्तीय संस्थान संबंधित एकक के बीच अनुबंध/करार कर लिया जाए जिसमें गिरवी/शपथ/संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिम राशि तक एकक की परिसंपत्तियों को गिरवी रखना तथा राजसहायता शामिल हो।

11. केन्द्र/राज्य सरकार/वित्तीय संस्थानों के अधिकारः–

यदि केन्द्रीय सरकार/संबंधित राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान इस बात से संतुष्ट हैं, कि किसी औद्योगिक एकक ने राजसहायता अथवा अनुदान किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्याकथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करके प्रापत किया है अथवा यदि वह एकक प्रारंभ होने से पांच वर्ष के अंदर उत्पादन बंद कर देता है तो केन्द्र सरकार/संबंधित एककों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अनुदान अथवा राजसहायता वापिस करन के लिए कह सकते हैं।

12. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग/संबंधित राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना औद्योगिक एकक के किसी भी स्वामी को, संपूर्ण अनुदान अथवा राजसहायता या उसका कोई भाग प्राप्त करने के पश्चात उस संपूर्ण औद्योगिक एकक या उसके किसी भाग के स्थापना स्थल को बदलने के लिए या उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात पांच वर्ष की अवधि के अंदर अपने कुल निर्धारित पूंजी निवेश में प्राप्त संक्षेपन अथवा इसके पर्याप्त भाग का निपटान करने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी।

13. उन सभी एककों के संबंध में जिनको अनुदान अथवा राजसहायता का वितरण संबंधित वित्तीय संस्थान/राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, इस आशय का प्रमाण–पत्र कि अनुदान अथवा राजसहायता का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए किया गया है जिनके लिए वह दी गयी है, केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को सम्बन्धित वित्तीय संस्थान/राज्य सरकार द्वारा उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिया जायेगा जिस तिथि को अंतिम किस्त/पूरी रकम प्राप्त हुई हो।

14. अनुदान अथवा राजसहायता प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक औद्योगिक एकक उत्पादन प्राप्त करने के पश्चात पांच वर्ष की अवधि के लिए अपने कार्यकलापों के बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति और संवर्धन

विभाग/राज्य सरकार (जैसा विनिर्दिष्ट किया जायेगा) को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

एस0 जगदीशन,
संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2004

फा0सं. 1(13)/2003–एस0पी0एस0 (iii)–केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अधिसूचना सं. 1(10) 2001–एन ई आर के तहत 8–1–2003 को अधिसूचित हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल से संबंधित केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2003 में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती हैः–

(i) ''परिभाषाएं'' नामक पैरा 5 के उप–पैरा (क) में निम्नलिखित जोड़ा जाएगाः–
औद्योगिक इकाइयां उक्त योजना के अनुबंध में महत्वपूर्ण उद्योगों की सूची के क्रमांक 15 में उल्लिखित सभी पारिस्थितिक पर्यटन इकाइयों को भी शामिल करेंगी।

(ii) ''परिभाएं'' नामक पैरा 5 के उप–पैरा (घ) में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगाः–
पारिस्थितिक पर्यटन इकादयों के लिए, भवन निर्माण में कोई निवेश, बशर्ते कि निवेश राशि मूल राशि की कम से कम 25 प्रतिशत हो।

(iii) ''संयंत्र एवं मशीनरी'' नामक पैरा 7 में, उसके नीचे नया पैरा (ग) के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगाः–
(7) (ग) : उक्त योजना के अनुबंध में महत्वपूर्ण उद्योगों की सूची में उल्लिखित पारिस्थितिक पर्यटन इकाइयों के लिए, संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना में परिशिष्ट में सूचीबद्ध मदों की लागत भी शामिल की जाएगी।

एस0 जगदीशन,
संयुक्त सचिव।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2004

F.No. 1(13)/2003-SPS(iii).--The Central Government hereby makes the following amendments under the Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2003 relating to Himachal Pradesh and Uttaranchal notified on 8-1-2003 vide Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Policy and Promotion Notification No. 1(10)/2001-NER.

(i) In sub-para (a) of para 5 titled "Definitions", the following shall be added:-
The industrial units will also cover all the eco-tourism units mentioned at Sl. No. 15 of the list of Thrust Industries at Annexure to the said Scheme.

(ii) In sub-para (d) of para 5 titled "Definitions", the following shall be added:-
"For eco-tourism units, any investment in "building", provided the investment is at least 25% of the original investment."

(iii) In para 7 titled "Plant and Machinery", the following shall be added as new para (c) thereunder :--
(7) (c) : In calculating the value of plant and machinery for eco-tourism units mentioned in the list of Thrust Industries at Annexure of the Scheme, the cost of items contained in the list at Appendix will be taken into account.

S. JAGADEESAN,
Jt. Secy.

शुद्धि–पत्र

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2004

फा0सं. 1(13)/2003–एस0पी0एस0 (iii)–भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की **हिमाचल प्रदेश एवं उत्तरांचल** से सम्बन्धित केन्द्रीय पूँजी निवेश सहायता योजना, 2003 में संशोधन से सम्बन्धित दिनांक 14 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 1(13) 2003–एस0पी0एस0 (पपप) के पैरा 7(ग) में उल्लिखित परिशिष्ट को निम्न प्रकार पढ़ा जाए :

"परिशिष्ट

पारिस्थितिकी पर्यटन इकाईयों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी की परिभाषा

(क) हाउसबोटों के संबंध में, समूचा हाउसबोट प्रोजेक्ट संयंत्र एवं मशीनरी के रूप में लिया जाएगा जिसमें इसकी फिटिंग एवं साज सज्जा भी शामिल होगी।

(ख) होटलों, रिजॉर्टों एवं अतिथि गृहों (मात्र लद्दाह) के सम्बन्ध में, भूमि एवं भवन के मूल्य की तुलना में संयंत्र एवं मशीनरी पर किया जाने वाला निवेश नगण्य है। अतः भवन को भी संयंत्र एवं मशीनरी का एक भाग मानना चाहिए। इसके अतिरिक्त, नीचे बिन्दु (ग) में दी गई वस्तुओं का ध्यान संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय रखा जाए।

(ग) संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरणों की विस्तृत सूची निम्नानुसार है :

1. स्विमिंग पूल के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट;
2. जल शुद्धिकरण संयंत्र;
3. हॉट वाटर बॉयलर और कमरा गर्म करने के उपकरण (स्थिर);
4. पानी मीठा करने क संयंत्र;
5. वाष्प निष्कर्षण और हवादारी संयंत्र;
6. एसर कंडीशनिंग प्लांट;
7. कोल्ड स्टोरेज उपकरण;
8. लॉन्ड्री उपकरण;
9. कूलर व रेफ्रीजरेटर उपकरण;
10. बेकरी उपकरण;
11. मलजल निपटान संयंत्र;
12. विद्युत उपकरण (स्थापित किये गए);
13. शिविर लगाने हेतु टैंट;
14. रसोई उपकरण, कुकिंग रेंज, डिश वाशर, वर्किंग टेबल;
15. अग्निशमन उपकरण (स्थिर);
16. टेलीफोन उपकरण/एक्सचेंज;
17. लिफ्टें;
18. सेफ डिपोजिट लॉकर;
19. कैंपस के भीतर पंपिंग सेट व लाइनों सहित ट्यूबवेल;

20. सामान ले जाने वाले वाहन जिनकी आवश्यकता अनन्य रूप से होटल के लिए हो;
21. सम्मेलन हॉल के लिए प्रोजेक्टर और अन्य उपकरण (स्थिर);
22. रोशनी देने वाले उपकरण;
23. साहसिक और जल–क्रीड़ा उपकरण।

(घ) साहसिक और अवकाश के खेल, मनोविनोद/मनोरंजन पार्क, केबल कार, रोप वे और स्पा के लिए, इन इकादयों की संपूर्ण परियोजना लागत (भूमि को छोड़कर) हिसाब में ली जाए।''

एस0 जगदीशन,
संयुक्त सचिव।

CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th September, 2004

F.No. 1(13)/2003-SPS(iii).--In the Government of India, Ministry of Commerce & Industry, Department of Policy & Promotion Notification No. F.No. 1(13)/2003-SPS(iii), dated 14th September, 2004 for amendments to the Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2003 relating to **Himachal Pradesh and Uttaranchal**, the Appendix referred to in para 7(c) may be read as under :

"Appendix

Definition of Plant & Machinery for Eco-Tourism Units

(a) In the case of Houseboats, the entire houseboat project along with its fitting and furnishing should be treated as plant and machinery.

(b) In the case of hotel, resorts and guest houses (Laddah only), the investment in plant and machinery is negligible in comparison to the cost of land and building. Therefore, building should also be included as a part of plant and machinery. Besides tis, the items given at (c) below may be taken ito account for calculating the value of plant and machinery.

(c) An illustrative list of plant and machinery/equipment is given below:

1. Filtration plant for swimming pool;
2. Water purification plant;
3. Hot water boiler and room heating equipment (fixed);
4. Water softening plant;
5. Fume extraction and ventilation plant;
6. Air conditioning plant;
7. Cold storagte equipment;
8. Laundry equipment;
9. Cooler and refrigeration equipment;
10. Bakery equipment;

11. Sewage disposal plant;
12. Electrical installations;
13. Tents for camping;
14. Kitchen equipment, cooking range, dish washer, working table;
15. Fire fighting equipment/exchange;
16. Telephone equipment/exchange;
17. Lifts;
18. Safe deposit lockers;
19. Tube wells along with pumping sets and lines within the campus;
20. Goods carrier exclusively needed for the hotel;
21. Projector and other equipments for conference hall (fixed);
22. Lighting equipment;
23. Adventure and water sports equipments.

(d) For Adventure & lesure sports, amusement/entertainment parks, cable car, ropeways and spa, the entire project cost of these units (excluding land) may be taken into account."

S. JAGADEESAN,
Jt. Secy.

Sub.: Certification of Capacity and Investment for the purpose of the Concessional Industrial Package and New Industrial Policy – 2003 and benefits there under

To,

The Managing Director
SIDCUL

Joint Director Industries

All General Managers
Distt. Industries Centre

All Industry Associations

Dear Sir,

The Govt. has been pleased to decide that for the purpose of certifying existing capacity, existing investment, capacity enhancement, additional investment etc., the following steps shall suffice for official purposes :

i) *Certificate of Charatered Engineer certifying capacities and expansion. *(enclosing list of value of machinery)*
ii) Certificate of Chartered Accountant to certify investments. *(enclosing list of investment separately & for what purpose).*
iii) Affidavit of the promoter along with an undertaking that he has read the clauses of the scheme and is furnishing true facts accordingly.
iv) Intimation to DIC with a copy to SIDCUL stating the name of the unit, khasra number location product, existing capacity & investment, proposed expansion in capacity and investment, source of finance, list of machinery or sectors in which investment is proposed time limit for undertaking the said work etc.
v) All the other formailities stipulated in the Capital Investment Scheme etc of Govt. of India shall also be adhered to.

The concerned General Manager, Distt Industry Centres shall be maintaining the true record of these formats and shall also be making sample check of 5% at random.

Yours Faithfully

SANJEEV CHOPRA
Secretary (ID)

[Note: Chartered Engineer and Chartered Accountant shall also certify that they have gone through the contents of the scheme and are certifying the capacity as required under the scheme.]

DIRECTORATE OF INDUSTRIES, UTTARANCHAL

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION UNDER THE CENTRAL CAPITAL INVESTMENT SUBSIDY SCHEME – 2003

1. a Name of the Industrial Unit :
   b Office address with Telephone No. :
   c Factory Address with Telephone No. :
   d Whether the unit is located in the areas as specified in the notification of G.O.I. dated 07.01.03, if yes please specify :
   e If the proposed/Expansion unit falls under the specified thrust industries, if yes, please specify :

2 Constitution of the unit (please specify, whether Proprietor/ Partnership/ Private Limited/ Limited Company/ Co-operative Society) :
   a Name(s), Address (es) of the Propietor/ Partners/ Directors of the Board of Directors/ Secretary and President of the Co-operative Society/Trustee :
   b Date of Registration under the Companies Act/ or the concerned Act (Act should be clearly stated) :
   c Registered Head Office of the company :

3 Details of Registration of the Unit
   a SSI Registration
      i) Provisional Registration No. :
      ii) Permanent Registration No. :
   b Number and date of Industrial Licence/ Letter of Intent/ Industrial Entrepreneurs Memorandum

4 Name of the product of manufacture/Activity :

	a	New/Proposed unit
	b	*Substantial expansion unit - Before expansion, After expansion
5	a	Whether the unit is new expansion
	b	Details of effective steps taken for establishment of new/substantial expansion of the unit

*** Substantial expansion as defined in G.O.I. notification dated 08.03.2003 vide para-5(a)**

	Details	***Prior to 07.01.2003***	***After 07.01.2003***
(i)	Total Capital Issue (Rs.)		
(ii)	Capital issued paid up (Rs.)		
(iii)	% of capital issued paid (Rs.)		
(iv)	State of construction of factory building required for manufacturing Activity.		
(v)	State of placement of order for plant & machinery (in Rs.)		
	b Expected date of commencement of production in case of proposed/ New/ under expansion unit	:	

6 Details of Capital Investment :

	For proposed/ new unit (Please specify Actual or Proposed Investment)	For existing unit undergoing expansion (Please specify Actual or Proposed Investment)		
		Prior expansion upto 07.01.2003	Expansion after 07.01.2003	% increase
a) Land				
b) Building				
i) Office Building				
ii) Factory Building				

c) *Plant & Machinery
d) *Accessories/ Productive equipments
e) Installation and electrification
f) Preliminary & Preoperative exp.
g) Miscellaneous fixed assets (Goods Carrier etc.)
h) *Good Carrier
TOTAL :-

7 i Means of Finance :

	For proposed/ new unit (Please specify Actual or Proposed Investment)	For existing unit undergoing expansion (Please specify Actual or Proposed Investment)	
		Prior expansion	Expansion
a) Own Capital			
i) Term Loan			
ii) Working Capital			
c) Other Sources			

*** As spcified in para-7 of the G.O.I.'s notification dated 08.01.2003**

ii) Name of Bank/ Financial Institution from where Term Loan/ Working Capital obtained and Account No.

8 Proposed/ Working employment position in the unit:

Sl. No.	Category	Nos.
1	Managerial	
2	Supervisory	
3	Skilled	
4	Semi Skilled	

5	Others	
	Total	

9 Tentative Assessment of Capital Investment Subsidy:

	Particulars	Total Value in Rs.
(a)	The cost of industrial plant & Machinery erected or likely to be erected at site	
(b)	Cost of productive equipment, such as tools, jigs, dies and moulds, insurance premium and their transportation cost.	
(c)	Cost of goods carrier as admissible under para-7(a) of the G.O.I. notification dated 08.01.2003	
	Total Proposed/Actual Capital Investment	
	Admissible Capital Investment Subsidy @ 15%	

DECLARATION

I/We hereby solemnly declare that the above informations furnished for the grant of registration under the Central Capital Investment Subsidy Scheme 2003 are correct and true to the best of my/our knowledge and belief.

Place: Signature of the Applicant/
Date: Authorised Signatory

REPORT OF THE RECOMMENDING AUTHORITY

Certified that the informations furnished by the unit M/s. _____for grant of CIS Registration found correct and acceptable with the following modifications.

1.

2.

Recommended/Non-Recommended for CIS Registration due to the following reasons:-

1.

2.

Place :

Date : Signature of the Recommending Authority Designation and Seal

CIS Registration Certificate

The application has been accepted for registration under the Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2003 and the Registrian No. given is _____Dated _____

Signature of the Registration Authority
Directorate of Industries, Uttaranchal/
District Industries Centre

Certified/Attested photocopies of the documents to be submitted along with the application form for registration under Capital Investment Subsidy Scheme.

1. Constitution of the Unit.
   a) In case of partnership unit registered deed of partnership with general power of attorney.
      i) In case of private limited/public limited company.
      ii) Registration Certificate under the Companies Act.
      iii) Memorandum and Article of Association.
      iv) Name of Board of Directors.
   b) In case of Co-Operative Society.
      i) Resolution of the General body for registration of the unit under SSI if any.
      ii) Registration Certificate
      iii) Memorandum and Article of Association.
2. Registration Certificate from the District Industries Centre (Provisional & Permanent) and LOI/IL/IEM/ etc. if any.
3. Land & Building
   a) In case of Government land alloted by Government : Allotment letter, Trace map and receipt on the premium paid to the government for allotment.
   b) In case of lease hold land from a private owner: Lease deed agreement along with the general power of attorney and trace map.
   c) In case of own land:
      i) Purchase deed.
      ii) Up to date non-incumbent certificate
      iii) Jamabandi copy & tace map
   d) In case of Government land alloted by any Government agency:-
      i) Allotment letter and trace map.
      ii) Deed Agreement
   e) In case of Industrial shed allotted by any government agency:-
      i) Allotment letter.
      ii) Deed of Agreement.
4. Sanction letter from the financial institution/banks for Term Loan & Working Capital Loan.
5. Power
   i) Power Sanction Letter.
   ii) First bill of SEB/Uttaranchal Power Corporation Ltd.
6. List of plant & machinery with its value.
7. List of employees with their name & address and date of appointment.
8. Project Report/Scheme of the unit approved by the Bank/Financial Institution/Concern DIC, as the case may be.
9. Source of own finance/equity with supporting documents.
10. No objection certificate from the local bodies/authority and trade licences, if any.
11. NOC from Pollution Control Board.
12. Any other documents sought for by the authority concerned.

एच0 एस0 डी0 भण्डारण/ विस्फोटक अधिनियम
के
अन्तर्गत जिलाधिकारी
से अनुमति/अनापत्ति
हेतु
आवेदन–प्रपत्र

SCHEDULE – III

Form of application for grant of a Licence as a retail Dealer in Kerosene or for renewal of such licence & H.S. D. Licence

1 Applicant's Name Parentage & Address.

2 Whether the application is made on behalf of a firm. Or an incorporated company, the trading name.

3 Name & Addresses of all parents & director as the case may be.

4 Applicant's place of business.

5 Since how long the applicant has been trading in Kerosene Oil.

6 Approximate quantity of Kerosene handled annualy by the applicant during the last five years:- Business

	Business Bounded us:-
1980	N
1981	S
1982	E
1983	W
1984	

7 Name of Supplier

8 Whether the applicant has been never been tried for convicted of any office under the Kerosene Control Order if so the particulars there of.

9 Whether the applicants hold any other Licence of including its suspension or cancellation, if any.

10. No. of the existing Licence the application is for renewal.

I/We have read the condition of the Licence under the Kerosene Control Order and understand that the Licence issued to me/us will be subject to the provisions of that Order and the conditions given in the Licence. Any contravention of these conditions will amount to the breach of that order.

I/We declare that my/our information and belief the above particulars are correct and complete.

Dehradun Applicant

Dated _____

(तीन प्रतियों में)

FORMS 4

[See Rule 154 (4)]

Application for grant or amendment of licence to possess and sell explosives

I,_____on behalf of _____ apply for grant of a licence/amendment of Licence No. _____for possession and sale of explosives. I give below full particulars and enclose other documents as required.

			Reply to be written in the Column
1	Name in which licence is required to be granted (see notes below)		
2	Status	Individual Company Society	
3	Age (See notes below)		
4	Postal Address		
		Pin Code No. Telephone No.	
	TelegraphicAddress		
		Telex / Fax	
5	Qualifications and experience of applicant and the technical personnel employed by him. (Give individual details and attach separate sheet if required).		
6	Situation of premises State District Town or Village Survey No. Police Station Railway Station or Steamer Ghat		
7	Explosives Proposed to be possessed and sold:		

Name & Description	Class	Division if any	Quantity at any one time	Quantity in one month
(i)				
(ii)				
(iii)				
(iv)				

(v)
(vi)

8	Are the premises attached to a factory licensed manufacture explosives? If, so, please give the licence number		
9	Have the premises previously been licensed ? If yes, Please give: (i) Previous Licence No. (ii) Name and address of previous licence (iii) Reasons for cancellation/ non-renewal of previous licence	Yes	No
10	Has the applicant been convicted under any Offence or ordered to execute any bond under chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during the last 10 years? If yes, please give details		
11	(a) Particulars of other licences, if any, under Explosives Act, 1884 hold by the applicant during the last 10 years (b) Was any licence cancelled / not renewed? (c) If yes, give details		Yes/No
12	Details of amendment proposed/ Additional information, if any		

I hereby certify that the information_____given above is correct.

Date _____

Signature of applicant
(Authorised Person in case of Company)
_____
_____
Full Name_____
_____

Place_____

Notes:-

(1) In case where application is made in the name of a company, the names and addresses of Director and Partners and the name, address and specimen Signature of person or persons authorised to sign correspondence in respect of licence applied for should be given on a separate sheet and enclosed with this application form.

Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

(2) Age to be given in case the applicant is an individual.

(3) Please attach the following to application :

(a) Site plan of the proposed premises. The plan should be drawn to scale and show full approach road network to the premises, nearby landmarks and safety distances from nearest protected works.

(b) Plan showing construction details of the building mounds, lightning conductors etc.

(c) Delete whichever is not applicable.

एच0 एस0 डी0 भण्डारण विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधिकारी से अनुमति अनापत्ति हेतु आवेदन–पत्र

चेक लिस्ट

अनुमोदन प्राप्त करने हेतुः–

(क) संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के पक्ष में देय निर्धारित शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट।

(ख) भण्डारण परिसर के स्थल तथा ले–आउट आरेखण की तीन प्रतियां।

(ग) ऑयल कम्पनी द्वारा जारी आशय–पत्र, पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति के संबंध में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतुः–

- (क) प्रारूप टप्प में आवेदन–पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित
- (ख) भण्डारण क्षमता के अनुसार अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में
- (ग) अनुमोदित आरेखण की रिप्लिका की तीन प्रतियां
- (घ) अनुमोदित आरेखण के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने संबंधी प्रमाण–पत्र।
- (च) पेट्रोलियम नियम 1976 के नियम 126 एवं 130 के अन्तर्गत सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।
- (छ) संबंधित जिलाधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

बैरल्स में 25000 लीटर तक के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति, संबंधित जिलाधिकारी द्वारा जारी की जाती है। 25000 लीटर से अधिक भण्डारण के लिये अनुज्ञप्ति संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा जारी की जाती है।

प्रारूप VIII तथा प्रारूप XIII में भूमिगत टैंकों में भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तियां संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक विस्फोटक विभाग, द्वारा जारी की जाती हैं।

भूमोपरि टैकों के लिये प्रारूप XIII में अनुज्ञप्तियाँ मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ए–ब्लाक पाँचवा तल, सेमिनरीहिल्स, नागपुर ..... 6 के कार्यालय में जारी की जाती हैं।

प्रारूप XIII में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु सारणी एक व सारणी दो में सुरक्षा दूरी का पालन करना आवश्यक है।

विस्फोटक अधिनियम 1884, पेट्रोलियम अधिनियम 1934 तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम 1952 के अन्तर्गत उद्यमी को विस्फोटक विभाग, भारत सरकार से अनुज्ञप्ति निम्नलिखित नियमों के अर्न्तगत निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये प्राप्त करनी होगीः–

1. विस्फोटक नियम 1983
2. गैस सिलिण्डर नियम 1981
3. स्थिर तथा गतिशील दाबपाल (अज्वलित) नियम 1981
4. एसीटिलीन से संबंधित अधिसूचना सा0का0नि0 625 (ई) दिनांक 7.8.98

पेट्रोलियम अधिनियम 1934

1. पेट्रोलियम अधिनियम 1976
2. कैलिशियम कार्बाइड नियम 1987
3. सिनेमेटोग्राफ फिल्म नियम 1948

अग्निशमन विभाग
से
अनापत्ति
हेतु
आवेदन – पत्र

MEANS OF ESCAPE IN CASE OF FIRE [Section 38 (7)]

1. **Means of escape in case of Fire:-** (i) Every factory shall be provided with adequate means of escape in case of fire for the persons employed therein and without prejudice to the generality of the foregoing:
   (a) Each room of factory building shall in relation to its size and the number of persons employed in it be provided with an adequate number of exits for use in case of fire though not necessarily confined to such use so positioned that each person will have a reasonably free and unobstructed passage from his work-place to an exit.
   (b) No exit intended for use in case of fire shall be less than 3 feet in widht nor less than 6 feet 6 inches in height; the doors of such exits shall be so arranged as to open immediately from the inside.
   (c) In the case of a factory building or part of a factory building of more than one storey and in which no fewer than twenty persons work at any time, there shall be provided at least one substantial stairway of fire-resisting material permanently constructed either inside or outside the building, which affords direct and unimpeded access to ground level.
   (d) In the case of factory building or part of a factory building in which twenty or more persons work at any one time above the level of the ground or wherein explosive or highly inflammable materials are used or stored, or which is situated below the ground level, the means of escape shall include at least two separate and substantial stairways or fire resisting material permanently constructed either inside or outside the building and which afford direct and unimpeded access to the ground level.
   (e) Every stairway in a factory, which affords a means of escape in case of fire shall be provided with a substantial handrail, which if the stairway has an open side shall be on the side, and if the stairway has two open sides, such handrail shall be provided on both sides.
2. In the case of a building constructed or converted for use as a factory after the date of the passing of this Act, the following additional requirements shall apply :
   (a) At least two of the stairways provided shall be of fire-resisting materials.
   (b) Every hoistway or liftway inside a factory building shall be completely enclosed with fire-resisting materials and all means of access to the hoist or lift shall be fitted with doors of fire-resisting materials:
   Provided that any such hoistway or liftway shall be enclosed only at the top by some material easily broken by fire or be provided with vent at the top.
   (c) No fire escape stair shall be constructed at an angle greater than 45° from the horizontal.
   (d) No part of a factory building shall be further (along the line of travel) than 150 feet from any fire escape stair.
   (e) No stairway shall be less than 45 inches in width :
   Provided that nothing in the above sub-rule shall apply to any factory or class or description of factories for which rules in respect of the

means of escape have been otherwise made in terms of Section 38(7) of the Factories Act, 1948.

3. The requirements of these rules shall be in addition to, and not in derogation of, the requirements of any other rules made in pursuance of this Act.

DEFINITIONS

4. For the purpose of these rules, fire-resisting material means:-
   (a) Properly constructed brick work not less than four and one-half inches in thickness; or
   (b) Concrete not less than three inches in thickness; or
   (c) Efficiently joined breeze siabbing not less than three inches in thickness; or
   (d) Wood completely and securely coverd on both sides with compressed asbestos not less than one-quarter of an inch in thickness; or
   (e) Iron or steel; or
   (f) Any other material approved in writing by the Chief Inspector.

62. **Fire extinguishing arrangments: -** (I) In every factory wherein the process of manufacture involves the use of material, which is likely to catch fire, efficient means subduing outbreaks of fire shall be maintained and kept ready for immediate use.

2) **Provisions for fire extinguishing arrangements: -** (a) Connected switches shall be pulled out in case the fire is caused by electrical equipment. Carbon tetrachloride extinguishers shall be used to extinguish the fire.
   (b) Fires caused by inflammable liquids shall be extinguished by foam type extinguishers or other special extinguishers provided for that purpose.
   (c) The fire exits shall be kept always open, lighted at night and the in charge of the shift should know the proper use of any fire-fighting equipment in the factory premises.
   (d) Coal, oil, gasoline or other inflammable liquids shall not be poured in any sewer or drain.
   (e) Sand and water shall be kept in separate buckets painted red in conspicuous places easily approachable by every person standing on the floor.
   (f) All chemical fire extinguishers shall be tested every year and a record maintained to be shown on demand. The date of test shall be painted on each extinguisher.

63. **Provision against danger arising from mechanical transport in factories :-** (a) No railway wagon shall be moved either by power or hand unless the movements are directly supervised by a responsible person or persons especially appointed for this purpose and a person shall be deputed to walk ahead to the wagon or wagons being shunted with a suitable bell or other audible device so as to ensure that no person is allowed to pass in front of or between the moving wagon or wagons. Names of such person or persons shall be separately shown in the attendance register in Form No. 12.

(b) Mechanical transport other than railways and fixed transporter when moved by power shall only be operated by persons trained to work them, and further such operations shall be under the charge of a responsible supervisor.

(दो प्रतियों में)

अग्निशमन विभाग द्वारा उद्यमियों को अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के लिए आवेदन–पत्र

1. उद्योग का नाम व पता
   Name and Address of the Industry

2. फायर स्टेशन से दूरी
   Distance from Fire Station

3. अग्नि नियंत्रण हेतु पानी जैसे स्टेटिव टैंक, हाईड्रेण्ट अथवा अन्य व्यवस्था
   Availability of water for fire fighting e.g. Fire hydrant and Static tank etc

4. क्या लगाये जाने वाला उद्योग खतरनाक किस्म का है? यदि हाँ, तो उसमें प्रयुक्त किये जाने वाले रसायनों तथा भण्डारण किये गये सामग्री के गुणों जैसे फायर प्वाइण्ट तथा विषैलापन आदि के सम्बन्ध में आख्या दें
   Is the industry of hazardous nature? Please indicate the nature of the material used and stored

5. साइट प्लान तथा टिपिकल फ्लोर प्लान जिसमें प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था का विवरण अंकित किया गया हो तथा अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रोजेक्ट रिपोर्ट
   Site and Typical floor plan indicating fire fighting arrangement and project

6. अन्य विवरण जिसका सम्बन्ध आग लगने अथवा जीवन रक्षा से है, का विवरण दिया जाय।
   Any other information which having relation with fire hazard and life rescue.

नोटः (1) आवेदन–पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाय।
(2) साइट प्लान तथा विशिष्ट फ्लोर प्लान, अग्नि नियंत्रण हेतु, प्रबन्ध की प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करें।

Note: (1) Application should be given in two copies.
(2) Please enclose Site plan and Typical floor plan confirming the arrangement proposed for fire fighting/control alongwith its project report.

ड्रग / कॉस्मेटिक अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेस हेतु अनापत्ति का आवेदन–पत्र

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, चन्दर नगर, देहरादून
(औषधि कक्ष)

ड्रग लाइसेन्स हेतु चेक–लिस्ट

1. आवेदन–पत्र पूर्ण रूप से भरा जाना होगा।
2. वांछित शुल्क के सबंध में चालान की मूल प्रति ।
3. गठन के संबंध में घोषणा कि आवेदक एक कम्पनी है अथवा सहभागिता युक्त फर्म है अथवा एकल स्वामित्व है के क्रम में आर्टिकिल ऑफ मेमोरेण्डम, सहभागिता पत्र की छाया प्रति मय अधिकृत व्यक्ति की घोषणा के यदि आवश्यक है/स्वामित्व के संबंध में शपथ पत्र जो कि नोटरी द्वारा प्रमाणित हो, होना चाहिये।
4. प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
5. भवन का मानचित्र (ब्लू प्रिंट) जो कि किसी अधिकृत वास्तुविद द्वारा प्रमाणित हो तीन प्रतियों में वांछित होगा।
6. पेयजल के संबंध में पेयता की परीक्षण रिपोर्ट, कैमिकल तत्वों से सम्बंधित परीक्षण रिपोर्ट तथा हानिकारक जीवाणुओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट कि वे पेय योग्य है, किसी अनुमोदित प्रयोगशाला अथवा राज्य स्वास्थ्य संस्थान से प्रमाणित हो।
7. तकनीकी कर्मचारियों, निर्माण एवं विश्लेशण दोनों के सम्बन्ध में शैक्षिक योग्यता सम्बंधी प्रमाण–पत्र, जिस भी अनुज्ञापन प्राद्दिकारी से अनुमोदित की प्रमाणित प्रति, नियुक्ति पत्र एवं प्रभार ग्रहण करने की स्थिति जोकि शपथ पूर्वक प्रमाणित हो वांछित होगी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि निर्माण एवं विश्लेषण वेत्ताओं के तीन पासपोर्ट संलग्न के प्रमाणित फोटो भी वांछित होंगे।
8. भवन के संबंध में स्वामित्व के संबंध में प्रमाण पत्र कि वह किराये का है अथवा निजी है।
9. निर्माण उपकरणों की सूची।
10. विश्लेषण उपकरणों की सूची जो कि वर्गावार शड्यूल में दिये हुए विवरण के अनुसार होगी। यदि किसी वाहय प्रयोगशाला से किसी विशेष परीक्षण के लिये परीक्षण कराया जाना हो तो उसका उल्लेख।
11. प्रत्येक औषधि के संबंध में संलग्न परिशिष्ट पर वांछित सूचनाओं का पूर्णतया उल्लेख किया जाना।
12. निर्माणशाला के कर्मचारियों के सम्बंध में स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट, उनके वैक्सीनेशन तथा इन आकुलेशन के सम्बंध में प्रमाणपत्र तथा सामयिक रूप से उनके चिकित्सकीय परीक्षण, वैक्सीनेशन, इन आकुलेशन किये जाने की शपथपूर्वक घोषणा।

13. अग्निशमन के उपाय जोकि प्रदान किये गयें हों का विवरण।

14. ऊष्मा के लिए प्रयोग किये जाने वाले साधन कि विद्युत शक्ति से ऊष्मा का प्रयोग किया जायेगा अथवा कोयले के द्वारा किया जायेगा अथवा स्टीम के द्वारा किया जायेगा एवं इस सम्बंध में किस प्रकार के उपकरण प्रयुक्त होगे जैसे स्टीम के सम्बन्ध में व्वॉयलर अलग अन्य उपकरण डबलजैकेट वैसेटस आदि के द्वारा किया जायेगा।

    यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निम्न संवर्गों के सम्बंध में :

    1) वैक्सीन एवं सीरा;

    2) लार्ज वॉल्यूम पेरन्टलस के सम्बंध में आवेदन पत्र की एक मूल प्रति आपके कार्यालय में लिया जाना समुचित होगा जिसमें कि सभी मूल अभिलेख होंगे तथा दो छाया प्रतियों सहित आवेदक को महाऔषधि नियंत्रक, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली तथा दूसरी प्रति सहायक औषधि नियंत्रक, भारत सरकार सब–जोन, लखनऊ, 364 चन्द्रलोक, अलीगंज लखनऊ को आवेदन द्वारा प्रेषित कराया जाना होगा।

15. फीस संलग्न सूची के अनुसार विभाग द्वारा प्रमाणित खाता शीर्षक में ट्रेजरी में चालान से विभागीय अधिकारी द्वारा यह उनके द्वारा प्रतिनिधायनित व्यक्ति द्वारा जमा की जायेगी।

(तीन प्रतियों में)

FORM 24
[See Rule 69]

Application for the grant of or renewal of a licence to manufacture of sale [or for distribution of] drugs other than those specified in [Schedules C, C(1) and X]

1. I/We_____of _____hereby apply for the grant/renewal of a licence to manufacture on the premises situated at_____the following drugs, being drugs other than those specified in [Schedules C, C(1), and X] to the Drugs and Cosmetics Rules, 1945.

2. Name of drugs categorized according to Schedule M.
_____
_____
_____
_____

3. Names, qualifications and experience of techincal staff employed for manufacture and testing.

4. A fee of rupees_____has been credited to Government under the head of account_____

Date _____ Signature_____

Note: The application should be accompanied by a plan of the premises.

(तीन प्रतियों में)

FORM 24-A

[See Rule 69-A]

Application for the grant of or renewal of a licence to manufacture of sale [or for distribution of] drugs other than those specified in [Schedules C, C(1) and X]

1. I/We*_____of _____hereby apply for the grant/renewal of a loan licence to manufacture on the premises situated at_____C/o** _____the unermentioned drugs, other than those specified in [Schedules C, C(1), and X] to the Drugs and Cosmetics Rules, 1945.

Name of drugs (each substance to be separately specified).

2. The namees, qualifications and experience of the expert staff actually connected with the manufacture and testing of the specified products in the manufacturing premises.

_____

_____

_____

3. I/We enclose

(a) A true copy of a letter from me/us to the manufacturing concern whose manufacturing capacity is intended to be utilised by me/us.

(b) A true copy of a letter from the manufacturing concern that they agree to lend the services of their expert staff, equipment and premises for the manufacture of each item required by me/us and that they will analyse every batch of finished product and maintain the registers of raw materials, finished products and reports of analysis separately in this behalf.

(c) Specimens of labels, cartoons of the products proposed to be manufactured.

4. A fee of rupees_____has been credited to Government under the head of account_____

Date _____ Signature_____

---

* Enter here tha name of the proprietor, partners or Managing Director as the case may be.

• Enter here the name of the applicant firm and the address or the prinicpal place of business.

** Enter here the name and address of the manufactring concern where the manufacture will be actually carried out and also the Licence number under which the letter operates.

FORM 24-B
[See Rule 69]

Application for grant or renewal of a licence to repack for sale or distribution of drugs, being drugs otehr than those specified in Schedules C and C (1) [excluding those specified in Sch. X]

1. I/We_____of _____hereby apply for the grant/renewal of a licence to repack the following durgs at the premises situtated at _____ _____

2. Names of the drugs to be repacked.
_____
_____
_____
_____
_____

3. Name, qualification and experience of competent staff
_____
_____
_____
_____
_____

4. A fee rupees forty has been credited to Government under the head of account_____

Date _____ Signature of applicant_____

Note: - The application should be accompained by a plan of the premises.

FORM 24-C
[See Rule 85-B]

Application for grant or renewal of a licence to manufacture for sale [or for distribution] of Homeopathic medicines or a licence to manufacture preparations from back potencies by licenses holding in Form 20-C.

1. I/We_____of _____holder of Licence No._____ in Form 20-C hereby apply for the grant/renewal of licence to manufacture the under mentioned Homeopathic Mother Tincture/Potentised and other preparations on the premises situated at _____.
   Name of Homeopathic preparations_____
   _____
   _____
   _____
   (each item to be separately specified)

2. Names, qualifications and experience to technical staff employed for manufacture and testing of Homeopathic medicines.

3. A fee of Rupees_____has been credited to Government under the head of account_____
   _____
   _____

Date _____ Signature of applicant_____

Note: - 1) Delete whichever portion is not applicable
2) The application should be accompanied by a plan of the premises.

FORM 24-D
[See Rule 153]

Application for the grant/renewal of a licence to manufacture for Sale of Ayurvedic/Siddha or Unani drugs

1. I/we_____of _____hereby apply for the grant/renewal of a licence to manufacture Ayurvedic (including Siddha) or Unani drugs on the premises situated at _____

2. Name of drugs to be manufactured (with details).
_____
_____
_____
_____

3. Name qualifications and experience of technical staff employed for manufacture and testing of Ayurvedic (including Siddha) or Unani drugs_____
_____
_____
_____

4. A fee of rupees_____has been credited to the Government under the head of account_____and the relevant Treasury Challan is enclosed herewith

Date _____ Signature of applicant_____

Note: - The application should be accompanied by a plan of the premises.

FORM 24-F
[See Rule 69]

Application for the grant or renewal of a licence to manufacture for sale [or for distribution of] drugs specified in Schedule X and not specified in Schedules C and C(1)

1. I/We_____of _____hereby apply for the grant/renewal of a licence to manufacture on premises situated at _____the under mentioned drugs, specified in Schedule X to the Drugs and Cosmetics Rules, 1945.

2. Name of drugs.
_____
_____
_____
_____

3. Name qualifications and experience of technical staff employed for manufacture and testing_____
_____
_____
_____

4. A fee of rupees_____has been credited to the Government under the head of account_____
_____

Date _____ Signature _____
Designation_____

FORM 27

Application for grant or renewal of a licence to manufacture for sale [or for distribution] drugs specified in Schedules C and C(1) [excluding those specified in [Part XB and] Sch. X]

1. I/We_____hereby apply for the grant/renewal of a licence to manufacture on the premises situated at_____the under mentioned drugs, being drugs specified in Schedules C and C (1), [excluding those specified in [Part XB and] Sch. X] to the Drugs and Cosmetics Rules, 1945.
   Name of Drugs.
   (each item to be separately specified).

2. The names, qualifications and experience of the expert staff responsible for the manufacture and testing of the above-mentioned drugs:
   (a) Name (s) of staff responsible for test_____
   (b) Name (s) of staff responsible for manufacture_____

3. The premises and plan_____are ready for inspection_____will be ready for inspection on _____

4. A fee rupees_____and an inspection fee of rupees _____has been credited to Government under the head of account _____

Date _____ Signature _____
Designation_____

Note: - The application should be accompanied by a plan of the premises.

FORM 27-A
[See Rule 75-A]

Application for Grant or Renewal of a Loan Licence to Manufacture for Sale [or for distribution of] drugs specified in Schedules C and C(1) [excluding those specified in [Part XB and] Sch. X].

1. I/We*_____of _____hereby apply for the grant/renewal of a loan licence to manufacture on the premises situated at_____C/o** _____the under mentioned drugs, being drugs specified in Schedules C, C(1) [excluding those specified in [Part Xb and] Sch. X] to the Drugs and Cosmetics Rules, 1945.

2. Name of drugs (each substance to be separately specified) _____ _____ _____

3. The names, qualifications and experience of the expert staff actually connected with the manufacture and testing of the specified products in the manufacturing premises.
   (a) Name (s) of expert staff responsible for manufacture_____
   (b) Name (s) of expert staff responsible for testing_____

4. I/We enclose
   (a) A true copy of a letter from me/us to the manufacturing concern whose manufacturing capacity is intended to be utilised by me/us.
   (b) A true copy of a letter from the manufacturing concern that they agree to lend the services of their expert staff, equipment and premises for the manufacture of each item required by me/us and that they will analyse every batch of finished product and maintain the registers of raw materials, finished products and reports of analysis separately in this behalf.
   (c) Specimens of labels, cartoons of the products proposed to be manufactured.
5. A fee of rupees_____has been credited to Government under the head of account_____

Date _____ Signature of Applicant_____

---

* Enter here tha name of the proprietor, partners or Managing Director as the case may be.

• Enter here the name of the applicant firm and the address or the prinicpal place of business.

** Enter here the name and address of the manufactring concern where the manufacture will be actually carried out and also the Licence number under which the letter operates.

FORM 27-B

Application for grant or renewal of a licence to manufacture of sale [or for distribution of] drugs specified in Schedules C and C (1) and X

1. I/We_____of _____hereby apply for the grant/renewal of a loan licence to manufacture on the premises situated at_____ the under mentioned drugs, being drugs specified in Schedules C, C(1) and X to the Drugs and Cosmetics Rules, 1945.

2. Name of drugs._____ _____ _____

3. The names, qualifications and experience of the expert staff responsible for the manufacture and testing of the above-mentioned drugs.
   (a) Name (s) of expert staff responsible for manufacture_____
   (b) Name (s) of expert staff responsible for testing_____

4. The premises and plan* are ready for inspection/will be ready for inspection on_____

5. A fee of rupees_____and an inspection fee of rupees_____ has been credited to Government under the head of account_____

Date _____ Signature _____

The application shall be accompanied by a plan of the premises.

* Delete whichever is not applicable.

FORM 27-C
[See Rule 122-F]

Application for grant or renewal of licence for the operation of Blood Bank, processing of whole human blood for components and/or manufacture of blood products.

1. I/We_____of _____hereby apply for the grant/renewal of licence to operate a Blood Bank, processing of whole human blood for components and/or manufacture of blood products.

2. The names of the Human Blood Components intended to be processed shall be specified.

   _____
   _____
   _____

3. The name, qualifications and experience of the expert staff.
   (a) Name (s) of Medical Officer _____
   (b) Name (s) of Registered Nurse _____
   (c) Name (s) of Blood Bank Technician_____

4. The premises and plan* are ready for inspection/will be ready for inspection on_____
   _____

5. A fee of rupees_____and an inspection fee of rupees_____ has been credited to Government under the head of account_____

Date _____ Signature _____
Designation_____

FORM 27-D
[See Rule 75]

Application for grant or renewal of a licence to manufacture for sale or for distribution of Large Volume Parenterals/Sera and Vaccines excluding those specified in Schedule X.

1. I/We_____of _____hereby apply for the grant/renewal of licence to manufacture for sale or distribution on premises situated at _____the undermentioned Large Volume Parenterals / Sera and Vaccines, specified in Schedules C and C (1) to the Drugs and Cosmetics Rules, 1945.

2. Name (s) of drugs (s)_____ _____ (each item to be separately specified)

3. The Name (s), qualifications and experience of competent technical staff responsible for the manufacture of the above mentioned drugs.
   (a) Name (s) of staff responsible for testing_____
   (b) Name (s) of staff responsible for manufacturing_____

4. The premises and plan* are ready for inspection/will be ready for inspection on_____ _____

5. A fee of rupees_____and an inspection fee of rupees_____ has been credited to Government under the head of account_____

Date _____ Signature _____
Designation_____

Note:

1. The application is to be accompanied by a plan of the premises; list of equipments and machinery to be employed for manufacture and testing; memorandum of association/constitution of the firm; copies of qualification and experience of competent technical staff and documents relating to ownership or tenancy of the premises.
2. A copy of the application together with relevant enclosures shall also be sent each to Central Licence Approving Authority and concerned Zonal/Sub-Zonal Officers of Central Drugs Standard Control Organisation.

INFORMATION DATA SUBMITTED WITH THE APPLICATION FOR GRANT OF DRUG MANUFACTURING LICENCE REGARDING ITEMS TO BE APPROVED

1	Name & Address of the Firm	:	
2	Licence No. and Date	:	New Licence Case
3	Categories of items permitted under the licence	:	Not applicable (New Licence Case)
4	For Pharmacopoeial Drugs	:	Not applicable
	(a) Name of the Product	:	
	(b) Pharmacopoeial Reference (Indicate the edition and page of Pharmacopoeia)	:	
5	Patent and Proprietory Drugs		
	(a) ame of the drug	:	
	(b) Complete formula	:	Kindly see overleaf.
	(c) If the product is a combination, the data of the rationals, efficacy and safety of each of the ingredient singally or in combination.	:	Not applicable as similar product exists in the market
	(d) Whether a similar product is being manufactured by any other firm in India.	:	Yes
	If so, details thereof.	:	Mfd. By M/s. _____ _____ _____ _____ _____
	(e) Proposed Dosage	:	
	(f) The therapeutic claims proposed to to made on the label/carton and insert literature.	:	NIL
	(g) Certificate that the proposed name does not infringe the Trade Mark Act for the time being in force.	:	It is certified that the proposed name does not infringe the Trade Mark Act for the time being in force. An affidavit in this regard, is enclosed with the application.

FORM 30
[See Rule 90]

Application for licence to manufacture drugs for purposes of examination, test or analysis.

1. I/We_____of _____ by occupation_____ hereby apply for a licence to manufacture the drugs specified below for purposes of examination, test or analysis at _____and I undertake to comply with the conditions applicable to the licence.

Name of Drugs

Date _____ Signature _____

FORM 31
[See Rule 138]

Application for the grant or renewal of a licence to manufacture Cosmetics for Sale
[or for distribution]

1. I/We_____of_____of hereby apply for the grant/renewal of a licence to manufacture on the premises situated at _____ the following cosmetics:-

2. Name of Cosmetics _____

3. Names, qualifications and experience of technical staff employed for manufacture and testing _____
_____
_____
_____

4. A fee of Rupees _____has been credited to Government under the head of account _____

Date _____ Signature of Applicant _____

Note :- The application should be accompanied by a plan of the premises.

FORM 31-A
[See Rule 138-A]

Application for Grant or Renewal of a Loan Licence to Manufacture cosmetics for sale [or for distribution]

1. I/We_____of _____hereby apply for the grant/renewal of a loan licence to manufacture cosmetics, for sale on the premises situated at_____ _____C/o_____ _____the following cosmetics:-

2. Name of Cosmetics _____ _____ _____

3. The names, qualifications and experience of the expert staff actually connected with the manufacture and testing of the specified products in the manufacturing premises.
_____
_____
_____

4. I/We enclose
   (a) A true copy of a letter from me/us to the manufacturing concern whose manufacturing capacity is intended to be utilised by me/us.
   (b) A true copy of a letter from the manufacturing concern that they agree to lend the services of their expert staff, equipment and premises for the manufacture of each item required by me/us and that they will analyse every batch of finished product and maintain the registers of raw materials, finished products and reports of analysis separately in this behalf.
   (c) Specimens of labels, cartoons of the products proposed to be manufactured.

5. A fee of rupees_____has been credited to Government under the head of account_____

Date _____ Signature _____

---

* Enter here the name and address of the manufacturing concern where the manufacture will be actually carried out and also their licence number.

FORM 36
[See Rule 150-B]

Application for grant or renewal of approval for carrying out tests on drugs/cosmetics or raw materials used in the manufacture thereof on behalf of licensees for manufacture for sale of drugs/cosmetics.

1. I/We_____ of_____hereby apply for the grant or renewal of approval for carrying out tests of identity, purity, quality and strengths on the following categories of drugs/items of cosmetics or raw materials used in the manufacture thereof on behalf of licensees for manufacture for sale of drugs/cosmetics.

2. *Categories of drugs, items of cosmetics:

   a] Drugs other than those specified in Schedule C and C(1) and also excluding Homeopathic Drugs:-

      (i) Crude Vegetable Drugs
      (ii) Mechanical Contraceptives
      (iii) Surgical Dressings
      (iv) Drugs requiring the use of ultraviolet/Infra Red Spectro-Photometer or chromatography.
      (v) Disinfectants
      (iv) Other Drugs.

   b] Drugs Specified in Schedules C and C (1) :-
      (i) Sera, Vaccines, Antigens, Toxins, Antitoxins, Toxoids, Bacteriophages and similar Immunological Products.
      (ii) Antibiotics
      (iii) Vitamins
      (iv) Parenteral Preparations
      (v) Sterilised Surgical Ligature/Suture.
      (vi) Sterilised Surgical Ligature/Sulture.
      (vii) Drugs requiring microbiological tests.
      (viii) Drugs requiring the use of Ultraviolet/Infra Red Spectrophotometer or Chromatography.
      (ix) Other Drugs

C] Homeopathic Drugs
D] Cosmetics

3. Names, qualifications and experience of expert staff employed for testing and the person-in-change testing _____
_____
_____
_____

4. List of testing of equipment provided _____
_____
_____
_____

5. I/We enclose a plan of the testing premises showing the location and area of the different sections thereof.

6. A inspection fee of Rs. _____has been credited to Government unde the head of Account_____

Date _____ Signature _____

---

* Delete whichever is not applicable.

Schedule of Fees For Grant of Drug/Cosmetic Licences

Sl. No.	Form No.	Rule	SCH	Fee Rs.	Requirement For Manufacture/ Testing/ Re packing Etc.
1	24	Rule 69	'M'	7500/-	Application for the grant of or renewal of a licence to manufacture for sale (or for distribution of) drugs other than those specified in (Sch. C. C(1) and x).
2	24 A	Rule 69 A	M	7500/-	Application for the grant of or renewal of a loan licence to manufacture for sale (for distribution of) drugs other than those specified (Schedules C, C(1) and x).
3	24 B	Rule 69	M	700/-	Application for the grant of or renewal of a licence to repack for sale of distribution of dmgs, being dmgs other than those specified in schedule C and C(1) (Excluding those specified in Sch. X).
4	24 C	Rule 85-B	M-1	300/-	Application for the grant of or renewal of a licence to manufacture for sale (or for distribution) of Homoeopathic medicines or a licence to manufacture potentised prepartions from back potencies by licensees holding licence in Form 20G.
5	24 F	Rule 75	M + MIII	7500/-	Application for the grant of or renewal of a licence to maufacture for sale (or for distribution of) drugs specified in Schedule C and C(1) (excluding those specified in (Part XB and) Sch. X).
6	27	Rule 75 A	M	7500/-	Application for the grant of or renewal of a loan licence to manufacture for sale (or for distribution of) dmg specified in Schedules C and C(1) (excluding those specified in (Part XB) Sch. X).
7	27-A	Rule 75 A	M	7500/-	Application for the grant of or renewal of a laon licence to

					manufacture for sale (or for distribution of) dmg specified in Schedules C and C(1) (excluding those specified in (Part XB) Sch. X).
8	27-B	Rule 75	M	7500/-	Application for the grant of or renewal of a licence to manufacture for sale (or for distribution of) drugs specified in Schedules C, C(1) and X.
9	27-C	Rule 122 F	M & MFX II	7500/-	Application for the grant of or renewal of a licence for the operation of Blood Bank processing of whole Human blood for components and/or manufacture of Blood Products.
10	27-D	Rule 75	M & F	7500/-	Application for the grant of or renewal of a licence to manufacture for sale or for distribution of large volume parentrals/sera and vaccines excluding those specified in schedule X.
11	30	Rule 90	TES TLIC	250/-	Application for licence to manufacture drugs for purpuses of examination, test or analysis.
12	31	Rule 138	MII	3500/-	Application for the grant or renewal of a licence to manufacture cosmetics for sale (or for distribution)
13	31 A	Rule 138 A	MII	3500/-	Application for the grant or renewal of a licence to manufacture cosmetics for sale (or for distribution)
14	36	Rule 150-B		7500/-	Application for the grant of or renewal of approval for carrying out tests on drugs/cosmetics or raw materials used in the manufacture there of on behalf of licensees for manufacture for sale of drugs/cosmetics.

" ENCLOSED " INFORMATION DATA TO BE SUBMITTED WITH APPLICATION FOR GRANT OF DRUG MFG. LIC REGARDING ITEM TO BE APROVED."

औद्योगिक आस्थान/औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापनार्थ भूखण्ड के लिए आवेदन–प्रपत्र, औद्योगिक प्रयोजन हेतु अनुमति, प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योग स्थापना की अनुमति एवं निजी/संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/आस्थान का विकास सम्बन्धी अधिसूचनायें/शासनादेश

उद्योग निदेशालय द्वारा स्थापित वृहत्त/मिनी औद्योगिक आस्थनों में उपलब्ध भूखण्डों के आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र का प्रारूप

सेवा में,

महा प्रबन्धक

जिला उद्योग केन्द्र

.....

महोदय,

मैं/हम लोग लद्यु औद्योगिक आस्थान ...., के अन्तर्गत रिक्त भूखण्डों के आवंटन हेतु रू0 500/– (पाँच सौ रूपये) प्रार्थना–पत्र शुल्क के रूप में डाकघर पासबुक/बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर संख्या..... दिनांक..... जो आपको बन्धक है, संलग्न कर आपके कार्यालय में जमा करता/करते हैं।

मैं/हम लोग साथ में संलग्न नियमों पर अध्ययन कर लद्यु औद्योगिक आस्थान, ... देहरादून के अन्तर्गत भू–खण्ड/शेड़ आवंटन करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ/करते हैं तथा भूखण्ड/शेड़ के आवंटन के पश्चात् उद्योग विभाग के नियमों के अनुसार उद्योग स्थापित करूंगा/करेंगें।

1. प्रार्थी का नाम व पता (औद्योगिक इकाई के नाम के साथ) ....
2. प्रार्थना–पत्र शुल्क जमा किये जाने का विवरणः– ....
3. यदि प्रस्तावित रूप सं पंजीकृत हो तो पंजीकरण संख्या व दिनांक ....
4. सामग्री जिसका उत्पादन किया जायेगा ....
5. प्रोजेक्ट रिपोर्ट व्यवहारिक है या नहीं ....
6. क्या इकाई विदेशी सहायता से स्थापित की जायेगी। ....
7. वित्तीय सहायता के श्रोत .....
8. कच्चेमाल के श्रोत .....

दिनांक .....

प्रार्थी के हस्ताक्षर व मोहर

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

1. प्रारम्भिक जांच के बाद प्रार्थी की पात्रता की श्रेणी में आती है या नहीं, यदि नहीं तो कारण : .....
2. प्रार्थना–पत्र निरस्त होने पर आदेश पत्रांक तथा दिनांक .....
3. साक्षात्कार के समय चयन के सम्बन्ध में प्रार्थना संक्षेप में .....
4. क्या इकाई ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है, तो तिथि लिखें .....
5. आवेदन–पत्र का क्रमांक व तिथि .....
6. विशेष विवरणः– .....

दिनांक .....

Application Form for Allotment of Plots in Industrial Areas/ Estate of State Industrial Development Corporation of Uttaranchal Limited

(To be submitted in Duplicate)

To,

The Managing Director,
State Industrial Development Corporation of Uttaranchal Ltd.,
M-16, Chandralok Colony, Dehradun

Dear Sir,

I/We apply for requirement of Land for Industrial Purposes in the Industrial Area/Estate of the Corporation. I/We hereby furnish the necessary Industry information.

PARTICULARS OF PLOT

(a)	Name of the Industrial Area in which the plot is required.	
(b)	Total Area of the plot	
1.	**PERSONAL DETAILS**	
1.1	Name (s) and address of Applicant (s) in: (Block Letters)	Shri/Smt/Km.
1.2	Name of the Firm/Company Telephone No. Fax No. Mobile No. E-mail (ID)	
2	**PROJECT DETAILS:**	
2.1	Please indicate the nature of project:	Export Oriented Import Substitute Other
2.2	Constitution of the firm/ Company:	Proprietary Pvt. Ltd. Co. Op. Partnership Public Ltd.
2.3	Products (s) Proposed to be Manufactured:	1 2 3
2.4	Proposed Installed capacity	1. Quantity 2. Value Rs.

2.5	Power requirement of the project in KW and phasing of power requirement. (Total power shall be made available by 2004, through construction and small loads are readily available).	
2.6	Water requirement in Litres per day	
2.7	Proposed investment in Plant and Machinery	
2.8.1	Proposed Investment in Building construction	
2.8.2	Proposed investment in Site Development	
2.9	Total Investment to be made (Except Land)	
2.10	Proposed employment (a) Managerial (b) Supervisor (c) Skilled (d) Un-skilled (e) Contract/Out sourching Total	
2.11	Estimated movement of raw material and Finished Products (Avg. per month)	Quantity per month (Raw Material + Finished Goods) : No. of Trucks per month (Raw Material + Finished Goods) :
2.11	Financial arrangement proposed to be made	
3	Details about effluents:	
3.1	Quantity of liquid effluent litres per day. Please mention the composition of the liquid effluent.	
3.2	Solid wastes generated (Kilograms per day)	
3.3	Whether gaseous effluent shall be released ? If yes, Mention the major gaseous effluents with quantity per day in suitable units.	

3.4 Disposal System proposed

4 FOR NEW INDUSTRIAL PLOT/FUTURE EXPANSION.

		PH-I 0-5 yrs.	PH-II 5-10 yrs.	PH-III 10-15 yrs.
4.1	Land Requirement in Sq. Mt.			
4.2	Plinth area - Ground Floor :			
4.3	Built up area (Addl. Floors. if any)			
4.4	Requirement of land for open storage			
4.5	Any other requirement of land (Please specify)			
4.6	Total Land requirement			

5. PAYMENT DETAILS

		Amount (Rs.)	D.D. No. and Date	Name of the Bank
	a) Whether the applicant is willing to pay 100% payment towards premium, at the time of allotment of land?			
5.1	Earnest Money Deposit			
5.2	Application Fees			

DECLARATION

I/We further state that the particular given above are true and correct to my/our knowledge and belief and that no material facts have been concealed or withheld and the general conditions for allotment of plots and grant of lease indicated, in this application form for allotment of plots in Industrial Area have been read carefully and understood by me and are fully acceptable to me.

Date: _____ Signature (s) of the applicant (s)

Place _____ Name in Capital Letters: _____

_____

Status of applicant (s) _____

(Individual/ Partner of a firm/ Director/ Promoter of a company)

Note: Integrated Industrial Estates being Proposed.

1. Hardwar
2. Pantnagar

CONDITIONS FOR ALLOTMENT OF PLOTS AND GRANT OF LEASE IN INTEGRATED INDUSTRIAL ESTATE IN BHEL HARIDWAR AND IN PANT NAGAR

1. **Application Fees and Earnest Money Deposit:** Every application for allotment of plot should be made in duplicate along with brief Project Report, Proposed land utilization plan and copy of Partnership Deed, Memorandum and Articles of Association and Certificate of incorporation and bank draft in favour of **State Industrial Development Corporation of Uttaranchal Ltd.** (SIDCUL or the Corporation) towards application fee and earnest money as per details below :

Fee Particulars	Plot Size	Amount (Rs.)
Earnest Money	Up to 4000 Sq. Mtrs. or part thereof	Rs. 100,000/-
Earnest Money	More than 4000 Sq. Mts.	Rs. 200,000/- (per 4000 sq. mts or part thereof)
Application Fee (Non Refundable)	Upto 4000 Sq. Mts. or part thereof	Rs. 10,000/-
Application Fee (Non Refundable)	More than 4000 Sq. Mts.	Rs. 10,000/- (per 4000 sq. mts or part thereof)

2. **Period of Lease :** Plot in the Industrial Area will first be given on license for 2 years and subsequently on lease for a initial period of 30 (thirty) years (including the period of license) and subsequently mutually extendable up to a total period of 90 (ninety) years.
3. The plots are alloted in the Industrial Area on "as is where is" basis and any internal development in the plot is to be undertaken by the allottee himself at his own expenses.
4. **Land Premium :**

   i) The allottee shall pay a land premium of Rs. 560/- per sq. m. of the plot allotted to him. The Earnest Money Deposit paid by the allottee at the time of application, shall be adjusted towards theland premium.

   ii) The allottee shall pay location benefit charges @ 5% of the land premium (for plots lying on roads with width 45 m and above). The allottee shall also pay 5% of the land premium as corner plot charges for the corner plots.
5. **Mode of Payment :**

   i) The preference shall be given to the applicant making the payment of the entire premium of the land at the time of allotment.

ii) Or, 50% of the total premium of land shall be paid at the time of allotment and balance 50% within a period of 2 years in four equal half yearly installments along with interest @ 12% p.a. A penalty of 3% p.a. additional interest would be charged on the amount payable, on late payment of installments from the due date specified for the licensee.

6. The allottee shall make payment of land premium within 30 (thirty) days of the allotment letter and shall take possession of the alloted land within 60 (sixty) days from the date of payment of land premium/execution of license agreement whichever is earlier.
7. In the event of failure to deposit the allotment money, within the stipulated period the allotment shall stand automatically cancelled and the Earnest Money shall stand forfeited to the Corporation. The allottee will be required to execute License Agreement/Lease Deed in the prescribed form. In case the allottee does not execute License Agreement/Lease Deed when asked by the Corporation, it will have the right to cancel the allotment and forfeit the deposit of the allottee.
8. The allottee shall also be liable to pay Operation & Maintenance charges of Rs. 15/- per sq.m. per annum.
9. The allottee will pay use and occupation charges/lease rent of allotted land at the rate of Rs. 5/- per sq.m. per annum.
10. Any unforeseen expenditure towards creating common infrastructure, increasing the overall efficiency of the estate or for complying with any statutory obligations would have to be shared pro rata by the allottees.
11. The Corporation reserves the right to make its own assessment of the requirement of land and is not bound to make allotment according to the demand made in the application. However, if the difference in the area allotted by the Corporation and the area demanded is more than 20% the allottee may refuse the allotment without loss of Earnest Money if such refusal is communicated within the time allowed in the allotment letter to deposit the allotment money.
12. The applicant will have to avoibe by the terms and conditions of the allotment letter, License Agreement and the lease Deed and such other terms as are laid down by the corporation from time to time.
13. If the allottee fails to take over possession of the allotted plot within the period stipulated above, the allotment shall stand automatically cancelled and the deposits forfeited. Extension in time may be granted by the Managing Director of the Corporation

in exceptional circumstances, provided allottees' request in this regard is received well within the stipulated period.

14. The allottee will have to complete the construction of factory building as also to install machinery and plant, and start commercial production therein within a maximum period of 2 years as stipulated in Agreement/Lease Deed, failing which allotment of plot is liable to be cancelled with forfeiture of deposits.
15. The Lease Deed for the plot(s) will be executed as per terms stipulated in Agreement/Lease Deed.
16. The allottee shall not release any obnoxious gaseous, liqid or solid effluents from the units in any case and shall establish at his won cost an appropriate and efficient effluent treatment system/plant and shall ensure that it is ready and functional as per the norms and specifications expected, laid down or stipulated by the State Pollution Control Board or any other authority established by law for the time being in force, before the production is commenced in the unit set up on the plot of land. Any breach of such law, rules regulations and bye-laws shall be the sole liability of the Allottee.
17. Any product change / diversification etc. should confirm to the nature of the sector / district in which the unit is situated and any such change / diversification should be done only with prior approval of SIDCUL. The change / diversification in the product / manufacturing process from those mentioned. initially in this application form, without the approval of SIDCUL shall be treated as a breach of agreement.
18. The transfer of plot(s) shall not be permitted except under the existing policy of the corporation.
19. The stamp duty registration charges and legal expenses involved in the execution of Agreement, Sale Deed, Lease Deed, etc. will have to be borne by the allottee.
20. The total balance premium together with the stipulated interest will continue to be first charge on the allotted plot ill fully paid.
21. The payments made by the allottee/licensee/lessee shall be first adjusted towards the interest due if any then towards the premium due, if any, and balance, if any, towards lease rent and then towards use and occupation charges.
22. In the event of cancellation or surrender of allottment, conditions as per License agreement or Lease deed would be applicable.
23. The premium of the allotted land will be chargeable at the rates which are in force on the date on which letter of allotment is issued

and not at the rates in force on the date of application or issuance carmarking letter.

24. The Managing Director, SIDCUL, is empowered to amend and relax any conditions in the interest of the estate.

25. The resolution of any dispute between the allottees and SIDCUL shall fall within the Dehradun Jurisdiction.

Date _____ ***Signature of the Applicant***

CHECK LIST

Please ensure whether the following documents have been enclosed with the application form (in duplicate)

		Yes	**No**
1	Bank Draft for Rs. _____towards application fee		
2	Bank Draft for Rs. _____towards earnest money		
3	Copy of detailed Project report.		
4	Copy of the proposed land utilization plan		
5	Copy of Partnership Deed/ Memorandum and Articles of Association and Certificate of Incorporation.		
6	Any other relevant document (please specify) a) _____ b) _____		

शासनादेश सं. 11/औ0वि0/07–उद्योग/2004
औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून

दिनांक 27 जनवरी, 2004

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक नीति 2003 के अन्तर्गत सरकार द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्रों, निर्यात क्षेत्रों, थीम पार्को, बायोपालिस, पर्यटक स्थलों, विद्युत ऊर्जा उत्पादन, पारेषण व वितरण, सडकों, विमान पत्तन आई0सी0डी0, एकीकृत औद्योगिक नगरों, नागरिक अवस्थापनाओं सहित अन्य अवस्थापना क्षेत्रों की परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों की सहभागिता किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उद्योगों को बढावा देने की नीति के अर्न्तगत एवं प्रमुख औद्योगिक घरानों द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि की आवश्यकता को देखते हुये यह भी निर्णय लिया गया है कि नये औद्योगिक केन्द्रों को स्थापित करने एवं उनके विकास हेतु स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता देते हुए निजी क्षेत्र, अप्रवासी भारतीयों सार्वजनिक क्षेत्रों तथा सहकारिता, पंचायती राज, नगर पालिका परिषदों, आदि को इस हेतु प्रोत्साहित किया जाय। इस निमित राज्य उपक्रम उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. (सिडकुल) देहरादून को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। नोडल ऐजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार विभिन्न क्षेत्रों के संचालकों/व्यवसायियों आदि से विचार–विमर्श किया गया है जिसके आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं अवस्थापना हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्धारित किये गये हैः–

1. संस्था/व्यवसायी औद्योगिक क्षेत्र विकासित करने हेतु मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 60 एकड भूमि तथा पर्वतीय इलाकों में न्यूनतम 30 एकड भूमि क्रय स्वयं करेगी तथा इन औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने हेतु प्रबन्धन करेगी।
2. इस क्षेत्रों को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व प्राधिकरण रेवेन्यू आथॉरिटी अग्नि शमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि द्वारा स्वीकृत/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि संबंधी जो वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होगी वह संस्था/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेगी।
3. शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु निर्गत किये गये आदेशों के अनुसार भू–उपयोग एवं **(Building Bye-Laws)** आदि का अनुपालन किया जायेगा। औद्योगिक क्षेत्रों में **(Development Authority)** विकास प्राधिकरण का कार्य सिडकुल सम्पादित करेगी।
4. इसके अलावा संस्था/कम्पनी को समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने वाली संस्था/कम्पनियों के पास या विकल्प होगा कि वे सिडकुल को 11 प्रतिशत की निःशुल्क इक्यूटि उपलब्ध कराकर सिडकुल की भागीदारी प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव दे सकती है। इस स्थिति में सिडकुल संस्था को औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु यथासम्भव सहयोग प्रदान करेगा।
6. ऐसे औद्योगिक आस्थनों की अवस्थापना सुविधाओं की देखरेख, नालियों, सडकों का रखरखाव, प्रकाश व्यवस्थाओं तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की जिम्मेदारी संबंधित संस्था/कम्पनी होगी।
7. कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित की गयी दरों पर विपणन, विकास आदि किये जायेगें।
8. निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान बनाने हेतु इच्छुक उद्यमी/संस्था इस आशय का आवेदन संक्षिप्त प्रोजेक्ट प्रोफाईल/प्री–फिजिबल्टी रिपोर्ट के साथ संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय में प्रस्तुत करेगें एवं महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र 15 दिन के अन्दर विस्तृत आख्या निदेशक उद्योग एवं सिडकुल को प्रेषित करेगें।

संजीव चोपड़ा
सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., देहरादून।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, उत्तरांचल को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया इसे उत्तरांचल वैबसाईट में प्रसारित करने का कष्ट करें।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन एवं सचिवालय के समस्त अनुभाग।

संख्या 11/औ0वि0/07–उद्योग/2004

प्रेषक,

श्री संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल, देहरादून।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

औद्योगिक विकास विभाग **देहरादून : दिनांक 27 जनवरी, 2004**

विषयः उत्तरांचल राज्य में निजी क्षेत्र में नये औद्योगिक आस्थान केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक नीति, 2003 के अन्तर्गत सरकार द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्रों, निर्यात क्षेत्रों, थीम पार्कों, बायोपालिस, पर्यटक स्थलों, विद्युत ऊर्जा उत्पादन, पारेषण व वितरण, सड़कों, विमान पत्तन आई0सी0डी0, एकीकृत औद्योगिक नगरों, नागरिक अवस्थापनाओं सहित अन्य अवस्थापना क्षेत्रों की परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों की सहभागिता किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति के अन्तर्गत एवं प्रमुख औद्योगिक घरानों द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि की आवश्यकता को देखते हुये यह भी निर्णय लिया गया है कि नये औद्योगिक केन्द्रों को स्थापित करने एवं उनके विकास हेतु स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता देते हुए निजी क्षेत्र, अप्रवासी भारतीयों, सार्वजनिक क्षेत्रों तथा सहकारिता, पंचायती राज, नगर पालिका परिषदों आदि को इस हेतु प्रोत्साहित किया जाय। इस निमित राज्य उपक्रम उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. (सिडकुल) देहरादून को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। नोडल एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार विभिन्न क्षेत्रों के संचालकों/व्यवसायियों आदि से विचार–विमर्श किया गया है जिसके आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं अवस्थापना हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्धारित किये गये हैं:–

1. संस्था/व्यवसायी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 60 एकड़ भूमि तथा पर्वतीय इलाकों में न्यूनतम 30 एकड़ भूमि क्रय स्वयं करेगी तथा इन औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने हेतु प्रबन्धन करेगी।
2. इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिये विभिनन विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व प्राधिकरण रेवेन्यू आथॉरिटी, अग्नि शमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि द्वारा स्वीकृत/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि संबंधी जो

वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होगी वह संस्था/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेगी।

3. शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु निर्गत किये गये आदेशों के अनुसार भू–उपयोग एवं (ठनपसकपदह ठलम.सूं) आदि का अनुपालन किया जायेगा। औद्योगिक क्षेत्रों में (क्मअमसवचउमदज ।नजीवतपजल) विकास प्राधिकरण का कार्य सिडकुल सम्पादित करेगी।
4. इसके अलावा संस्था/कम्पनी को समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने वाली संस्था/कम्पनियों के पास यह विकल्प होगा कि वे सिडकुल को 11 प्रतिशत की निःशुल्क इक्यूटि उपलब्ध कराकर सिडकुल की भागीदारी प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव दे सकती है। इस स्थिति में सिडकुल संस्था को औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु यथासम्भव सहयोग प्रदान करेगा।
6. ऐसे औद्योगिक आस्थानों की अवस्थापना सुविधाओं की देखरेख, नालियों, सड़कों का रखरखाव, प्रकाश व्यवस्थाओं तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की जिम्मेदारी संबंधित संस्था/कम्पनी होगी।
7. कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित की गयी दरों पर विपणन, विकास आदि किये जायेंगे।
8. निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान बनाने हेतु इच्छुक उद्यमी/संस्था इस आशय का आवेदन संक्षिप्त प्रोजेक्ट प्रोफाईल/प्री–फिजिबल्टी रिपोर्ट के साथ संबंधित महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे एवं महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र 15 दिन के अन्दर विस्तृत आख्या निदेशक उद्योग एवं सिडकुल को प्रेषित करेंगे।

भवदीय,
संजीव चोपड़ा,
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 11/1/औ0वि0/07–उद्योग/2004, तद्दिनांकितः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., देहरादून।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, उत्तरांचल को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया इसे उत्तरांचल वैबसाईट में प्रसारित करने का कष्ट करें।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन एवं सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
संजीव चोपड़ा,
सचिव।

उत्तरांचल शासन

संख्या 940/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव, औद्योगिक विकास,
उत्तरांचल, शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास विभाग **देहरादूनः दिनांक 09/10 नवम्बर, 2004**

विषयः **निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिये भूमि की न्यूनतम सीमा निरन्तरता में 30 एकड़ होने पर राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों को चिन्हित (Identify)/घोषित (Declare) किये जाने के सम्बन्ध में नीति।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा नये औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विनियमन/घोषित किये जाने हेतु निम्नवत नीति निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की हैः–

प्रदेश शासन द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विनियमन/घोषित किये जाने हेतु जहां पर चिन्हित क्षेत्र अथवा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित स्थान/क्षेत्र की भूमि निरन्तरता में 30 एकड़ से अधिक हो, को उद्योग संघों/प्रमोटर्स/निजी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र के रूप में अधिसूचित/घोषित कर, चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र की भूमि की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जायेंगे।

1. निजी औद्योगिक क्षेत्रों के नाम उस क्षेत्र के राजस्व ग्राम के नाम से तथा जिस औद्योगिक संघ/प्रमोटर्स/निजी संस्था द्वारा प्रस्तावित किया गया हो, को फैसिलिटेटर के रूप में नामित करते हुए अधिसूचित किया जायेगा।
2. उद्योग संघों द्वारा प्रस्तावित निजी औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति, यदि 12.5 एकड़ से अधिक भूमि क्रय की जानी है, तो भू–संक्रमण का प्राधिकार, प्रदूषण नियंत्रण अनापत्ति, विद्युत तथा पानी की उपलब्धता, भवन कार्यशाला, तलपट मानचित्रों की विहित प्राधिकारी से स्वीकृति/अनुमोदन इत्यादि प्राप्त करने के लिये औद्योगिक विकास विभाग तथा उद्योग संघ फैविसलिटेटर के रूप में कार्य करेंगे।
3. भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10 जून, 2003 में अधिूचित भूमि के खसरा नम्बरों की भूमि में से जिन औद्योगिक इकाईयों द्वारा उत्तरांचल में दिनांक 31

मार्च, 2004 से पूर्व भूमि क्रय कर उद्योग स्थापना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, ऐसी भूमि को राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित/विनियमित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी, ताकि ऐसी इकाईयों को विशेष पैकेज के अन्तर्गत सुविधायें प्राप्त हो सकें।

4. इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में औद्योगिक क्षेत्रों में पूर्व स्थापित उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए खसरा नम्बरों को अधिसूचित किया गया है। सीमा शुल्क एवं इनकम टैक्स की माफी का लाभ उठाने हेतु इन्हें भी औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना आवश्यक है। अवएव इन क्षेत्रों को भी विशेष औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय,
संजीव चोपड़ा,
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 940/उक्त/तद्दिनांकितः–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
9. समस्त जिलाधिकारी।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
12. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद्, देहरादून।
13. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
14. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया इसे उत्तरांचल वैबसाईट में प्रसारित कर दें।

आज्ञा से,
संजीव चोपड़ा,
सचिव।

संख्या 968/औ0वि0/07–उद्योग/04–05

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल, शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास विभाग **देहरादूनः दिनांक 25 नवम्बर, 2004**

विषयः **निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिये भूमि की न्यूनतम सीमा निरन्तरता में 30 एकड़ होने पर राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों को चिन्हित (Identify)/घोषित (Declare) किये जाने के सम्बन्ध में नीति।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर शासन के पत्र संख्या 940/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05, दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 से जारी नीति/दिशा निर्देश के प्रस्तर–4 में स्थापित शब्दों एवं अंशों को शासन द्वारा निम्नवत् संशोधित (Amendment) कर शुद्धि–पत्र (Corrigendum) जारी करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई हैः–

"इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में गैर औद्योगिक क्षेत्रों में पूर्व स्थापित उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए खसरा नंबरों को अधिसूचित किया गया है। सीमा शुल्क एवं इनकम टैक्स की माफी का लाभ उठाने हेतु इन्हें भी औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना आवश्यक है। अतएव इन क्षेत्रों को भी विशेष औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।"

भवदीय,
संजीव चोपड़ा,
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 940/उक्त/तद्दिनांकितः–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
9. समस्त जिलाधिकारी।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
12. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद्, देहरादून।
13. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
14. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया इसे उत्तरांचल वैबसाईट में प्रसारित कर दें।

आज्ञा से,
संजीव चोपड़ा,
सचिव।

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क) (उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार 15 जनवरी, 2004 ई0 (मौष 25, 1925 शक सम्वत्)

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 501/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003 देहरादून 15, जनवरी 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण, आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 13–01–04 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 29, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)
(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003,
(जैसा कि सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन तथा विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित किया गया है)
(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 29, वर्ष 1950)

अधिनियम

उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 में संशोधन के उद्देश्य से भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमितः–

संक्षिप्त नाम

1. (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहलायेगा।
   (2) नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद् और छावनी परिषद् क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले और पर सम्मिलित किये जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।
   (3) यह तत्काल प्रभावी होगा।

मूल अधिनियम में धारा 129–ख का जोड़ा जाना

2. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 कीधारा 129–क के बाद एक नयी धारा 129 ख निम्नवत् जोड़ दी जायेगी–

129–ख उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 154(4)(1)(क), 154(4)(2)(ड), 154(4)(2)(च), तथा 154(4)(3) के प्रयोजनों के लिये निम्नवत् श्रेणी के भूमिधर कहलायेंगे–

(1) विशेष श्रेणी के भूमिधर।

मूल अधिनियम में धारा 152–क का जोड़ा जाना

3. मूल अधिनियम की धारा 152 के बाद एक नयी धारा 152–क निम्नवत जोड़ दी जायेगी।

(1) 152–क संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा भूमि अंतरण हेतु कोई मुख्तारनामा ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकेगा जो धारा 171, 172, 174 अथवा 175 के अन्तर्गत आते हैं और ऐसा मुख्तारनामा ऐसे व्यक्ति के विद्यमान न होने की दशा में किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में जिले के कलेक्टर की पूर्वानुमति से अथवा विदेश में रहने वाले व्यक्ति के मामले में भारतीय दूतावास की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।

(2) जब तक बढ़ायी गयी समय सीमा जिले के कलेक्टर द्वारा संक्रमण अभिलिखित नहीं कर दी जाती है, दिनांक 12.09.2003 को अथवा उससे पहले निष्पादित भूमि के विक्रय हेतु पंजीकृत मुख्तारनामा वैध होगा यदि ऐसे मुख्तारनामा के आधार पर 31.03.2004 या उससे पहले मुख्तारनामे में उपबन्धित किसी समय सीमा पर विचार किये बिना, विक्रय विलेख निष्पादित कर लिया गया हो।

मूल अधिनियम की धारा 154 में उपधारा (3), (4) और (5) का जोड़ा जाना

4. (3) संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर उत्तरांचल राज्य के धारा 129 में उल्लिखित किसी भी श्रेणी के खातेदार अथवा उत्तरांचल में स्थित किसी अचल सम्पत्ति के स्वामी जिसने 12.09.2003 या उससे पूर्व ऐसी सम्पत्ति अर्जित कर ली हो अथवा ऐसे खातेदार या सम्पत्ति के स्वामी के परिवार का कोई सदस्य जिसका आशय पति, पत्नी तथा उनकी संतान, सौतेली तथा दत्तक संतान सहित, माता–पिता, दादा–दादी, भाई और अविवाहित, विधवा, पृथक्ता तथा तलाकशुदा बहन से है, के पक्ष अपनी भूमि विक्रय कर सकेगा।

(4) (1) (क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अन्य प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की ओर से (परिवार का तात्पर्य पति, पत्नी और नाबालिंग संतान से है) भले ही वह धारा 129 के अधीन खातेदार या उत्तरांचल में किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी न हो बिना किसी अनुमति के अपने जीवनकाल में अधिकतम 500 वर्ग मीटर भूमि क्रय कर सकता है;

(ख) जब तक कि बढ़ायी गयी समय सीमा जिले के कलेक्टर द्वारा संकारण अभिलिखित नहीं कर दी जाती है; भूमि के विक्रय हेतु 12.09.2003 को या उससे पहले, निष्पादित पंजीकृत विक्रय के करार के विलेख पर, ऐसे विलेख में उपबंधित किसी समय सीमा पर विचार किये बिना दिनांक 31.03.2004 तक निष्पादित विक्रय विलेख वैध होगा।

(4) (2) धारा 154(3) की किसी बात से यह नही, समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के पक्ष में भूमि का अंतरण निषिद्ध हैः–

(क) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा सांविधिक संस्था अथवा निगम अथवा बोर्ड जो किसी संविधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो और राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के स्वामित्व का हो एवं उसके द्वारा नियंत्रित हो;

(ख) कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित कारणों से खातेदार न रह गया हों:–

(1) यदि उसकी भूमि लोक प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 के अधीन अधिग्रहीत की गयी हो, अथवा

(2) यदि उसकी भूमि इस अधिनियम के अधीन किसी खातेदार में निहित हो गयी हो;

(ग) कोई भी व्यक्ति जो खातेदार न हो, राज्य आवास विकास परिषद् अथवा किसी विकास प्राधिकरण अथवा राज्य केन्द्र सरकार द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी अन्य संविधिक निगम से मकान या दुकान बनाने के लिए भूमि खरीदता है या खरीदना चाहता है अथवा बना–बनाया मकान या दुकान खरीदता है;

(घ) कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से भूमि खरीदना चाहता है जिसके पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नक्शा (ले–आउट प्लान) अनुमोदित कर दिया गया है;

(ड) कोई व्यक्ति अथवा कम्पनी उत्तरांचल की औद्योगिक नीति के अनुसार (1) एकीकृत औद्योगिक विकास केन्द्र, (2) औद्योगिक क्षेत्र, (3) औद्योगिक आस्थान में भूमि खरीद सकता है;

(च) धार्मिक प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति सोसाइटी अथवा न्यास;

(छ) उत्तरांचल का भूमिहीन मजदूर; अथवा

(ज) उत्तरांचल का अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई भी भूमिहीन व्यक्ति; अथवा

(झ) उत्तरांचल का ग्रामीण शिल्पी; अथवा

(ट) उत्तरांचल का कृषि से सम्बद्ध कार्य करने वाला भूमिहीन व्यक्ति।

(4) (3) (क) धारा 154 के प्रतिबंधों के अधीन रहते हुये कोई व्यक्ति, सोसाइटी अथवा निगमित निकाय उत्तरांचल में सरकार की पूर्व अनुमति से कृषि और औद्यानिकी से भिन्न निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए जो विहित किये जायें, भूमि क्रय कर सकता हैः–

(1) चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये, यदि वह उत्तरांचल की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नीति के अनुरूप हो;

(2) किसी होटल, ठहरने का स्थान, अतिथि गृह, भोजनालय, मद्यशाला, सखनिज झरना, मार्ग के सुविधायें अथवा सैरगाह के लिये यदि वह राज्य की पर्यटन नीति के अनुरूप हो;

(3) शिक्षा विभाग की संस्तुति पर शिक्षा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये;

(4) सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिये;

(5) धारा 154 (4)(2) के उपखण्ड (ड) में उल्लिखित स्थलों से भिन्न स्थलों पर औद्योगिक इकाईयों स्थापित करने एवं ऐसे अन्य प्रयोजनार्थ।

(ख) कोई व्यक्ति, सोसाइटी अथवा कम्पनी कृषि अथवा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात कि ऐसी भूमि का उपयोग केवल कृषि अथवा औद्यानिकी से सम्बन्धित तथा आनुषांगिक हो; जनपद के कलेक्टर की पूर्व अनुमति से भूमि क्रय कर सकेगा। यदि शपथ–पत्र में उल्लिखित भूमि उपयोग में परिवर्तन किया जाता है तो अन्तरण शून्य हो जायेगा और धारा 167 के परिणाम लागू होंगे।

परन्तु उपबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति यदि वह खातेदार नहीं है किन्तु धारा 154(4)(1)(क), 154(4)(2)(ड) तथा 154(4)(2)(च) के अधीन भूमि बिना स्वीकृति के क्रय करता है अथवा धारा 154(4)(3) के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से भूमि क्रय करता है, तो धारा 129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिए अर्ह होगा।

अग्रेत्तर उपलब्ध यह है कि ऐसा भूमिधर बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बंधक या दृष्टिबंधित कर सकेगा तथा धारा 129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

अग्रेत्तर उपबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति जो खातेदार नहीं है, जो बिना अनुमति के धारा 154(4)(2)(ड), 154(4)(2)(च) के अधीन भूमि क्रय करता है अथवा धारा 154(4)(3) के अधीन जिसमें भूमि क्रय करने की अनुज्ञा शासन अथवा जिलाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रदान की गयी है दो वर्ष की अवधि के अन्दर जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उक्त भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता है अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिनन किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा 167 के परिणाम लागू होंगे।

(5) यदि–

(क) निबंधक अथवा उपनिबंधक के समक्ष जो भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त किये गये हो, ऐसी भूमि के अन्तरण से सम्बन्धित कोई विलेख पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने पर उसके संज्ञान में यह आता है अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अन्तरण से धारा 154(3) अथवा 154(4)(3) का उल्लंघन होता है; अथवा

(ख) किसी राजस्व अधिकारी को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने अथवा किसी स्रोत से कोई सूचना प्राप्त होने से अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि जिस भूमि का अन्तरण किया गया है उससे धारा 152–क, 152( ), 154(4)(2)(ड), 154(4)(2)(च) अथवा (ड), 154(4)(3) के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है, तब वह उप निबन्धक, निबन्धक अथवा राजस्व अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, उस जिले के कलेक्टर को सन्दर्भित करेगा जिसमें वह भूमि अथवा उसका भाग स्थित है तो वह उस रीति से जैसा विहित किया जाय, वह विनिश्चित करेगा कि क्या ऐसा अन्तरण इस अधिनियम के उपलब्ध का उल्लंघन है और ऐसा प्रत्येक अन्तरण जो कि शून्य है, के सम्बन्ध में धारा 167 के परिणाम लागू होंगे।

(ग) (1) राज्य सरकार राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट या किसी व्यक्ति के प्रार्थना–पत्र पर या स्वयं किसी कार्यवाही या बाद के अभिलेख, उसकी या उस पर पारित आदेश की वैधता अथवा औचित्य पर अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मांग सकती है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे;

(2) इस उपधारा के अधीन पारित कोई भी आदेश, जो किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न प्रदान कर दिया जाय।

5. (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) निरसन एवं अपवाद (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम में उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान पबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानी इस अधिनियम में सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

बी0 लाल
सचिव

No. 501/Vidhayee And Sansadiya Karya/2003

Dated Dehradun. January 15, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaption and Modification Order, 2001) (Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 29 of 2003).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on January, 2004.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1950) (ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2001) (AMENDMENT) ACT, 2003

(AS REPORTED BY SELECT COMMITTEE OF THE HOUSE AND PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

(UTTARANCHAL ACT NO. 29 OF 2003)

AN

ACT

To amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) Adapation and Modification Order, 2001 in it's application to the State of Uttaranchal.

Be it enacted in the Fifty-Fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, Extent and Commencement

1. (1) This may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 201). (Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to the whole of State of Uttaranchal except the areas included and may be included from time to time in any Municipal Corporation, Nagar Panchayat, Nagar Parishad and Cantonment Board limits.

(3) It shall come into force at once.

Addition of section 129-B in the principal Act

2. **A new section 129-B shall be added after section 129-A of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 as follows:-**

129-B-There shall be, for the purposes of section 154(4)(1)(a), 154(4)(2)(e), 154(4)(2)(f) and 154(4)(3) of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (hereinafter referred to as the principal Act) following class Bhumidhar, i.e. to say-

(1 Bhumidhar of Special category.
)

Addition of section 152-A in the principal Act

3. A new section 152-A shall be added after section 152 of the principal Act as follows-

(1) Section 152-A-A bhumidhar with transferable rights may execute power of attorney for transfer of land in favour of persons who are covered under section 171, 172, 174 or 175 and in case no such person is existing, such Power of Attorney may be executed in favour of any other person with the prior permission of the collector of the district or of the Indian

consulate in case of persons living abroad.

(2) A registered Power of Attorney to sell the land executed on or before 12-09-2003 shall be valid if the sale deed on the basis of such Power Attorney is executed on or before 31-03-2004, irrespective of any time limit provided in such Power of Attorney, unless extended by the collector of the district for reasons to be recorded in writing.

Addition of sub-sections (3), (4) and (5) in section 154 of the principal Act

4. **Three new sub-sections (3), (4) and (5) shall be added in section 154 of the principal Act as follows:-**

(3) A bhumidhar with transferable rights may sell his land to any of the categories of tenure holders in the State of Uttaranchal as mentioned in section 129 or such owner of any immovable property in Uttaranchal who has acquired it on or before 12-09-2003 or to any member of the 'family', which means husband, his wife and their children, including step or adopted children and includes parents, grand parents, brothers and unmarried, widowed, separated and divorced sisters of such tenure holder of the owner, as the case may be.

(4) (1) (a) Subject to other restrictions and save as otherwise provided in this Act, any person on behalf of his family (which menas husband, wife and minor children) even though he is not a tenure holder under section 129 or the owner of any immovable property in Uttaranchal, may purchase land not exceeding 500 sq. mts. in his lifetime without the permission;

(b) A registered agreement to sell the land executed on or before 12-09-2003 shall be valid if the sale deed on the basis of such agreement is executed on or before 31-03-2004, irrespective of any time limit provided in the agreement, unless extended by the collector of the district for reasons to be recoverd in writing.

(4) (2) Nothing in sub-section 154(3) shall be deemed to prohibit the transfer of land by any person in favour of :-

(a) The State Government or Central Government or a Government company, as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 or a Statutory Body or Corporation or Board established by or under a Statute and owned and controlled by the State or Central Government;

(b) A person who has become a non-tenure holder on account of:-

(i) Acquistion of his land for any public purpose under the Land Acquistion Act, 1894; or

(ii) Vestment of his land in the tenants under this Act;

(c) A non-tenure holder who purchases or intends to purchage land for the construction of a house or shop, or puchases a built-up house or shop from the State Housing Board or from a Development Authority or from any other Statutory Corporation set up under any State of Central enactment.

(d) A person who proposes to purchase land from a person in whose favour a layout plan has been approved by the competent authority.

(e) A person or company according to Industrial Policy of Uttaranchal in (i) Integrated Industrial Development Centre (ii) Industrial Area (iii) Industrial Estates.

(f) A person, society or trust for religious purposes.

(g) A landless labourer of the Uttaranchal; or

(h) A landless person belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe of the Uttaranchal; or

(i) A village artisan of the Uttaranchal; or

(j) A landless person carrying on an allied pursuit of the Uttaranchal.

(4) (3) (a) Subject to restrictions contained in section 154, a person, society of corporate body may purchase land for the following purposes, other than those for Agriculture and Horticulture purposes, with the prior sanction of the Government in the State of Uttaranchal as may be prescribed :-

(i) Medical or health purposes, if it conforms to the Health and Population Policy of Uttaranchal;

(ii) Hotel, Lodge, Guest House, Restaurant, Bar, Spa, way side amenities or resort, if it conforms to the Tourism Policy of the State;

(iii) Educational purposes, on the recommendations of the Deptt. of Education;

(iv) Cultural purposes;

(v) For industrial purposes in areas other than those mentioned in section 154(4)(2)(e) or for other purposes.

(b) A person, society or company may purchase land with prior sanction of the Collector of the district for Agricultural or Horticultural purposes, as may be prescribed, on furnishing an affidavit to the effect that such land will be used for Agricultural or Horticultural purposes and for uses incidental to and connected with Agriculture or Horticulture only. If the land use of such land as mentioned in the Affidavit is changed, the said transfer shall be void and consequences of section 167 shall follow:

Provided that a person who is a non-tenure holder but purchases land either under section 154(4)(1)(a), 154(4)(2)(f) or under the sanction granted under section 154(4)(3) shall, irrespective of such purchase of land, continue to be a bhumidhar of special category as provided under section

129-B and such bhumidhar shall be eligible to purchase land in future only with the permission of the State Government or collector of the district as the case may be.

Provided further that such bhumidhar may mortgage or hypothecate such land for obtaining loan from banks and financial institutions or deriving any other benefit accruing from his bhumidhari rights under section 129.

Provided further that a non-tenure holder who has purchased land under section 154(4)(2)(e), 154(4)(2)(f) and who has purchased land under section 154(4)(3) under the sanction of Govt. of Collector, as the case may be, shall put land to such use for which the sanction has been granted within a period of two years or further such period as may be allowed by the State Government for reasons to be recorded in writing, to be counted from the date of registration of sale deed and if he fails to do so or diverts the use of the land for which it was sanctioned or transfers the land by way of sale, gift or otherwise except for the purpose for which it was purchased, such transfer shall be void for the purpose of this Act, and consequences of section 167 shall follow :-

(5) Where,

(a) The Registrar or Sub-Registrar appointed under the Indian Registration Act, 1908 before whom any document pertaining to transfer of land is presented for registration comes to know or has reason to believe that the transfer of land is contravention of section 154 (3) or 154 (4) (3); or

(b) A Revenue Officer either on an application submitted to him or on receipt of any information from any source comes to know or has reason to believe that the land has been transferred in contravention of the provisions of section 152-A, 154(3), 154(4)(2)(e), 154(4)(2)(f) or 154(4)(3), such Sub-Registrar, Registrar or Revenue Officer as the case may be, shall make a reference to contravention of the provision of this Act in the manner prescribed and the consequences of section 167 shall follow in respect of every transfer which is void.

(c) (i) The State Government may, either on the report of a Revenue Officer or on an application by any person or of its own motion, call for the records of any proceedings or case for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of such proceedings or order made therein and may pass such order in relation thereto as it may think fit.

(ii) No order shall be passed under this sub-section which adversely elects any person unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard. Repeal and

Repeal and Savings

5. (1) The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) Savings (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Ordinance, 2003 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as mentioned by the Ordianance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done to taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

By Order,

BHAROSI LAL,
Secretary.

क्रम संख्या–126

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2004 ई0
आश्विन 02, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

राजस्व विभाग

संख्या 943/18(1)/2004

देहरादून, 24 सितम्बर, 2004

अधिसूचना

प0आ0–149

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1904) की धारा 230, 294 तथा 344 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 (यथा उत्तरांचल में लागू) में कतिपय संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2004

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2004 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नये नियम 116–क से 116–ड बढ़ाया जाना

2. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में, वर्तमान नियम 116 के पश्चात् निम्नलिखित दिये जायेंगे, अर्थात्:–

(1) 116–क विशेष श्रेणी के भूमिधर के लिए एक अलग श्रेणी बनाया जाना, धारा 129 ख–धारा 154(4)(1)(क), 154(4)(2)(ङ), 154(4)(2)(च) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति अथवा 154(4)(3) के अन्तर्गत अनुमति से भूमि खरीदे जाने पर राजस्व अभिलेख में दाखिल खारिज कार्यवाही के अधीन विशेष श्रेणी के भूमिधर को खतौनी में श्रेणी 1–ग में अंकित किया जायेगा।

(2) 116–ख संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को विरासत में आने वाले परिवारजनों से भिन्न व्यक्तियों के पक्ष में मुख्तारनामा करने का अधिकार, धारा 152 (क)–विरासत में आने वाले वारिस के उपलब्ध न होने की दशा में किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में मुख्तारनामा करने के लिए, इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करने पर जिले के कलेक्टर की लिखित पुर्वानुमति अथवा विदेश में रहने वाले व्यक्ति के मामले में इस आशय के शपथ–पत्र के साथ भारतीय दूतावास की लिखित पूर्वानुमति मुख्तारनामें के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(3) 116–ग जिले के कलेक्टर की अनुमति से मुख्तारनामें के आधार पर दिनांक 31–3–2004 के बाद विक्रय विलेख का निष्पादन, धारा 152(क)(2)–दिनांक 12–9–2003 अथवा उससे पूर्व निष्पादित मुख्तारनामें के आधार पर विक्रय विलेख का पंजीयन दिनांक 31–3–2004 के बाद करने हेतु सम्बन्धित निष्पादनकर्ता द्वारा जिले के कलेक्टर से लिखित पूर्वानुमति हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। कलेक्टर के कार्यालय द्वारा ऐसे आवेदक को आवेदन–पत्र की प्राप्ति की रसीद तुरन्त दी जाएगी। जिले के कलेक्टर ऐसे मामले में सरसरी जाँच करने के उपरान्त कारण अभिलिखित करते हुए पूर्वानुमति देने अथवा न देने का आदेश पारित करेंगे। ऐसा आदेश, आवेदन–पत्र दिये जाने के 90 दिन के अन्दर पारित न किए जाने की दशा में ऐसी अनुमति स्वतः दी गई समझी जायेगी, परन्तु इसके लिए आवेदनकर्ता को इस आशय का एक शपथ–पत्र पंजीकरण के समय प्रस्तुत करना होगा, जिसकी प्रति रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार उस जिले के कलेक्टर को यथाशीघ्र अग्रसारित कर देगा। जिले का कलेक्टर इस नियम के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग दिनांक 31–03–2005 तक ही कर सकेगा।

(4) 116–घ जिले के कलेक्टर से दिनांक 31–3–2004 के बाद विक्रय विलेख पंजीकृत करने हेतु पूर्वानुमति प्राप्त करना, धारा 154(4)(1)(ख)–दिनांक 12–9–2003 अथवा उससे पूर्व निष्पादित करार के आधार पर विक्रय विलेख का पंजीयन दिनांक 31–3–2004 के बाद करने हेतु सम्बन्धित निष्पादनकर्ता द्वारा जिले के कलेक्टर से लिखित पूर्वानुमति हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी प्राप्ति की रसीद तुरन्त दी जाएगी। जिले के कलेक्टर ऐसे मामले में सरसरी जाँच करने के उपरान्त कारण अभिलिखित करते हुए पूर्वानुमति देने अथवा न देने का आदेश पारित करेंगे, ऐसा आदेश, आवेदन–पत्र दिये जाने के 90 दिन के अन्दर पारित न किए जाने की दशा में ऐसी अनुमति स्वतः दी गई समझी

जायेगी, परन्तु इसके लिए आवेदनकर्ता को इस आशय का एक शपथ–पत्र पंजीकरण के समय देना होगा, जिसकी प्रति रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार यथाशीघ्र कलेक्टर को अग्रसारित कर देगा। जिले का कलेक्टर इस नियम के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग दिनांक 31–03–2005 तक ही कर सकेगा।

(5) 116–ङ धार्मिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय करने के लिए विक्रय विलेख में प्रयोजन अंकित करना, धारा 154(4)(2)(च)–धार्मिक प्रयोजन, जिसके लिए भूमि क्रय की जा रही है का पूर्ण उल्लेख विक्रय विलेख में किया जायेगा।

(6) 116–च धार्मिक प्रयोजन का तात्पर्य, धारा 154(4)(2)(च)–धार्मिक प्रयोजन का तात्पर्य विभिन्न पंथों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले धार्मिक कृत्यों उद्देश्यों एवं संस्कारों की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित होगा, जिसमें पूजा स्थल, प्रार्थना/कीर्तन स्थल, ध्यान केन्द्र आदि सम्मिलित होंगे।

(7) 116–छ अनुमति से भूमि क्रय हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप निर्धारण, धारा 154(4)(3)–विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूमि क्रय करने के लिए निर्धारित प्रारूप प्रपत्र–क (शासन से अनुमति की दशा में) अथवा प्रपत्र–ख पर (जिले के कलेक्टर से अनुमति की दशा में) भूमि क्रय हेतु आवेदन–पत्र सम्बन्धित प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, जो तीन प्रतियों में होगा।

(8) 116–ज शासन की अनुमति से भूमि क्रय करना, धारा 154(4)(3)(क)–विभिन्न प्रयोजनों जिनका उल्लेख धारा 154(4)(3)(क) में किया गया है के लिए भूमि क्रय हेतु सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को निर्धारित प्रारूप प्रपत्र–क पर आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी एक प्रति उसी दिन शासन में राजस्व विभाग को भी प्रस्तुत की जायेगी। सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा ऐसे प्राप्त आवेदन–पत्रों का एक पंजिका में क्रमवार तिथि सहित अंकन किया जायेगा जिसमें विभाग द्वारा अंतिम संस्तुति/आख्या तथा निस्तारण की तिथि अंकित की जायेगी।

(9) 116–झ प्रशासकीय विभाग द्वारा जाँच एवं संस्तुति, धारा 154(4)(3)(क)–सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव ऐसी रीति से जैसा वे उचित समझें जाँच करायेंगे और यथाशीघ्र युक्ति संगत आख्या/संस्तुति सहित शासन के राजस्व विभाग को प्रेषित करेंगे।

(10) 116–ट शासन द्वारा भूमि क्रय की पूर्व अनुमति, धारा 154(4)(3)(क)–शासन द्वारा प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर विचार करते हुए भूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा, तथा लिखित आदेश पारित किया जायेगा। आवेदन–पत्र से 90 दिन के अन्दर ऐसी सूचना न मिलने पर आवेदनकर्ता द्वारा शपथ–पत्र के आधार पर भूमि क्रय की जा सकेगी। ऐसे शपथ–पत्र की प्रति रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार द्वारा यथाशीघ्र शासन को भेजी जायेगी। सम्बन्धित आवेदनकर्ता को यथा स्थिति सूचित किया जायेगा। शासन द्वारा दी गई अनुमति शासनादेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

(11) 116–ठ जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय

हेतु अनुमति देना, धारा 154(4)(3)(ख)–कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु इस आशय का शपथ–पत्र कि क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा आवेदन–पत्र प्रपत्र ख के साथ जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे आवेदन–पत्र की प्राप्ति की रसीद आवेदक को तुरन्त दी जायेगी। जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त आवेदन–पत्र को एक पंजिका में तिथि सहित अंकित करेंगे, तथा ऐसी रीति से जैसा वे उचित समझें उस पर जाँच करायेंगे और प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर विचार करते हुए भूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे एवं कारण बताते हुए ैचमांपदह वतकमतद्ध आदेश पारित कर सम्बन्धित आवेदक को 90 दिन के अन्दर लिखित रूप से सूचित करेंगे। कलेक्टर द्वारा पारित ऐसा आदेश, ऐसे आदेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगा। आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के 90 दिन के अन्दर ऐसी सूचना न मिलने पर आवेदनकर्ता द्वारा शपथ–पत्र के आधार पर भूमि क्रय की जा सकेगी। ऐसे शपथ–पत्र की प्रति रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार द्वारा यथाशीघ्र उस जिले के कलेक्टर को भेजी जायेगी। इस नियम के अधीन अधिकतम भूमि धारा 154(1) में दी गयी सीमा के अन्तर्गत ही क्रय की जा सकती है।

(12) 116–ड उत्तरांचल के कमजोर वर्ग के भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के भूमि क्रय किया जाना, धारा 154(4)(2) की उपधारा (छ), (ज), (झ) एवं (ट)–मूल अधिनियम में जोड़ी गई धारा 154(4)(2) की उपधारा (छ), (ज), (झ) एवं (ट) में उल्लिखित व्यक्तियों के सम्बन्ध में उस उपधारा से सम्बन्धित होने का, सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र विक्रय विलेख के साथ संलग्न करना पर्याप्त होगा।

नया प्रपत्र–क का बढ़ाया जाना

3. मूल नियमावली में नियम 116–ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र–क बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्ः–

भूमि क्रय करने के लिए शासन से अनुमति प्राप्त करने हेतु
निर्धारित आवेदन का प्रारूप
प्रपत्र–क
(धारा 154(4)(3)(क) एवं नियम–12)

1. आवेदक का नाम.....पत्नि/पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी/ग्राम.....तहसील.....जिला.....

2. स्थाई पता (उत्तरांचल से बाहरी व्यक्ति हेतु) ग्राम.....तहसील.....
जिला.....राज्य.....

3. वर्तमान व्यवसाय एवं पता .....

4. प्रयोजन जिस हेतु भूमि क्रय की जानी है .....

5. खरीदे जाने वाली भूमि का विवरणः
   1. जिला .....
   2. तहसील.....
   3. ग्राम/नगर.....
   4. खसरा नं0 तथा रकबा.....

6. व्यक्ति जिससे भूमि खरीदी जानी प्रस्तावित है, का विवरणः
नाम.....पुत्र/पुत्री श्री.....
ग्राम.....तहसील.....जिला.....

7. यदि पूर्व में भी भूमि क्रय करने हेतु प्रार्थना–पत्र दिया था तो उसका विवरण निम्न प्रकार उपलब्ध कराया जाएः–
   (क) आवेदन–पत्र देने की तिथि.....
   (ख) क्या स्वीकृति प्रदान की गई अथवा नहीं.....
   (ग) यदि हाँ, तो आदेश की संख्या व तिथि.....
   (घ) भूमि क्रय हेतु दी गयी अनुमति का विवरण निम्न प्रकार उपलब्ध कराया जाएः–
      (अ) विक्रेता का नाम व पता.....
      (ब) जिला.....
      (स) तहसील.....
      (द) ग्राम/नगर.....
      (य) खसरा नं0 तथा रकबा.....

8. उक्त अनुमति के अन्तर्गत क्रय की गई भूमि का विवरण.....
.....

मैं सशपथ घोषणा करता/करती हूँ तथा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जो कुछ कहा गया है वह मेरे संज्ञान में सत्य है और कोई भी तथ्य इसमें न तो छिपाया गया है और न ही असत्य है।

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....

<u>केवल कार्यालय प्रयोग हेतु</u>

प्रशासकीय विभाग की टिप्पणी–

.....
.....

हस्ताक्षर
प्रमुख सचिव/सचिव.....
विभाग का नाम.....
दिनांक.....

शासनादेश सं. 101–1(7)/89–रा–1 राजस्व–1, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

दिनांक : 8 जनवरी, 2004

विषयः–उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154(2) के अन्तर्गत 12.50 एकड से अधिक भूमि के संक्रमण को प्राधिकृत किये जाने से सम्बन्धित प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तरांचल जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 धारा 154(1) के अधीन 12.50 एकड से अधिक भूमि का संक्रमण प्रतिबन्धित है, किन्तु धारा 154(2) के अधीन कतिपय परिस्थितियों में उक्त सीमा के अधिक भूमि का संक्रमण राज्य सरकार द्वारा प्रधिकृत किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 154(2) के अधीनता राज्य सरकार की अनुज्ञा के बगैर 12.50 एकड से अधिक भूमि का संक्रमण धारा 166 के अधीन निष्प्रभावी हो जाता है और संक्रमण की विषय वस्तु धारा–167 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो जाती है।

2. शासन के संज्ञान में यह बात आयी है कि धारा 154(2) के अधीन राज्य सरकार की अनुज्ञा के बगैर कतिपय मामलों में 12.50 एकड से अधिक भूमि का संक्रमण किया गया है, जो अधिनियम की व्यवस्था के विरूद्ध है। इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिये सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की जा रही हैः–

(1) सम्बन्धित व्यक्ति/समिति/संस्था/उद्योग/कम्पनी द्वारा 12.50 एकड से अधिक भूमि क्रय करने के लिए शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को आवेदन पत्र देना होगा। इस हेतु प्रशासकीय विभाग अपने विवेकानुसार आवेदन पत्र का प्रारूप नियत कर लेंगे।

(2) आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा सम्पर्क/जांचोपरान्त संलग्न विवरण की मद संख्या 1 से 9 तक में संरक्षित सूचना संकलित करके उपलब्ध करायी जायेगी और भूमि की न्यूनतम आवश्यकता इंगित करते हुये संबंधित जिलाधिकारियों से भूमि से सम्बन्धित अन्य विवरण प्राप्त किये जायेंगे।

(3) शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा सन्दर्भ किये जाने पर सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा जांचोपरान्त संलग्न विवरण की मद संख्या 10–20 में सूचना उपलब्ध कराई जायेगी और संस्तुति के साथ प्रस्ताव शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को अग्रसारित किया जायेगा।

(4) सम्बन्धित जिलाधिकारियों से भूमि के संक्रमण से संबंधित औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन के प्रशासकीय विभागों द्वारा विचारोपरान्त मत स्थिर किया जायेगा और संस्तुति के साथ प्रस्ताव शासन के राजस्व अनुभाग–1 को विचारार्थ सन्दर्भित किया जायेगा।

(5) शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्व अनुभाग–1 द्वारा विचारोपरान्त औचित्य पाये जाने की दशा में 12.50 एकड से अधिक भूमि के संक्रमण को धारा 154(2) के अधीन प्राधिकृत किये जाने से सम्बन्धित आदेश जारी किये जायेंगे।

(6) संलग्न विवरण की मद संख्या 1 से 9 अपेक्षित सूचना की गणना तथा प्रमाणिकता का दायित्व शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों का और मद संख्या 10 से 20 की गणना तथा प्रमाणिकता का दायित्व संबंधित जिलाधिकारियों का होगा।

3. उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के विपरीत धारा 154(2) के अधीन राज्य सरकार की अनुज्ञा के द्वारा 50 एकड से अधिक भूमि का संक्रमण अवैध मानते हुए भूमि राज्य सरकार में निहित समझी जायेगी और उसका अंतरिती के पक्ष में दाखित खारिज तथा नियमितीकरण नहीं किया जायेगा।

4. विभिन्न स्तरों पर निर्दिष्ट कार्यवाही के लिए निम्नवत समय–सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः–

(1) भूमि का संक्रमण हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर संलग्न विवरण के भाग–क में उल्लिखित मदों पर सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर पर सूचना एकत्र करके उपलब्ध करायी जायेगी और भाग–2 में उल्लिखित मदों में अपेक्षित सूचना सन्दर्भ प्राप्त होने के एक माह के भीतर संकलित करके जिलाधिकारियों द्वारा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) भूमि के संक्रमण हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त होने की तिथि से विलम्ब्तम दो माह के भीतर प्रशासकीय विभाग संस्तुति सहित प्रस्ताव राजस्व विभाग के विचारार्थ भेजेंगे और राजस्व विभाग सन्दर्भ प्राप्त होने के एक माह के भीतर प्रकरण का निस्तारण करेंगे। यदि किसी स्तर पर प्रशासकीय विभाग/राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव में पायी गई किसी त्रुटि को दूर करने हेतु अथवा किसी जिज्ञासा के समाधान हेतु सन्दर्भ प्रति प्रेषित किया जाता है तो इस निमित व्यतीत हुई अवधि को ऊपर वर्णित समय सीमा में परिगणित नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

कमल पाण्डे,
सचिव।

जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–154(2) के अधीन अधिक भूमि के संक्रमण को प्राधिकृत किये जाने के प्रस्ताव से सम्बन्धित विवरण

शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना/अभिलेख

1. व्यक्ति/समिति/संस्था/उद्योग/कम्पनी का नाम तथा पूरा पताः–

(जिसके पक्ष में भूमि का संक्रमण किया जाना प्रस्तावित है)

2. योजना/उद्योग की अनुमानित लागत तथा उसकी पूर्ति किस प्रकार प्रस्तावित हैः–

3. प्रोजेक्ट रिपोर्टः–

4. भूमि का संक्रमण निम्नांकित में से किस प्रयोजन के लिए प्रस्तावित हैः–
   - (क) पंजीकृत सहकारी समिति के लिए।
   - (ख) दानातर प्रयोजन हेतु स्थापित किसी संस्था के लिए।
   - (ग) जन साधारण के हित के लिए।

5. योजना का विन्यास (ले–आउट प्लान)

6. औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि के संक्रमण की दशा में।
   - (क) भारत सरकार द्वारा जारी आशय पत्र।
   - (ख) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनुज्ञा पत्र।

7. संक्रमण के लिए प्रस्तावित भूमि का लगाये जाने वाले उद्योग का प्रकार।

8. संक्रमण की न्यूनतम आवश्यकता का प्रमाण पत्र।

9. संक्रमण के लिये प्रस्तावित भूमि की स्थिति और उसका विवरणः–

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गांटा सं.	क्षेत्रफल (एकड में)	खातेदारों की श्रेणी, जिनसे भूमि क्रय की जानी है	खातेदार का नाम व पता
1	2	3	4	5	6	7	8

जिलाधिकारी द्वारा दी जाने वाली सूचना/उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेख

10. किस प्रयोजन के लिए भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति समीपवर्ती गांव सभा/सीलिंग/अन्य सरकारी कृषि अयोग्य भूमि से की जा सकती है।

11. निकटवर्ती क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान, आवासीय परियोजना अथवा अन्य किसी परियोजना के तहत भूमि उपलब्ध है।

12. उसकी तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रदेश में पहले से ही क्रय भूमि का:–

(1) कुल क्षेत्रफल (एकड में)

(2) उपयोग किस प्रयोजन में किया जा रहा है।

(3) भूमि के क्षेत्रफल तथा उपयोग के समर्थन में अन्तरिती का शपथ–पत्र

13. प्रस्तावित अन्तरण का प्रकारः–

(1) विक्रय पत्र

(2) दानपत्र

14. अन्तरिती के विरूद्ध धारा 154(2) के उल्लंघन का कोई मामला विचाराधीन है ? अथवा नहीं ?

15. क्या भूमि के प्रस्तावित संक्रमण के फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में जनसाधारण पर कुप्रभाव के पडने की सम्भावना है?

16. क्या भूमि के प्रस्तावित संक्रमण के आस–पास में कानून और व्यवस्था की स्थिति कुप्रभावित होगी अथवा नहीं ?

17. क्या जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसके भू–स्वामीः–

(1) अनुसूचित जाति के है ? यदि हाँ, तो उसकी जोत का क्षेत्रफल

(2) अनुसूचित जनजाति के हैं

(3) असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हैं।

18. संक्रमण हेतु भूमि की स्थिति तथा उसका प्रमाणित विवरण निम्नांकित तालिका के अनुसार 6 प्रतियों मेंः–

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गांटा सं.	क्षेत्रफल (एकड में)	खातेदारों की श्रेणी, जिनसे भूमि क्रय की जानी है	खातेदार का नाम व पता

जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–154(2) के अधीन अधिक भूमि के संक्रमण को प्राधिकृत किये जाने के प्रस्ताव से सम्बन्धित विवरण

शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना/अभिलेख

1. व्यक्ति/समिति/संस्था/उद्योग/कम्पनी का नाम तथा पूरा पता :–
   (जिसके पक्ष में भूमि का संक्रमण किया जाना प्रस्तावित है)
2. योजना/उद्योग की अनुमानित लागत तथा उसकी पूर्ति किस प्रकार प्रस्तावित है:–
3. प्रोजेक्ट रिपोर्ट:–
4. भूमि का संक्रमण निम्नांकित में से किस प्रयोजन के लिए प्रस्तावित है :–
   (क) पंजीकृत सहकारी समिति के लिए।
   (ख) दानातर प्रयोजन हेतु स्थापित किसी संस्था के लिए।
   (ग) जन साधारण के हित के लिए।
5. योजना का विन्यास (ले–आउट प्लान)
6. औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि के संक्रमण की दशा में।
   (क) भारत सरकार द्वारा जारी आशय पत्र।
   (ख) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनुज्ञा पत्र।
7. संक्रमण के लिए प्रस्तावित भूमि का लगाये जाने वाले उद्योग का प्रकार।
8. संक्रमण की न्यूनतम आवश्यकता का प्रमाण पत्र।
9. संक्रमण के लिये प्रस्तावित भूमि की स्थिति और उसका विवरण :–

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल (एकड़ में)	खातेदारों की श्रेणी, जिनसे भूमि क्रय की जानी है	खातेदार का नाम व पता
1	2	3	4	5	6	7	8

जिलाधिकारी द्वारा दी जाने वाली सूचना/उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेख

10. किस प्रयोजन के लिए भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति समीपवर्ती गांव सभा/सीलिंग/अन्य सरकारी कृषि अयोग्य भूमि से की जा सकती है।
11. निकटवर्ती क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान, आवासीय परियोजना अथवा अन्य किसी परियोजना के तहत भूमि उपलब्ध है।
12. उसकी तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रदेश में पहले से ही क्रय भूमि काः–
    (1) कुल क्षेत्रफल (एकड में)
    (2) उपयोग किस प्रयोजन में किया जा रहा है।
    (3) भूमि के क्षेत्रफल तथा उपयोग के समर्थन में अन्तरिती का शपथ–पत्र
13. प्रस्तावित अन्तरण का प्रकारः–
    (1) विक्रय पत्र
    (2) दानपत्र
14. अन्तरिती के विरूद्ध धारा 154(2) के उल्लंघन का कोई मामला विचाराधीन है ? अथवा नहीं?
15. क्या भूमि के प्रस्तावित संक्रमण के फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में जनसाधारण पर कुप्रभाव के पडने की सम्भावना है?
16. क्या भूमि के प्रस्तावित संक्रमण के आस–पास में कानून और व्यवस्था की स्थिति कुप्रभावित होगी अथवा नहीं ?
17. क्या जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसके भू–स्वामी :–
    (1) अनुसूचित जाति के है ? यदि हाँ, तो उसकी जोत का क्षेत्रफल
    (2) अनुसूचित जनजाति के हैं
    (3) असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हैं।
18. संक्रमण हेतु भूमि की स्थिति तथा उसका प्रमाणित विवरण निम्नांकित तालिका के अनुसार 6 प्रतियों मेंः–

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल (एकड़ में)	खातेदारों की श्रेणी, जिनसे भूमि क्रय की जानी है	खातेदार का नाम व पता
1	2	3	4	5	6	7	8

19. संक्रमण के लिये प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित खतौनी के प्रमाणित उद्धरण।
20. जिलाधिकारी की अभ्युक्ति तथा संस्तुति।

प्रदेश के औद्योगिक विकास को त्वरित गति प्रदान किये जाने हेतु औद्योगिक नीति–2003 के अन्तर्गत 'एकल खिड़की की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता' व्यवस्था को लागू किये जाने के सन्दर्भ में

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या : 2448–सी/औ0वि0–1/एकल खिड़की/2003–2004 दिनांक 19 फरवरी, 2004 का सन्दर्भ लेना चाहें जिसमें प्राधिकरण के स्तर से जारी की जाने वाली विभिन्न स्वीकृतियां/अनुमोदनों/अनुज्ञा पत्रों से सम्बन्धित निर्धारित किये गये आवेदन–पत्र प्रारूपों का विवरण के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि शासन द्वारा स्वीकृत महायोजना–2001 की अवधारणा में प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत क्रमशः सेलाकुई, छरबा (लांघा रोड), माजरी ग्रांट (लालतप्पड) एवं रानीपोखरी औद्योगिक क्षेत्र जिनकी प्रखण्डीय योजना प्रारूप–2011 तैयार की गई है जिसकी एक प्रति संलग्न है। औद्योगिक इकाईयों की मानचित्र स्वीकृति हेतु उक्त पत्र में उल्लिखित सूचनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

1. <u>निर्धारित आवेदन प्रपत्र **(Prescribed Application Form)**</u>:–

   आवेदन फार्म की एक प्रति संलग्न है जिसका मूल्य रू0 10.00 है।

   आवेदनकर्ता को उक्त आवेदन फार्म के साथ–साथ निम्न दस्तावेज भी वांछित होते है।

   (अ) शपथ पत्र (रू0 10.00 स्टाम्प पेपर पर) प्रारूप संलग्न।
   (ब) क्षतिपूर्ति बन्धक नामा (रू0 65.00 स्टाम्प पेपर पर) प्रारूप संलग्न।
   (स) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र (सत्यापित प्रति)।
   (द) शासनदेशानुसार भूकम्परोधी प्रमाण–पत्र (शासनदेश संलग्न)।
   (य) सत्यापित राजरा मानचित्र पर भूखण्ड का अंकन सत्यापन सहित।
   (र) प्रस्तावित इकाई के मानचित्र आठ प्रतियों में।
   (ल) भू–स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज (सत्यापित प्रति)।

2. प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश **(Procedural Guidelines)**:–

   औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए भूखण्ड का भू–उपयोग औद्योगिक होने एवं उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति पत्र होने की दशा में व प्रस्तावित औद्योगिक इकाई मानचित्र भवन निर्माण विनियम–2000 के अनुरूप होने के साथ–साथ अग्नि शमन व जल संस्थान का अनापत्ति पत्र प्राप्त होने पर मानचित्र स्वीकृति का अधिकार प्राधिकरण/अध्यक्ष दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में निहित हैं।

   नोटः मानचित्र आवेदन होने पर प्राधिकरण द्वारा अग्नि शमन अधिकारी एवं उत्तरांचल जल संस्थान से प्रस्तावित निर्माण की स्वीकृति हेतु अनापत्ति पत्र प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा। अनापत्ति पत्र प्राप्त होने

के उपरान्त ही मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी अग्रेत्तर कार्यवाही की जाती है।

3. भवन निर्माण विनियम **(Bylaws/Policy Documents)**:–

शासनदेश संख्या–527/10 (आ)/2002 दिनांक 8 अप्रैल, 2002 द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण विनियम–2000 एवं वर्तमान में शासनदेश संख्या–374 दिनांकः 15 नवम्बर, 2003 की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है जिसके अध्याय–4 में औद्योगिक इकाईयों के स्थल विकास एवं औद्योगिक इकाईयों की स्थापना से सम्बन्धित आवश्यक विनियम उल्लिखित हैं (प्रति संलग्न)

नोटः– विनियम संख्या – 24.2 के अनुसार दूनघाटी क्षेत्र में केवल उन औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की अनुमति दी जायेगी जो पूर्णतः पर्यावरण के दृष्टिकोण से हरित श्रेणी के अन्तर्गत आती हों। हरित श्रेणी का उद्योग होने का प्रमाण–पत्र स्पष्ट भाषा में सक्षम अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए।

4. औद्योगिक मानचित्र स्वीकृति हेतु देय शुल्क **(Fee/Rates/Tarriff etc.)**:–

- मानचित्र आवेदन शुल्क

(अ) (1) 500 वर्गमीटर तक औद्योगिक ईकाई के मानचित्र पर न्यूनतम — शुल्क रू0 600.00

(2) 250 वर्गमीटर तक सर्विस उद्योग ईकाई के मानचित्र पर न्यूनतम — शुल्क रू0 300.00

(ब) उक्त के अतिरिक्त कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर — रू0 01.00 प्रति वर्गमीटर

उक्त शुल्क समस्त तलो के आच्छादित क्षेत्रफल पर आकलित होगा।

- अनुमति/सुदृढ़ीकरण शुल्कः–

(अ) ऐसे क्षेत्र जो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/व्यक्तिगत संस्था/शासकीय एवं अर्द्धशासकीय द्वारा क्षेत्र को पूर्ण रूप से विकास प्राधिकरण के मानकानुसार (जहां पर बिजली, जलापूर्ति, पार्क, सड़क एवं नालियां विद्यमान हो) विकसित किया गया हो उन क्षेत्रों में एकमुस्त रू0 5.00 प्रति वर्गमीटर भू–खण्ड क्षेत्रफल पर देय होगा।

(ब) उक्त से अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों में रू0 40.00 प्रति वर्गमीटर भू–खण्ड क्षेत्रफल पर देय होगा।

- मानचित्रों पर देय अम्बार शुल्क (स्टेकिंग चार्जेज) एवं पर्यवेक्षण शुल्कः–

पर्यवेक्षण शुल्क रू0 05.00 प्रति वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्रफल पर 100 वर्गमीटर से अधिक भूखण्डों एवं अम्बार शुल्क 2000 वर्गमीटर से अधिक

क्षेत्रफल के भूखण्डों को मुक्त रखते हुये अवशेष समस्त मानचित्रों पर रू0 07.00 प्रति वर्गमीटर की दर से आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होगा।

- मानचित्रों पर देय पर्यावरण सुधार शुल्कः–
  मानचित्रों की स्वीकृति के समय देय पर्यावरण सुधार शुल्क से पर्यावरण सुधार कार्य जो भूखण्ड के बाह्य क्षेत्रों में किया जायेगा इस प्रयोजनार्थ निम्नानुसार होगाः–

  औद्योगिक भवनों के मानचित्रों पर रू0 7.00 प्रति वर्गमीटर की दर से समस्त तलों के आच्छादित क्षेत्रफल पर देय होगा।

5. उद्योगपतियों हेतु अन्य उपयोगी सामग्री **(Other Material useful for the Entrepreneurs)**:–

औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी हेतु औद्योगिक प्रखण्डीय योजना प्रारूप–2011, महायोजना–2001 एवं भवन निर्माण विनियम–2000 समूल्य विक्रय किये जाने का प्राविधान है।

6. फोन/फैक्स नम्बर **(Phone/Fax No.)**:–

0135–2672181

उक्तानुसार अपेक्षित सूचनायें संलग्न सहित प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

रवीन्द्र गोडबोले,
सचिव,
दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून।

AFFIDAVIT

Before the Secretary, Doon Valley Special Area Development Authority, Dehradun.

Affidavit of Shri _____
S/o. Shri _____
R/o Shri _____
.....Deponent

I, the deponent, named above do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. That the deponent in the owner in possession of land situated at _____
2. That the deponent has submitted a Plan for sanction before the Doon Valley Special Area Development Authority (hereinafter referred to as the 'authority') vide letter No._____Dated_____ and the 'authority' has agreed to sanction my Plan.
3. That the land under ownership and possession of the deponent in within the ceiling limits as prescribed under Urban Land Ceiling Act as well as under Rural Ceiling.
4. That in case the land on which the constructions are proposed to be carried out by the deponent is declared to be surplus or vacant land under any ceiling laws, the deponent undertakes to abide by the decision of the ceiling authorities.
5. That the deponent undertakes not to raise any constructions without any sanction plan from the authority and/or in violation of the sanctioned Plan.
6. That no ceiling case in pending against the deponent in respect of the land on which the constructions are proposed to be carried out by the deponent.
7. That the land not been declared to be vacant or surplus by the ceiling department.

.....Deponent

VERIFICATION

I, the deponent, named above do hereby verify that the contents of the above affidavit in paras 1 to 7 are true to my personal knowledge. No part of is false and nothing material has been concealed. So, help me God. Verified at Dehradun on this the_____

INDEMNITY BOND

Before the Secretary, Doon Valley Special Area Development Authority, Dehradun.

THIS DEED OF INDEMNITY I is made on this the _____ day of _____ by Shri _____&_____ S/o _____ R/o _____

WHEREAS I am owner of lane situated at _____ and am in possession of the said land.

AND WHERAS I have submitted a Plan No. _____ before the Doon Valley Special Area Development Authority to be sanctioned in accordance with the bye-laws and Master Plan.

AND WHERAS the Doon valley Special Area Development Authority has agreed to sanction the Plan submitted by me.

AND WHERAS in pursuance of the approval being granted by Doon Valley Special Area Development Authority for sanction of the Plan submitted by me, I agree and undertaken to keep Doon Valley Special Area Development Authority indemnified against all legal proceedings and all expenses incurred by Doon Valley Special Area Development Authority for constesting the legal proceedings relating to the sanction of Plan submitted by me shall be borne by me and I agree to idemnify the Doon Valley Special Area Development Authority for the expenses borne by them.

AND WHERAS I and my legal representative,assignee, transfers, successors and heirs shall be bound by the terms of the indemnity bond.

IN WITNESSES WHEREOF I have down my signatures on this indemnity bound on the date, month and year mentioned hereinabove.

Witnesses Exeuctant

1. _____

2. _____

क्र. सं.

उत्तरांचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986
की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना–पत्र का प्रपत्र

सेवा में,

सचिव,

दून घाटी विशेष विकास प्राधिकरण,

देहरादून।

महोदय,

मैं/हम (क) नीचे वर्णित स्थल का विकास करने या आरम्भ करने, (ख) नीचे वर्णित स्थल पर भवन/भवनों का निर्माण करने, (ग) नीचे वर्णित स्थल पर खुदाई करने या खुदाई को बढ़ाने, (घ) नीचे वर्णित सड़क से मिलने वाला कोई रास्ता बनाने की अनुज्ञा के लिये प्रार्थना करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम स्थल के नक्शे की छः प्रतियाँ। नीलमुद्र या मोमजामे पर निर्मित नक्शे संलग्न करता हूँ/करते हैं, जिससे उस स्थल की जिसका विकास या खुदाई करने का प्रस्ताव है, या उस भूखण्ड को जिस पर निर्माण करने का प्रस्ताव है, स्थिति, आस–पास की स्थिति और स्वीकृति विन्यास, यदि कोई हो, को तुलका में दिखाया गया है।

मैं/हम स्थल के नक्शे की छः प्रतियाँ। नीलमुद्र या मोमजामे पर निर्मित नक्शे प्रस्तुत है। करते हैं। जिसमें मेरे/हमारे क्षेत्र पर प्रस्तुत महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना की अपेक्षानुसार ऊचाईयाँ और प्रस्तावित भवन को निर्दिष्टियाँ दिखाई गई हैं।

मैं/हम उस भूमि का/स्वामी/के पट्टेदार हूँ/हैं, जिसके लिये हम/मैं प्रार्थना–पत्र दे रहा हूँ/दे रहे हैं।

1. भूमि का विवरणः–
   - (क) भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्ग मीटरों में .....
   - (ख) उसकी नगर पालिका टाऊन एरिया द्वारा दी गई संख्या यदि ग्रामीण क्षेत्र में है, तो गाटा संख्या इत्यादि .....
     .....
   - (ग) प्रयोजन जिसके लिये भवन उपयोग में लाया जायेगा, उदाहरणार्थ भूमि के उपयोग .....
     .....
2. सडक का वर्णनः–
3. कारीगार व निर्माण–सामग्री की सामान्य व ब्योरेवार विशिष्टयाँ .....

संलग्नक

भवदीय,

हस्ताक्षर

स्थानीय पता .....

प्रथम / द्वितीय / तृतीय
Original/Duplicate/Triplicate

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
NATIONAL BUILDINGS ORGANISATION

अनुसूची–**II** 31 मार्च 19 ..... को समाप्त होने वाले वर्ष की विवरणी
Schedule - II Return for the year ending 31st March, 19 .....

यह सांख्यिकीय विवरणी, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में 10,000 और इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में निजी क्षेत्र के मकानों और भवनों के मामले में भरी जानी है।

This statistical return is to be filled up in case of houses and buildings in Private Sector from towns having a population of 10,000 and above in the State/Union Territories.

I शहर की पहचान (नगर निकाय द्वारा भरे जाने के लिए)

I Town Identification (to be filled by the civic body)

1. शहर का नाम

1. Name of the town: _____

2. शहर की नागरिक स्थितिः
कूट (नगर निगम 1, नगर पालिका 2, अधिसूचित क्षेत्र समिति 3, पंचायत 4, छावनी 5, अन्य 6)

2. Civics status of the town : Code
Codes (Municipal Corporn. 1, Municipality 2, Notified Area Committee 3, Panchayat 4, Cantonment 5, Others 6.)

3. शहर का आकार :
कूट (जनसंख्या 1,00,000 या अधिक 1,50,000 से 99,000 के बीच 2,20,000 सेइ 49,999 के बीच 3 तथा 10,000 से 19,999 के बीच 4)

3. Size of the town : Code
Codes (Population 1,00,000 & above 1, between 50,000 & 99,999 2, between 20,000 & 49,999 3, and between 10,000 & 19,999 4.)

4. राज्य / संघ राज्य क्षेत्र :

4. State/Union Territory _____

II निर्माता की पहचान

II Constructor Identification _____

1. गृहस्वामी का नाम

1. Name of the householder _____

परिवार का आकार : पुरूषों की संख्या .....स्त्रियों

की संख्या .....

Household size : No. of males ..... No. of Females .....

2. रोजगार का स्वरूप : कूट Code

कूट (स्व–रोजगार 1, निजी क्षेत्र 2, सार्वजनिक क्षेत्र 3, सरकारी सेवा 4, तथा अन्य 5)

2. Nature of employment : ‡‡‡ Code

Codes ‡‡‡ (Self-employment 1, Private Sector 2, Public Sector 3, Govt Service 4 and Others 5).

3. सकल मासिक आय : रूपये कूट Code

3. Gross Monthly Income : Rs.

4. सामाजिक ग्रुप :

कूट (अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जनजाति 2, अन्य पिछड़े वर्ग 3 तथा 4)

4. Social Group :‡‡‡ Code

Codes ‡‡‡ (Scheduled Caste 1, Scheduled Tride 2, Other backward Classes 3 and others 4).

III आधारभूत ब्यौरे कूट Code

III Basic Details Code

1. निर्माण का स्वरूप कूट (नया 1, वृद्धि परिवर्तन 2, तथा मरम्मत व देखरेख)

1. Nature of construction : @ Code

Codes @ (New 1, addition/alternation 2 & repair & maintenance 3).

2. निर्माण का प्रकार : कूट Code

कूट (रिहायशी एकक 1, अन्य आवासीय भवन 2, औद्योगिक भवन 3, व्यापारिक भवन 4, संस्थान के लिए भवन 5 तथा अन्य 6)

2. Type of Construction : + Code

Codes + (Dwelings 1, Other residential buildings 2, Industrial buildings 3, Commercial building 4, Institutional buildings 5 and others 6).

3. भवन में मंजिलों की संख्या

3. Number of storeys in the buildings _____

4. भवन में सभी फर्शो का कुल कुर्सी क्षेत्रफल ..... वर्ग मीटर

4. Total plinth area of all the floors in the building_____sq. mts.

5. रिहाइशी इकाइयों की संख्याः–

5. Number of dwelling units :-

	1. कमरे वाले एकक,	2 कमरे वाले एकक,	3 कमरे वाले एकक,	4 या अधिक कमरे वाले एकक
	1. Room unit	2 Room unit	3 Room unit	4 or more Room units

6. भवन में सभी फर्शो का कुल फर्शो क्षेत्रफल ..... वर्ग मीटर
6. Total floor area of all the floors in the building ..... sq. mts.
7. अनुमानित निर्माण लागत .....रूपये
   भूमि/भूखंड लागत ..... रूपये
7. Estimated construction cost ..... Rs.
   Land/Plot cost ..... Rs.
8. वित्तीय स्रोत – बचत/ऋण
8. Source of finance - savings/loan
9. यदि ऋण है तो एजेंसी का नाम
9. If loan, name of the agency (i) _____ (ii) _____
   ली गई ब्याज की दर
   Rate of interest charged (i) _____ (ii) _____
10. प्राधिकरण जारी करने की संख्या तथा तारीख
10. Number and date of issue of authorisation Certificate _____
11. निर्माण आरम्भ करने की तारीख
11. Date of commencement of construction _____
12. निर्माण पूरा करने की तारीख
12. Date of completion of construction _____

IV मूलभूत सुविधाएं
IV Basic Amenities
1. रिहायशी कमरों की संख्या
1. Number of living rooms
   क्रमानुसार प्रत्येक रिहायशी कमरे का क्षेत्रफल ..... वर्ग मी0 ....वर्ग मी0 .....वर्ग मी0
   Area of each of the living rooms sq. mt. ..... sq. mt. ..... sq. mt. ..... respectively.
2. रसोई हां/नहीं
   यदि हां तो रसोई का क्षेत्रफल ..... वर्ग मीटर
2. Kitchen Yes/No.
   If yes Area of the Kitchen ..... sq. mt.
3. शौचालय की व्यवस्था हां/नहीं
   यदि हां तो शौचालय का टाइप
3. Provision of Latrine Facility Yes/No कूट Code [ ]
   If yes, type of latrine @ Code

	कूट ख (शुष्क 1, सेप्टिक 2, फ्लश 3 तथा वेस्टर्न 4) यदि नहीं तो मकान से शौचालय की दूरी (10 मीटर से कम 1, 10–20 मीटर के बीच 2, 20–30 मीटर के बीच 3 तथा 30 मीटर से अधिक 4) Codes @ (Dry 1, Septic 2, flush 3 and Sulabh 4) If no, distance of latrine from the house @@ Code Code @@ (Less than 10 mts. Between 10 mts. & 20 mts. 2, between 20 mts. and 30 mts. 3, above 30 mts. 4)			
4.	स्नानगृह की सुविधा के लिए व्यवस्था	हां/नहीं	कूट Code	
	यदि हां तो स्नानगृह की टाइप कूट (खुला 1 तथा एकांत 2)			
4.	Provision of Bathroom facility	Yes/No		
	If yes, type of bath @ @ @ Code Codes @@@ (Open 1, and Secluded 2) (Open includes improvised/make shift arrangements)			
	यदि नहीं तो स्नानगृह की दूरी कूट (10 मीटर से कम 1, 10–20 मीटर के बीच 2, 20–30 मीटर के बीच 3,30 मीटर से अधिक 4)		कूट Code	
	If no, distance of code bathroom @ @ Code Codes @@ less than 10 mts. 1, between 10 mts. & 20 mts. 2, between 20 mts. & 30 mts. 3 & above 30 mts. 4)			
5.	पेयजल की व्यवस्था	हां/नहीं		
	यदि हां तो पेयजल का स्रोत बताएं कूट (टेंक या नदी 1, कुंआ 2, नल 3, अन्य विशेष 4)			
5.	Provision of Drinking water	Yes/No		
	If yes then indicate source of drinking water @ Code Code @ (Tank or river 1, well 2, tap 3, other specify 4).			
	यदि नल हैं तो पानी कितने घंटे उपलब्ध रहता है। कूट (3 घंटे से कम 1, 3, से 6 घंटे के बीच 2, 6 घंटे से अधिक 3)			
	If tap water is supplied daily duration of availability : Code @@ (Less than 3 hrs. 1, between 3 & 6 hrs. 2, Over 6 hrs. 3).	@@ Code		
6.	मल निकासी तथा जल निकासी व्यवस्था	हां/नहीं		
6.	Sewerage and drainage arrangements	Yes/No		

7.	कूड़ा करकट ले जाने की व्यवस्था	हां/नहीं
7.	Garbage disposal arrangement	Yes/No
8.	जल भण्डारण टैंक यदि हां तो ऊपरी/भूमिगत	हां/नहीं
8.	Storage water tank. If yes, overhead/underground	Yes/No
9.	प्रकाश की सुविधा। यदि हां तो प्रकाश का ढंग कूट (मिट्टी का तेल 1, तेल का लेम्प 2, बिजली 3 अन्य 4)	हां/नहीं
9.	Provision of Lighting facility if yes, type of lighting : $ code Code $ (Kerosene 1, Oil lamp 2, Electricity 3, others 4).	Yes/No
10.	खुला आंगन	हां/नहीं
10.	Open courtyard	Yes/No
11.	निम्नलिखित सुविधाओं में भागीदारी करने वाले परिवारों की संख्या	
11.	Number of families sharing the following facilities.	

सुविधाएं Facilities	परिवारों की संख्या No. of Families
(1) जल	
(1) Water	
(2) स्नानगृह	
(2) Bathroom	
(3) शौचालय	
(3) Latrine	

12.	बहुमंजिले भवनों के मामले में	
12.	In case of multistoreyed building	
	(1) पार्किंग व्यवस्था	हां/नहीं
	(1) Parking Arrangement	Yes/No
	(2) अग्निशमन व्यवस्था	हां/नहीं
	(2) Fire-Fighting Arrangement	Yes/No
V.	आधारभूत सुविधाएं	
V.	Infrastructural Facilities	
1.	कार्यस्थल की दूर कूट कूट (4 कि0मी0 से कम (1), 4 से 10 कि0 मी0 के बीच (2), 10 से 20 कि0मी0 के बीच (3) तथा 20 कि0मी0 से अधिक (4)	कूट Code [ ]
1.	Distance of place of work : † code Codes † (Less than 4 kms. 1, between 4 & 10 kms. 2, between 10 & 20 kms. 3, and over 20 kms. 4)	

2.	उपयोग किए जाने वाले वाहन की किस्म कूट (पैदल 1, साईकिल 2, स्कूटर/मोटर साईकिल 3, कार 4 तथा सार्वजनिक वाहन 5) (एक से अधिक ढंग के वाहन प्रयोग करने के मामले में 2 संख्याओं का कूट हो सकता है)	कूट Code	
2.	Type of transport used : †† code Codes †† (Walk 1, bicycle 2, scooter/motor cycle 3, car 4 and public transport 5) (Code may be of two digits in case of using than one mode of transport)		
3.	पहुंच मार्ग की चौड़ाई ..... मीटर	कूट Code	
3.	Width of the approach road ..... mts.		
4.	भवन से इसकी दूरी कूट (50 मीटर से कम (1), 50 से 100 मी0 के बीच (2), 100 से 150 मी0 के बीच (3) तथा 150 मी0 से अधिक (4)	कूट Code	
4.	Its distance from the building ††† code Codes ††† (Less than 50 mts. 1, between 50 & 100 mts. 2, between 100 mts. & 150 mts. 3 and above 150 mts. 4).		
5.	प्राथमिक विद्यालय की दूरी ( ) कि0 मी0 से कम (1),) कि0मी0 से 1 कि0मी0 के बीच 2, 1–2 कि0मी0 के बीच (3) तथा 2 कि0मी0 से अधिक (4)	कूट Code	
5.	Distance of primary school : $ code Codes $ (Less than ½ km. 1, between ½ & 1 km. 2, between 1 & 2 kms. 3 and above 2 kms. 4).		
6.	माध्यमिक विद्यालय की दूरी (1 कि0मी0 से कम (1), 1 से 2 कि0मी0 के बीच (2), 2 से 3 कि0मी0 के बीच (3) तथा 3 कि0मी0 से अधिक (4)	कूट Code	
6.	Distance of secondary school : $$code Codes $$ (Less than 1 km. 1, between 1 km. & 2 kms. 2, between 2 kms. & 3 kms. 3 and above 3 kms. 4)		
7.	डाकघर की दूरी कूट (1 कि0मी0 से कम (1), 1 से 2 कि0मी0 के बीच (2), 2 से 3 कि0मी0 के बीच (3) तथा 3 कि0मी0 से अधिक (4)	कूट Code	
7.	Distance of post office $$ Code Codes $$ (Less than 1 km. 1, between 1 km. & 2 kms. 2, between 2 kms. & 3 kms. 3 and above 3 kms. 4.)		

8.	बैंक की दूरी कूट (1 कि0मी0 से कम (1), 1 से 2 कि0मी0 के बीच (2), 2 से 3 कि0मी0 के बीच (3) तथा 3 कि0मी0 से अधिक (4)		कूट Code	
8.	Distance of post office $$ Code Codes $$ (Less than 1 km. 1, between 1 km. & 2 kms. 2, between 2 kms. & 3 kms. 3 and above 3 kms. 4.)			
9.	बाजार की दूरी	कूट		''क'' में से चुनिए
9.	Distance of market	Code		Select From A
10.	कालेज की दूरी	कूट		''क'' में से चुनिए
10.	Distance of College	Code		Select From A
11.	पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी की दूरी	कूट		''क'' में से चुनिए
11.	Distance of Police Station/Police Chauki	Code		Select From A
12.	अस्पताल/स्वास्थय केन्द्र/औषधालय की दूरी	कूट		''क'' में से चुनिए
12.	Distance of Hospital/Health Centre/Dispensary	Code		Select From A
13.	दमकल केन्द्र की दूरी	कूट		''क'' में से चुनिए
13.	Distance of fire station	Code		Select From A
14.	रेलवे स्टेशन की दूरी	कूट		''क'' में से चुनिए
14.	Distance of railway station	Code		Select From A
15.	अन्तर्राज्यीय बस अड्डे की दूरी	कूट		''क'' में से चुनिए
15.	Distance of ISBT	Code		Select From A
16.	पार्क की दूरी	कूट		''क'' में से चुनिए
16.	Distance of Park	Code		Select From A
17.	सामुदायिक केन्द्र की दूरी	कूट		''क'' में से चुनिए
17.	Distance of Community Centre	Code		Select From A
18.	पुस्तकालय की दूरी	कूट		''क'' में से चुनिए
18.	Distance of Library	Code		Select From A
19.	सिनेमा घर की दूरी	कूट		''क'' में से चुनिए
19.	Distance of cinema	Code		Select From A

कूट "क" (1 कि0मी0 से कम (1), 1 से 3 कि0मी0 के बीच (2), 3 से 5 कि0मी0 से अधिक (4)
Code "A" (Less than 1 km. 1, between 1 km. & 3 kms. 2, between 3 kms. & 5 kms. 3 & above 5 kms. 4.)

Remarks अभ्युक्तियां

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
NATIONAL BUILDINGS ORGANISATION

अनुसूची–II को भरने के अनुदेश
INSTRUCTION FOR FILLING SCHEDULE – II

1. आवेदनकर्ता (प्रस्तावित निर्मित के मालिक/मालिकों अथवा अधिकृत एजेंट/एजेंटों) को प्राधिकरण प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए तथा रिहायश के लिए दखल प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए पूर्ति सूचना सहित इस अनुसूची की दो प्रतियां भर कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करनी चाहिए।

   This schedule duly filled-in duplicate by the applicant (owner/owners of the proposed construction or authorised agent/agents) should accompany the application for issue of authorisation Certificate as well as along with 'completion notice' for issue of occupany certificate (also called fitness certificate).

2. नया निर्माण का अभिप्राय बिल्कुल नया ढांचा खड़ा करने से है चाहे वह स्थान जिस पर यह ढांचा खड़ा किया है पहले से दखल में हो या न हो। मौजूदा इमारत के भीतर किए गए संरचनात्मक परिवर्तन को फेर–बदल कहते हैं जबकि इमारत में वृद्धि करने का अभिप्राय इमारत को खड़ा करने से है जिससे फर्शी क्षेत्रफल में वृद्धि होती है।

   New Construction means creation of an entirely new structure whether the site on which it is built has before been occupied or not. Alterations to existing building relate to structural changes carried out within a building whereas additions will mean enlargement of building by which floor area is added.

3. निर्माण का प्रकार : प्रत्येक प्रकार की निर्मित के लिए अलग–अलग फार्म का इस्तेमाल करना चाहिए। जहां निर्मित एक से अधिक प्रकारों की हो जैसे कि रिहायशी–सह व्यापारिक, वहां निर्मित का फर्शी क्षेत्रफल जिस प्रकार से अधिक हो उसी प्रकार से उस निर्मित की गणना करनी चाहिए।

   Type of Construction : Separate form should be used for each type of construction. Whereever a construction involves more than one type (e.g., residential-cum-commercial building) the building should be classified to that type of construction which accounts for the largest floor area.

4. कुर्सी क्षेत्रफल : कुर्सी की सतह के ऊपर इमारत द्वारा आच्छादित भूमि के क्षेत्रफल को कुर्सी क्षेत्रफल कहते हैं।

   Plinth Area : It means ground area covered by the building immediately above the plinth level.

5. फर्शी क्षेत्रफल (अथवा कार्पेट एरिया) : छतों द्वारा आच्छादित तथा इस्तेमाल में आने वाले स्थान को कहते हैं।

   Floor area (or carpet area) : It means inside usable roofed area.

6. मौजूदा इमारत में फेरबदल तथा/अथवा वृद्धि करने के स्थिति में कृपया मद 3 व 4 में दिए गए फर्शी क्षेत्रफल तथा फर्शी क्षेत्रफल का सम्बन्ध निर्माण द्वारा क्षेत्रफल के बढ़ाये जाने की स्थिति में उससे होना चाहिए।

   In case of alterations and/or additions to existing building the plinth area and floor area shown against items 3 and 4 respectively should relate to the area, if any, added by construction.

7. रिहायशी एकक : इसका अर्थ जो एक कमरा अथवा कमरों का एक सुइट तथा उसके साथ की उपनिर्मितियां यदि कोई हों (जैसे रसोई, भंडार, स्नानघर, शौचालय आदि) जो एक स्थाई इमारत

अथवा संरचनात्मक रूप से पृथक भाग में बनाए गए, दोबारा बनाए गए अथवा परिवर्तित किए गए हों तथा जिसे एक परिवार के निवास के लिए इस्तेमाल किये जाने का विचार हो। इसमें गली तक अथवा बाहर आने जाने का रास्ता हो। रिहायशी एकक के कमरे गिनते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल सोने के कमरों, खाना खाने के कमरों तथा आमतौर से रहने में आने वाले कमरों को ही गिना जाय (कांचीन बरामदें, रसोई, स्नानघर तथा भंडार घर इत्यादि को नहीं गिनन चाहिए)।

Dwelling : It is a room or suite of rooms and its accessories viz, (Kitchen, store, bath latrine etc.) if any in a permanent building or structually separated part thereof which by the way it has been built, rebuilt or converted is intended for habitation by one household. It should have a separate access to the street or to a common passage or stairways. While counting rooms in a dwelling unit, care should be taken to count only bed rooms, dining rooms, study rooms and normal living rooms (glaxed verandah, kitchen, bath room and store, etc. should be excluded)

8. सभी रिहायशी इमारतों के रिहायशी एकाकों की संख्या तथा प्रकार का ब्यौरा देना चाहिए तथा दूसरे प्रकार की इमारतों में कोई रिहायशी एकक बनाए गए हों तो उनका ब्यौरा भी देना चाहिए।

Number and type of dwelling units should be given for all residential buildings and for other types of buildings also in case any dwelling units have been constructed there.

9. प्राधिकरण प्रमाण–पत्र जारी होने, निर्माण स्थल पर पहल निर्माण संबंधी व्यावहारिक कार्यवाही जैसे स्थल की तैयार इमारती सामान तथा उपकरणों की ढुलाई, खुदाई आरम्भ होने अथवा नींव इत्यादि बिछाने के बाद ही निर्माण कार्य आरंभ किया जाता है। जब इमारत रिहायश के लिए तैयार हो जाती है तो निर्माण पूरा हो जाता है। आमतौर पर पूर्ति प्रमाण–पत्र इसी तारीख में जारी किया जाता है जिस दिन से प्रार्थी ने पूर्ति सूचना दी होती है।

Construction is commenced when the first physical operations are undertaken on the building site after the issue of 'Authorisation Certificate' e.g. site preparation, delivery of building materials and equipment on the site, start of excavation or the laying of foundations, etc. Construction is completed when the building is physically ready to be occupied. Date of completion of construction will in general, be the same as the date of completion notice by the applicant.

10. कार्यालय द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र की संदर्भ–संख्या वह होनी चाहिए जिससे प्रस्तावित अथवा पूरी की गई निर्मित के स्थान इमारत, नक्शे इत्यादि का कोई भी हवाला आसानी से मिल जाये।

The reference number of the application to be filled in by the office should be that number which facilities any reference of the site, building plans, etc., of the construction proposed or completed.

11. आधार–भूत सुख–सुविधाओं के बारे में किए गए ब्यौरे संशोधित अनुसूची–**II** की एक नई विशेषता है। पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का संभावित उत्तर या तो तत्काल दे दिया जाता है अथवा पृष्ठ के नीचे की ओर दे दिया जाता है। मांगी गई जानकारी के तुरन्त बाद उत्तर की कूट संख्या लिखी जानी चाहिए। सभी मदें स्वतः स्पष्ट हैं तथा इन्हें भरने के लिए किन्हीं अनुदेशों की आवश्यकता नहीं है।

Details regarding basic amenities and infrastructural facilities are a new feature of the revised scheduled-II. Possible answers to each query are given either immediately after the query or at the bottom of page. Code number of the answer is to be written just after the query. All the items are self-explanatory and does not need any instructions for filling up.

कार्यालय दून घाटी विशेष विकास प्राधिकरण, देहरादून

मानचित्र संख्या..... दिनांक.....

श्री/श्रीमती मै0 .....

.....

.....

आपके प्रार्थना–पत्र दिनांक .....के संदर्भ में आपका प्रस्तावित ..... . आवासीय निर्माण की मौहल्ला/ग्राम/कालोनी..... .....में निम्नलिखित शर्तों के साथ यह स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से तीन वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग में स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार प्रभावित नहीं होता।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में किसी विकास कार्य हेतु विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो श्रेत्र विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगा वहां शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय को विकास कार्य करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. दरवाजे तथा खिड़कियाँ इस तरह से लगाई जायेगी कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की और बढ़े न हों।
7. बिजली की लाइन से 5 फीट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सदैव निर्माण स्थल पर ही रखनी होगी ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र स्पेसिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्थापित्व की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी।
9. सड़क सर्विसलेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री बिल्ड़िग मैटिरियल नहीं रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
10. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है और कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर आप कार्य पूरा होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर भवन को प्रयोग में लायेगें।
11. निर्माण के अन्दर यदि कोई वृक्ष आता है तो उसके लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
12. पानी की निकासी के लिए बड़ छोड़ना होगा।
13. मानचित्र स्वीकृति होने के एक माह बाद ही कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।
14. यदि अनुमति प्राप्त करने के बाद किसी भी समय विशेष विकास प्राधिकरण अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हैं कि उक्त अनुमति तथ्यों को छुपाकर अथवा फर्जी एवं जाली तथ्य, प्रस्तुत करके प्राप्त की गयी है तो उक्त अधिकारी को यह अधिकार होगा कि यह इसके लिए कारण बताते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उक्त अनुमति को निरस्त कर सकते हैं।
15. मानचित्र की स्वीकृति से स्वामित्व विनिश्च का सम्बन्ध नहीं है।
16. सिलिंग भूमि, नजूल, भूमि अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मान ली जायेगी।
17. भू–खण्ड के खुले क्षेत्र में 25ः वृक्षारोपण करना होगा, न होने की दशा में अर्थ दण्ड आरोपित किया जाएगा।

अध्यक्ष/सचिव,
दून घाटी विशेष विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

राज्य के विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्र से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों के निर्धारण विषयक

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
   समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तरांचल।
2. अध्यक्ष,
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तरांचल।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन शुल्क की दरे अलग–अलग निर्धारित की गई हैं साथ ही मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में विविध मदों में लिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के शुल्कों के निर्धारण में एक–रूपता न होने के कारण अनेक बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं।

2. उपरोक्त स्थिति के निराकरण हेतु शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तरांचल (उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन उपं उपान्तरण आदेश 2002 के अर्न्तगत गठित राज्य के विभिन्न विकास प्राधिकरणों के भवन मानचित्र आवेदन शुल्क एवं तत्सम्बन्धी अन्य शुल्कों का निर्धारण इस सम्बन्ध के पूर्व निर्गत समस्त आदेशों को अवकलित करते हुए संलग्न परिशिष्टानुसार निर्धारित किये जाते हैं।
3. इसी कम में अम्बार एवं हरितिया शुल्क को सुधार एवं विकास शुल्क में ही समाहित करते हुए शुल्क निर्धारण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त सुधार एवं में से शुल्क अम्बार मद के सापेक्ष 5 प्रतिशत, हरितिमा विकास मद में 10 प्रतिशत उन अवशेष 85 प्रतिशत अन्य विकास कार्यों हेतु उपयोग किया जायेगा।
4. ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जो पूर्ववर्ती उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम अथवा उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम **(SIDCUL)** द्वारा विकसित किये गये हों/किये जायेगें, में यदि वाह्य शुल्क के रूप में कोई धनराशि भूखण्ड के मूल अथवा अन्य प्रकार से ली जाये तो उतनी धनराशि उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम **(SIDCUL)** द्वारा सम्बन्धित विकास/प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को त्रैमासिक आधार पर हस्तान्तरित की जायेगी। इन क्षेत्रों में सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा पृथक से सुधार एवं विकास शुल्क के रूप में कोई धनराशि अधिरोपित नहीं की जायेगी। उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम अथवा उत्तरांचल औद्योगिक राज्य विकास निगम **(SIDCUL)** द्वारा विकसित

औद्योगिक क्षेत्रों को बाहर के क्षेत्रों में तालिका में वर्णित दरों के अनुसार शुल्क देय होंगे।

5. उत्तरांचल औद्योगिक राज्य विकास निगम **(SIDCUL)** द्वारा विकसित क्षेत्रों में मानचित्र निगम द्वारा ही स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था के बारे में अलग से विचार किया जा रहा है ताकि निवेशकों के लिए मानचित्र अनुमोदित कराने की प्रक्रिया में सरलीकरण हो सके। इस सम्बन्ध में यथासमय पृथक से आदेश/निर्देश जारी किये जायेंगे। इस मध्य ऐसा होने तक, उत्तरांचल औद्योगिक राज्य विकास निगम **(SIDCUL)** द्वारा विकसित क्षेत्रों के निर्माण हेतु मानचित्र **(SIDCUL)** के सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे और उनके द्वारा सम्बन्धित प्राधिकरण के स्तर से नियमानुसार अनुमोदित कराने हेतु प्रेषित किया जायेगा।

6. ऐसे क्षेत्र जो विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, व्यक्तिगत संस्थाओं शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा पूर्ण रूप से विकास प्राधिकरण के मानकानुसार (जिसमें बिजली, जलोत्सारण, जलापूर्ति, पार्क सड़क एवं नालियों आदि की व्यवस्था विद्यमान हो) स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार विकसित किये गये हों उन में पृथक से कोई सुधार एवं विकास शुल्क तथा तत्सम्बन्धी अन्य कोई शुल्क देय नहीं होगा। इनसे इतर अन्य प्रकरणों में संलग्न परिशिष्ट–1 में वर्णित दरों के अनुसार शुल्क देय होगा।

7. उपरोक्त प्रस्तर 4 से 6 में की गई व्यवस्था उत्तरांचल (उ0 प्र0 योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अर्न्तगत समस्त विकास प्राधिकरणों तथा उत्तरांचल (उ0 प्र0 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अर्न्तगत स्थापित समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में लागू होंगे। उत्तरांचल (उ0 प्र0) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में लागू होंगे। उत्तरांचल (उ0 प्र0 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अर्न्तगत आने वाले विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित अन्य शुल्कों के सम्बन्ध में पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे, उनमें तब तक वर्तमान व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे। कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तदनुसार शुल्क निर्धारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

पी0 के0 महान्ति,
सचिव।

परिशिष्ट–1

क्रमांक	शुल्क का नाम	उपयोग	निर्धारित दर विकास प्राधिकरण
1.	मानचित्र आवेदन शुल्क	आवासीय उपयोग (क)आवासीय भवन (ख) आवासीय तलपट मानचित्र आवेदन शुल्क (ग) ग्रुप हाउसिंग मानचित्र	 भूखण्ड क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर तक रू. 100.00 101 से 200 वर्ग मीटर तक रू. 200.00, 201 से 300 वर्ग मीटर तक रू. 300.00 तथा उसके पश्चात् रू. 2.00/वर्ग मीटर की दर से या उसके अंश पर जो भी अधिक हो। रू. 5000.00 रू. 3000.00
1.2		व्यावसायिक उपयोग	75 वर्गमीटर तक के भू–खण्ड पर रू. 500 तथा 75 वर्ग मीटर से अधिक रू. 5000.00
1.3		व्यावसायिक तलपट मानचित्र शुल्क	रू. 5000.00
1.4		धार्मिक एवं तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के उपयोग	रू. 300.00/वर्ग मीटर भूखण्ड क्षेत्रफल पर
1.5		कार्यालय/ संस्थागत आईटी सामुदायिक उपयोग	रू. 3000.00
1.6		औद्योगिक उपयोग	रू. 3000.00
1.7		औद्योगिक तलपट मानचित्र आवेदन शुल्क	रू. 5000.00
1.8		यातायात एवं परिवहन उपयोग	रू. 500.00
1.9		मनोरंजन/ पर्यटन उपयोग	रू. 3000.00
2.	सुधार एवं विकास शुल्क	आवासीय भवन	महायोजना में परिभाषित आवायी घनत्व के आधार पर भूखण्ड के क्षेत्रफल पर निम्नानुसार देय होगा। न्यून घनत्व रू. 900.00/वर्ग मीटर मध्य घनत्व रू. 700.00/वर्ग मीटर उच्च घनत्व रू. 50.00/वर्ग मीटर

		व्यावसायिक भवन	रू. 200.00/वर्ग मीटर की दर से भूखण्ड क्षेत्रफल पर देय होगा।
		औद्योगिक भवन	रू. 100.00/वर्ग मीटर की दर से भूखण्ड क्षेत्रफल पर देय होगा।
		शैक्षिक/स्वास्थ्य/ तकनीकी/शिक्षा/ उपयोग के भवन	रू. 100.00/वर्ग मीटर की दर से भूखण्ड क्षेत्रफल पर देय होगा।
		कार्यालय/ संस्थागत/ धर्मार्थ/ सांस्कृतिक भवन अन्य सामुदायिक उपयोग के भवन	रू. 100.00/वर्ग मीटर की दर से भूखण्ड क्षेत्रफल पर देय होगा।
		वेडिंग प्वाइन्ट/ बेनक्वेट हाल	रू. 200.00/वर्ग मीटर की दर से भूखण्ड क्षेत्रफल पर देय होगा।
		सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग के भवन	रू. 75.00/वर्ग मीटर की दर से भूखण्ड क्षेत्रफल पर देय होगा।
		मनोरंजन व पर्यटन भवन	रू. 300.00/वर्ग मीटर की दर से भूखण्ड क्षेत्रफल पर देय होगा।
		पैट्रोल पम्प सम्बन्धी भवन	रू. 300.00/वर्ग मीटर की दर से भूखण्ड क्षेत्रफल पर देय होगा।
		कृषि फार्म, कृषि कार्यकलाप, भवन, मुर्गी फार्म, सुअर पालन, मत्स्य पालन, पार्क आदि व सम्बन्धी भवन।	रू. 200.00/वर्ग मीटर की दर से भूखण्ड क्षेत्रफल पर देय होगा।
3.	भू–उपयोग प्रमाण–पत्र, पत्रावली, पुर्नस्थापना एवं प्रतिलिपि शुल्क		न्यूनतम रू. 150.00 अथवा प्रति खसरा रू. 150.00 की दर से जो भी अधिक हो।
4.	पत्रावली पुर्नस्थापना शुल्क		अ) आवासीय–मानचित्र शुल्क का 50% ब) व्यावसायिक–मानचित्र शुल्क का 75% स) औद्योगिक–मानचित्र शुल्क का 50% द) अन्य–मानचित्र शुल्क का 30%
5.	प्रतिलिपि शुल्क		प्राधिकरण अभिलेखों से निजी मानचित्र प्राप्ति के आवेदन करने पर प्रतिलिपि शुल्क के रूप में रू. 100.00 प्रति प्रतिलिपि की दर पर शुल्क देय होगा।

PRELIMINARY APPLICATION FORM

1. Application Type (Please Select one)

	New Case
	Existing Case
	Revised Case
	Modification of a Case

2. Correspondence Address of the Plot Owner

Name			
Address 1			
Address 2			
Address 3			
City		Pin Code	
Telephone		E-mail	

3. License No. of Engineer
4. Name of Engineer
5. License No. of Architect
6. Name of Architect
7. License No. of Clerks of Works
8. Name of Clerks of Works
9. License No. of Structural Engineer
10. Name of Structural Engineer
11. Building Type

	Residential		Industrial
	Commercial		Transport and Traffic
	Group Housing		Fish Farm/Poultry Farm/ Office Pigs try etc.
	Education		Information Technology
	Health		Entertainment/Tourism
	Petrol Pump		Wedding Point/Banquet
	Religious		Hotel

12. Khasra No./Plot No.		13. Construction Site	
14. Plot Area		15. Height	
16. No. of Floors		17. Population Density	

I hereby state that what is stated above is true and correct and the same is in coherence with attached drawing for the proposed developed. I also attach herewith relevant checklist.

Signature of Applicant
Name :

Signature of Architect/Engineer
Name :

MUSSOORIE DEHRADUN DEVELOPMENT AUTHORITY
CHECKLIST
(Last Updated On 24-Jan-2004)

Sr. No.	Description	Yes (Y)/ No (N)/ Not Applicable (X)
	LIST OF DOCUMENTS	
1	Are 4 copies of Map showing the site plan, key plan, location in master plan services plan, elevation and section and detail of building duly signed by architect and authorised person attached ?	
2	Is the drawing attested jointly by architect and applicant attached ?	
3	Does the height of the building exceed 7.5 m or it is non-residential house building ?	
3(a)	Is the Structural Certificate and drawing showing structural details attested by structuralengineer attached ?	
4	Is the Ownership Certificate/ Saledeed/ Leasedeed/ Khatauni attached ?	
5	Are all the Affidavits attached ?	
6	Is the Indemnity Bond attached ?	
7	Has an NOC from Ceiling Department attached ?	
8	Is 'Bandobasti' area certificate attached ?	
9	Is NOC from Nazul Department Attached	
10	Is power of attorney attached	
11	Is Schedule II form attached ?	
	NOC / REMARKS / OPINIONS	
12	Is the proposed site located within 100 ft distance from property owned by state govt./central govt./'gram samaj'/'Nagar Nigam'/ 'Zila Prashasan' ?	
12 (a)	Have NOC from the concerned dept been received ?	
13	Does the proposed site lie in the govt./semi govt./authority proposed acquisition area.	
14	Does the site lie on or in proximity of a National/State Highway or PWD main roads ?	
14 (a)	Is NOC from concerned dept attached ?	
15	Does the site lie on or in proximity of propety held by Forest Dept ?	
15 (a)	Is NOC from forest dept. attached ?	
16	Are any trees required to be cut on site ?	
16 (a)	Is NOC from Forest Dept attached ?	
17	Is the proposed building situated in vicinity of railway	

	boundary ?	
17 (a)	Is NOC from concerned department furnished	
18	Is total covered are > 400 sq. m./No. of floors >3/ Use in non residential ?	
18 (a)	Is NOC from the Fire Dept Attached ?	
	RESIDENTIAL	
19	Is the land use of the site proposed for construction residential or RB as per Master Plan ?	
20	Does the proposed site abut on master plan road ?	
20 (a)	Has the provision of R/W been made in accordance with specification for the Master Plan road ?	
21	Is it proposal of addition / alteration in existing building ?	
21 (b)	However the building plan of existing construction is approved by MDDA/ Prescribed Authority/ Municipality ?	
21 (c)	Whether the existing construction on site is as per approved building plan	
22	Is the site located in an open area where layout/subdivision plan is required ?	
22 (a)	Is the layout/subdivision plan approved ?	
23	Does the proposed building plan fulfill requirement of minimum plot area as specified in building bye laws caluse no. 3.2.3	
24	Has the proposed building plan been prepared as per building bye law clause no. 3.1.2.3?	
25	Has the builing plan been prepared in accordance with by laws clause no. 3.2.1 and 3.2.2	
26	Has the proposed building plan prepared in accordance with bye laws 3.4.6 ?	
27	Is the width of road on the site 9m or more	
27 (a)	Is there provision on site for expansion of right of way ?	
28	Is the road width as per approved layout/subdivision plan ?	
29	Is the road private as per record ?	
30	Are the setback in the building as per clause 3.4.1 of the building bye laws ?	
31	Are the FAR's and Ground coverage specified in the map as per provisions given in clause 3.5.1 of the building bye laws ?	
32	Does the unit have a basement ?	
33	Does the basement satisfy provisions of the clause 3.9 of the building bye laws ?	
34	Is the site located in vicinity of a high tension line ?	

34 (a)	Is the distance from the high tension line as prescribed in the building bye laws ?	
35	Is the specified building high as per building bye laws no. 3.5.2	
36	Is the size of room, kitchen, bathroom, WC, mezanine floor, garrage etc as per the minimum requirements specified in bye law no. 3.6	
37	Has the proposed building plan been prepared as per the bye laws no. 3.7 and 3.8	

I, _____ the Registered Architect/ Engineer having Registration No. _____, do hereby state that, what is stated herein above is true and correct to the best of my knowledge, Information and belief and I believe the same to be true and also. I undertake to abide to all Rules, Regulations, Standing Orders, Requisitions and Instructions given by the authority and shall carry out my duties and responsibilities as prescribed in the Bye Laws.

I also understand that, If any information given in this form is wrong or misleading or malafide or I failed to perform my duties as above the authority shall be entitled to withdraw my Registration, forfeit my Registration fees and Deposits and impose Legal proceeding against me, if any.

Date: _____ Signature of Architect/Engineer :_____
Registration Number (With Stamp)

I, _____ the owner/developer of above mentioned building unit, do hereby state that Mr. _____, registered architect/engineer with M.D.D.A. is appointed by me for developing above building unit. I undertake to abide all instructions given by above mentioned appointed architect/engineer regarding quality control and general development control regulations. I also undertake to use building materials and construction practice as per national building code and relevant Indian Standards.

I also understand that if I failed to obey the instructions given by registered architect/engineer regarding Bye Laws and quality control and/or I used non-Indian standard construction material or construction practice, the competent authority shall be entitled to remove such construction/development at any risk and cost without giving me any notice for such removal and impose legal proceeding against me, if any.

Date : _____ Signature of Owner/Developer :_____

Form 3

(On Rs. 10/- Bond)

AFFIDAVIT

Before the MDDA Dehradun

Affidavit of (Name)_____
S/o/D/o/W/o _____
R/o _____

I, the above named deponent do hereby take oath and state as under:

1. That the deponent is the owner of a property bearing No. _____ (Address) _____ Total Plot Area _____ Sq. Ft, in which constructed area is _____ Sq. ft. and there is no case pending regarding the said property in MDDA or in the court.
2. That I propose to construct over the same.
3. That I have submitted the building plan for the construction of the a building over the same.
4. That the land held by me in any of the urban agglomeration covered under the urban land ceiling act 1976 is within the ceiling limit on vacant land as imposed by the said act.
5. That in event of the aforesaid land being declared excess by the competent authority under the urban land ceiling act 1976 I shall abide by the decision of the competent authority.
6. That I am fully aware of the provisions of the urban land act 1976.
7. That no return concerning the said land is pending for disposal as per 6(1) of the ceiling act.
8. That the said land is not land covered by exemption u/s 20 of the ceiling act.
9. That the said land does not form part of the land declared excess n/s (iv) of the ceiling act.
10. That I the sole owner of the said property and there is no case or dispute pending regarding the said property in any court or MDDA office.

_____
Deponent

Verified at Dehradun on _____this that the above contents from para no. 1 to 10 are true to the best of my knowledge and belief.

_____
Deponent

Form 3

(On Rs. 50/- Bond)

INDEMNITY BOND

Before the MDDA Dehradun

The indemnity bond is made on _____Day of _____ (Month), _____ (Year) by:

(Name)_____
S/o/D/o/W/o _____
R/o _____
_____
_____ (Address), total plot area_____sq. ft, in which constructed area is _____Sq. ft, and there is no case or dispute pending regarding the said property in MDDA or in the court.

AND WHEREAS, I have submitted the building plan for the construction of the building plan for sanction with MDDA, Dehradun vide letter no. _____ Dt. _____

AND WHEREAS for the sanctioning of the building plan. I had given an undertaking to the MDDA Dehradun.

AND WHEREAS NOW THIS DEED WITNESS that in purcase of the said affidavit and in consideration of MDDA having agreed to sanction the building plan submitted vide my application No. _____ dt. _____ in respect of the said property and whereas refers to the above I hereby undertake to indemnify and keep harmless the MDDA from all proceedings in court and before other authorities appointed under the urban land ceiling act 1976 against all expenses, losses, claims, which the MDDA may incur or become liable to pay as a result or in consequence of the sanction accorded building plan in respect of the said land.

I further state that all my successors in interest shall abide by the conditions of this deed of indemnity.

IN WITNESS WHEREOF I have put down my signature on the first above written.

_____ _____

Witness ***Executive***

Form 4

(On Rs. 100/- Bond)

AFFIDAVIT

Name: (Owner's Name)_____

Address (Owner's Address) _____

Details about the land on which development is proposed

Khasra No. _____ Plot No. _____

Construction Site: _____

I/We, the deponent as under, do hereby solemnly affirm and declare as under :

1. That I/We am/are owner/holder of _____measuring_____ sq. mts. of area.
2. That I/We have proposed to develop and construct building on the aforesaid plot of land. The construction work shall be done by me/us through my/our contractor to be appointed in due course under my/our personal responsibilities.
3. That I/We have submitted the plans for the construction of the building over the said plot of land.
4. I/We hereby appoint Mr. _____as an Architect/Engineer/Licentiate Supervisor who's License No. is _____. He/She shall be responsible for making the building plans in accordance with the provisions of Master Plan, Bye Laws and other applicable rules and regulations.
5. I/We hereby given an authority to an Architect/Engineer/Licentiatic Supervisor for submitting the building plan for approval and collecting the approval plans and accept the terms and conditions of approval letter on behalf of me/us.
6. I, _____ as an Architect/ Engineer/ Licentiate Supervisor, bearing License No. _____accept the responsibilites as an Architect/Engineer/licentiatc Supervisor fo the above-proposed development. I shall be responsible for making the building plans in accoradance with the provisions of Master Plan, Bye Laws and other applicable rules and regulations.
7. I/We hereby appoint Mr. _____ as Structural Designer whose license No. is _____. He/She shall work as Structural Designer for the above-proposed development and perform his/her duties. He/She shall be responsible for making the structural design and providing structural details.

I Verified that the contents of paras 1 to 7 of this affidavit are true and correct to my personal knowledge and belief and nothing material has been concealed.

Sworn and affirmed at Dehradun on _____day of _____200____

Organizer/Builder/Owner/Developer	**Architect/Engineer/Licentiate Supervisor**
Signature	Signature
Name	Name
S/o	S/o
Address	Address

Structural Designer

Signature

Name

S/o

Address

जिला उद्योग केन्द्र तथा
उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण बोर्ड
से
प्रदूषण नियंत्रण
अनापत्ति प्रमाण–पत्र
हेतु
आवेदन–प्रपत्र

महा प्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र से
प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

महा प्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून ।

मैं/हम प्रदूषण एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु एवं श्री .....
.....
..... नामक प्रस्तावित उद्योग जिसके स्वामी सर्वश्री/श्रीमती .....
.....हैं .....
.....के प्रस्तावित उत्पादन .....
.....प्रतिदिन/प्रतिवर्ष की खपत जिसके लिये मुख्य कच्चे माल .....
.....प्रतिदिन/प्रतिवर्ष की खपत होगी तथा प्रस्तावित स्थापना स्थल .....
है, के लिये आवेदन प्रस्तुत करते हैं।

1. मैं/हम घोषणा करते है कि प्रस्तुत सूचना में विवरण संलगनक योजनाये आदि मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा योजना पर प्रस्तावों के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।
2. मैं/हम एतद् प्रत्याभूति (गारन्टी) करते हैं कि प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण उपायों से अन्तिम उत्प्रवाह व उत्सर्जन निर्धारित मानको के अनुरूप ही निस्तारित होगा तथा प्रदूषण नियंत्रण यंत्र प्रस्तावो के अनुसार स्थापित एवं संचालित कर ही परीक्षण उत्पादन प्रारम्भ किया जायेगा।
3. मैं/हम स्थल विकास कार्य दिनांक ..... से प्रारम्भ करूंगा/करेंगें तथा औद्योगिक संयन्त्र का संचालन दिनांक..... ... को किया जाना सम्भावित हैं।
4. मैं/हम वचन देता हूँ/देते है कि शुद्धिकृत उत्प्रवाह को ..... स्थित अन्तिम निस्तारण बिन्दु तक प्रवाहित होने के लिये उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी।
5. मैं/हम वचन देता/देते हैं कि जल अधिनियम की धारा 25 व वायु अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति आवेदन परीक्षण उत्पादन की सम्भावित दिनांक .... से कम से कम दो माह पूर्व उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगें, तथा उपकर अधिनियम 1971 का वांछित अनुपालन करूगा/करेंगे। मैं घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इन अधिनियमों के प्राविधानों की जानकारी कर ली गयी हैं।
6. मैं/हम मानता हूँ/मानते हैं कि आवेदन प्रस्ताव स्तर पर ही किया जाता है तथा यदि स्थल अनुमोदन नहीं किया जाता है जो जिला उद्योग केन्द्र का निर्णय होगा।
7. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के वैधानिक प्राविधानों का पालन करूंगा/करेंगे।

दिनांक : ..... **हस्ताक्षर आवेदक पद का नाम**

उद्योग का नाम

जिला उद्योग केन्द्र से अनापत्ति प्रदूषण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन परिशिष्ट

(ANNEXURE TO NOC APPLICATION)

	उद्योग का पूरा नाम व पता, श्रेणी और स्वभाव Name / Address, Category & Type of Industry	वृहद / मध्य / लघु (जो लागू न हो वह काट दें) कैमिकल / मेटासजिंकल / इलेक्ट्रोनिक / इलेक्ट्रिल / शुगर / सीमेंट / पल्प एवं पेपर / टेक्सटाइल / फूड प्रोसेसिंग / अन्य (जो लागू न हो उसे चिन्हित करें। यदि अन्यत्र कोई हो तो लिखेः)
	सामान्य / General	(Tick whichever is applicable in case of any type mention it.)
	आवेदक का नाम एवं पता / Name and Address of applicant :	
2.2	उद्योग का प्रस्तावित स्थलः (स्थल मानचित्र जमा करे) (बिन्दु 2.3 पर वांछित सूचनायें दर्शाते हुए) Name and Address of applicant :	
2.3	स्थल से निकटतम हाईवे, सुरक्षित वन रेलवे लाईन, नदी, नाला धार्मिक स्थल, आबादी, अभ्याख्य आदि की दिशा एवं दूरियों का विवरण (5 किलोमीटर की दूरी में)	
2.4	स्थल का वर्तमान भूप्रयोग : (प्रमाण पत्र संलग्न करें) Present use of land (enclosed certificate)	कृषि / आवासीय / कामर्शियल / औद्योगिक Agriculture/ Residential/ Commercial/ Inds.
2.5	आषय पत्र / लघु उद्योग पंजीकरण का विवरण Details of letter of Indent/ SSI Registration :	
2.6	उत्पादन क्रिया का फलो चार्ट एवं विवरण : Brief process discription with now chart	संलग्नक सं. ..... Enclosure No. .....
2.7	मुख्य उत्पादों की सूची एवं दैनिक क्षमता : List of main products with daily designed capacity.	
2.8	सह उत्पादो की सूची एवं दैनिक क्षमता List of Bye products with daily designed capacity	
2.9	मुख्य कच्चे माल की दैनिक खपत की सूची : List of basic raw material with daily consumption.	
2.10	उद्यमी अथवा भागीदारों की कार्यरत अन्य सह इकाईयों की सूची : List of other industrial units operated by applicantorist partners.	
2.11	परियोजना की कुल लागत : Capital cost of project :	
2.12	इकाई में उत्पादन की संभावित तिथिः Expected date of commissioning of plant	

3 **जल प्रदूषण / Water Pollution**

3.1 जल प्रदाय का स्रोत्र (source of supply water)

3.2 जल की दैनिक खपत : Daily consumption of water_____

औद्योगिक प्रक्रिया / Industrial process _____

औद्योगिक कूलिग / Industrial cooling_____

ब्वायलर में प्रयोग / Boiler Blow down _____

फ्लोर एवं सयंत्र को धुलाई / Floor & Equipment washing _____

अन्य (स्पष्ट करें / Others (specify) _____

कूल योग / Total

घरेलू प्रयोजन / Domestic effluent _____

औद्योगिक प्रक्रिया / Industrial process

औद्योगिक कूलिग / Industrial cooling_____

ब्वायलर में प्रयोग / Boiler Blow down_____

फ्लोर एवं सयंत्र को धुलाई / Floor & Equipment washing _____

अन्य (स्पष्ट करें / Others (specify) _____

कूल योग / Total

घरेलू प्रयोजन / Domestic effluent _____

3.4 क्या प्रदूषक तत्व जनहित होगे : हां / नहीं
Are there any expected pollutants Yes/No

3.5 प्रदूषक तत्वों का वर्ग : हां / नहीं
Type of Pollutants Liquid/ Solid/ Gases

3.6 उत्प्रवाह विशिष्टियों के सम्बन्ध में उपलब्धता विविरण निम्ववत दिया गया :
Indicate available information of effluent characteristics as below :

भौतिक / **Physical**	रासायनिक / **Chemical**
तापमान / Temperature	कठोरता / Hardness.....
पी0एच0 / PH	बी0ओ0डी0 / B O D
कलर / Colour	सी0ओ0डी0 / C O D
टॉबिडिटी / Turbidity	आयल एवं ग्रीस / Oil & Grease
गंध / Odour	कुल नाइट्रोजन / Total Nitrogen
कुल सालिड / Total Solid	फास्फेट / Phosphate
कुल निलम्बित सालिड Total Suspended Solid	क्लोराइड / Chiloride
कुल वोलाटाइल सालिड Total Volatile Solid	सल्फेट / Sulphate
	सोडियम / Sodium
	पोटेशियम / Potassium
	केलशियम / Calcium
	मेगनीशियम / Magnessium
	अन्य / Other

अन्य विषाक्त तत्वो जैसे साइनाइड / फीनाल / भारी धातु आदि
Other toxic Constituents such as Cyanide/Phenol/Heavy metals etc.

3.7 क्या उत्प्रवाह मानको के अनुरूप उचित होगा : हां / नहीं (यदि नहीं तो प्रस्तावित शुद्धिकरणः व्यवस्था का विवरण दें)

	Is the effluent to be enerated within Specifications	संलग्नक ..... Yes/No If not furnish details or treatment method proposed. Enclosure_____
3.8	प्रस्तावित जल प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था का समयबद्ध कार्यक्रमः	
3.9	अन्तिम निस्तारण का माध्यम :	खुला नाला/बन्द नाला/लगून
3.10	अन्तिम निस्तारण बिन्दु :	पालीका सीवर सिस्टम/जल स्रोत/भूमि (पूर्ण विवरण दें) अन्य
4	क्या औद्योगिक उत्प्रवाह, घरेलू उत्प्रवाह के साथ मिलकर निस्तारित होगा, यदि नहीं तो घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण बिन्दु स्पष्ट करें।	
4.1	वायु प्रदूषण/**Air Pollution**	
4.2	उत्पादन हेतू प्रयुक्त ईन्धन एवं उसकी प्रति घंटा/दैनिक मात्रा	
4.3	ईन्धन प्रयोग से जनित उर्त्सजन का विवरण मात्रा/Quantity_____ अधिकतम/Maximum	अनुमानित/विश्लेषण (घन मी./घन्टा) (Ma/hr.) न्यूनतम/Minimum
4.4	सम्भावित प्रक्रिया उत्सर्जन एवं मात्रा	
4.5	फ्यूल गैस व प्रक्रिया उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाः विवरण सलग्नक सं.	Details enclosed .....
4.6	समस्त उत्सर्जन स्रोतो की ऊंचाई Height of all sources of emission	
5	ठोस/अवशिष्ट/Solid, Waste	
5.1	कुल दैनिक मात्रा : Total Quantity perday	
5.2	अवशिष्ट की प्रकृतिः Nature of waste :	ठोस/ समिसालिंड/ पाउडर/ आयली/ ज्वलनशील/ दुर्गन्धयुक्त Solid/ Semi Solid/ Powder/ Oily/ Cimbustible/ Odorous
5.3	अनुमानित संरचनाः Approximate Composition	भौतिक/रासायनिक Physical/Chemical
5.4	खतरनाक Hazardous	हां/नहीं Yes/No
5.5	निस्तारण माध्यम Mode of disposal	
6	सुरक्षा उपायो एवं दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु योजनाः Plan for safety and disaster management.	

दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....

पता.....

Annexure-IV

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

(Department of Environment, Forests & Wildlife)

New Delhi, the 1st February, 1989

NOTIFICATION

Notification under 3(2)(v) of Environment (Protection) Act, 1986, and Rule 5(3)(d) of Environment (Protection) Rules, 1986, restricting location of industries, mining operations and other development activities in the Doon Valley in Uttar Pradesh.

S.O. 102 (E) -- Whereas, notification under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, inviting objections, against the imposition of restriction on location of industries, mining operations and developmental activities in the Doon Valley, in Uttar Pradesh was published vide No. S.O. 923(E) dated the 6th October, 1988;

Any, whereas, all objections received have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-rule (3) of Rule (5) of the said rules, the Central Government hereby imposes restrictions on the following activities in the Doon Valley, bounded on the North by Mussoorie ridge, in the North-East by Lesser Himalayan ranges, on the South-West by Shivalik ranges, river Ganga in the South-East and river Yamuna in the North-West, except those activities which are permitted by the Central Government after examining the environmental impacts:-

(i) Location/siting of industrial units - It has to be as per guideline given in the annexure or guidelines as may be issued from time to time by the Ministry of Environment & Forests, Government of India.

(ii) Mining-Approval of the Union Ministry of Environment & Forests must be obtained before starting any mining activity.

(iii) Tourism - It should be as per Tourism Development Plan (TDP), to be prepared by the State Department of Tourism and duly approved by the Union Ministry of Environment & Forests.

(iv) Grazing- As per the plan to be prepared by the State Government and duly approved by the Union Ministry of Environment & Forests.

(v) Land Use - As per Master Plan of development and Land Use Plan of the entire area, to be prepared by the State Government and approved by the Union Ministry of Environment & Forests.

(No. J-20012/38/86-IA)

Sd/-

(K. P. GEETHAKRISHAN)

Secretary.

Annexure

Guidelines for Permitting/Restricting Industrial unit, in the Doon Valley Area

Industries will be classified under Green, Orange and Red Categories, as shown below for purposes of permitting/restricting such industrial units in the Doon Valley from the environmental and ecological considerations:

CATEGORY GREEN

A. LIST OF INDUSTIRES IN APPROVED INDUSTRIAL AREAS WHICH MAY BE DIRECTLY CONSIDERED FOR ISSUE OF NO OBJECTION CERTIFICATE WITHOUT REFERRING TO (MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS) (IN CASE OF DOUBTS REFERENCE WILL BE MADE TO MINISTRY OF ENVIRONMENTS & FORESTS).

1. All such non-obnoxious and non-hazardous industries employing upto 100 persons. The obnoxious and hazardous industries are those using inflammable, explosive, corrosive or toxic substances.

1. All such industries which do not discharge industrial effluents of a polluting nature and which do not undertake any of the following processes :

Electroplating
Galvanizing
Bleaching
Degreasing
Phosphating
Dyeing
Pickling, tanning
Polishing
Cooking of fibres and Digesting
Designing of Fabric
Unhairing, Soaking, deliming and bating of hides
Washing of fabric
Trimming, Pulling, Juicing and blanching of fruits and vegetables
Washing of equipment and regular floor washing using of considerable ecoling water
Seperated milk, Butter Milk and whey
Stopping and processing of grain
Distillation of alchohol, stillage and evaporation
Staughtering of animals, rendering of bones, washing of meat
Juicing of sugarcane, extraction of sugar filteration, contrifugation, distillation
Pulping and fermenting of coffee beans
Processing of fish
Filter back wash in D.M. Plants exceeding 20 K.I./per day capacity
Pulp making, pulp processing and paper making
Cocking of coal washing of blast furnances flue gases
Stripping of oxides
Washing of used sand by hydraulic discharge
Washing of latex etc.
Solvent extraction

2 All such industries which do not use fuel in their manufacturing process or in any subsidiary process and which do not emit fugitive emissions of a diffused nature.

Industries not satisfying any on the three criteria are recommended to be referred to Ministry of Environment & Forests.

The following industries appear to fall in non-hazardous, non-obnoxious and non-polluting category, subject to fulfillment of above three conditions:-

1. Atta-Chakkies
2. Rice Mullors
3. Iceboxes
4. Dal Mills

5. Groundnut decortinating (dry)
6. Chilling
7. Tailoring and garment making
8. Apparl making
9. Cotton and Wollen Hosiery
10. Handloom Weaving
11. Shoe Lace Manufacturing
12. Gold and Silver thread and sari work
13. Gold and Silver smithy
14. Leather footwear and leather products excluding tanning & hide processing
15. Manufacture of mirror from sheet glass and photo-frame
16. Musical Instruments manufacturing
17. Sports Goods
18. Bamboo and cane Products (only dry operations)
19. Card Board and paper products (Paper & Pulp manufacture excluding)
20. Insulation and other coated papers (Paper & Pulp manufacture excluding)
21. Scientific and Mathematical Instruments
22. Furniture (Wooden and Steel)
23. Assembly of Domestic electrical appliances
24. Radio Assembling
25. Fountain Pens
26. Polythene, Plastic and PVC goods through extrusion/moulding
27. Surgical gauges and bandages
28. Railway sleepers (only concrete)
29. Cotton spinning and weaving
30. Rope (Cotton and Plastic)
31. Carpet Weaving
32. Assembly of Air Coolers
33. Wires, Pipes-extruded shapes from metals
34. Automobile servicing & repair stations
35. Assembly of Bicycles, baby carriages and other small non-motorized vehicles
36. Electronics equipments (assembly)
37. Toys
38. Candles
39. Carpentary-excluding saw mill
40. Cold Storages (small scale)
41. Restaurants
42. Oil-ginning/expelling (non-hyrogenation and no-refining)
43. Ice Cream
44. Mineralized Water
45. Jobbing & Machining
46. Manufacture of Steel trunks & suit cases
47. Paper Pins & U-clips
48. Block making for printing
49. Optical frames

CATEGORY ORANGE

LIST OF INDUSTRIES THAT CAN BE PERMITTED IN THE DOON VALLEY WITH PROPER ENVIRONMENTAL CONTROL ARRANGEMENT

1. All such industries which discharge some liquid effluents (below 500 KI/day) that can be controlled with suitable proven technology.
2. All such industries in which the daily consumption of coal/fuel is less than 24 mt/day and the particulars emissions from which can be controlled with suitable proven technology.
3. All such industries employing not more than 500 persons.

   The following industries with adoption of proven pollution control technology subject to fulfilling the above three condition fall under this category;

   1. Lime manufacturing-pending decision on proven pollution control device and Supreme Court's decision on quarring.
   2. Ceramics
   3. Sanitaryware
   4. Tyres and Tubes
   5. Refuse incineration (controlled).
   6. Flour Mills
   7. Vegetable oils including solvent extracted oils.
   8. Soap without steam boiling process and synthetic detergents formulation.
   9. Steam generating plants.
   10. Manufacture of office and house hold equipment and appliances involving use of fossil fuel combustion.
   11. Manufacture of machineries and machine tools and equipment.
   12. Industrial gases (only Nitrogen, Oxygen and CO_2).
   13. Miscellaneous glassware without involving use of fossil-fuel combustion.
   14. Optical glass
   15. Laboratory Ware
   16. Petroleum storage & transfer facilities.
   17. Surgical and medical products including & prophy-laitics and latex products.
   18. Footwear (Rubber)
   19. Bakery products, Biscuits & Confectioners.
   20. Instant tea/coffee, coffee processing.
   21. Malted food
   22. Manufacture of power driven pumps, compressors refrigeration units, fire fighting equipment etc.
   23. Wire drawing (cold process) & bailing straps.
   24. Steel furniture, fasteners etc.
   25. Plastic processed goods
   26. Medical & Surgical instruments.
   27. Acetylene (synthetic)
   28. Glue and Gelentine
   29. Pottassium permanganate.
   30. Metalic Sodium
   31. Photographic films, papers & photographic chemicals
   32. Surface coating industries
   33. Fragnances, fragours & food additives
   34. Plant nutrients (only manure)
   35. Aerated water/soft drink

Note:

(a) *Industries falling within the above identified list shall be assessed by the State Pollution Control Board, and referred to the Union Department of Environment for consideration, before according No Objection Certificate.*

(b) *The total number fo fuel burning industries that shall be permitted in the Valley will be limited by & tones per day or Sulphur Dioxide from all sources (This corresponds to 400 Tones per day Coal with 1% sulphur).*

(c) Siting of Industries areas should be based on sound criteria.

CATEGORY RED

(C) LIST OF INDUSTRIES THAT CANNOT BE PERMITTED IN THE DOON VALLEY

1. All those industries which discharge effluents of a polluting nature at the rate of more than 500 KI/day and for which the natural course for sufficient dilution is not available, and effluents from which cannot be controlled with suitable technology.
2. All such industries employing more than 500 persons/day.
3. All such industries in which the daily consumption of coal/fuel is more than 24 mt/day.

The following industries appear to fall under this category covered by all the points as above :

1. Ferrous and non ferrous metal extraction, refining, casting, forging, alloy making, processing etc.
2. Dry Coal Processing/Mineral processing industries like Ore sintering benefication, pelletization etc.
3. Phosphate rock processing plants.
4. Cement plants with horizontal rotary kilns.
5. Glass and glass products involving use of coal.
6. Petroleum refinery.
7. Petro-chemical Industries.
8. Manufacture of Lubricating oils and greases.
9. Synthetic rubber manufacture
10. Coal, Oil, wood or nuclear based thermal power plants
11. Vanaspati, hydrogenated vegetable oils for industrial purposes.
12. Sugar mills (white and Khandasari)
13. Craft paper mills.
14. Coke oven by products and coaltar distillation products.
15. Alkalies
16. Caustic soda
17. Potash
18. Electro-thermal products (artificial abrasives, calcium carbide etc.)
19. Phosphorous and its compounds
20. Acids and their salts (Organic & In organic).
21. Nitrogen compounds (cyanides, cyanamides and other nitrogen compounds)
22. Explosive (including Industrial explosives, detonators & fuses).
23. Pthalic anhydride
24. Processes involving chlorinated hydrocarbon
25. Chlorine, fluorine, bromine, iodine & their compounds
26. Fertilizer Industry
27. Paper board and straw board
28. Synthetics fibres
29. Insecticides, fungicides, herbicides & pesticides (basic manufacture & formulation).
30. Basic drugs
31. Alchohol (industrial or potable).
32. Leather industry including tanning and processing.
33. Coke making coal liquification and fuel gas making industries.
34. Fibre glass production and processing
35. Manufacture of pulp-wood pulp, mechanical or chemical (including dissolving pulp).
36. Pigment dyes and their intermediates
37. Industrial carbons (including graphite electrodes, anodes midget electrodes, graphite block, graphite crucibles, gas carbons, activated carbon, synthetic diamonds, carbon black, channel black, lamp black etc.)
38. Electro-chemicals (other than these covered under Alkali group).
39. Paints, enamels & varnishes.
40. Polypropylene
41. Poly Vinyl chloride
42. Cement with vertical shaft kiln technology penging certification of proven technology on pollution control.
43. Chlorates, perchlorates & peroxides
44. Polishes
45. Synthetic resin & plastic products.

उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून
(जल/वायु/अन्य)

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ई–115, नेहरू कालोनी, देहरादून।

महोदय,

मैं/हम..... आपके समक्ष प्रदूषण एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अनापत्ति/प्राधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतू संलग्न प्रपत्र पर आवेदन करते हैं।

1. हमारे द्वारा .....के उत्पादन/प्रोसेसिंग आदि हेतु..... कच्चा माल मुख्य रूप में प्रयोग किया जायेगा जिसकी प्रतिदिन की खपत..... ..... होगी तथा प्रस्तावित स्थापना स्थल .... में होगा।

2. हमारे द्वारा.....के उत्पादन/प्रोसेसिंग आदि हेतु .....कच्चा माल मुख्य रूप से प्रयोग किया जायेगा जिसकी प्रतिदिन की खपत..... होगी तथा प्रस्तावित स्थापना स्थल .....में होगा।

3. मैं/हम निम्न घोषणाएं करते हैं:–

(क) कि प्रस्तुत संलग्नक में दिये गये विवरण/योजनाएं आदि मेरी, हमारी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही हैं तथा योजना पर प्रस्तावों के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी ।

(ख) मैं/हम एतद्द्वारा प्रत्याभूति (गारण्टी) करता हूं/करते हैं कि प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण उपायों से अन्तिम उत्प्रवाह व उत्सर्जन बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही निस्तारित तथा उत्सर्जित होगी तथा प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रस्तावों के अनुसार स्थापित एवं संचालित कर ही परीक्षण उत्पादन प्रारम्भ किया जायेगा।

(ग) मैं/हम स्थल विकास कार्य दिनांक .....से प्रारम्भ करूंगा/करेगे तथा औद्योगिक संयंत्र का संचालन दिनांक.....को किया जाना संम्भावित है।

(घ) मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि शुद्धिकृत उत्प्रवाह को ..... स्थित अंतिम निस्तारण बिन्दु तक प्रवाहित होने के उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी।

(ङ) मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि जल अधिनियम की धारा 25 व वायु अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत सहमति आवेदन परीक्षण उत्पादन की सम्भावित दिनांक.....से..... में से कम..... माह पूर्व प्रस्तुत करूंगा/करेंगे तथा उपकर अधिनियम, 1977 का वांछित अनुपालन करूंगा/करेंगे। मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि इन अधिनियमों के प्राविधानों की जानकारी कर ली गयी है।

(च) मैं/हम मानता हूं/मानते हैं कि आवेदन प्रस्ताव स्तर पर ही किया जाता है तथा यदि स्थल अनुमोदित नहीं किया जाता है तो बोर्ड का निर्णय मान्य होगा।

(छ) मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अंतर्गत बने सम्बन्धित नियमों के वैधानिक प्राविधानों का पालन करूंगा/करेंगे।

(झ) शेष/विस्तृत जानकारियां प्रपत्र (एक) में दी गयी है जो संलग्न किया जा रहा है।

दिनांक .....

आवेदक.....

पद व नाम.....

उद्योग का नाम .....

संलग्नक :

1. प्रपत्र – एक 1
2. स्थल योजना तथा 2 किलोमीटर के व्यास में स्थित वन, आबादी, सड़क, रेलवे आदि का विवरण।
3. संयंत्र का ले–आउट प्लान जिसमें प्रस्तावित चिमनी, नाला, हरित पट्टी, ठोस अपशिष्ट का निस्तारण स्थल तथा शुद्धिकरण संयंत्र आदि को दर्शाया गया हो।
4. जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना एवं समयबद्ध कार्यक्रम।
5. उद्योग विभाग, उत्तरांचल शासन/भारत सरकार का पंजीयन पत्र।
6. उत्पादन, प्रक्रिया का विवरण फ्लोशीट।
7. औद्योगिक योजना रिपोर्ट।
8. देय फीस रू0 .....द्वारा..... .....दिनांक.....

FORM-I

उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून
अनापत्ति/सहमति/प्राधिकार प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का परिशिष्ट

1.	उद्योग का पूरा नाम व पता, श्रेणी एवं स्वभाव (Name/and Address, Category & Type of Industry)	वृहद/ मध्यम/ लघु (जो लागू हो)/ मैटालार्जिकल/ मैकेनिकल/ इलेक्ट्रानिक सीमेण्ट/ पल्प एवं पेपर/ टेक्सटाइल/ फ्रूड प्रोसेसिंग/ अन्य (जो लागू हो उसे चिन्हित करें। यदि अन्यत्र कोई हो तो लिखें।) Large/ Medium/ Small (Strike out whichever is not applicable) Chemical/ Metallurgical/ Mechanical/ Electronics/ Electrical/ Sugar/ Cement/Pulp & Paper/ Textile/ Food Processing/others. (Tick whichever is applicable; in case of any other type mention it.)
2.	सामान्य/ General :	
2.1	आवेदन का नाम एवं पता Name and Address of Applicant: Phone : Fax : E-mail : Mobile :	
2.2	उद्योग का प्रस्तावित स्थल (स्थल मानचित्र जमा करें), बिन्दु 2.3 पर वांछित सूचनायें दर्शाते हुए) :	Proposed Location (Attach location of site showing detail of Point 2.3):

2.3 स्थल के निकटतम हाईवे, सुरक्षित वन, रेलवे लाइन, नदी, नाला, धार्मिक स्थल, आबादी, अभयारण्य आदि की दशा एवं दूरियों का विवरण (5 किलोमीटर की दूरी में):

Details of direction and distance of nearest sanctuary, highway, railway line, human settlements, river, drain, reserved forests, religious places etc. from the site (in a 5 km distance) :

Sanctuary (अभयारण्य)–
Railway Line (रेलवे लाईन/ स्टेशन)–
Highway (मुख्य हाईवे)–
River (नदी)–
Drain (नाला)–
Reserve Forest (सुरक्षित वन)–
Human Settlement (आबादी)–
Religious Places (धार्मिक स्थल)–

2.4	स्थल का वर्तमान भू–उपयोग : (प्रमाण पर कृषि/ आवासीय/ कामर्शियल/ औद्योगिक संलग्न करें) Present use of land : (enclose certificate)	Agricultural/ Residential/ Commercial/ Industrial
;ंद्ध	As per master plan/ zonal development plan/by laws.	
(अ)	मास्टर प्लान/ जोनल विकास/ उपनियमों के अनुसार	
;इद्ध	Name of the municipality/ Development authority/ Industrial estate where the unit is to be located	
(ब)	उस स्थल की नगरपालिका/विकास प्राधिकरण/ औद्योगिक क्षेत्र का उल्लेख करें जहां उद्योग स्थापित करना चाहते हैं	
2.5	आशय पत्र/लघु उद्योग पंजीकरण का विवरण:	
2.6	Details of Letters of indent/SSI Registration: Licence NO., Boiler License No. etc.	
	उत्पादन प्रक्रिया का फ्लोचार्ट एवं विवरण: Brief process description with Flow Chart :	संलग्नक सं. ..... Enclosure No.....
	Source of Energy (ऊर्जा का स्रोत)	Related Capacity in KVA (संबंधित क्षमता के.वी.ए. में)
	1. D. G. Set (डी0 जी0 सेट)	Rating/ Steam generation capacity tonnes/hr. (रेटिंग/ भाप उत्पादन क्षमता टन प्रति घंटा)
	2. Boiler (बॉयलर)	Coal/ Furnace Oil/Diesel/ Natural Gas/ Wood/ Briquettes (कोयल/ फर्नेस ऑयल/ डीजल/ प्राकृतिक गैस/ लकड़ी/ कोल/ मिश्रित ब्रिक्वेटस)
	3. Type of fuel to be used (ईंधन जिसका प्रयोग किया जाना है) 4. Power Load	
2.7	मुख्य उत्पादों की सूची एवं दैनिक क्षमता: List of main products with daily capacity	
2.8	सह उत्पादों की सूची एवं दैनिक क्षमता: List of By-products with daily designed capacity :	
2.9	मुख्य कच्चे–माल की दैनिक खपत की सूची (कि0ग्रा0/मै0टन)	

	List of Basic raw material with daily consumption (in Kgs/Mt) अन्य कच्चे माल की दैनिक खपत की सूची व मात्रा List of other Raw Material to be used and their quantity.	
2.10	(अ) उद्यमी अथवा भागीदारों की कार्यरत अन्य सह इकाईयों की सूचीः List of other industrial unit operated by applicant or its partners : (ब) कार्यरत कामगारों की संख्याः No. of workers employed :	
2.11	परियोजना की कुल लागत : Capital cost of Project :	
2.12	इकाई में उत्पादन की तिथि : Expected date of commencement of plant :	
3	जल प्रदूषण/**Water Pollution**	
3.1	जल प्रदाय का स्रोत : Source of supply of water	ट्यूबवेल/ पालिका प्रदाय/ नदी/ झील/ अन्य (विवरण दें) Tubewell/ Municipal Supply/ River/ Lake other (specify)
3.2	जल की दैनिक खपत : Daily consumption of water :	औद्योगिक प्रक्रिया/ Industrial Process (In Kilolitres) औद्योगिक कूलिंग/ Industrial Cooling..... ब्वायलर में प्रयोग/ Boiler Blow down..... औद्योगिक प्रक्रिया/ Industrial Process (In Kilolitres) फ्लोर एवं यंत्र की धुलाई/ Floor & Equipment washing..... अन्य (स्पष्ट करें)/ Other (Specify) कुल योग/ Total घरेलू प्रयोजन/ Domestic effluent.....
3.3	प्रतिदिन निस्तारित उत्प्रवाह : Total Quantity of liquid effluents discharged per day	औद्योगिक प्रक्रिया/ Industrial Process (In Kilolitres) औद्योगिक कूलिंग/ Industrial Cooling..... ब्वायलर में प्रयोग/ Boiler Blow down.....

औद्योगिक प्रक्रिया / Industrial Process (In Kilolitres)
फ्लोर एवं यंत्र की धुलाई / Floor & Equipment washing.....
अन्य (स्पष्ट करें) / Other (Specify)

कुल योग / Total

घरेलू प्रयोजन / Domestic effluent.....

3.4 क्या प्रदूषण तत्व जनित होंगे ? हां / नहीं
Are there any expected Pollutants ? Yes/No

3.5 प्रदूषक तत्वों का वर्ग द्रव / ठोस / गैसीय
Type of Pollutants : Liquid/Solid/Gaseous

3.6 उत्प्रवाह विशिष्टियों के संबंध में उपलब्ध विवरण निम्नवत् किया जायेः
Indicate available information on effluent characterized as below :

भौतिक / Physical	रासायनिक / Chemical
तापमान / Temperature	कठोरता / Hardness
पी.एच. / P.H.	बी.ओ.डी. / B.O.D.
कलर / Colour	सी.ओ.डी. / C.O.D.
टर्बिडिटि / Turbidity	आयल एण्ड ग्रीस / Oil & Grease
गंध / Odour	कुल नाइट्रोजन / Total Nitrogen
कुल सॉलिड / Total Solid	फासफेट / Phosphate
कुल निलम्बित सॉलिड / Total Suspended Solid	क्लोराइड / Chloride
कुल वोलाटाइल सॉलिड / Total Volatile Solid	सल्फेट / Sulphate
सोडियम / Sodium	पोटेशियम / Potassium
कैलशियम / Calcium	मैगनीशियम / Magnesium

अन्य / Others

अन्य विषाक्त तत्व जैसे साइनाइड / फीनोल / भारी धातु इत्यादि।
Other toxic constituents such as cyanide/phenol/heavy metals etc.

3.7 क्या उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप जनित होगा ? हां / नहीं
यदि नहीं तो प्रस्तावित शुद्धिकरण व्यवस्था का विवरण दें।
संलग्नक
Is the effluent to be generated with in Standard specifications Yes/No
If no, furnish details of treatment method proposed. Enclosure.....

3.8 प्रस्तावित जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का समबद्ध कार्यक्रम :

Proposed time bound programme for Water Pollution Control System

3.9 अन्तिम निस्तारण का माध्यमः
Mode of final discharge :

खुला नाला/बंद नाला/लैगून
Open drain/ Closed drain/ Lagoons

3.10 अंतिम निस्तारण बिन्दुः
Point of final discharge :

पालिका/सीवर सिस्टम/ जल स्रोत/ भूमि (पूर्ण विवरण दें)/ अन्य
Municipal corporation/ Sewage system Water bodies/Field (Specify) any other

3.11 क्या औद्योगिक उत्प्रवाह, घरेलू उत्प्रवाह के साथ मिलकर निस्तारित होगा, यदि नही तो घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण बिन्द स्पष्ट करें।
Is industrial effluent allowed to mix domestic effluent, if no specify of domestic effluent.

4 वायु प्रदूषण/**Air Pollution**

4.1 उत्प्रवाह हेतु प्रयुक्त ईंधन एवं उसकी दैनिक मात्रा :
Type and Quantity of fuel consumed per day in manufacturing or subsidiary process :

4.2 ईंधन प्रयोग से जनित उत्सर्जन का विवरण :
Details of emissions from fuel Combustion

अनुमानित/Expected

विश्लेषण/Analysis.....

मात्रा/Quantity.....

घनमीटर/घंटा (M^3/hr)

अधिकतम/न्यूनतम/Max./Minimum

4.3 सम्भावित प्रक्रिया, उत्सर्जन, स्रोत एवं मात्रा :
Expected process, emissions, sources and quantity :

4.4 ईंधन गैस व प्रक्रिया उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाः
Proposed Air Pollution Control System for flue gas and process emission

विवरण संलग्नक .....
Details enclosed .....

4.5 प्रस्तावित डीजल जेनरेटर सेट की क्षमता के.वी.ए. मेंः
Capacity of proposed Diesel Generating Set in K.V.A. .....

4.6 समस्त उत्सर्जन स्रोतों की ऊंचाई :
Height of all sources of emission :

4.7 ईंधन के जलने से उत्सर्जन :
Emission from fuel burning;

Flue gas - nm^3/hr

Particulate matter -

उत्पादन प्रक्रिया से उत्सर्जन
Emission from production activity

Expected Emission Qty. .....nm^3/hr

Particulate gases

SO_2	-	SO_2	-
NOX	-	NOX	-
Hydrocarbons	-	CO_2	-
CO_2	-	Ammonia	-
Mist	-	Acid Mist	-
Others	-	Flourine	-
		Chlorine	-
		Halogens	-

Height of Stack	Height of Stacks for process
From GL..... (m)	From GL ..... (m)
From Top of Building..... (m)	From Top of Building..... (m)

5 ठोस/अपशिष्ट
Solid/Waste

5.1 कुल दैनिक मात्रा
Total Quantity per day

5.2 अवशिष्ट की प्रकृति : ठोस/ सेमी सॉलिड/ पाउडर/ ऑयली/ ज्वलनशील/ दुर्गन्धयुक्त
Nature of waste : Solid/ Semi solid/ Powdery/ Oily/ Combustible/ odourous

5.3 खतरनाक हां/नहीं, यदि हां तो उसकी प्रकृति
Hazardous Yes/No, if yest its nature

5.4 निस्तारण माध्यम :
Mode of disposal :

6 खतरनाक रसायनों के प्रयोग एवं भण्डारण का विवरण :
Details of use and storage of hazardous materials :

क्रमांक Sl. No.	रसायन chemical	दैनिक खपत Daily Use	एक समय का भण्डारण Storage at a time

6.1 सुरक्षा उपायों एवं दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु योजना :
Plan for safety and disaster management

7.1 क्या जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था की गयी है तो उसका विवरण दें।
Whether Water/Air Pollution Control System required to be installed ? If yes give details.

7.2

इस हेतु प्रस्तावित लागत Expenditure proposed for	कैपिटल Capital	प्रतिभार/प्रतिमाह Recurring/per month
जल प्रदूषण नियंत्रण Water Pollution Control	.....	.....
वायु प्रदूषण नियंत्रण Air Pollution Control	.....	.....
Disposal arrangements	.....	.....
Solid Waste Handling	.....	.....

Expenditure Proposed for ....
Pollution monitoring

7.3 Total Capital Investment Proposed on Pollution
..... Control as a percentage on total investment of the industry / establishment

7.4 Any other additional information about beneficial/ Adverse environment impact of your industry.

Date : Signature :

दिनांक ..... हस्ताक्षर : .....

Place : ..... Name / नाम

स्थान : ..... Designation / पद

अनापत्ति/सहमति/प्राधिकार प्रमाण पत्र हेतु उद्योगों द्वारा प्रेषित की जाने वाली सूचनाएं

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र सं–1
2. लोकेशन मैप (आवेदन पत्र का बिन्दु 2, 2 एवं 2.3)
3. (1) भू उपयोग प्रमाण–पत्र (आवेदन पत्र का बिन्दु 2.4)
   (2) भू स्वामित्व प्रमाण–पत्र
4. पंजीयन प्रमाण–पत्र (आवेदन पत्र का बिन्दु 2.5)
5. उत्पादन प्रक्रिया (आवेदन पत्र का बिन्दु 2.6)
6. कार्यरत इकाई की अनुपालन आख्या (आवेदन पत्र का बिन्दु 2.10)
7. ले–आउट मानचित्र (आवेदन पत्र का संलग्नक संख्या.3)
8. जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का प्रस्ताव (आवेदन पत्र का बिन्दु 3.5, 3.11)
9. उत्प्रवाह का अन्तिम निस्तारण बिन्दु (आवेदन पत्र का बिन्दु 3.10)
10. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का प्रस्ताव (आवेदन पत्र का बिन्दु 4.1, 4.6)
11. सेफ्टी एवं आन साइट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान (आवेदन पत्र का बिन्दु 6.0 एवं 6.1)
12. ✸ इकाई से 15 कि.मी. की त्रिज्या के क्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्र, सेंचुरी, राष्ट्रीय पार्क आदि का विवरण।
13. ✸ पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट।
14. ✸ उद्योग स्थल कुल क्षेत्रफल एवं उसमें प्रस्तावित विभिन्न कार्य जैसे उद्योग लगाने का स्थान उपचार संयत्र, टाउनशिप, खाली भूमि और हरित पट्टिका हेतु निर्धारित क्षेत्रफल का विवरण।
15. ✸ उद्योग की स्थापना में विस्थापित होने वाली जनसंख्या का विवरण तथा उसके पुनर्वास की योजना का विवरण।

नोटः (1) उपरोक्त बिंदुओं के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण निर्धारित प्रपत्र के अंत में दिया गया है। तारांकित सूचनायें, लघु श्रेणी के उद्योगों के लिए देना आवश्यक नहीं है।

(2) त्वरित निस्तारण हेतु उपरोक्त सूचनाओं के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय एवं दो प्रति मुख्यालय प्रेषित करें।

(3) अपूर्ण आवेदन पत्र सूचना एवं संलग्नकों के अभाव में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION
New Delhi, the 7th July, 2004

S.O. 801(E).--Whereas a draft of certain amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 60 (E), dated the 27th January, 1994 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 1236(E), dated the 27th October, 2003 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 27th October, 2003;

And whereas, the Orders of the Hon'ble Supreme Court in the Writ Petition (C) No. 725 of 1994 with I.A. No. 20, 21, 1207, 1183, 1216 and 1251 in Writ Petition (C) No, 4677 of 1985 in the matter of news item published in Hindustan Times titled "And Quiet Flows the Maily Yamuna" Vs. Central Pollution Control Board and Others have been duly considered;

And whereas, the Orders of Hon'ble High Court of Madras in W.P. (C) No. 33493 of 2003 and W.P. Nos. 35205, 35517, 35691, 35692 and 35825 of 2003 and W.P. M.P. Nos. 40556, 42562, 43720, 45348 to 45350, 42791, 42792, 43882, 43181, 43181, 43366 to 43369, 43544 and 43545 of 2003 between C.S. Kuppuraj and others Vs. the State of Tamil Nadu and others have also been duly considered;

And whereas, all objections and suggestions received have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Envirnment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification number S.O. 60(E), dated the 27th January, 1994, namely:-

In the said notification, --

I. In paragraph 3-

(i) in item (a), for the letters, word and figures "Nos. 3, 18 and 20", the letters, word and figures "Nos. 3, 18, 20, 31 and 32" shall be substituted;

2095 gi/04-2

(ii) After sub-para (f), the following shall be inserted, namely:-

"(g) any construction project falling under entry 31 of Schedule-I including new townships, industrial townships, settlement colonies, commercial complexes, hotel complexes, hispitals and office complexes for 1,000 (one thousand) persons or below or discharging sewage of 50,000 (fifty thousand) litres per day or below or with an investment of Rs. 50,00,000/- (Rupees fifty crores) or below.

(h) any industrial estate falling under entry 32 of Schedule-I including industrial estates accommodating industrial units in an area of 50 hectares or below but excluding the industrial estates irrespective of area if their pollution potential in hith.

Explanation.-

(i) New construction projects which were undertaken withour obtaining the clearance required under this notification, and where

construction work has not come up to the plinth level, shall require clearance under this notification with ffect from the 7th day of July, 2004.

(ii) In the case of new Industrial Estates which were undertaken without obtaining the clearance required under this notification, and where the construction work has not commenced or the expenditure does not exceed 25% of the total sanctioned cost, shall require clearance under this notification with effect from the 7th day of July, 2004.

(iii) Any project proponent intending to implement the proposed project under sub-paras(g) and (h) in a phased manner or in modules, shall be required to submit the details of the entire project covering all phases or modules for appraisal under this notification";

II. In Schedule-I, after item 30 and the entry relating thereto, the following shall be inserted, namely:--

"31. New construction projects.

32. New industrial estates."

III. in Schedule-II,--

(i) in para 5, for sub-para (f), the following shall be substituted, namely:-

"(f) (i) The quantum of existing industrial effluents and domestic seqage with increment load to be released in the receiving water body due to the proposed activitees along with treatment details;

(ii) The quantum and quality of water in the receiving water body before and after disposal of solid wastes including municipal solid wastes, industrial effluents and domestic sewage;

(iii) The quantum of industrial effluents and domestic sewage to be released on land and type of land";

(ii) in para 6, for sub-para (a), the following shall be substituted, namely:-

"(a) Nuture and quantity of solid wastes generated including municipal solid wastes, bipmedical wastes, hazardous wastes and industrial wastes."

[No. Z-11011/1/2002-IA-]

R. CHANDRAMOHAN, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 60 (E), dated 27-1-1994 and subsequently amended *vide* :

1. S.O. 356 (E), dated 4th may, 1994,
2. S.O. 318 (E), dated 10th April, 1997,
3. S.O. 73 (E), dated 27th January, 2000,
4. S.O. 1119 (E), dated 13th December, 2000,
5. S.O. 737 (E), dated 1st August, 2001,
6. S.O. 1148 (E), dated 21st November, 1994,
7. S.O. 632 (E), dated 13th June, 2002,
8. S.O. 248 (E), dated 28th February, 2003,
9. S.O. 506 (E), dated 7th may, 2003,
10. S.O. 891 (E), dated 4th August, 2003,
11. S.O. 1087 (E), dated 22nd September, 2003.

फैक्टरीज एक्ट में भवन मानचित्र में अनुमोदन का आवेदन–प्रपत्र

फैक्ट्रीज एक्ट में भवन मानचित्र के अनुमोदन का आवेदन–पत्र

Form No. 1

[Rule 3(1)]

Particulars of Rooms in the Factory

Nameof Factory _____

Name of room in Factory	Dimension in feet					Total area in square feet	Floor area occupied by machinery in the room	Breathing space (contents in cubic feet)	Total volume of air in the room	Number and size of doors	Ventiatron		Total area in square feet	Maximum capicity of the room	Maximum number of persons intended to be employed in the rooms	Whether the rooms is to be used as a work-room or for storate only	Date of construction	Remarks
			Height															
	Length	Breadth	Maximum	Minimum	Average						Number and size of window openings	Number and size of sky light openings						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

नान हेजाड़र्स कारखानों हेतु

कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत् कारखाना भवनों के निर्माण/कारखाने के रूप में प्रयोग से पूर्व स्वीकृति हेतु

चेक लिस्ट

1. क्या निर्माण के पूर्व भवन मानचित्र की स्वीकृतियों हेतु निर्धारित प्रार्थना–पत्र प्रपत्र सं. 1 पर प्रत्येक प्रस्तावित भवनों के विवरण सभी स्तम्भों में अंकित करते हुए तीन प्रतियों में तैयार किये गये हैं।
2. क्या प्रपत्र सं. 1 (प्रार्थना पत्र) के अन्त में कारखाने के आकूपायर व प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं।
3. क्या प्रपत्र सं. 1 (प्रार्थना पत्र) के साथ निम्नलिखित पत्रजात संलग्न किये गये हैं।

(1) (अ)क्या कारखाने का साइट प्लान (मानचित्र) निर्धारित स्केल के अनुसार तीन प्रतियों में जिसमें निकटवर्ती सराउन्डिंग (जिसके अन्तर्गत आस–पास के भवन, अस्पताल, शैक्षिक संस्थायें, पेट्रोल पम्प, ज्वलनशील और विस्फोटक वस्तुओं के गोदाम और संरचनायें, सड़क, जलमार्ग, नालियां आदि और किसी निकटतम आवासीय क्षेत्र की स्थिति, ग्राम, कस्बा, व्यवस्थापन स्थल से उसकी दूरी सहित रेखांकित किया गया हो), सभी वर्करूम, स्टोर, ऑफिस, मूत्रालय, शौचालय, पीने के पानी का स्थान, ड्रैनेज व खाली स्थान रेखांकित किया गया हो, संलग्न है।

(ब) क्या साइट प्लान के धरातल पर आकूपायर व मैनेजर के हस्ताक्षर अंकित है।

(2) (अ)क्या भवनों के विस्तृत प्लान मानचित्र तीन प्रतियों में जिसमें विभिन्न भवनों के एलीवेशन आवश्यक क्रास सेक्शन्स, प्राकृतिक प्रकाश, वेन्टीलेशन, आग लगने की स्थिति में निकास के द्वार/सीढ़िया, प्लाण्ट व मशीनरी की स्थिति व स्थापित अश्व शक्ति, गलियारों, आने जाने के रास्ते आदि रेखांकित हो, संलग्न किया गया है।

(ब) क्या मानचित्र के धरातल पर कारखाने के आकूपायर व मैनेजर के हस्ताक्षर है।

(3) (अ)क्या अभिनिर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का प्रोसेस फ्लो डाइग्राम (जिसमें प्लान्ट व मशीनरी व प्रोसेस में स्थापित सुरक्षा उपकरणों/संयत्रों की स्थिति दर्शायी गयी हो) तथा अभिनिर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में की जाने वाली प्रक्रियाओं का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरणतीन प्रतियों में संलग्न किया गया है।

(ब) क्या फ्लो डाइग्राम के धरातल पर कारखाने के आकूपायर व मैनेजर के हस्ताक्षर अंकित है।

(4) क्या प्रार्थना–पत्र (प्रपत्र सं. 1) के संलग्नक :

(अ) यथा–प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत किये गये रेखांकनों व प्रपत्र सं. 1 में अंकित विवरण के सापेक्ष यथास्थान अंकित कर तीन प्रतियों में संलग्न किया गया है।

(ब) क्या प्रश्नोत्तरी के अन्त में कारखाने के आकूपायर व मैनेजर के हस्ताक्षर अंकित है।

4. क्या कारखाने के भवनों की दृढ़ता का प्रमाण पत्र **(Certificate of stability)** निर्धारित प्रपत्र सं. 2 पर निर्धारित अर्हता रखने वाले सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित व कारखाने के आकूपायर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर मूल रूप में संलग्न किया गया है।

5. (अ) क्या कारखाना परिसर/भवनों के स्वामित्व को स्पष्ट करने हेतु परचेज डीड/रेंट डीड/लीज डीड की प्रमाणित प्रति संलग्न की गयी है।

(ब) यदि कारखाना परिसर औद्योगिक विकास निगम के अधीन है, तो क्या उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम या अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किये गये भू–खण्ड के आवण्टन का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

6. यदि एक ही परिसर/भू–खण्ड में निर्मित विभिन्न भवनों, विभिन्न तलों (फ्लोर्स)/विभिन्न भवनों के खण्डों को अलग–अलग आकूपायर्स को अनुबन्ध करके अलग–अलग करखाने स्थापित है, तोः–

–क्या परिसर/भू–खण्ड के स्वामी से परस्पर सुविधाओं एवं सेवाओं **(Common facilities & service)** के सम्बन्ध में (कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–93) अनुबन्ध–पत्र (परिसर/भवन स्वामी की हस्ताक्षरित प्रतिबद्धता अंकित करते हुए) प्राप्त कर संलग्न किया गया है।

7. क्या कारखाना स्थापित करने हेतु नगर महापालिका/नगर पालिका/टाऊन एरिया या नोटीफाइड एरिया जैसी भी स्थिति अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर, संलग्न किया गया है।

8. क्या उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र कर संलग्न किया गया है।

नोटः– सुलभ सन्दर्भ हेतु निम्न प्रपत्रों की प्रति संलग्क है

1. प्रार्थना पत्र प्रपत्र सं. 1
2. प्रश्नोत्तरी
3. दृढ़ता का प्रमाण–पत्र ;ब्मतजपपिबंजम व ैजंइपसपजलद्ध प्रपत्र सं. 2

हेजाड़र्स कारखानों हेतु

कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत् कारखाना भवनों के निर्माण/कारखाने के रूप में प्रयोग से पूर्व स्वीकृति हेतु

चेक लिस्ट

1. क्या निर्माण के पूर्व भवन मानचित्र की स्वीकृतियों हेतु निर्धारित प्रार्थना–पत्र प्रपत्र सं. 1 पर प्रत्येक प्रस्तावित भवनों के विवरण सभी स्तम्भों में अंकित करते हुए तीन प्रतियों में तैयार किये गये हैं।
2. क्या प्रपत्र सं. 1 (प्रार्थना पत्र) के अन्त में कारखाने के आकूपायर व प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं।
3. क्या प्रपत्र सं. 1 (प्रार्थना पत्र) के साथ निम्नलिखित पत्रजात संलग्न किये गये हैं।

   (1) (अ)क्या कारखाने का साइट प्लान (मानचित्र) निर्धारित स्केल के अनुसार तीन प्रतियों में जिसमें निकटवर्ती सराउन्डिंग (जिसके अन्तर्गत आस–पास के भवन, अस्पताल, शैक्षिक संस्थायें, पेट्रोल पम्प, ज्वलशील और विस्फोटक वस्तुओं के गोदाम और संरचनायें, सड़क, जलमार्ग, नालियां आदि और किसी निकटतम आवासीय क्षेत्र की स्थिति, ग्राम, कस्बा, व्यवस्थापन स्थल से उसकी दूरी सहित रेखांकित किया गया हो), सभी वर्करूम, स्टोर, ऑफिस, मूत्रालय, शौचालय, पीने के पानी का स्थान, ड्रैनेज व खाली स्थान रेखांकित किया गया हो, संलग्न है।

   (ब) क्या साइट प्लान के धरातल पर आकूपायर व मैनेजर के हस्ताक्षर अंकित है।

   (2) (अ)क्या भवनों के विस्तृत प्लान मानचित्र तीन प्रतियों में जिसमें विभिन्न भवनों के एलीवेशन आवश्यक क्रास सेक्शन्स, प्राकृतिक प्रकाश, वेन्टीलेशन, आग लगने की स्थिति में निकास के द्वार/सीढ़िया, प्लाण्ट व मशीनरी की स्थिति व स्थापित अश्व शक्ति, गलियारों आने जाने के रास्ते आदि रेखांकित हो, संलग्न किया गया है।

   (ब) क्या मानचित्र के धरातल पर कारखाने के आकूपायर व मैनेजर के हस्ताक्षर है।

   (3) (अ)क्या अभिनिर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का प्रोसेस फ्लो डाइग्राम (जिसमें प्लान्ट व मशीनरी व प्रोसेस में स्थापित सुरक्षा उपकरणों/संयत्रों की स्थिति दर्शायी गयी हो) तथा अभिनिर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में की जाने वाली प्रक्रियाओं का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरणतीन प्रतियों में संलग्न किया गया है।

   (ब) क्या फ्लो डाइग्राम के धरातल पर कारखाने के आकूपायर व मैनेजर के हस्ताक्षर अंकित है।

(4) क्या प्रार्थना–पत्र (प्रपत्र सं. 1) के संलग्नक :

(अ) यथा–प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत किये गये रेखांकनों व प्रपत्र सं. 1 में अंकित विवरण के सापेक्ष यथास्थान अंकित कर तीन प्रतियों में संलग्न किया गया है।

(ब) क्या प्रश्नोत्तरी के अन्त में कारखाने के आकूपायर व मैनेजर के हस्ताक्षर अंकित है।

4 क्या कारखाने के भवनों की दृढ़ता का प्रमाण पत्र **(Certificate of stability)** निर्धारित प्रपत्र सं. 2 पर निर्धारित अर्हता रखने वाले सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित व कारखाने के आकूपायर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर मूल रूप में संलग्न किया गया है।

5. (अ) क्या कारखाना परिसर/भवनों के स्वामित्व को स्पष्ट करने हेतु परचेज डीड/रेंट डीड/लीज डीड की प्रमाणित प्रति संलग्न की गयी है।

(ब) यदि कारखाना परिसर औद्योगिक विकास निगम के अधीन है, तो क्या उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम या अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किये गये भू–खण्ड के आवण्टन का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

6. यदि एक ही परिसर/भू–खण्ड में निर्मित विभिन्न भवनों, विभिन्न तलों (फ्लोर्स)/विभिन्न भवनों के खण्डों को अलग–अलग आकूपायर्स को अनुबन्ध करके अलग–अलग करखाने स्थापित है, तोः–

–क्या परिसर/भू–खण्ड के स्वामी से परस्पर सुविधाओं एवं सेवाओं **(Common facilities & service)** के सम्बन्ध में (कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–93) अनुबन्ध–पत्र (परिसर/भवन स्वामी की हस्ताक्षरित प्रतिबद्धता अंकित करते हुए) प्राप्त कर संलग्न किया गया है।

7. क्या कारखाना स्थापित करने हेतु नगर महापालिका/नगर पालिका/टाऊन एरिया या नोटीफाइड एरिया जैसी भी स्थिति अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर, संलग्न किया गया है।

8. क्या उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र कर संलग्न किया गया है।

9. क्या कारखाने में प्रयुक्त एवं भण्डारित सभी रसायनिक पदार्थो की मेटेरियल सेफ्टी डाटा शीट निर्धारित प्रपत्र सं. 5 (उत्तरांचल कारखाना औद्योगिक वृहत दुर्घटनाओं के परिसंकट का नियंत्रण नियमावली, 1996) पर आकूपायर द्वारा हस्ताक्षरित तीन प्रतियों में संलग्न की गयी है।

10. ज्वलशील एवं विस्फोटक पदार्थो के प्रयोग/भण्डारण की स्थिति में क्या विस्फोटक नियंत्रक, भारत सरकार से प्राप्त लाइसेन्स की प्रति संलग्न है।

11. क्या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 (यथा संशोधित 4 मई, 1994) एवं अधिसूचना दिनांक 10 अप्रैल, 1997 के अन्तर्गत प्रस्तावित क्रियाकलापों के

संदर्भ में भारत सरकार की इम्पैक्ट असेसमेन्ट एजेन्सी से क्लियरेन्स प्राप्त कर लिया है और प्रति संलग्न की गयी है।

नोटः– सुलभ सन्दर्भ हेतु निम्न प्रपत्रों की प्रति संलग्क है

1. प्रार्थना पत्र प्रपत्र सं. 1
2. प्रश्नोत्तरी
3. दृढ़ता का प्रमाण–पत्र ;ब्मतजपपिबंजम व िजंइपसपजलद्ध प्रपत्र सं. 2
4. मेटेरियल सेफ्टी डाटा शीट प्रपत्र सं. 5

II हेजाडर्स कारखानों का तात्पर्य उन उद्योगों के कारखानों से है, जो कारखाना अधिनियम 1948 की सारिणी–1 में वर्णित है या जिनमें उत्तरांचल कारखाना औद्योगिक बृहद दुर्घटना का परिसंकट का नियंत्रण नियमावली 1996 में वर्णित रसायनिक पदार्थों का प्रयोग/भण्डारण किया जाता है।

मेजर हेजाड़र्स कारखानों हेतु

कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत् कारखाना भवनों के निर्माण/कारखाने के रूप में प्रयोग से पूर्व स्वीकृति हेतु

चेक लिस्ट

1. क्या निर्माण के पूर्व भवन मानचित्र की स्वीकृतियों हेतु निर्धारित प्रार्थना–पत्र प्रपत्र सं. 1 पर प्रत्येक प्रस्तावित भवनों के विवरण सभी स्तम्भों में अंकित करते हुए तीन प्रतियों में तैयार किये गये हैं।
2. क्या प्रपत्र सं. 1 (प्रार्थना पत्र) के अन्त में कारखाने के आकूपायर व प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं।
3. क्या प्रपत्र सं. 1 (प्रार्थना पत्र) के साथ निम्नलिखित पत्रजात संलग्न किये गये हैं।

   (1) (अ)क्या कारखाने का साइट प्लान (मानचित्र) निर्धारित स्केल के अनुसार तीन प्रतियों में जिसमें निकटवर्ती सराउन्डिंग (जिसके अन्तर्गत आस–पास के भवन, अस्पताल, शैक्षिक संस्थायें, पेट्रोल पम्प, ज्वलशील और विस्फोटक वस्तुओं के गोदाम और संरचनायें, सड़क, जलमार्ग, नालियां आदि और किसी निकटतम आवासीय क्षेत्र की स्थिति, ग्राम, कस्बा, व्यवस्थापन स्थल से उसकी दूरी सहित रेखांकित किया गया हो), सभी वर्करूम, स्टोर, ऑफिस, मूत्रालय, शौचालय, पीने के पानी का स्थान, ड्रैनेज व खाली स्थान रेखांकित किया गया हो, संलग्न है।

   (ब) क्या साइट प्लान के धरातल पर आकूपायर व मैनेजर के हस्ताक्षर अंकित है।

   (2) (अ)क्या भवनों के विस्तृत प्लान मानचित्र तीन प्रतियों में जिसमें विभिन्न भवनों के एलीवेशन आवश्यक क्रास सेक्शन्स, प्राकृतिक प्रकाश, वेन्टीलेशन, आग लगने की स्थिति में निकास के द्वार/सीढ़िया, प्लाण्ट व मशीनरी की स्थिति व स्थापित अश्व शक्ति, गलियारों आने जाने के रास्ते आदि रेखांकित हो, संलग्न किया गया है।

   (ब) क्या मानचित्र के धरातल पर कारखाने के आकूपायर व मैनेजर के हस्ताक्षर है।

   (3) (अ)क्या अभिनिर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का प्रोसेस फ्लो डाइग्राम (जिसमें प्लान्ट व मशीनरी व प्रोसेस में स्थापित सुरक्षा उपकरणों/संयत्रों की स्थिति दर्शायी गयी हो) तथा अभिनिर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में की जाने वाली प्रक्रियाओं का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरणतीन प्रतियों में संलग्न किया गया है।

   (ब) क्या फ्लो डाइग्राम के धरातल पर कारखाने के आकूपायर व मैनेजर के हस्ताक्षर अंकित है।

(4) क्या प्रार्थना–पत्र (प्रपत्र सं. 1) के संलग्नक :

(अ) यथा–प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत किये गये रेखांकनों व प्रपत्र सं. 1 में अंकित विवरण के सापेक्ष यथास्थान अंकित कर तीन प्रतियों में संलग्न किया गया है।

(ब) क्या प्रश्नोत्तरी के अन्त में कारखाने के आकूपायर व मैनेजर के हस्ताक्षर अंकित है।

4. क्या कारखाने के भवनों की दृढ़ता का प्रमाण पत्र **(Certificate of stability)** निर्धारित प्रपत्र सं. 2 पर निर्धारित अर्हता रखने वाले सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित व कारखाने के आकूपायर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर मूल रूप में संलग्न किया गया है।

5. (अ) क्या कारखाना परिसर / भवनों के स्वामित्व को स्पष्ट करने हेतु परचेज डीड / रेंट डीड / लीज डीड की प्रमाणित प्रति संलग्न की गयी है।

(ब) यदि कारखाना परिसर औद्योगिक विकास निगम के अधीन है, तो क्या उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम या अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किये गये भू–खण्ड के आवण्टन का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

6. यदि एक ही परिसर/भू–खण्ड में निर्मित विभिन्न भवनों, विभिन्न तलों (फ्लोर्स)/विभिन्न भवनों के खण्डों को अलग–अलग आकूपायर्स को अनुबन्ध करके अलग–अलग करखाने स्थापित है, तोः–

–क्या परिसर/भू–खण्ड के स्वामी से परस्पर सुविधाओं एवं सेवाओं **(Common facilities & service)** के सम्बन्ध में (कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–93) अनुबन्ध–पत्र (परिसर/भवन स्वामी की हस्ताक्षरित प्रतिबद्धता अंकित करते हुए) प्राप्त कर संलग्न किया गया है।

7. क्या कारखाना स्थापित करने हेतु नगर महापालिका/नगर पालिका/टाऊन एरिया या नोटीफाइड एरिया जैसी भी स्थिति अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर, संलग्न किया गया है।

8. क्या उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र कर संलग्न किया गया है।

9. क्या कारखाने में प्रयुक्त एवं भण्डारित सभी रसायनिक पदार्थो की मेटेरियल सेफ्टी डाटा शीट निर्धारित प्रपत्र सं. 5 (उत्तरांचल कारखाना औद्योगिक वृहत दुर्घटनाओं के परिसंकट का नियंत्रण नियमावली, 1996) पर आकूपायर द्वारा हस्ताक्षरित तीन प्रतियों में संलग्न की गयी है।

10. ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थो के प्रयोग/भण्डारण की स्थिति में क्या विस्फोटक नियंत्रक, भारत सरकार से प्राप्त लाइसेन्स की प्रति संलग्न है।

11. क्या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 (यथा संशोधित 4 मई, 1994) एवं अधिसूचना दिनांक 10 अप्रैल, 1997 के अन्तर्गत प्रस्तावित क्रियाकलापों के

संदर्भ में भारत सरकार की इम्पैक्ट असेसमेन्ट एजेन्सी से क्लियरेन्स प्राप्त कर लिया है और प्रति संलग्न की गयी है।

12. क्या आकूपायर द्वारा निर्धारित सारिणी–7 (उत्तरांचल कारखाना औद्योगिक वृहत दुर्घटना के परिसंकट का नियंत्रण नियमावली 1996) पर कारखाने में प्रस्तावित क्रियाकलापों के सापेक्ष नोटीफिकेशन आफ साइट आकूपायर द्वारा हस्ताक्षरित कर तीन प्रतियों में प्रस्तुत कर दिया गया है?

13. यदि परिसंकटमय रसायनिक पदार्थों की हथलन/भण्डारण में मात्रा उक्त नियमावली में निर्धारित मात्रा के बराबर या उससे अधिक है तो क्या कारखाने के आकूपायर द्वारा उक्त नियमावली की सारिणी–8 में सेफ्टी रिपोर्ट तीन प्रतियों में हस्ताक्षर कर प्रस्तुत कर दी गयी है।

14. क्या आकूपायर द्वारा कारखाने में प्रस्तावित औद्योगिक क्रियाकलापों के सापेक्ष आन साइट इमरजेन्सी प्लान, निदेशक कारखाना को विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुरूप, तीन प्रतियों में आकूपायर द्वारा हस्ताक्षरित, प्रस्तुत कर दिया गया है ?

नोटः– सुलभ सन्दर्भ हेतु निम्न प्रपत्रों की प्रति संलग्क है

1. प्रार्थना पत्र प्रपत्र सं. 1
2. प्रश्नोत्तरी
3. दृढ़ता का प्रमाण–पत्र **(Certificate of Stability)** प्रपत्र सं. 2
4. मेटेरियल सेफटी डाटा शीट प्रपत्र सं. 5
5. सारिणी–7
6. सारिणी–8

II मेजर हेजाडर्स कारखानों का तात्पर्य उन कारखानों से है, जिनमें उत्तरांचल कारखाना (औद्योगिक वृहत दुर्घटना का परिसंकट का नियंत्रण) नियमावली, 1996 में वर्णित परिसंकटमय रसायनिक पदार्थो का हथलन एवं भण्डारण सारिणी 2 व 3 में उल्लिखित निर्धारित मात्रा के बराबर या उससे अधिक मात्रा में किया जाता हो।

Careful attention to the questionnaries will assist in drawing up the plans in accordance with the law and thus prevent delay in dealing with the plans

Note: The site plans should be drawn to a minimum scale of 100=1" and the other plans drawn to a minimum scale of 10=1"

Questionnaire annexed to Form No.1
Rule 3 (1)

Plans

(a) Has a site-plan showing the in mediate surrounding including adjacent building and other structures, roads, drains etc, been submitted in triplicate ? (Rule 3 (1). _____

(b) If there is a system of underground sewage within 100 ft of the factory has its position been shown in the site plan. _____

(c) Have the direction i.e. north, south, east and west been shown on the site plans as well as on the detailed plans? _____

(d) Have the municipal nos. or the field nos. of the premises and the surrounding areas been shown on the site plan? _____

(e) Have the factory premises been clearly demarcated in the site plan in distinctive colour? _____

(f) Have the detailed plans of the factory indicating all relevant details relating to doors windows ventilators fire escapes, etc. been submitted in triplicate ? [Rule 3 (1)]. _____

(g) Are all new buildings parts of buildings (if extensions) or alternations in existing buildings shown by boundaries duly marked in a distinctive colour? _____

(h) Are all rooms sheds enclosures etc serially numbered inside a circle on the plans, corresponding to the serial entry in form No.1? _____

(i) Are the outlines of all rooms sheds, enclosures, etc shown in the site plan and allotted the same number as in term 1 (h) above? _____

(j) Is the sectional elevation as such room or

shed, etc. shown separately?

(k) Is the minimum and maximum height of every room, sheed, etc shown clearly in the sectional elevation?

(l) Is the material of which the roof is constructed in dicated in the sectional elevation?

(m) Are the heights of all the workrooms in accordance with the provisions of rule 4 as under :-

(i) Is the minimum height 20 ft with C.I. Sheet roofing.

(ii) Is the minimum height 1 ft with A.C. Sheet roofing or R.B./R.C.C. roofing?

(iii) Has an inner celling of a heat resisting material with an air gap of at least 4" been provided at a minimum height of 14 ft and the name of the heat resisting material given?

(iv) Has an exemption been sought for a height of up to 12ft R.B./R.C.C. roofing?

(v) Has an exemption been sought for on the assurance of not employing more than 50 workers in the factory on any day?

(n) In the minimum distance of the nearest building from latrines and urinals show on the plans?

(o) Is the minimum distance of the nearest well hand pump or other drinking water centres shown in the drawing?

(p) Are water centres shown on the plans?

(q) Are the size of all the doors and vantilators shown on the plan along with their exact position?

(r) Are all the drains, pipes and sewers for carrying sullage sewage water effuent and waste products running within the factory premises constructed and shown in the plans?

(s) Are the positions of various machines fitted or proposed to be fitted shown in the drawing together with their names?

2. Form No. 1

(a) Is Form No. 1 submitted in triplicate, filled in for all workrooms godown etc which are proposed to be constructed or extended ?

(b) Have the internal dimensions only been entered in all the columns of Form No. 1 ?

(c) Is the breathing space of workroom, shed etc calculated as shown below. Floor area of room X its means height (height above14ft has to be left out of calculation)

(d) Is the maximum capacity entred in column no. 15 of Form No. 1 the maximum number of persons shown as the lower value of the two calculations shown below ?

(i) Floor area of a room less area occupied by machinary in the room divided by 36 [Rule 4 (ii)]

(ii) Breathing space [as in (c) above divided by 500]

(e) Have the maximum number of persons as worked out above (lower value been also shown on the plans from each workroom corresponding to column No. 15 of Form No. 1 ?

(f) Is the window ventilator and skylight area provided at the minimum rate of 1 Sq. ft to every 15 Sq. ft of floor area of the room ? (Rule 19)

(g) Can the windows and skylight under column Nos. 12 and 13 of Form No. 1 all be opended for ventilation ?

(h) Has a flow chart of the manufacturing process supplemented by its Brief description in various stages been submitted in triplicate ? (Rule (1) a).

3. Door and vantilators-(a) is vary workroom provide with at least two doors exits ?

(b) Is the minimum size of every door or exit **6-6"x8" ? (Rule 61)**

(c) Have any doors or ventilators is common with two adjacent rooms been counted in both ?

(d) Are all the doors opening outwards ?

(e) Do the windows and skylights entered under cols. 1 and 13 of Form No. 1 actually serve the purpose of ventilite ?

4. Fire escapes incase of buildings of more than one storey (Rule 61)

(a) Are two fire escapes provided on other side of building ?

(b) Are the fire escapes accessible form every room in the upper floor in the buildings ?

(c) Is the material used in construction of the fire escapes non combustible ?

(d) Are the windows doors giving access to and external stair case arrenged to open immediately from Inside ?

(e) Is any fire escape of stair way constructed at an angle greater than 45" with horizental ?

(f) Is any fire escape or stair way less than 45" in width.

(g) Is any part of the factory (building further along the line of travel) than 150 ft from the fire escape stair ?

(h) Have the particulars given against times 4 (a), (f) and (g) above been also clearly shown in the various drawings being submitted ?

5. Latrines and urinals -(a) Are the latrines and urinals provided separately for man and woman ?

(b) Are these sufficient to meet the requirements of section 9 read with rules 41 and 45 ?

(c) Is the surrounding group a up to distance of 4ft. all round of impermeable material?

(d) Is the surrounding ground raised to at lease 6" above the groundle ?

(e) Is any latrines ventilator or opening in the proximity of any pening of main building?

(f) Do any latrines or urinals communicate with any workroom without any interventing space open to the sky ?

(g) Are the latrines flush type ?

(h) Are all the drains pipes and fewers for carrying gularge sewage water effluent and waste products running with the factory premises constructed of impermable material ?

(i) Are the drains of flush type latrines connacted to drainage system exists ?

(j) Is an efficient system of septic tank provided if no drainage system exists ?

(k) Are the latrines provided with roofing ?

6. Drinking water (a) is the drinking water provided from a source provided by local Board ?

(b) Is any well constructed in the premises of the factory for drinking water or humidification purposes ?

(c) Is the cylinder of the well pucca and in previous to water throughout and upto a depth not less than the lowest level of sub-soul water ?

(d) Are the position of water centres including wells handpumps situated at least 20 ft. away from the washing place, latrines and urinals ?

7. Rest shelter canteen and creches-if the plans relate to any of these, the following questions should also be answered-

(i) Rest Shelter :

(a) Does in a building fully meat the requirements Rule 60 (a) ?

(b) Is the roof-heat resisting material ?

(c) Is the height of every room in the rest shelter at least 12 ft. from the floor level to the lowest plan of roof ?

(ii) Canteen :

(a) Does the building fully neat the requirements of Rule 68(4), Rule 68(5), Rule 68 (6), Rule 68 (7).

(b) Are the canteen buildings situated not less than 50 from any latrines, urinals, boiler house, Coals stock, coals dumps etc?

(c) What is the minimum height of the building of canteen measured from the floor level to the lowest part of the roof ?

(iii) Creche

(a) Does the building of creche meet fully the requirement of :
Rules 70 (2), Rule 70 (2) (b), Rule 70 (2) (d), Rule 70 (2) (g)

(b) Is the height of building not less than 12 ft from floor level to the lowest part of roof ?

We certify that the reples given to questionnaire above are correct.

Signature of Manager **Signature of Occupier**

N. B.- (1) After showing the above details, the plans and site plan this questionnaire and form No. 1 should all be submitted in triplicate to the inspector of Factories of the Reason concerned for the approval of the Chief Inspector of Factories, Uttaranchal.

(2) A certificate of stability signed by a person having the qualification laid down in Rule 3 (4) shall be submitted on form No. 2 before the manufacturing process with the aid of power is begun in the building.

FORM NO. 2
(Rule 3 (3))
(To be submitted after completion and before working)

I, hereby declare that I have personally examined the plans and specifications of the building described below, the actual materials and methods used in its construction and the finished building and I am satisfied that its construction is such that its stability will be satisfactory when, used as factory for the purposes herein declared.

Descripition of Building

1. Name of Factory _____
_____
2. Name of Builder or Contractor _____
3. General type of construction _____
_____
_____
_____
   (a) Full Name of signatory (in block letters)
   (b) Qualifications
   (c) Present Occupations
   (d) Address
4. Purpose for which the building to be used _____
5. Name of room or building for which this certificate is granted reference to plan no. _____
_____
6. Nature of work to be carried on in the above room of building ____
_____
_____
7. Nature and amount of moving power_____
_____
_____
8. Signature
9. Date
10. Signature of occupier with an endorsement that the Certifiying Engineer inspected the factory at his request and certified its stability.

Signature of Occupier

Note: The person giving the certificate must be : (a) (Corporate Member of the Institution of Civil Engineers or (b) a Corporate Member of the Institution of Structural Engineers or (c) a Fellow Associate of Licenciates of the Royal Institute of British Architects, or (d) be a graduate in Civil Engineering and be also a corporate member of the Institution of Engineers (India), provided that no person, except in the case of building occupied or erected by any Government where a certificate may be granted by an officer not below the rank of the an Executive Engineer shall be authorised to sign a certificate of stability if he is in the full time employment of the owner or the builder of the building.

Schedule 5
[SEE RULE 3 (2) AND (3)]
(Material Safety Data Sheet)

1.	Chemical Identity :			
	Chemical Name	Chemical Classification		
	Synonyms	Trade Name		
	Formula	C.A.S. No.		U. N. No.
	Regulated Identification	Shipping Name Codes/ Label		Hazchem No.
		Hazardous Waste I. D. No.		
	Hazardous Ingredients	C. A. S. No.	Hazardous Ingredients	C. A. S. No.
			3.	
			4.	
	Physical and Chemical Data :			
	Boiling Rigna/Point	0_C	Physical State	Appearance
	Melting/Freezing Point	0_C	Vapour Pressure @ 35^0C mm Hg.	O dour
	Vapour Density (Air = 1)	Solubility in Water @ 30 ^0C		Others
	Specific Gravity (Water = 1)	pH		
	Fire and Explosion Hazard Date :			
	Flammability Yes/No.....LEL.....%..... Flash Point ^0C			Authoignition Temperature ^0C
	TDG Flammability.....UEL.....%..... Flash Point ^0C			Hazardous Products of combustion
	Explosion Sensitivity to Impact			Explosion Sensitivity to Static Electricity
	Hazardous Polymerisation			
	Combustible Liquid	Explosive Material		Corrosive Material
	Flammable Material	Oxidiser		Others

Pyrophoric Material	Organic		Parexide		
Reactivity Date :					
Chemical Stability					
Incompatibility with other Materials					
Reactivity					
Hazardous Products of Reaction					
Health Hazard Date :					
Routes of Entry					
Effects of Exposure/Symptoms					
Emergency Treatment					
TLV (ACGIH)	ppm.	mg/m^3	STEL	ppm.	Mg/m3
Permissible Exposure Limit	ppm.	mg/m3	Order	ppm.	mg/m3
LD			Threshold		
50			LD		
			50		
NFPA Hazard Health Signals			Flammability	Stability Special	
Preventive Measures :					
Personnel Protective Equipments					
Handling and Storage Precautions					
Emergency and First Aid Measure :					
Fire			Fire Extinguishing Media		
			Special Procedures		
			Unusual Hazards		
Exporsure			First Aid Measures		
			Antidotes/Desages		
			Spills Steps to be taken		
			Waste Disposal Method		
Additional Information/References :					
Manufactures/Suppliers Date :					
			Contact Person in Emergency		
Name of Firm Mailing Address Telephone/Telex/Fax Nos. Telegraphic Address			Local Bodies involved		

	Standard Packing
	Tremeard Details/Reference
	Others
Disclaimer :	

Information contained in this material data sheet is belived to be reliable but no representation, guarantee or warranties of any kind are made as to its accuracy, suitability for a particular application of results to be obtained from them. It is up to the manufacturer/seller to ensure that the information contained in the material Safety data sheet is relevant to the product manufactured/handled or sold by him as the case may be. The Government markes no warranties expressed or implied in respect of the adequacy of this document for any particular purpose.

Schedule 7
[See Rule 7 (1)]
Information to be furnished for the notification of Activities/Sites-

Particulars to be included in a notification of site :

1. The name and address of the occupier making the notification.
2. The full postal address of the site, where the notifiable industrial activity will be carried on.
3. The area of the site covered by the notification and of any adajcent site which is required to be taken into accounts by virtue of Schedule 2 (b) and Schedule 3 (2).
4. The date on which it is anticipated that the notifiable industrial activity will commence or if it has already commenced a statement to the effect.
5. The name and maximum quantity liable to be on the site of each hazardous chemical for which notification is being made.
6. Organisation structure, namely, organisation diagram for the proposed industrial activity and set up for ensuring safety and health.
7. Information relating to the potency for major accidents, namely -
   (a) Identification of major accident hazards;
   (b) The condition of events which could be significant in bringing one about;
   (c) A brief description of the measure taken.
8. Information relating to the site namely -
   (a) A map of the site and its surrounding area to a scale large enough to show any features at may be significant in the assessment of the hazard or risk associated with the site-
   (i) Area likely to be affected by the major accident;
   (ii) Population distribution in the vicinity.
   (b) A scale of the plan of the site showing the location and quantities of all significant inventors of the hazardous chemicals;
   (c) A description of the processes of storage as involving the hazardous chemicals, the maximum amount of such a hazardous chemical in the given process or storage and an indication of the conditions under which it is normally held;
   (d) The maximum number of persons likely to be present on site.
9. The arrangement for training of workers and equipment necessary to ensure safety of such workers.

Schedule 8
[See Rule 10 (1)]
Information to be furnished in a Safety Report

1. The name and address of the person furnishing the information.
2. Description of the industrial activity, namely -
   (a) Site
   (b) Construction Design
   (c) Protection Zones (explosion protection, separation distances)
   (d) Accessiblity of plant
   (e) Maximum number of persons working on the site and particularly of those persons expose to the hazards.
3. Description of the processes, namely-
   (a) Technical purpose of the industrial activity.
   (b) Basic principles of the technological process
   (c) Process and safety related date for the individual process stage
   (d) Process description
   (e) Safety related types of utilities.
4. Description of the hazardous chemicals, namely-
   (a) Chemicals quantities, substance data on physical and chemical properties safety-related data on explosive limits, flash-point, thermal stability, toxicological data and threshold limit values, lethal concentrations).
   (b) The form in which the chemicals may occur or into which they may be transformed in the events of abnormal conditions.
   (c) The degree of purity of the hazardous chemical
5. Information on the preliminary hazard Analysis namely-
   (a) Type of accident
   (b) System elements or foreseen events that can leads to a major accident
   (c) Hazards
   (d) Safety-relavent components.
6. Description of safety-relevent units, among others-
   (a) Special design criteria
   (b) Controls and alarms
   (c) Pressure relief systems
   (d) quick-acting valves
   (e) collecting tanks/dump tanks
   (f) fire protection.
7. Information on the hazard assessment, namely-

(a) Identification of hazards
(b) The causes of major accidents
(c) Asessment of hazards according to their occurrence, frequency.
(d) Asessment of accident concequences.
(e) Safety systems
(f) Known accident history

8. Description of information on organisational system used to carry on industrial activity safely, namely:-
   (a) Maintenance and inspection schedules.
   (b) Guidlines for the training of personal.
   (c) Allocation and deligation of responsibility for plant, namely-
   (d) Implementation of safety procedures.
9. Information on assessment of the consequences of major accidents, namely-
   (a) Assessment of possible release of hazardous chemicals or energy.
   (b) Possible dispersion of released chemicals
   (c) Assessment of the effect of the releases (size of the effected area, health, effects, property damage)
10. Information on the mitiagation of major accidents namely-
   (a) Fire brigade
   (b) Alarm systems
   (c) Emergency plant containing system of organisation used to flight the emergency, alarm and the communication routes, guidelines for fighting the emergency, examples of possible accident equences.
   (d) Coordination with the District Collector or the District Emergency Authority and its off-site emergency plan.
   (e) Notification of the nature and scope of the hazard in the event of an accident.
   (f) Antidotes in the event of a release of hazardous chemicals.

व्यापार कर विभाग में पंजीयन के आवेदन–प्रपत्र

U. P. TRADE TAX RULES, 1948

FORM I

(To be retained in the Treasury)

(See Rule 50 of the U. P. Trade Tax Rules, 1948)

Challan No. _____ Treasury/Sub-Treasury _____ at _____
Challan of cash paid into the State/Reserve Bank of India at _____

To be filled in by the remitter. To be filled in by the Departmental Officer or the Treasury

By whom Name of tendered designation and address of the person on whose behalf money is paid.	Full Particulars of remittance and of authority (if any)	Amount	Head of Account	Order to the Bank
	040-Trade Tax	Rs. P.	040-Trade Tax	Correct Received and grant Receipt
	A) Receipts under the Central Sales Tax Act.		A) Receipts under the Central Sales Tax Act.	
	B) Receipt under the State Trade Tax Act:		B) Receipt under the State Trade Tax Act:	
	(1) Tax Collection.		(1) Tax Collection.	
	(2) Surcharge		(2) Surcharge	
	(3) Licence and registration		(3) Licence and registration	Signature and full designation of the Officer
	(4) Other receipts ordering the		(4) Other receipts	
	(5) Deduct-Refunds. paid in.		(5) Deduct-Refunds. money to be.	

(In words) Rupees_____To be used only in case of remittance to Bank through and officer of the Government.

Received payment (in words) _____Date_____ Rupees _____

Treasurer. Accountant Treasury Officer Agent

Notes: 1) In the case of payments at the Treasury receipts for sums less than Rs. 500/- do not require the signature of the Treasury Officer but only of the Accountant and the Treasurer.

2) Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Particulars				Amount Rs.	P.
Coins	.....	.....	.....	.....	.....
Notes (with details)	.....	.....	.....	.....	.....
Cheque (with details)	.....	.....	.....	.....	.....
				Total ---.....	

FORM I

(To be retained in the Treasury)

(See Rule 50 of the U. P. Trade Tax Rules, 1948)

Challan No. _____ Treasury/Sub-Treasury _____ at _____
Challan of cash paid into the State/Reserve Bank of India at _____

To be filled in by the remitter. To be filled in by the Departmental Officer or the Treasury

By whom Name of tendered designation and address of the person on whose behalf money is paid.	Full Particulars of remittance and of authority (if any)	Amount	Head of Account	Order to the Bank
	040-Trade Tax	Rs. P.	040-Trade Tax	Correct Received and grant Receipt
	A) Receipts under the Central Sales Tax Act.		A) Receipts under the Central Sales Tax Act.	
	B) Receipt under the State Trade Tax Act:		B) Receipt under the State Trade Tax Act:	
	(1) Tax Collection.		(1) Tax Collection.	
	(2) Surcharge		(2) Surcharge	
	(3) Licence and registration		(3) Licence and registration	Signature and full designation of the Officer
	(4) Other receipts ordering the		(4) Other receipts	
	(5) Deduct-Refunds. paid in.		(5) Deduct-Refunds. money to be.	

(In words) Rupees_____To be used only in case of remittance to Bank through and officer of the Government.

Received payment (in words) _____Date_____ Rupees _____

Treasurer. Accountant Treasury Officer Agent

Notes: 1) In the case of payments at the Treasury receipts for sums less than Rs. 500/- do not require the signature of the Treasury Officer but only of the Accountant and the Treasurer.

2) Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Particulars				Amount Rs.	P.
Coins	.....	.....	.....	.....	.....
Notes (with details)	.....	.....	.....	.....	.....
Cheque (with details)	.....	.....	.....	.....	.....
				Total ---.....	

U. P. TRADE TAX RULES, 1948
FORM I

(C)

(To be submitted by the dealer to the T.T.O. with the return or with the application)
(See Rule 50 of the U. P. Trade Tax Rules, 1948)

Challan No. _____ Treasury/Sub-Treasury _____ at _____
Challan of cash paid into the State/Reserve Bank of India at _____

To be filled in by the remitter. To be filled in by the Departmental Officer or the Treasury

By whom Name of tendered designation and address of the person on whose behalf money is paid.	Full Particulars of remittance and of authority (if any)	Amount	Head of Account	Order to the Bank
	040-Trade Tax	Rs. P.	040-Trade Tax	Correct Received and grant Receipt
	A) Receipts under the Central Sales Tax Act.		A) Receipts under the Central Sales Tax Act.	
	B) Receipt under the State Trade Tax Act:		B) Receipt under the State Trade Tax Act:	
	(1) Tax Collection.		(1) Tax Collection.	
	(2) Surcharge		(2) Surcharge	
	(3) Licence and registration		(3) Licence and registration	Signature and full designation of the Officer
	(4) Other receipts ordering the		(4) Other receipts	
	(5) Deduct-Refunds. paid in.		(5) Deduct-Refunds. money to be.	

(In words) Rupees_____To be used only in case of remittance to Bank through and officer of the Government.
Received payment (in words) _____Date_____ Rupees _____

Treasurer. Accountant Treasury Officer Agent

Notes: 1) In the case of payments at the Treasury receipts for sums less than Rs. 500/- do not require the signature of the Treasury Officer but only of the Accountant and the Treasurer.

2) Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Particulars	Amount Rs.	P.
Coins	.....	.....
Notes (with details)	.....	.....
Cheque (with details)	.....	.....
Total ---	.....	

U. P. TRADE TAX RULES, 1948

FORM I

(To be retained by the dealer)

(See Rule 50 of the U. P. Trade Tax Rules, 1948)

Challan No. _____ Treasury/Sub-Treasury _____ at _____
Challan of cash paid into the State/Reserve Bank of India at _____

To be filled in by the remitter. To be filled in by the Departmental Officer or the Treasury

By whom Name of tendered designation and address of the person on whose behalf money is paid.	Full Particulars of remittance and of authority (if any)	Amount	Head of Account	Order to the Bank
	040-Trade Tax	Rs. P.	040-Trade Tax	Correct Received and grant Receipt
	A) Receipts under the Central Sales Tax Act.		A) Receipts under the Central Sales Tax Act.	
	B) Receipt under the State Trade Tax Act:		B) Receipt under the State Trade Tax Act:	
	(1) Tax Collection.		(1) Tax Collection.	
	(2) Surcharge		(2) Surcharge	
	(3) Licence and registration		(3) Licence and registration	Signature and full designation of the Officer
	(4) Other receipts ordering the		(4) Other receipts	
	(5) Deduct-Refunds. paid in.		(5) Deduct-Refunds. money to be.	

(In words) Rupees_____To be used only in case of remittance to Bank through and officer of the Government.

Received payment (in words) _____Date_____ Rupees _____

Treasurer. Accountant Treasury Officer Agent

Notes: 1) In the case of payments at the Treasury receipts for sums less than Rs. 500/- do not require the signature of the Treasury Officer but only of the Accountant and the Treasurer.

2) Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Particulars	Amount Rs.	P.
Coins	.....	.....
Notes (with details)	.....	.....
Cheque (with details)	.....	.....
Total ---	.....	

FORM II [ ] **, FORM III** [ ]

FORMS
FORM XIV

(See Rule 50 of the U. P. Trade Tax Rules, 1948)

Application for Registration/Renewal of registration under Section 8-A of the U.P. Trade Tax Act, 1948.

To,

The Trade Tax Officer
_____Circle.

I,_____ull name), son of _____ _____(full name), Proprietor/Partner of the Firm/Karata of the Hindu Joint Family/Managing Director/Director authorised by the Board of Directors of the Limited Company/President or Secretary of the Society/Club or Association/Head of the Office or Officer duly authorised by the Head of the Office of the _____ Department of the Central or the State Government-Dealer/Principal Officer or Officer duly authorised by the Principal Officer or the authority or the Body carrying on the business under the name and style of Sarvasri_____ the principal place of business whereof is situated at_____(Complete address with House No., Name of the road, street, market etc.), P. O._____Tehsil_____District_____ _____ within your jurisdiction, hereby apply for registration/renewal of registration under section 8-A of the U.P. Trade Tax Act, 1948 for the year_____of the aforesaid principal place of business and all other places of business including depots and branches mentioned below. I furnish the following particulars for that purposes.

1. Name and Address of all other places of business including depots and branches except the principal place of business.
   i) _____
   ii) _____
   iii) _____
2. Status of the dealer (write here individual/ Hindu Joint Family/ Firm/ Corporation/ Limited Company/ Society/ Club/ Association/Government Department, etc., as the case
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____

may be).

3. Nature of business :
   (a) Wholesale or retail; _____
   (b) Producer, manufacturer, processor or importer; _____
   (c) Purchasing or selling commission agent. _____
4. Date of commencement of business in respect of which this application is made. _____
5. Complete list and location of ware houses, godowns, factories and work shops, etc. _____

Complete address with House No. Name of Road, Street, Village, Town, Post Office, Tahsil, District etc.	Name and complete address (with the same details as in col. 2 of the owner of premises mentioned in col. 2	Remarks

6. Complete address of the Head Office, if situated outside U.P _____
7. Particulars of the goods in which the business is carried on. _____

	IN OWN ACCOUNT		IN THE CAPACITY OF A	
	After Purchase	After manufacture/ Processing/ Production etc.	Purchasing commission Agent	Selling Commission Agent
(a) Inside U. P.				
(b) In the course of Inter-State Trade				
(c) In the course of export out of India.				

8. Details of particulars of Proprietor/Partners/Members and Kara of the Hindu Joint Family/other persons having interest in business (to be furnished in Form "A").
9. Total amount of investment actually made in the business _____

10. Particulars of business other than those mentioned above in this application in which the proprietor/Partners/Members and Karta of the Hindu Joint Family/President, Secretary and Members of the Club, Society or Association at prsent have or previously had any interest including those business of which liability to pay tax ceased after the business for which this application is being made was started or joined by them (to be furnished in Form "B").
11. Particulars of all immovable properties owned by or in which the proprietor/Partners of the firm/Members and Karta of the Hindu Joint Family/Members of the Society, Club or Association have any interest (not to be furnished in the case of a Limited Company).

Name of Persons having interest in business	Description of properties owned or in which the person named in Col. has any interest	Location of properties (house no., Khata No., Khasra No., Road, Mohalla, village, town, P.O., tehsil, district, etc.)	Nature and extent of interest held in the property	Estimated value of such interest

12. (i) Name of books of accounts ordinarily maintained _____
    (ii) Complete address of places where books of account are/will be ordinarily kept for : _____
    _____
    (a) The year for which this application is being made :_____
    (b) Its immediately preceding assessment year : _____
    (c) Other years _____
13. For purposes of accounts my/our accounting year runs from_____
14. Language and script in which accounts are maintained _____
15. Particulars of the banks through which transactions are ordinarily carried on or with whom account is maintained.
    (i) Name of the bank (s)_____
    (ii) Name in which account(s) opened_____
    (iii) Nature of account (s) _____
16. Likely turnover of the assessment year for which the registration is sought_____
17. Treasury Challan No._____ Dated_____ Cheque No. _____ Dated_____on the_____(Name of the banks) for Rs. 10 or Rs. 15 or Rs. 20 on account of registration fee/penalty is enclosed.

Enclosures :- As above.

VERIFICATION

I do hereby declare that the particulars furnished in this application are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Place _____ Signature of the Applicant_____

Status in relation to the dealer _____

Dated _____ Permanent Address _____

_____

ATTESTING WITNESS

Signature _____

Name _____

Parentage_____

Full Address _____ _____

_____

(To be given only in respect of a partnership firm).

I/We parnter (s) of the aforesaid firm do hereby declare that I/We have read the above particulars and hereby certify that they are correct and complete to the best of my/our knowledge and belief and that no material particulars have been suppressed.

Signature of Partners

1. _____
2._____
3._____

Note :

1. Strike out in the above whichever is not applicable.
2. Attestation of the signature of the applicant to be done by a lawyer or a person known to the Trade Tax Officer.
3. Attestation of the signature in this form will *mutatis mutandis* carry the same meaning as in section 3 of the Transfer of Property Act.

U. P. TRADE TAX RULES, 1948

FORM A

(See item 8 of Form XIV)

Sl. No.	Name of the person having interest in the business	Age	Father/ Husband Name	Present address (complete with house no. road, mohalla, village, P.O., Town, district etc.)	Permanent address (with details as in col. 5)	Nature and extent of interest	Signature of the persons mentaioned in co. 2	Signature and address of witness attesting signatures of the persons mentioned in column 2			
								Signature	Name	Parentage	Address with complete details as in co. 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Note : (1) Attestation of signatures to be done by a lawyer or by a person known to the Trade Tax Officer.

(2) Attestation of signatures in this Form will carry the same meaning as in section 3 of the Transfer of Property Act.

(3) Not to be furnished in the case of a Limited Company.

FORM B

(See item 10 of Form XIV)

Sl. No.	Name of the person having interest in the business	Name and style of the principal place of business in which the person named in col. 2 has/ had any interest.	Full address of the principal place of business named in col. 3	Nature and extent of interest of the person named in col. 2	Date of closure of cessatin of liability to pay tax, if any, of the business named in col. 2	U.P. Trade Tax Registration No., if any	Nature of business commodities dealt in.	Whether wholseller, retailer, manufacturer arhti etc.	Gross turnover in the last Assessment year.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Year_____

Turnover_____

Note : Not to be furnished in the case of a Limited Company.

FORMS
FORM XVIII

[See sub-rule (1) of Rule 25-A]

Application for Recognition Certificate under sub-section (2) of section 4-B of the U. P. Trade Tax Act, 1948.

To,

The Trade Tax Officer
_____Circle.

I,_____son/daughter/wife of _____ _____ on behalf of the dealer carrying on the business known as _____ in the State of U.P. hereby apply for a certificate of recognition under sub-section (2) of section 4-B of the U. P. Trade Tax Act, 1948, and furnish the following particulars for the purpose :

1. Status or relationship withe the dealer of the person making the application (e.g. manager, partner, proprietor, director, officer in-charge of the Government business etc.) _____
2. Name and full address of the principal place of business in the State of U. P. _____
3. Name(s) and full address (es) of the other place (s) of business in U.P. _____
4. Particulars of registration certificate issued under the U.P. Trade Tax Act and Central Sales Tax Act. _____
5. Particulars of the proprietor(s), all persons having any interest in the business in the form on reverse. _____
6. Description of notified goods in respect of which Recognition Certificate is sought. _____
7. The date on which the manufacture of the notified goods was started. _____

8. Name (s) of goods or classes of goods required for use as Raw material for manufacture of the notified goods mentioned in column 6. _____
_____
_____
_____
_____

Certified that the above particulars are true to the best of my knowledge and belief.

Name of the Applicant in full _____
Signature _____
Status in relation to the Dealer _____
Witness (Name) _____
_____
Full Address _____
_____

Dated _____20_____.

Attestation of the signature of the applicant to be made by a lawyer or by a person known to the Trade Tax Officer.

Sl. No.	Name in Full	Father's/ Husband's Name	Age	Extent of interest in the business	Present address	Permanent Address	Signature	Signature and address of witness attesting signature in Col. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9

FORMS

The Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957

FORM A

(See item 8 of Form XIV)

Application for registration under section 7(1)/7(2) of the Central Sales Tax Act, 1956

To,

I,_____son of _____ _____ on behalf of the dealer carrying on the business known as _____ in the State of U.P. hereby apply for a certificate of registration under section 7(1)/7(2) of Central Sales Tax Act, 1956, and give the following particulars for this purpose :-

1. Name of the person deemed to be the Manager in relation to the business of the dealer in the said State _____ _____
2. Status or relationship of the person who make this application (e.g. manager, partner, proprietor, director, officer-in-charge of the Government business). _____ _____ _____
3. Name of the principal place of business in the said State and Address thereof _____ _____
4. Name(s) of the other place (s) in the said State in which business is carried on and address of every such place _____ _____ _____
5. Complete list of the warehouses in the said State in which the goods relating to the business are were housed and address of every such ware house. _____ _____ _____ _____
6. List of the places of business in each of the other States together with the address of every such place (if separate application for registration has been made, or separate registration obtained under the Central Sales Tax Act, 1956, in respect of any such place of business particulars thereof should be given in details). _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
7. The Business is :-
   Wholly _____mainly_____
   partly _____ Partly _____ Partly_____
8. Particulars relating to the registration, licence, permission, etc. issued under any law for the time being in force, of the dealer. _____ _____ _____
9. We are member of : _____
10. We keep our account in Language and Script. _____
11. Name(s) and Address (es) of the proprietor of the business/partner of the business/all persons having any interest in the business together with their age, father's name, etc. _____ _____ _____

Sl. No	Name in Ful	Father's/ Husband's Name	Age	Extent of interest in the business	Present Address	Permanent Address	Signature	Signature and address of witness attesting signature in Col. B
1	2	3		4	5	6	7	8

12. Business in respect of which this application is made, was first started on _____
_____

13. The first sale in the course of inter-State trade was effected on _____
_____

14. We observe the_____calender and for purposes of accounts our year runs from the (English date) _____day of_____(Indian date) _____day of _____ to the (English date/Indian date)_____ day of _____.

15. We make up our accounts of sales to date at the end of every month/quarter/half-yearly/year _____
_____

*16. The following goods or classes of goods are puchased by the dealer in the course of inter State trade or commerce for :

(a) Resale _____

(b) Use in the manufacture or processing of goods for sale _____

(c) Use in mining _____

(d) Use in the generation or distribution of electricity or any other form of power _____

e) Use in the packing of goods for sale/resale _____

17. We manufacture, process, or extract in mining the following classes of goods or generate or distribute the following form of power, namely :- _____

18. The above statements are true to the best of my knowledge and belief _____
_____

Name of the Applicant in full _____
Signature _____
Status in relation to the Dealer _____
_____

Dated _____20_____.

Strike out portion or paragraph whichever is not applicable.
* Here name the goods or classes of goods against each category.

व्यापार–कर अधिनियम की धारा–8ए के अन्तर्गत इच्छुक निर्माताओं द्वारा अनन्तिम पंजीयन प्राप्त करने हेतु व्यापारी द्वारा दिये जाने वाले प्रार्थना पत्र के संलग्नकों की चेकलिस्ट

1. व्यापार–कर अधिनियम की धारा–8ए (1) के अन्तर्गत निर्धारित फार्म – 14 में पूर्ण रूप से भरी सूचनाओं के साथ निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र
   - (क) किसी फर्म की स्थिति में, स्वामी या भागीदार या
   - (ख) अविभाजित हिन्दू परिवार की स्थिति में, कर्ता या
   - (ग) किसी लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में, प्रबन्ध संचालक या संचालक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत संचालक, या
   - (घ) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग की स्थिति में, कार्यालय के अध्यक्ष या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी,

     या
   - (ङ) किसी अन्य स्थिति में, स्वयं व्यापारी या, यथास्थिति, प्राधिकरण या निकाय का मुख्य अधिकारी या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो)
2. उक्त प्रार्थना पत्र के साथ, यथास्थिति, स्वामी या फर्म के प्रत्येक व्यस्क पुरूष भागीदार या अविभाजित हिन्दू परिवार के प्रत्येक व्यस्क पुरूष सहदायिक का, किसी वकील या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार के फोटो की प्रतियाँ।
3. पार्टनर शिप फर्म की स्थिति में रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड की सत्यापित प्रति।
4. प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में आर्टिकिल ऑफ एसोसियेशन/मेमोरेन्डम ऑफ एसोसियेशन की सत्यापित प्रतिलिपि।
5. समय–समय पर कम्पनी के सम्बन्ध में हुये परिवर्तनों का सामूहिक विवरण, यदि कोई हो, दिये जाये।
6. व्यापार–कर अधिनियम की धारा–8ए (1) (डी) के अनुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क की धनराशि रू0 100/– का राजकीय कोषागार में चालान द्वारा जमा का प्रमाण–पत्र।
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति।
8. अनुमानित पूँजी निवेश का विवरणः–
   - (क) भूमि/भवन में पूंजी निवेश।
   - (ख) प्लान्ट/मशीनरी में पूंजी निवेश।
   - (ग) प्रारम्भिक उत्पादन प्रारम्भ करने में रा मैटीरियल की खरीद में पूंजी निवेश। (प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार/सी0 ए0 के द्वारा प्रमाणित प्रति)
9. भूमि व भवन का कब्जा प्राप्त हो जाने का प्रमाण पत्र की प्रति।
10. फर्म से सम्बन्धित मालिक/सीझीदारों/डायरेक्टर/कर्ता के नामों की सूची जिसपर उनके नाम के आगे आयकर का परमानेन्ट एकाउन्ट नम्बर अंकित हो तथा उसके हस्ताक्षर हो।

उत्तरांचल व्यापार कर एक्ट, 1948 की धारा–8ख (2) के अधीन मान्यता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना–पत्र व संलग्नकों की चेक लिस्ट

1. व्यापार–कर अधिनियम के नियम–25क (1) निर्धारित पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रार्थना–पत्र रूप पत्र–18 में निम्न प्रकार हस्ताक्षरितः–
   - (क) किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, स्वामी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे ऐसे स्वामी की ओर से यथोचित प्राधिकार हो;
   - (ख) किसी फर्म द्वारा व्यापार किये जाने की दशा में उसके साझीदार द्वारा;
   - (ग) किसी अविभाजित हिन्दू परिवार द्वारा व्यापार किये जाने की दशा में परिवार के कर्त्ता या व्यवस्थापक द्वारा;
   - (घ) किसी निगमित निकाय जिसके अन्तर्गत कोई कम्पनी, कोई सहकारी समिति, कोई निगम या कोई स्थानीय प्राधिकारी भी है, द्वारा व्यापार किये जाने की दशा में, संचालक, व्यवस्थापक, सचिव या उसके मुख्य अधिकारी द्वारा, या उसकी ओर से कार्य करने के लिये यथा विधि प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा;
   - (ङ) व्यक्तियों के ऐसे संघ द्वारा जिस पर खण्ड (ख), (ग) या (घ) लागू न होता हो, व्यापार किये जाने की दशा में, मुख्य अधिकारी या व्यापार की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति द्वारा;
   - (च) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा व्यापार किये जाने की दशा में, उसकी ओर से कार्य करने के लिये यथाविधि, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा और उसका सत्यापन उक्त प्रपत्र में व्यवस्थित रीति से किया जायेगा;
2. व्यापार कर अधिकारी को प्रार्थना–पत्र दिये जाने की रसीद की सत्यापित फोटो प्रति जिससे कि नियम–25क (5) के अनुसार मान्यता प्रमाण पत्र की प्रभावी तिथि निर्धारित हो सकें।
3. नियम–25क (3) के अनुसार रूपया 100/– (एक सौ मात्र) के चालान द्वारा राजकीय कोषागार में जमा का प्रमाण–पत्र।
4. व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र का सत्यापित फोटो प्रति (प्रार्थना–पत्र के बिन्दु–4 के अनुसार)।
5. विज्ञापित माल का ब्योरा जिसके लिये मान्यता प्रमाण लिया जा रहा हो (प्रार्थना–पत्र के बिन्दु–6 में तथा धारा–4ख (2) के अनुसार)।
6. विज्ञापित माल के निर्माण के लिये कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त माल का नाम (प्रार्थना–पत्र के बिन्दु–8 तथा धारा–4(ख) (2)(ए) के अनुसार कच्चा माल, पैकिंग मैटीरियल आदि)।

एस0 टी0 फार्म संख्या 64
केन्द्रीय बिक्री–कर (पंजीयन तथा विक्रय–जन)
(नियम 1957)

रूप पत्र–ए
(नियम 3 देखिये)
केन्द्रीय बिक्री–कर अधिनियम, 1956 की धारा 7 (1)/(2) के अधीन पंजीयन के लिए प्रार्थना

सेवा में,

व्यापार–कर अधिकारी,

मैं.....श्री..... का पुत्र..... ..... के नाम से उत्तरांचल में कार–बार करने वाले व्यापारी की ओर से केन्द्रीय बिक्री–कर अधिनियम, 1956 की धारा 7 (1)/(2) 'के अधीन पंजीयन के प्रभाग–पत्र के लिए प्रार्थना करता हूँ और इसके लिए नीचे लिखे विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

1. उत्तरांचल में व्यापार के प्रबन्धक का नाम .....
2. प्रार्थी की हैसियत या व्यापार से सम्बन्ध (उदाहरणाथ प्रबन्धक, साझीदार, मालिक, निदेशक (डाइरेक्टर) सरकारी व्यापार का प्रधान अधिकारी) ....
3. उत्तरांचल में व्यापार का मुख्य स्थान और उसका पता ....
4. उत्तरांचल में व्यापार का/के अन्य स्थान और उसका पता/उनके पते ....
5. उत्तरांचल में उन गोदामों की पूरी सूची, जहाँ व्यापार से सम्बन्धित माल रखे जाते हैं और ऐसे प्रत्येक गोदाम का पता .....
6. दूसरे राज्यों में व्यापार के स्थान और उन सबके पते (यदि इनमें से किसी व्यापार के स्थान के लिये केन्द्रीय बिक्री–कर अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीयन के लिये अलग प्रार्थना की है या पंजीयन प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है, तो उसका विस्तृत विवरण दीजिये) ....
7. व्यापार इस प्रकार हैः–
   पूर्णतः .....
   मुख्यतः .....
   अंशतः .....
   अंशतः .....
   अंशतः .....

* यहां जिस नाम और उपाधि से व्यापार होता है, उसे लिखिये।

** यहां लिखिये कि व्यापार पूर्णतया कृषि उद्यानों, निर्माण–कार्य, थोक बिक्री, फरीज बिक्री आदि से सम्बन्धित है या उनमें से दो या अधिक मिले हुए हैं।

8. व्यापारी को किसी प्रचलित कानून के अन्दर दिए गए पंजीयन, लाइसेन्स, अनुमति–पत्र आदि के विवरण
   .....
   .....

9. हम .....नामक कम्पनी/सोसाइटी के, जो कम्पनी ऐक्ट/.....ऐक्ट के अधीन संगठित है; सदस्य हैं।

10. हम अपना हिसाब–किताब ..... भाषा में तथा .. ..में रखते हैं।

11. कार–बार के स्वामी/साझीदारों के कार–बार में किसी प्रकार का हक रहने वाले सभी व्यक्तियों के नाम और पते तथा उनकी आयु, पिता के नाम इत्यादि संलग्न विवरण–पत्र में दिये गये हैं।

12. जिस कार–बार के बारे में यह आवेदन–पत्र दिया गया है, तारीख.....को पहिले पहल शुरू हुआ था।

13. अन्तराज्यीय व्यापार के सिलसिले में पहली बिक्री (तारीख) .....को हुई थी।

14. हम लोग .....पंचाग को मानते हैं और हिसाब–किताब के लिए हमारा साल अंग्रेजी तारीख..... से .... तक तदानुसार देशी तिथि ..... से ..... तक चलता है।

15. हम अपनी बिक्री का जोड़ प्रति मास/तीन मास पर/छः मास पर/वर्ष पर लगाते है।

16. व्यापारी अन्तर्राज्यीय व्यापार/या वाणिज्य के सिलसिले में निम्नलिखित माल या मालों की श्रेणिया खरीदता हैः–

(क) उसी दशा में बिक्री के लिये ....

(ख) मालों के निर्माण या उत्पादन में/प्रयोग करने के लिए ....

(ग) कार्यो के काम में प्रयोग करने के लिए ....

(घ) बिजली या किसी दूसरी प्रकार की शक्ति के उत्पादन या वितरण में प्रयोग करने के लिए ....

(ड) बिक्री/दुबारा बिक्री के लिए माल का सम्बन्ध (पैकिंग) में उपयोग के लिए ....

17. हम नीचे लिखे माल को बनाते/पैदा करते/खानों से निकालते या निम्न प्रकार की शक्ति का उत्पादन या वितरण करते हैं

18. मैं घोषित करता हूं कि कहां तक मेरी जानकारी और मेरा विश्वास है ऊपर लिखी गई तथा संबद्ध विवरण–पत्र में दी गई सभी बाते सत्य हैं।

प्रार्थी का पूर्ण नाम .....
हस्ताक्षर .....
व्यापारी से सम्बन्धित स्थिति (हैसियत) .....

*** (क) से (ख) तक हर प्रकार के माल या मालों की श्रेणी का नाम लिखिये।

उत्तरांचल ऊर्जा निगम

से

विद्युत संयोजन/विद्युत भार स्वीकृति हेतु आवेदन–प्रपत्र

अस्थाई विद्युत संयोजनों को स्वीकृत करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती हैः–

1. आवेदनकर्ता से सादे कागज पर प्रार्थना–पत्र लिया जाता है और उस आवेदन पत्र पर उपखण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ता की संस्तुति होती है और तदुपरान्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा छः माह तक के अस्थाई विद्युत संयोजन स्वीकृत किया जाता है। छः माह से ऊपर की अवधि के लिए स्वीकृति हेतु उपमहाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (वि) को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित कर दिया जाता है।

2. एक सप्ताह तक की अवधि के लिए 10 कि0 वा0 तक की स्वीकृति उपखण्ड अधिकारी द्वारा की जाती है।

3. आवेदनकर्त्ता से सम्बन्धित अभिलेख भी प्राप्त किये जाते हैं।

4. आवेदनकर्त्ता से स्वीकृत विद्युत भार का बी0 एण्ड0 एल0 फार्म भी लिया जाता है।

5. आवेदनकर्त्ता से न्यूनतम दर के आधार पर प्रति कि0वा0/ प्रतिमाह के अनुसार जमानत धनराशि ली जाती है और अन्तिम विद्युत बीजक बनाते समय जमानत धनराशि को उपभोक्ता के बीजक में समायोजित किया जाता है।
   इसके अतिरिक्त आवेदनकर्ता से रू0 200/– प्रति आवेदन–पत्र की दर से प्रकमण शुल्क भी लिया जाता है।

स्थायी विद्युत भार की स्वीकृति हेतु प्रारूप, दिशा–निर्देश एवं चैक लिस्ट की सूचना, जोकि उपभोक्ता द्वारा विद्युत भार स्वीकृति हेतु आवश्यक है, जो कि निम्न प्रकार हैः–

1.	घरेलू/अघरेलू/ वाणिज्य विद्युत भार स्वीकृति हेतु/ एवं व्यवसायिक/ औद्योगिक एवं कृषि कार्य हेतु	परिशिष्ट–1 पर आवेदन–पत्र का प्रारूप
2.	विद्युत भार स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्रों पर प्रकरण शुल्क (प्रोसेसिंग फीस)	परिशिष्ट–2 पर दिये गये विवरणानुसार
3.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, देहरादून के द्वारा विद्युत भारों की स्वीकृति हेतु समितियां गठन एवं दिशा निर्देशों का कार्यालय ज्ञापन सं. 929 उपाकालि/ कांम/ई–1 दिनांक 30–11–02	परिशिष्ट–3
4.	उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में विद्युत भार संयोजन हेतु प्रार्थनापत्र देते समय तकनीकी उपयुक्ता उपखण्ड अधिकारी/अवर अभियंता द्वारा सुनिश्चित करनी पड़ती है।	

5. विद्युत भार हेतु अन्य वांछित प्रपत्र
   - **(i)** विद्युत भार स्वीकृति हेतु लघु उद्योग द्वारा प्रोविजनल पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति
   - **(ii)** उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति
   - **(iii)** भू–उपयोग अनुमति प्रपत्र की प्रति

परिशिष्ट–1

विद्युत विवरण खण्ड (ग्रामीण), उत्तरांचल विद्युत परिषद, देहरादून
व्यवसायिक, औद्योगिक एवं कृषि कार्यों हेतु बिजली के लिए आवेदन–पत्र

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण), उ0वि0प0
देहरादून ।

महोदय,

मुझे/हमें भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के तहत धारा टप् अनुसूचित के अनुसार जो कि परिसर मेरे हमारे अधीन है एवं जो आपके विद्युत वितरण क्षेत्र में हैं/मुझे/हमें विद्युत संयोजन आवश्यक मीटर किराया क्रय भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 26 के अनुसार लगाकर चाहिये/मैं/हम विद्युत लगाने का खर्च तथा प्रतिभूति राशि जो कुछ भी प्रकाश व पंखा विद्युत संयोजन हेतु जरूरी हो, जमा कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

2. प्रार्थी का पूरा नाम.....आयु.....
पिता का नाम.....पेशा/पद.....
पूरा पता.....
.....
परिसर की श्रेणी.....मकान नं0 अथवा परिसर का नाम .....
सड़क.....पोल नं0 के पास.....
क्षेत्र..... ग्राम/ताल्लुका/शहर.....
.....अपना/भाडे का.....

3. मेरी हमारी विद्युत आवश्यकताये निम्न हैंः–

	विधा (प्रोसेस)	कुल भार (एच0 पी0 में)
(अ) कृषि कार्य		
(ब) व्यवसायिक		
(स) औद्योगिक		

4. अतिरिक्त बिजली की मांग .....

5. वायरिंग का प्रकार.....

6. वायरिंग का कार्य श्री.....पता.....
..... द्वारा किया जायेगा।

7. विद्युत संयोजन की श्रेणी सिंगल फेस/ट्रिपल फेस.....

8. समीपस्थ विद्युत पोल से दूरी .....

दिनांक .....

प्रार्थी

हस्ताक्षर.....
पूरा पता .....
.....

Application Form of New Electricity Connection
For Industrial Use Only

1. Applicant's Name & Address _____
2. Name of Proposed unit with address for Correspondence _____
3. Type of Unit/Firm (Viz. : Ownership/ Partnership/ Private Ltd./ Public Ltd./ Society/ Govt. Deptt./ Govt. Undertaking _____
4. Site Address of proposed Unit / Firm (Where Electricity Connection is desired) _____
   (a) Building / Plot / Industrial Unit No. _____
   (b) Locality/Industrial Estate or Are of Sector Post Office _____
   Distt _____ Pin Code _____
5. Name of Institution Developing Industrial Premises (e.g. UPSIDC / Self / Industrial Deptt. etc) _____
6. Possession Letter or No. Objection Certificate issued by the Institution (Copy enclosed) No. _____ Dt. _____
7. Size Plot / Shed
8. Required Electricity Load for New Connection _____HP / KVA
9. Required Additional Electricity Load
   (i) Present sanctioned load No. & date of sanction _____HP / KVA
   (ii) Required additional load _____HP / KVA
   (iii) Present Electricity Supply Voltage _____Volts
   (iv) Whether existing supply is through an independent feeder ? Yes _____ No _____
10. Whether the above unit ever operated at some other place ? If yes, address of that place and details of Electricity connection: _____
    (a) Sanctioned Load KVA
    (b) Service Connection No. _____
    (c) Arrears of Payment (if any) _____
    _____
11. If there existed in the past any Electricity connection in the premises where connection is being requested, if yes, details of Electricity Connection :
    (a) Name of Unit _____
    (b) Service Connection No. _____

	(c) Arrears of payment (if any)	_____
12.	Purpose or process for which Electricity load is required	_____
13.	Nature of Process	Contionous / Non-Continuous
14.	(a) Registration No. form Deptt. of Industries U. P. Govt.	_____
	(b) No Objection Certificate number with date form Pollution Control Board (Copy to be enclosed)	_____
15.	Name of the Agency financing the Unit UPFC/ PICUP/ Banks/Self.	_____
16.	Proposed date from which production is likely to start	_____
17.	Is there any other industrial unit operating in the vicinity of applicant. If yes, please give name & address.	_____
18.	Place, Voltage Ratio & Capacity of the nearest Electricity Sub Station and its distance from the unit.	_____
19.	Name of Electricity Distribution Division/Office of UPSEB in whose jurisdiction the unit shall fall.	Urban Distribution Division_____

Dated: Signature of Applicant

Office Seal / Designation

DECLARATION

I/We hereby declare that all the information give by me/us above are correct to the best of my knowledge and belief and no facts have been concealed by me / us :

I/We also declare and agree that in case any of the above information is found to be false, U.P. State Electricity Board shall have the right to deny electricity connection at the above premises or disconnect electricity connection even if given on the basis of the above information

Place Signature

Dated: Name of Consumer / Applicant

उत्तरांचल विद्युत परिषद, देहरादून द्वारा अनुमोदित प्रकमण शुल्क

संख्या : 5053/मु0अ0/रेस्पो/प्रकमण शुल्क

विषयः– विद्युत भार स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्रों पर प्रकमण शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) किया जाना।

1. **समस्त आंचलिक मुख्य अभियन्ता (वितरण), उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड।**
2. **समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता (वितरण), उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड।**
3. **महाप्रबन्धक केसा, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड।**
4. **मुख्य स्थानीय अभियन्ता, लेस उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड।**
5. **समस्त अक्षीक्षण अभियन्ता (वितरण), उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड।**
6. **समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण), उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड।**

इस कार्यालय के पत्र संख्या – 889–मुख्य अभियन्ता/रेस्पो/प्रकमण शुल्क दिनांक 24.11.95 का अतिक्रमण करते हुए दिनांक 01.04.97 तथा उसके उपरान्त विद्युत भार घटाने/बढ़ाने तथा नई स्वीकृतियों हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों पर उनके साथ नीचे दर्शायी गयी दरों के अनुसार प्रकमण शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) लिया जायेगा।

	विवरण	प्रकमण शुल्क की दरें प्रार्थना पत्र (रु0)
1.	**बत्ती एवं पंखा**	
	(अ) 2 किलो वाट तक	50/–
	(ब) 2 किलो वाट से अधिक किन्तु 4 किलो वाट तक	125/–
	(स) 4 किलोवाट से अधिक	150/–
2.	**निजी नलकूप**	125/–
3.	**वाणिज्यिक भार**	200/–
4.	**औद्योगिक भार**	
	(अ) 10 के0वी0ए0 तक	250/–
	(ब) 10 से 100 के0वी0ए0 तक	400/–
	(स) 100 से 1000 के0वी0ए0	600/–
	(द) 1000 के0वी0ए0 से अधिक	3000/–

1. विद्युत भार घटाने/बढ़ाने के प्रार्थना पत्रों पर उपरोक्त प्रकमण शुल्क विद्युत भार की श्रेणी के अनुसार केवल घटने/बढ़ने वाले भार पर ही आंकलित किया जायेगा।
2. प्रकमण शुल्क नान–रिफन्डेबल एवं नान एडजस्टेबल होगा।
3. संयोजन देने की अन्य शर्तों व नियम यथावत रहेगी।
4. प्रकमण शुल्क लेने के कारण प्रार्थना पत्रों के साथ अर्नेस्ट मनी न लेने का प्राप्तिकर यथावत रहेगा।

Uttaranchal Power Corporation Ltd.
उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड

कार्यालय – ज्ञाप

उत्तरांचल राज्य में नये उद्योगों को त्वरित गति से विद्युत भार की स्वीकृति प्रदान के लिए इस विषयक पूर्व में लागू आदेशों का अतिक्रमण करते हुए उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड अधोलिखित समितियां गठन करने का निर्णय लिया गया है:–

(अ) खण्डीय समिति (250 अश्व शक्ति या 220 के0वी0ए0 तक के मामलें)

1)	अधिशासी अभियन्ता, सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड / नगरीय विद्युत वितरण खण्ड	अध्यक्ष / संयोजक
2)	अधिशासी अभियन्ता (पारेषण), (सम्बन्धित जनपद के) सम्बन्धित जनपद में अधिशासी अभियन्ता (पारेषण) का मुख्यालय न होने की स्थिति में उनके द्वारा नागित उपखण्ड अधिकारी (पारेषण)	सदस्य
3)	खण्डीय लेखाकार (सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड / विद्युत नगरीय वितरण खण्ड)	सदस्य

ब) मण्डलीय समिति (220 के0वी0ए0 से अधिक एवं 1000 के0वी0ए0 तक के मामलें)

1)	उपमहाप्रबन्धक संबधित विद्युत वितरण मण्डल / नगरीय विद्युत वितरण मण्डल	अध्यक्ष / संयोजक
2)	उपमहाप्रबन्धक (पारेषण) (संबधित क्षेत्र में)	सदस्य
3)	मण्डल में तैनात लेखाधिकारी या उप मुख्य लेखाधिकारी द्वारा नामित लेखाधिकारी	सदस्य

स) क्षेत्रीय समिति (1000 के0वी0ए0 से अधिक के सभी मामलें)

1)	महाप्रबन्धक (वितरण)	अध्यक्ष / संयोजक
2)	उस क्षेत्र के उपमहाप्रबन्धक (पारेषण)	सदस्य
3)	सम्बन्धित क्षेत्र का उप मुख्य लेखाधिकारी	सदस्य

उक्त समितियों के अधिकारी प्रत्येक शुक्रवार को मण्डल / जिला स्तरीय उद्योग बन्धु से प्रार्थना–पत्र प्राप्त कर अगले शुक्रवार तक प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण कर स्वीकृति अथव अस्वीकृति की मण्डल / जिला उद्योग बन्धु को उपलब्ध करायेगें। उद्यमियों द्वारा 250 अश्व शक्ति के भार के आये पत्र जिला उद्योग बन्धु एवं इससे अधिक भार के आवेदन पत्र मण्डलीय उद्योग बन्धु से जायेंगे। समिति के गठन सम्बन्धी

आदेश समितियों के अध्यक्ष/संयोजक द्वारा निर्मत किये। जिसकी सूचना उत्तरांचल पावर कारपोरेशन मुख्यालय का भी दी जायेगी।

उक्त समितियां विद्युत भार स्वीकृत करते समय तकनीकी उपयुक्ता (Technical Feasibility) सुनिश्चित करेगीं एवं अन्य व्यवस्थाऐं व प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी।

(अशोक राजन अग्रवाल)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक –उपाकालि/कॉम/ई–1 दिनांक : .....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1) निदेशक (परिचालन/मानव संसाधन), उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि., ऊर्जा भवन, देहरादून ।
2) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के विशेष सहायक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि., ऊर्जा भवन, देहरादून।
3) महाप्रबन्धक (वितरण), गढ़वाल क्षेत्र/पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि., देहरादून ।
4) सभी उपमहाप्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि.।
5) सभी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि।
6) कट–फाईल।

कार्यालय – ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञापन संख्या–929–उपाकालि/काम/ई–1, दिनांक 30/11/2002 द्वारा खण्ड/मण्डल तथा क्षेत्र स्तर पर गठित समितियों को निम्न सीमा तक औद्योगिक भार स्वीकृत करने हेतु अधिकृत किया गया था।

1.	खण्डीय समिति	250 अ0श0/220 केवीए/177 किलोवाट
2.	मंडलीय समिति	220 केवीए/177 केवीए से अधिक 1000 केवीए/850 केवीए तक
3.	क्षेत्रीय समिति	1000 केवीए/850 केवीए से अधिक के समस्त प्रकरण

घरेलू/अघरेलू/वार्णिज्यिक विद्युत भारों की स्वीकृति हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेशों की अतिक्रमण करते हुये उक्त समितियों को इन भारों की उपरोक्त सीमा तक स्वीकृति हेतु भी तत्काल प्रभाव से अधिकृत किया जाता है।

ए0 आर0 अग्रवाल,
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।

वन विभाग के अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन–प्रपत्र

वन–विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु

चेक–लिस्ट

1. आवेदन–पत्र (आरा मशीन के लाइसेंस हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप संलग्न है।)

   अन्य उद्योगों हेतु आवेदन–पत्र में आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम व पता स्पष्ट रूप से दिया जाय।

2. प्रस्तावित उद्योग हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध होने का प्रमाण व भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि।

3. उद्योग हेतु विद्युत व्यवस्था/अन्य शक्ति व्यवस्था उपलब्ध होने या आवेदक का उसे उपलब्ध करने में सक्षम होने का प्रमाण–पत्र।

4. उद्योग हेतु प्रतिवर्ष वनाधारित कच्चे माल की प्रजातिवार आवश्यकता (घ.मी.) एवं उसका विवरण।

5. उद्योग हेतु कच्चा माल प्राप्त होने में आवेदक के सक्षम होने का तथा कच्चा माल प्राप्त करने के लिये वैध स्रोतों का विवरण।

6. यदि कच्चा माल विदेशों से प्राप्त किया जाना है तो आयात करने सम्बन्धी अकाट्य प्रमाण–पत्र।

7. उद्योग को लगाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

नोटः– वर्तमान में आरा मशीनों के नये लाइसेंस जारी करने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत रोक लगी है।

उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून

समस्त महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
उत्तरांचल।

विषयः–रिट याचिका संख्या 202/1995 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 29.10.2002

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 4–10/2002–एस0 यू0 दिनांक 2–12–2002 से याचिका संख्या 202/1995–टी0 एन0 गौंडावर्मन बनाम भारत संघ में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 29–10–2002 को निम्न प्रकार से उद्धृत करते हुये, आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है।

"No State or Union Territory shall permit any unlicensed saw-mills, venner, plywood industry to poperate and they are directed to close all such unlicensed unit forthwith. No state Government or Union Territory will permit the opening of any saw-mills, venner or plywood industry without prior permission of the Central Empowered Committee. The Chief Secretary of each State will ensure strict compliance of this direction. There shall also be no relaxation of rules with regard to the grant of licence without previous concurrence of the Central Empowered Committee.

It shall be open to apply to this Court for relaxation and or appropriate modification or orders qua plantations or grant of licences."

आपसे कहना है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा यदि आपके पास उद्योग के पंजीयन के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होते भी हैं, तो ऐसे प्रकरणों को तभी संज्ञान में लिया जाए, जबकि मामलों को वन विभाग के माध्यम से सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत कर, उन पर प्रदेश सरकार को सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी की पूर्वानुमति प्राप्त हो जाए।

पुनीत कंसल
अपर निदेशक, उद्योग।

पृ.सं. /उक्त/ तद्दिनांकितः

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, उत्तरांचल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त आदेशों के प्रभावी अनुपालन हेतु अपने स्तर से भी प्रदेश के सभी प्रभागीय वनाधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

पुनीत कंसल
अपर निदेशक, उद्योग।

वन–विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन–पत्र

सेवा में,

प्रभागीय वन अधिकारी
वन प्रभाग,
.....

विषयः– आरा मिल लगाने/स्थापित करने के लिए आवेदन–पत्र

1. आवेदक का नाम और पूरा पता
2. स्थान का नाम जहाँ आरा मिल लगाया जायेगा
3. क्या आरा मिल के लिये अपेक्षित मशीनरी और विद्युत शक्ति आदि उपलब्ध हैं ?
4. प्रस्तावित मिल की उत्पादन क्षमता
5. जिला मजिस्ट्रेट का अनापत्ति प्रमाण–पत्र
6. अन्य ब्योरा, यदि कोई हो ।

स्थलः
दिनांकः आवेदक के हस्ताक्षर

नोटः– वर्तमान में मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत नई आरा मशीनों के लाइसेन्स जारी करने पर रोक लगी है।

अनुसूची–दो

इमारती लकड़ी को काटने या परिवर्तित करने के लिये आरा मिल प्रापित करने, लगाने और चलाने के लिये लाईसेंस का प्रपत्र

इमारती लकड़ी को परिवर्तित करने/काटने के लिये स्थान.....(कारबार–स्थान का पूरा पता) में आरा मिल स्थापित करने/लगाने/चलाने के लिये श्री..... आत्मज.....निवासी..... .....(पूरा पता) (जिस आगे लाईसेंसधारी कहा है) को उत्तरांचल में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय धन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) और इसके अधीन बनाये गये नियमों क उपबन्धों के अधीन रहते हुये और निम्नलिखित शर्तों पर एतद्द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, अर्थात ....

शर्तें

1. .....यह लाईसेंस.....को प्रारम्भ होकर और .....को समाप्त होने वाली अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगा।
2. लाईसेंसधारी इमारती लकड़ी को परिवर्तित करने/काटने के लिये..... .....(कारबार–स्थान का पूरा पता उल्लिखित कीजियें) में आरा मिल स्थापित करेगा/लगायेगा या वर्तमान मिल चलायेगा।
3. लाइसेंसधारी सम्बद्ध प्रभागीय वन अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना आरा मिल का स्थान नहीं बदलेगा।
4. लाइसेंसधारी ऐसा रजिस्टर और अभिलेख रखेगा और ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगा जैसा प्रभागीय वन अधिकारी लिखित रूप से निर्देश दें और अपेक्षा किये जाने पर वन विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी वर्ग के सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिये उन्हें प्रस्तुत करेगा।
5. लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि .....
   1) आरा मिल का स्थल जिसमें गोल इमारती लकड़ी, चिरी हुई इमारती लकड़ी और क्षेप्य लकडी के संग्रह के लिये प्रांगण भी सम्मिलित है, समुचित फाटकों से युक्त बाड़ से घिरा है।
   2) समस्त गोल इमारती लकड़ी, चिरी हुई इमारती लकड़ी और क्षेप्य लकड़ी का समुचित संग्रह प्रभागीय वन अधिकारी का उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कर्मचारी वर्ग द्वारा समय–समय पर दिये गये अनुदेशों के अनुसार किया जाये।
   3) चीरने या परिवर्तित करने के लिये इमारती लकड़ी को तब तक स्वीकार न किया जाये जब तक उस पर सम्पत्ति चिन्ह न लगे हों और वह वन पारगमन–पत्र या अन्य दस्तावेजो साक्ष्य, यथा इमारती लकड़ी के सौदागार या उसके किसी अन्य विक्रेता की रसीद के अन्तर्गत न आता हो।
   4) ऐसी इमारती लकड़ी को जो उपर्युक्त शर्त 5 (3) की अपेक्षाओं के अनुरूप न हो, परिवर्तित करने के लिये स्वीकार न किया जाये और ऐसी इमारती लकड़ी के सम्बन्ध में लिखित सूचना वन विभाग के किसी उपलभ्य कर्मचारी या निकटतम वन अधिकारी को तुरन्त दी जाये।
   5) आरा मिल तथा आरा मिल की भू–गृहादि में संग्रहीत इमारती लकड़ी वन विभाग के किसी अधिकारी को या इस प्रयोजन के लिये नियुक्त वन विभाग के कर्मचारी वर्ग के किसी सदस्य या पुलिस उप निरीक्षक के पद से अनिम्न किसी पुलिस अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा निरीक्षण के लिये सभी समय सुलभ हो।
   6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित किसी प्राधिकारी द्वारा मांग करने पर लाइसेंस और समस्त सुसंगत अभिलेख परीक्षण के लिये प्रस्तुत किये जाये।
   7) लाइसेंस अन्तरणीय होगा और जहां से इसे अन्तरित किया जाये। यहां अन्तरक सम्बद्ध प्रभागीय वन अधिकारी को ऐसे अन्तरण की सूचना तुरन्त देगा और अन्तरिती उसमें विनिर्दिष्ट अवधि तक लाइसेंस धारण करेगा।

दिनांक..... **प्रभागीय वन अधिकारी के हस्ताक्षर**

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 5 उद्योग/491–22–2–2005–1,000 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्या 353/औ0वि0–1/उद्योग/2004–05

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव एवं अवस्थापना विकास आयुक्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन,
समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल,
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास विभाग **दिनांक : 26 अगस्त, 2004**

विषयः औद्योगिक नीति, 2003 के अन्तर्गत ''एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता'' व्यवस्था का क्रियान्वयन।

महोदय,

औद्योगिक विकास में तीव्र गति लाने के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने तथा उद्यमियों के बहुमूल्य समय का सदुपयोग उत्पादन वृद्धि हेतु केन्द्रित किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश की औद्योगिक नीति, 2003 के अन्तर्गत **''एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता''** व्यवस्था का प्राविधान किया गया है।

2–**''एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता''** व्यवस्था का उद्देश्य उद्योगों हेतु विभिन्न विभागों से वांछित अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनापत्तियों एवं अनुज्ञा–पत्रों इत्यादि के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एवं आवेदन–पत्र तथा इनका निस्तारण एक ही स्थान पर केन्द्रीय तथा समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराना है, ताकि निवेशकों हेतु मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार किया जा सके तथा वांछित स्वीकृतियां समयबद्ध रूप से जारी की जा सकें।

3–**''एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता''** व्यवस्था के प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व जिला स्तर पर जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका तटस्थ सम्पर्क माध्यम की न होकर उक्त व्यवस्था के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रो–एक्टिव होगी। राज्य स्तर पर यह उत्तरदायित्व निदेशक उद्योग/सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तरांचल का होगा।

4–**''एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता''** व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

(1) औद्योगिक इकाई स्थपित करने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों से वांछित अनुमोदनों/अनापत्तियों/अनुज्ञा इत्यादि प्राप्त करने होते हैं, जिसमें से कुछ इकाई की स्थापना के पूर्व तथा कुछ इकाई की स्थापना के उपरान्त परन्तु उत्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व वांछित होते हैं। इनको आवश्यकतानुसार प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:–

प्रथम चरण में (इकाई की स्थापना से पूर्व)

1. लघु उद्योग का प्रस्तावित पंजीकरण
2. भूमि आवंटन, औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू उपयोग की अनुमति/प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योग की स्थापना की अनुमति
3. प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण–पत्र
4. कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत भवन मानचित्र अनुमोदन
4. निर्माण हेतु विद्युत संयोजन/ विघुत भारत स्वीकृति
6. व्यापार कर पंजीयन
7. वन विभाग की अनुमति/लाइसेंस हेतु अनापत्ति

द्वितीय चरण में (इकाई की स्थापना के पश्चात्)

1. लघु उद्योग का स्थायी पंजीकरण
2. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति–पत्र

3. फैक्ट्री एक्ट में पंजीकरण
4. कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन
5. दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पंजीकरण
6. ड्रग/कास्मेटिक अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञा/अनापत्ति आवेदन
7. अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति
8. प्रोत्साहन सहायताएं (पंजीकरण तथा आवेदन–प्रपत्र)

(2) उद्योग स्थापना से पूर्व तथा उद्योग स्थापना के पश्चात् वांछित अनुमोदनों, अनापत्तियों तथा अनुज्ञा इत्यादि के लिए सम्बन्धित विभागों के निर्धारित आवेदन–प्रपत्रों तथा अनुदेशों को संकलित रूप से जिला उद्योग केन्द्रों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था उद्योग निदेशालय द्वारा की जायेगी।

(3) सभी विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि उक्त व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन हेतु 15 दिन में राज्य एवं जनपद स्तर पर तथा जहां क्षेत्रीय अधिकारी हों, उनके स्तर पर अपने विभाग से सम्बन्धित नोडल अधिकारी का नाम व पता, दूरभाष संख्या, फैक्स आदि का विवरण उद्योग निदेशक/सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तरांचल को उपलब्ध करा देंगे।

5–उद्यमी उक्त समस्त विभागों के आवेदन–प्रपत्र, जो आवश्यक हों, पूर्ण रूपेण भरकर, अनुलग्नकों के साथ वांछित प्रक्रियानुसार शुल्क भुगतान करते हुए सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में प्रत्येक कार्य–दिवस में जमा कर सकेंगे। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर उसी समय या तत्काल यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदन–पत्र पूर्ण–रूपेण भरा हुआ है तथा चैक लिस्ट के अनुसार प्रपत्र संलग्न हैं। जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, ऊधमसिंह नगर तथा नैनीताल से सम्बन्धित उद्यमियों को माह में प्रत्येक शुक्रवार को तथा अन्य शेष जनपदों से सम्बन्धित उद्यमियों को माह में प्रथम व अन्तिम शुक्रवार को प्रकरण पर कार्यवाही एवं प्रगति की जानकारी हेतु सम्पर्क करने को कहा जायेगा।

6–महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उद्यमियों से प्राप्त आवेदन–पत्रों को सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरणों/निगमों को तत्काल प्रेषित कर उनसे पावती प्राप्त कर लेंगे। सम्बन्धित विभाग प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विश्लेषण करके यह चैक करेंगे कि उक्त आवेदन–पत्र पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित संलग्नकों एवं शुल्क के साथ प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं। यदि आवेदन–पत्र में कोई कमी है, तो सम्बन्धित विभाग उसको लिखित रूप से इकाई तथा महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को तीन दिन के भीतर सूचित करेंगे।

7–उद्यमियों से प्राप्त आवेदन–पत्रों के परीक्षण के लिए सम्बन्धित विभाग अपने विभाग के ऐसे स्तर के अधिकारी को, जिन्हें विभाग से सम्बन्धित नियमों, प्रक्रियाओं एवं औपचारिकताओं आदि की समुचित जानकरी हो, को आवेदन–पत्रों पर कार्यवाही के लिए नामित कर उसकी सूचना महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे ताकि मामले के निस्तारण के सम्बन्ध में सूचना एवं प्रगति की जानकारी के आदान–प्रदान में सुगमता व सीधा संवाद सम्बन्धित अधिकारी से रहे।

8–प्राप्त आवेदन–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में सूचना एवं प्रगति समीक्षा हेतु जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, ऊधमसिंह नगर तथा नैनीताल के जिला उद्योग केन्द्रों में प्रत्येक शुक्रवार को जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक अन्य विभागों के नामित अधिकारियों के साथ प्रातः 11 से 2 बजे तक उपस्थित रहेंगे, ताकि उद्यमियों के सम्पर्क करने पर उनसे सीधा संवाद कर प्रकरण के निस्तारण में सुगमता एवं शीघ्रता से कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। अन्य जनपदों में माह में प्रथम शुक्रवार तथा अन्तिम शुक्रवार को इस प्रकार की बैठक का आयोजन किया जायेगा। शुक्रवार को अवकाश की दशा में आगामी कार्यदिवस में बैठक आयोजित की जायेगी। प्राप्त/संदर्भित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में सूचना एवं प्रगति की जानकारी सम्बन्धित विभाग महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रत्येक सप्ताह बैठक से पूर्व बृहस्पतिवार तक उपलब्ध करा देंगे।

9–प्रत्येक विभाग आवेदन–पत्रों के सम्बन्ध में निस्तारण हेतु निर्धारित समय–सारिणी **(परिशिष्ट–1)** के अन्तर्गत ही महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को अपने निर्णय की लिखित सूचना उपलब्ध करा देंगे। समय–सीमा की गणना पूर्ण आवेदन–पत्र प्राप्त होने तथा तद्नुसार पावती जारी होने के दिनांक से की जायेगी।

10–यदि इस प्रकार से पूर्ण आवेदन–पत्र की प्राप्ति के उपरान्त किसी विभाग से निर्धारित समय–सारिणी के अन्तर्गत उस विभाग का निर्णय महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्राप्त नहीं होता है तो

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उक्त आवेदन–पत्र पर **स्वतः स्वीकृत** (डीम्ड एप्रूवल) लिखकर हस्ताक्षर करके उद्यमी को निर्गत करेंगे तथा इस प्रकार से उद्यमी को स्वीकृति प्रदत्त मानी जायेगी। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र प्रत्येक **'स्वतः स्वीकृत'** के केस को जिलाधिकारी को सूचित करेंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभाग से समय–सारिणी के अन्तर्गत निर्णय प्राप्त न होने के कारणों की जांच कर जिम्मेदारी निश्चित करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही हेतु संस्तुति सक्षम विभागीय अधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी तथा इसकी सूचना औद्योगिक विकास विभाग को दी जायेगी।

11–**''एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता''** व्यवस्था के क्रियान्वयन का अनुश्रवण प्रत्येक माह जिला स्तर पर **''जिला उद्योग मित्र''** द्वारा तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा तथा मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा। जिला उद्योग केन्द्र इस सम्बन्ध में मिनी सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

12–100 प्रतिशत निर्यातोमुखी परियोजनायें, अप्रवासी भारतीय उद्यमियों की परियोजनायें, मैगा एवं सुपर मैगा परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यवाही एवं वांछित स्वीकृतियों से सम्बन्धित प्रकरणों पर अनुश्रवण कर निर्णय राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा लिया जायेगा।

13–जनपद स्तर पर उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण, उनके साथ सतत् संवाद एवं परामर्श, नये उद्योगों एवं उद्यमियों के प्रस्तावों पर दिशा–निर्देश जिला स्तर पर जिला उद्योग मित्र द्वारा निर्णित किये जायेंगे। जिल समस्याओं का निराकरण राज्य स्तर पर किया जाना है, के निराकरण, उद्यमियों से सतत् संवाद एवं परामर्श, औद्योगिक विकास से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार एवं निर्णय का दायित्व राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उद्योग मित्र का होगा।

14–**''एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता''** व्यवस्था तत्काल प्रभावी हो जायेगी तथा इसका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का सार्वभौमिक उत्तरदायित्व समस्त विभागाध्यक्षों का होगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 353/उपरोक्त तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), सचिवालय, उत्तरांचल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे उत्तरांचल वैबसाइट में प्रसारित करने का कष्ट करें।
3. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल (SIDCUL), देहरादून।
4. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, समस्त विकास प्राधिकरण तथा निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थायें, उत्तरांचल।
5. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरांचल।
6. अध्यक्ष, कुमायूं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, काशीपुर/इण्डियन इण्डस्ट्रीज एशोसियेशन, देहरादून/कन्फडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज, देहरादून/उत्तरांचल इण्डस्ट्रीज एशोसियेशन, देहरादून।

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
औद्योगिक विकास।

परिशिष्ट–1

विभिन्न विभागों द्वारा उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली स्वीकृतियों/अनापत्तियों/लाईसेंस इत्यादि के निर्णय के लिए अधिकतम समय–सीमा का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र. सं.	विभाग	अधिकतम समय–सीमा
1	2	3
1.	**उद्योग विभाग**	
	(क) लघु उद्योगों का अस्थायी पंजीकरण जारी करना, जिसमें 220 प्रकार के अप्रदूषणकारी लघु उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करना निहित है।	उसी दिन (Same day)
	(ख) लघु उद्योगों का स्थायी पंजीकरण, जिसमें 220 प्रकार के प्रदूषणकारी लघु उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण सहमति–पत्र निर्गत करना निहित है। औद्योगिक इकाईयों के प्रदूषण नियंत्रण सहमति आवेदन–पत्र जिला उद्योग केन्द्र से बोर्ड को हस्तगत कराकर उनसे पावती प्राप्त करने के उपरान्त उक्त प्रकार के लघु उद्योगों के स्थायी पंजीकरण प्रमाण–पत्र में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रदूषण नियंत्रण सहमति भी सन्निहित की जायेगी।	एक माह
2.	**उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम**	
	(क) निर्माण कार्य हेतु विद्युत भार की स्वीकृति	पन्द्रह दिन
	(ख) स्थायी विद्युत भार की स्वीकृति	एक माह
3.	**उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि./ उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि./ उद्योग विभाग, उत्तरांचल**	
	औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों में भूमि/शेड का आवंटन	एक माह
4.	**उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**	
	(क) अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करना–	
	(1) पदूषणकारी उद्योगों हेतु	चार माह
	(2) 220 प्रकार के अप्रदूषणकारी लघु उद्योगों के अतिरिक्त उद्योगों हेतु	एक माह
	(ख) कन्सेण्ट प्रदान करना	
	(1) प्रदूषणकारी उद्योगों हेतु	चार माह
	(2) 220 प्रकार के अप्रदूषणकारी लघु उद्योगों के अतिरिक्त उद्योगों हेतु	प्रार्थना–पत्र पावती ही सहमति है
	(3) अधिक प्रदूषणकारी उद्योगों के अतिरिक्त मध्यम एवं वृहत उद्योगों हेतु	एक माह
नोट–हैजार्डस प्रकृति के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों हेतु स्वतः स्वीकृति का नियम लागू नहीं होगा।		
5.	**व्यापार कर विभाग**	
	(क) अस्थायी व्यापार कर पंजीकरण	तीन दिन
	(ख) स्थायी व्यापार कर पंजीकरण	एक माह

6.	**श्रम विभाग**	
	(क) कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कारखाना भवनों के निर्माण/कारखाने के रूप में प्रयोग से पूर्व स्वीकृति	
	(1) नॉन–हैजार्डस उद्योगों हेतु	एक माह
	(2) हैलार्डस एवं मेजर हैजार्डस उद्योगों हेतु	दो माह
	(ख) कारखाना अधिनियम में पंजीकरण/लाइसेंस	
	(1) नॉन–हैजार्डस उद्योगों हेतु	एक माह
	(2) हैलार्डस एवं मेजर हैजार्डस उद्योगों हेतु	दो माह
	(ग) दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पंजीकरण	एक माह
7.	**अग्नि शमन विभाग**	
	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति	एक माह
8.	**राजस्व विभाग**	
	(क) धारा 143 के अन्तर्गत भूमि को गैर–कृषि योग्य घोषित करना	एक माह परन्तु स्वतः स्वीकृति का नियम लागू नहीं होगा
	(ख) उत्तरांचल जमींदारी उन्मूलन एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही	15 दिन
	(ग) निजी/संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/आस्थान की स्थापना के लिये औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय की अनुमति तथा सीलिंग ऐक्ट से छूट	एक माह परन्तु स्वतः स्वीकृति का नियम लागू नहीं होगा
9.	**खाद्य विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना**	10 दिन
10.	**एच0एस0डी0 भण्डारण/विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ भण्डारण हेतु जिलाधिकारी स्तर पर अनुमति/अनापत्ति**	एक माह परन्तु स्वतः स्वीकृति का नियम लागू नहीं होगा
11.	**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग**	
	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री निर्माण लाइसेंस (स्थापना के उपरान्त)	दो माह
12.	**राज्य आबकारी विभाग**	
	(क) राज्य आबकारी विभाग	एक माह
	(ख) आबकारी लाइसेंस	एक माह
13.	**वन विभाग**	
	वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र (वनाधारित कुछ उद्योगों हेतु)	एक माह
14.	**विकास प्राधिकरण/ नगर निगम/ नगरपालिका/ टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया/ सिडकुल द्वारा कारखाना भवन मानचित्र का अनुमोदन**	एक माह

2–दून घाटी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी, 1989 द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्यवाही वांछित होगी।

भवदीय,

एम. रामचन्द्रन,

अपर मुख्य सचिव।

लघु उद्योग
के
स्थायी पंजीकरण
हेतु
आवेदन–प्रपत्र

GOVERNMENT OF UTTARANCHAL
DIRECTORATE OF INDUSTRIES
APPLICATION FORM FOR PERMANENT REGISTRATION AS SMALL SCALE INDUSTIRES

प्रपत्र / FORM

1. अनन्तिम पंजीकरण संख्या / Provisional Registration No.

2. निर्गम की तिथि / Date of Issue

3. उत्पादन आरम्भ होने की तिथि / Date of Commencement of Production

4. इकाई / आवेदक का नाम / Name of Unit/Applicant.

5. पत्र–व्यवहार का पता / Address for Communication.

दूरभाष
Tel.:

पिन कोड
Pin Code

6. इकाई की श्रेणीः
Category of Unit:

लद्यु उद्योग–1 / SSI-1, सहायक उद्योग–2 / ANC-2, लद्यु सेवा और व्यापार उद्यम–3 / SSSBE-3, अति लद्यु–4 / TINY-4, निर्यातोन्मुखी इकाई–5 / EOU-5

7. स्थानः
Location:

स्थान / शहरः
Place/Town :

तहसील / तालुक
Tehsil/Taluk

जिला
District

राज्य
State

8. स्थान का प्रकार / Area of Loacation

ग्रामीण–1 / Rural-1 शहरी–2 / Urban-2 महानगरीय–3 / Metropolitan-3

9. संगठन का प्रकारः
Type of Organisation:
स्वामित्व–1 / Proprietory-1, भागीदारी–2 / Partnership-2, निजी कम्पनी–3 / Pvt. Company-3, सहकारी–4 / Cooperative-4, अन्य–5 / Others-5.

10. कार्यकलाप की प्रकृति / Nature of activity.
विनिर्माण / एसेम्बली (01) / Manufacturing/Assembly (01)
प्रोसेसिंग (02) / Processing (02)
जॉब कार्य (04) / Job Work (04)
मरम्मत / सेवा (08) / Repairing/Servicing (08)

11. कार्यकलाप / विनिर्माण की मुख्य मदें:
Main items of manufacture/activities:

(1) नामः
Name:
कोडः
(2) नामः
Name:
कोडः
(3) नामः
Name:
कोडः
(4) नामः
Name:
कोडः
(5) नामः
Name:
कोडः

अचल परिसम्पत्तियों में निवेश (रूपये हजारों में) / Investment in Fixed assests (Rs. in '000)

(1) भूमि / Land				
(2) भवन / Building				
(3) संयंत्र एवं मशीनरी / Plant and Machinery				
(4) अन्य अचल परिसंपत्तियां / Other fixed assets				
योगः / **TOTAL:**				

संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश / Investment in Plant and Machinery				
(प्रारम्भिक मूल्य रू0 हजारों में) / (Original value Rs. in '000)				
विवरण परिशिष्ट "ख" पर प्रस्तुत करें / (Details to be furnished at Appendix 'B')				

14. कच्चे माल की आवश्यकता
Raw Material requirement

	नाम Name	वस्तु कोड Item Code	आयतित–1 Imported-1 Indigenous-2 स्वदेशी–2		वार्षिक खपत Annual Consumption मूल्य (रू. '000 हजारों में) Value (Rs. In '000)
(i)			*		
(ii)			*		
(iii)			*		
(iv)			*		
(v)	अन्य कच्चा माल Other Raw Materials				
	कुल Total	एक से पांच (i) to (v)			

15. शक्ति के स्रोत / Source of Power
कोयला–01 / Coal-01, गैस–04 / LPG-04, तेल–02 / Oil-02, विद्युत–08 / Electricity-08, गैर पारम्परिक ऊर्जा–16 / Non-Conventional Energy-16, पारम्परिक ऊर्जा / ईंधन लकड़ी–32 / Traditional Energy/Firewood-32

14. शक्ति भार / Power Load
(1 अश्व शक्ति = 0.795 किलोवाट)
(1 H. P. = 0.795 K.W.)

अ0 श0 / H. P.		
कि0 वा0 / K.W.		

17. रोजगार / Employment: | | |

(क) प्रबंधकीय और कार्यालय कर्मचारी | | | |
(a) Managerial & Office Staff

(ख) पर्यवेक्षक एवं कामगार | | | |
(b) Supervisors and Workers

18. क्या फैक्टरी अधिनियम के अधीन पंजीकृत है ?
हां–1 नहीं–2
Whether Registration under Factories Act.
Yes-1 No-2

19. आवेदक का विवरण / Applicant's Profile

पुरूष–1 / Male-1	महिला–2 / Female-2
अनुसूचित जाति–1 / SC-1	अनुसूचित जनजाति–2 / ST-2
इंजीनियरी स्नातक–1 / Engineering Graduate-1	अन्य स्नातक–2 / Other Graduate-2
	अन्य–3 / Others-3

आवेदक के हस्ताक्षर (प्राधिकृत व्यक्ति)
Signature of Applicant (Authorised Person)

दिनांकः
Date:

स्वामी / भागीदार / प्रबन्ध निदेशक का नाम
Name of Proprietor/Partner/Managing Director

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

FOR OFFICE USE ONLY

आवेदन पत्र संख्या Application No.	एन0 आई0 सी0 कोड NIC Code

ब्लॉक कोड Block Code	जिला कोड District Code	राज्य कोड State Code

कार्यकलाप/विनिर्माण की मदों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता। हां–1 नहीं–2

Whether the items of manufacture/activity require an industrial licence Yes-1, No-2

यदि बिजली/बिजली रहित इकाई में नियोजित कामगारों की संख्या क्रमशः 50/100 से कम हो तो दिनांक 25–7–91 की लाइसेंस अधिसूचना की अनुसूची–2 में शामिल वस्तु सूची के लिए औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित नहीं है।

(No industrial licence is required for items listed in Schedule II of the licencing notification dated 25-7-91 if the unit employs less than 50/100 workers with/without power).

1. पृष्ठांकित आवेदन–प्रपत्र पंजीकरण प्रमाण–पत्र का अनिवार्य भाग है।
   The endorsed application form is a part of the certificate of registration.
2. प्रमाण–पत्र क्रम संख्या 11 और परिशिष्ट "क" में उल्लिखित कार्यकलाप/विनिर्माण की मदों के लिए वैध हैं तथा इकाई द्वारा किसी भी अन्य वस्तु के निर्माण/कार्यकलाप के लिए ही वैध है।
   The certificate is valid for the items of manufacture/activity noted at S. No. 11 and Appendix 'A' and is also valid for any other item/activity undertaken by the unit.
3. अति लघु उद्यम के रूप में श्रेणी के निर्धारण की वैधता का नवीनीकरण हर 5 वर्ष में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना है।
   Conferment of the status as a tiny enterprise is to be validated/renewed every five years as per procedure prescribed.
4. यह प्रमाण–पत्र आवेदक द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन–प्रपत्र के सम्बन्ध में पत्र के अधीन है।
   The certificate is subject to the affidavit furnish the applicant in respect of the application for registration.
5. प्रमाण–पत्र पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित किसी या सभी रूप से अधीन है।
   The certificate is subject to any or all the conditions that may be imposed by the Registering authority.
6. यदि किसी समय या पाया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा/शपथ–पत्र सत्य नहीं है या पंजीकारण प्राधिकारी द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया गया है अथवा यदि निवेश निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है तो पंजीकरण प्रमाण–पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त/रद्द किया जा सकता है।
   If at any time it is found that the declaration/affidavit furnished by the applicant is not true or in the event of violation of any of the conditions imposed by the registering authority, or if the investment exceeds the prescribed limit, the registration certificate is liable to be cancelled/quashed without any prior notice.
7. यह प्रमाण–पत्र आवेदक को काई अधिकार प्रदान/प्राद्भूत नहीं करता है और इसे किसी विधिक आवश्यकता, जो वर्तमान में किसी भी विधि के अधीन हो, में प्रमाण के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसी आवश्यकताओं/शर्तों को पूरा करने या संतुष्ट करने का दायित्व पूर्णतः आवेदन/इकाई पर है।
   This certificate does not confer or accrue any right to the applicant and cannot be treated as proof in respect of any statutory requirement or condition that may exist under any law for the time belong inforce. The onus of satisfying and fulfilling such requirements or conditons rests squarely on the applicant/unit.
8. आवेदक के अनुरोध पर संयंत्र एवं मशीनरी की सूची में आवर्धन/विलोपन और अथवा संशोधित निवेश मूल्य और अथवा इकाई के गठन या स्थान में परिवर्तन प्रमाण–पत्र के साथ परिशिष्ट में दी गई अतिरिक्त शीट पर दिया जाना चाहिए।
   Additions/deletions in the list of Plant of Machinery and the revised investment value thereof and/or any changes in the constitution or location of the unit should be made in the additional sheets appended to the certificate on the request of the applicant.

पंजीकरण प्रमाण–पत्र
CERTIFICATE OF REGISTRATION
अतिरिक्त–शीट
ADDITIONAL SHEET-1

पंजीकरण संख्या / Registration No.

निर्गम की तिथि / Date of Issue

संयंत्र एंव मशीनरी में आवर्धन / विलोपन / Addition/deletion in Plant and Machinery

क्र.सं. S. No.	मशीनरी का नाम Name of Machinery	आवर्धित / विलोपित Added/deleted	प्रारम्भिक मूल्य Original Value रूपये हजार में Rs. in '000
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

संयंत्र एंव मशीनरी में निवेश का संशोधित मूल्य (क्रम संख्या 13)
Revised value of Investment in Plant & Machinery (Rs. in'000) रूपये हजारों में

स्थान में परिवर्तन / (क्रम संख्या 7)
Change in location (S. No. 7)

संगठन के प्रकार / गठन में परिवर्तन (क्रम संख्या 9)
Change in constitution/type of organisation (S. No. 9)

दिनांक / Date

हस्ताक्षर / Signature
पंजीकरण प्राधिकारी का नाम व पदनाम /
Name & designation of Registering Authority

परिशिष्ट 'क'

Appendix 'A'

किसी संयोजन के लिए सम्बन्धित कोड जोड़ें (मूल्य रूपये हजारों में '000)

For any combination add the respective codes (Value in Rs. '000)

क्र. सं. Sl. No.	उत्पाद और गौण उत्पाद और प्रदत्त सेवाएं Product & by-products manufacture/ assemebled & service sold	उत्पाद कोड Product Code*	परिमाण की इकाई Unit of Quantity*	इकाई कोड Unit Code*	वार्षिक–क्षमता Annual Capicity परिमाण Quantity	मूल्य Value
1	2	3	4	5	6	7
01.	विनिर्माण / एसेम्बली / Manufacturing/ Assembly					
02.						
03.						
04.						
05.	अन्य उत्पाद व गौण उत्पाद संयोजित / Other prd. & by-prd. (comb)					
06.	योग (1 से 5) / Total (1 to 5)	x	x	x	x	
07.	प्रोसेसिंग / Processing					
08.						
09.						
10.	अन्य / Others (Combined)					
11.	कुल (7 से 10) / Total (7 to 10)	x	x	x	x	
12.	जॉब कार्य / Job Work		x	x	x	
13.	सेवा कार्य / Servicing		x	x	x	
14.	मरम्मत कार्य / Repairing		x	x	x	
15.	योग (12 से 14) / Total (12 to 14)	x	x	x	x	
16	सर्वयोग (6+11+15) / Grand Total (6+11+15)	x	x	x	x	

परिशिष्ट 'ख'
Appendix 'B'

संयंत्र एवं मशीनरी का विवरण

DETAILS OF PLANT AND MACHINERY

क्र.सं. Sl.No.	मशीनरी का नाम Name of the Machinery	सं. No.	आयातित–1 Imported-1 स्वदेशी–1 Indigenous-2	लागत (प्रारम्भिक मूल्य) Cost (Original value) (रूपये हजारों में) Rs. in '000
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
12.				

लघु उद्योग के रूप में स्थायी पंजीकरण हेतु शपथ–पत्र
AFFIDAVIT FOR PERMANENT REGISTRATION AS
SMALL SCALE INDUSTRIES
प्रपत्र/**FORMAT**

मैं/हम.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/विधवा.....
.....निवासी.....
.....निम्नानुसार एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूँ/करते हैं :

I/We_____son/daughter/wife/widow* of _____ resident of _____ do hereby solemnly affirm and declare as under :

1. कि मैंने/हमने लघु उद्योग/सहायक उद्योग/अति लघु उद्योग निर्यातोन्मुखी इकाई/लघु सेवा एवं व्यापार उद्यम के रूप में इकाई के स्थायी पंजीकरण हेतु दिनांक..... को आवेदन प्रस्तुत किया है।
   That I/we have submitted and application dated_____ for permanent registration of the unit as small scale/ancillary/tiny/export oriented unit/Small Scale Service and Business Enterprise*.
2. कि मैं/हम इकाई का/के, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है के स्वामी/भागीदार/प्रबंध निदेशक हूँ/हैं :
   नाम : .....
   .....
   पता .....
   .....
   .....
   that I/We am/are proprietor(s)/Partner(s)/Managing Director* of the unit whose name and address is given below:
   Name _____
   Address _____
   _____
   _____
3. कि आवेदन–पत्र में दिए गए सभी विवरण तथ्यपरक और सही हैं।
   that all particulars furnished in the application form are factual and correct.
4. कि इकाई की स्थापना इस समय लागू किसी स्थानगत प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करती है और मैंने/हमने सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्थितिगत अनुमति प्राप्त कर ली है।
   that the location of the unit does not violate any locational restrictions for the time being in force and that I/We have obtained the necessary locational clearances from the competent authority.
5. कि मैंने/हमने मौजूदा लागू विधि, नियमों और विनियमों के अधीन निर्माण/कार्यकलाप शुरू करने के लिए अपेक्षित, सांविधिक अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र/अनुमति प्राप्त कर ली है।
   that I/we have obtained all the statutory clearances/No objection Certificates/permission required to carry out the manufacture/activity under the prevalent laws, regulations and rules in force.
6. कि मैंने/हमने उक्त औद्योगिक गतिविधि शुरू करने के लिए मौजूदा लागू सम्बन्धित विधि नियमों/आदेशों के अधीन अपेक्षित आवश्यक पंजीकरण/लाईसेंस भी ले लिया है।

that I/We have also obtained the necessary registration/licence, wherever, required under the relevant laws, rules or orders, for the time being in force for carrying out the said industrial activity.

7. कि इकाई को औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है क्योकि :

(क) इकाई में बिजली प्रयोग सहित/रहित कर्मचारियों की संख्या 50/100 से कम है;

(ख) निर्माण के लिए प्रस्तावित वस्तुएं केवल लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित है;

(ग) इकाई किसी भी ऐसी वस्तु का निर्माण नहीं करती है जो अनुसूची–2 की अधिसूचना सं. एस0ओ0 477 (ई), दिनांक 25–7–1991 में सम्मिलित है तथा उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची 3 में शामिल नहीं है।

that the unit does not require an Industrial Licence because :

(a) the unit employs less than 50/100 workers with/without use of power.

(b) the items proposed to be manufactured are reserved for exclusive production in the small scale industries sector.

(c) the unit does not manufacture any item which is included in Schedule-II of notification No. S.O. 477 (E), dated 25-7-1991 and is not reserved for exclusive manufacture in the SSI sector as included in Schedule-III of the above notification.

8. कि वर्तमान अनुबंधों के अनुसार इकाई में स्थापित संयंत्र और मशीनरी का मौलिक मूल्य निवेश अति लघु/लघु उद्योग/लघु सेवा एवं व्यापार उद्यम/सहायक उद्योग/निर्यातोन्मुखी इकाईयों के लिए निर्धारित सीमा के अंतर्गत है।

that the original value of investment in plant and machinery installed at the unit is within the limits prescribed for tiny/ SSI/SSSBE/ancillary/export-oriented units as per existing provisions.

9. कि यह इकाई अधिसूचना संख्या एस0ओ0–2 ई : दिनांक 1–193 की शर्तों के अनुसार किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम का उपांग उद्योग नहीं है और इसका कोई अन्य स्वामी/नियंत्रक भी नहीं है।

that the unit is not owned or controlled or is a subsidiary of any other industrial undertaking in terms of the notification no. S.O. 2 (E), dated 1-1-93.

10. कि मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा पार कर जाने पर इसकी सूचना तीस दिन के अंदर पंजीकरण प्राधिकारी को दे देंगे और सहायक उद्योग/निर्यातोन्मुखी इकाई/अति लघु इकाई/लघु सेवा एवं व्यापार उद्यम के रूप में सम्बन्धित पृष्ठांकन हटाने या पंजीकरण निरस्त करने के लिए पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर देंगे।

that I/We undertake to inform the registering authority within 30 days of the crossing of the investment limits in plant and machinery and submit the Registration Certificate for cancellation of registration or deletion of relevant endorsements as ancillary/EOU/tiny enterprise/Small Scale Service and Business Enterprise.

11. कि मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि यदि उक्त इकाई अधिसूचना संख्या एस0ओ0 232 (ई), दिनांक2–4–91 में उल्लिखित शर्तों में से किसी भी शर्त को भविष्य की तिथि में पूरा नहीं करती है या वर्तमान में लागू किसी अन्य शर्त या प्रतिबंध को नहीं मानती है अथवा निर्माण के लिए ऐसी वस्तुएं सम्मिलित कर लेती है जिसके लिए औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित है तब ऐसी स्थिति में मैं/हम लद्यु उद्योग के रूप में अपना पंजीकरण समर्पित करने के लिए उत्तरदायी हूँगा/होंगे।

that I/We understand that if at a future date the said unit does not satisfy any of the conditions laid down in the notification no. S.O. 232 (E), dt. 2-4-91, or does not comply with any of the conditions or restrictions for the time being in force, or includes for manufacture items that require an industrial licence, then in such an eventuality. I/We shall be liable and required to surrender our registration as a SSI unit.

12. कि मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि उपरोक्त पैरा 11 में उल्लिखित स्थिति हो जाने पर उद्योग निदेशालय/पंजीकरण प्राधिकारी को तुरन्त सूचना दूँगा।

that I/We undertake to inform the Directorate of Industries/Registering Authority immediately in case situation arises as mentioned at para 11 above.

13. कि मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि समय–समय पर अपेक्षित यदि कोई हो, सभी प्राचलों और परिवर्तनों की सूचना उद्योग निदेशालय/पंजीकरण प्राधिकारी को देता रहूँगा/देते रहेंगे।

that I/We undertake to inform and to keep informed the Directorate of Industries/Registering Authority on all parameters and changes, if any, as required from time to time.

14. कि मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि पंजीकरण प्राप्त करने के लिए यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचना या विवरण गलत और कपटपूर्ण पाए जाते हैं तो मैं/हम केन्द्रीय/राज्य सरकार के उपयुक्त प्राधिकारी की मांग पर लघु उद्योगों को सहायतार्थ विभिन्न योजनाओं के अधीन दिए गए सभी वित्तीय प्रोत्साहनों या लाभों को 18% ब्याज सहित केन्द्रीय या राज्य सरकार को लौटा दूँगा/देंगे।

that I/We undertake to refund to the Central or State Government any or all financial incentivies or benefits given under various schemes of assistance for small scale industries along with 18% interest, as may be demanded by the appropriate authority of Central/State Govt. in case it is found that the information or particulars submitted to obtain registration were wrong and fradulent.

15. कि मैं और हम पूर्णयता समझता हूँ/समझते हैं कि हमें उपरोक्त शर्तें का पालन करना है जिसके न करने पर पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण रद्द करने और लागू विधि और नियमों के अन्य सम्बन्धित उपबंधों के अधीन कारवाई किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

that I/We fully understand that we have to comply with the above conditions failing which we are liable for action by the Registering Authority for cancellation of the Registration as well as under other relevant provisions of the laws and rules in force.

हस्ताक्षर/Signature सत्यापन/Verification

अभिसाक्षी/Deponent

सत्यापित किया जाता है शपथ–पत्र में दी गई विषयवस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

Verified that the contents of the affidavit are true to the best of my knowledge and belief.

अभिसाक्षी/Deponent

दिनांक :/Date :

स्थान :/Place :

(*टिप्पणी) जो लागू न हो उसे काट दें।

(*Note) Strike out whichever is not applicable.

GOVERNMENT OF UTTARANCHAL
DIRECTORATE OF INDUSTRIES
Application Form of Provisional Registration for Floriculture, Poultry, Eco-Tourism
(Hotels, Resorts, Spa, Amusement/Entertainment Parks & Ropeways)
other than SSI/SSSBE
(TO BE FILLED DUPLICATE)

फार्म / **FORM**

1. प्रतिष्ठान / आवेदक का नाम / Name of Enterprise/Applicant:

2. पत्र–व्यवहार का पता / Address for Communication:

3. दूरभाषः / Tel.: पिन कोडः / Pin Code:

4. इकाई की श्रेणी
Category of Unit: ……

5. प्रस्तावित कार्य स्थलः / Proposed Location:

6. संगठन का प्रकार :
Type of Organisation:
स्वामित्व–1 / Proprietory-1, भागीदारी–2 / Partnership-2, निजी कम्पनी–3 / Pvt. Company-3, सहकारी–4 / Cooperative-4, अन्य–5 / Others-5.

7. कार्यकलाप की प्रकृति / Nature of Activity:

8. अचल परिसम्पत्तियों में निवेश (रुपये हजारों में) / Investment in Fixed assests (Rs. in '000)

1. भूमि / Land

2. भवन / Building

3. साधन एवं सहायक उपकरण / Equipement and Accessary

4. अन्य अचल परिसम्पत्तियों / Other fixed assests

योगः / Total:

9. विद्युत भार / Power Load in HP/KW

10. प्रस्तावित रोजगार / Proposed Employment:
(क) प्रबन्धकीय एवं पर्यवेक्षक / Managerial and Supervisors
(ख) निपुण कर्मकार / Skilled Worker
(ग) अकुशल कर्मकर / Unskilled Worker.

11. कार्य आरम्भ करने की प्रस्तावित तिथिः
Proposed date of commencement of Activity/commercial operation:

आवेदक के हस्ताक्षर (प्राधिकृत व्यक्ति)
Signature of Applicant (Authorised Person)

दिनांकः
Date:

स्वामी / भागीदार / प्रबन्ध निदेशक का नाम
Name of Proprietor/Partner/Managing Director

Declaration

I/We hereby affirm the following

1. that I/We have obtained all the statutory clearances/No Objection Certificates/permission required to carry out the business/activity under the prevalent laws, regulations and rules in force.
2. that I/We have also obtained the necessary registration/licence, wherever required, under the relevant laws, rules or orders, for the time being in force, for carrying out the said industrial activity.
3. I/We declare that all information given in this form is true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Place :
Date :

Signature of Applicant (Authorised Person)

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
से
सहमति–पत्र
हेतु
आवेदन–प्रपत्र

Uttaranchal Environment Protection and Pollution Control Board, Dehradun

CONSENT SEEKING FORM

FORM 1-A (Air)

[See Air Rule 4 (i)]

(To be submitted in triplicate)

APPLICATION FOR CONSENT FOR EMISSIONS/CONTINUATION OF EMISSION UNDER SECTION 21 OF THE AIR (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981

From _____ Date :_____

_____

_____

To,
The Member-Secretary,
Uttaranchal Environment Protection & Pollution Control Board,
E-115, Nehru Colony, Dehradun

Sir,

I/We hereby apply for consent to establish/operate/renewal of consent under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act No. 14 of 1981) as amended up to date to make emission from Industrial Plant owned by (1)_____for a period up to (2)_____.

2. The Annexure, appendices, other particulars and plans are attached herewith in triplicate.
3. I/We further declare that the information furnished in the Annexure/appendices, and plans is correct to the best of my/our knowledge.
4. I/We hereby submit that in case of a change either of the point or the quantity of emission or of its quality, a fresh application for CONSENT shall be made and until such consent is granted, no change shall be made.
5. I/We hereby agree to submit to the Board, application for renewal of Consent one month in advance of the date of expiry of the consent period.
6. I/We undertake to furnish any other information within one month of its being called for by the Board.
7. I/We also undertake that we will maintain ambient air quality around our site & plant more trees.

Your Faithfully,
Signature _____
Name of Applicant _____
Address of Applicant _____
_____

Accompaniments :

(i) Application Form
(ii) Index/Site Plan
(iii) Topographical Map;
(iv) Detailed layout plan of different processes and point sources of emissions and position of stacks and chimneys.
(v) Process flow sheet.
(vi) Latest Analysis Report
(vii) Details of Air Pollution Control devices provided or proposed to be provided
(viii) Ambient air quality report, if available
(ix) Draft No._____Dated_____of Rs._____ drawn_____as consent fee.

Uttaranchal Environment Protection and Pollution Control Board, Dehradun
ANNEXURE TO APPLICATION FORM 1-A (Air)

APPLICATION FORM

Chimney
Existing
New
Altered

NOTE: Any applicant knowingly giving incorrect information or suppressing any information pertaining there to shall be liable to an action under the provisions of the Act.

While filling up this annexure, the applicnat shall in respect of such of the items as do not pertain to his activity state 'not applicable' and shall not leave blank.

---

1. Full name of the applicant with address

   Tel. No. _____
   Fax No. _____

   (a) Is the firm registered ?
   (b) If yes, give the number and date of registration and the authority with whom registered.
   (c) Full Address of the registered Office
   (d) Name, designation and full address of persons like partners/ Managing Director/Manager etc.
   (e) Under which category does the industry fall, major/medium/small scale

   (1)
   (2)
   (3)
   (4)
   _____

2. Full name of the land/ premises/ Institute/ Factory/ Industry/ Local Body with address

   _____
   _____

   Tel No. _____
   Telegraphic Address _____

3. Give revenue/City Survey
   (a) No. of the land premises for which the application is made

   District _____
   Town_____
   Village _____
   City Survey No. _____
   Rev. Survey No. _____
   Area in hectares _____

4.	State month and year in which the plant was actually put into commission or is proposed to be put into commission	_____ _____ _____
5.	State the Civil/Military/Defence/ Industrial Estate etc. under whose administrative jurisdiction the occupier's industrial plant is situated Village Panchayat/Cantonment/Defence	District _____ Corporation _____ Municipality _____ Deptt. _____ Port Trust _____ State Govt. _____ Prohibited Area _____

		Central Govt. _____ Air Port Authority _____
6.	(a) State whether plant site has been declared as prohibited area	Yes No.
6.	(b) If yes, state the name of the authority and furnish a certified copy of the order under which the area has been declared as prohibited area	_____ _____ _____
7.	State working season per year of the plant Continuous/Batch-wise	Full Year From_____To_____ From_____To_____ From_____To_____ Every Year
8.	(a) No. of persons attending the factory per day	_____
8.	(b) No. of persons residing in the premises	_____
8.	(c) Distance of Highway from the site	_____metres
8.	(d) Distance of Road from the site	_____metres
8.	(e) Height/Level from the Road	_____metres
8.	(f) Direction of slope of the site	Direction & Degree
9.	Indicate the present use of the land in the	(i) Human settlement of more than 1000 vicinity (5 Km. radius) of the site. population (specify population and distance from the plant) _____ (ii) Commerical _____ (iii) Industrial _____ (iv) Fisheries _____ (v) Sanctuary/ National Parks/ Hills; Mountains _____ (vi) Ancient Monuments _____
10.	Climatological and meterological details(if available)	_____
(a)	Indicate the climate conditions at the site(e.g. arid, semi/arid etc.)	_____
(b)	Rainfall, yearly average ranges	_____
(c)	Temperature, seasonal ranges	_____
(d)	Information of speed and direction of wind	_____
(e)	Humidity, solar radiation	_____
11.	List of raw materials used in the process (Metric tonnes)	

List of Raw Materials	Principal Use	Amount in metric Tonnes/ day

A process flow diagram must be included with this statement showing entry and exit points of all raw materials, intermediate products, by products and finished products, Label process and control equipment.

12. Fuel consumption in metric tones/day

	Coal	Oil	Diesel	Wood	Natural Gas	Others, Specif
1. Daily Consumption in tonnes						
2. Calorific Value						
3. Ash Content %						
4. Sulphur Content %						
5. Others, Specify						

13.	Atomspheric Emission for each stack	1 2 3 4 5 6
	(i) Stack No.	_____
	(ii) Material of construction of stack	_____
	(iii) Stack attached to	_____
	(iv) Stack height	
	(a) Above the roof mts.	_____
	(b) Above the ground level mts.	_____
	(v) Stack top-	
	(a) Round or Circular	_____
	(b) Inside dimensions at top	_____
	(vi) Gas Quantity - m^3/hr	_____
	(vii) Flue gas temp - ^{O}C	_____

(a) Flue Gas Emissions

Analysis of flue gas in mg/m^3

Stack No.	type of Fuel	Quantity of fuel/m^3	Type of Firing	SO2	HC	CO	Particulate	Others, specify
(1) (2) (3) (4) (5) (6)								

(b) Process Emission

Quality of gas	SO_2	CO_2	CO	NO_x	Analysis of vent gas in mg/m3		
					Hydrocarbons	Particulate	Others, Specify

(c)	Particulate analysis (if available) distribution	Stack No. _____ 50µ _____% 10µ_____% 5µ_____% 3µ_____% 1µ_____%
(ii)	Chemical composition (if available)	
14.	Give details of flue gas sampling arrangements	_____
15.	Give details of laboratory facilities available for analysis of emissions	_____
16.	Is there sufficient space available for installing air-pollution control equipment	_____
17.	Details of air-pollution control system. Give detailed specifications (Collectors, precipitators, scrubbers etc.)	(a) Exisiting _____ (b) Proposed _____
18.	State the total quantity of air handled by ventilation equipment. Specify size and number of equipment installed or to be installed.	_____ _____ _____ _____
19.	Give the following details :	
(a)	Total investment in the factory and the year of investment	_____
(b)	The estimated expenditure for implementing the scheme to control air-pollution.	_____ _____
(c)	Expenditure incurred to date and progress achieved (physical) for air-pollution control, if any, and the year/years of investments along with physical progess achieved, the Firm should give details of action taken to date and the expenditure incurred and the time required for the completion of the scheme	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
(d)	Annual operation and maintenance cost of air-pollution control plant, if any.	_____ _____

(e)	Further action that is being taken by the firm to control air-pollution.	_____ _____
20.	Other relevant information, if any	_____ _____

Signature_____
Name and Address of the applicant on behalf of: _____
Name and address of the Firm_____
on behalf of which application is made_____

FORM - 1
[See rules 3(2), 5(2) (3) and (6) (ii)]
Application for Obtaining Authorisation for Collection/Reception/Treatment/ Transports/Storage/Disposal of Hazardous Waste*

From _____ Date :_____
_____
_____

To,
The Member-Secretary,
Uttaranchal Environment Protection & Pollution Control Board,
E-115, Nehru Colony, Dehradun
Sir,

I/We hereby apply for authorisation./renewal of authorisation under sub-rule (2) and (3) and clause (ii) of sub-rule (6) of rule 5 of the Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 1989 for collection/reception/treatment/transport/storage/disposal of hazardous wastes.

FOR OFFICE USE ONLY

5. Code No. :
6. Whether the unit is situated in a critically polluted area as identified by Ministry of Environment and forests;

To be filled in by Applicant

PART - A: GENERAL

3. (a) Name and address of the unit and location of activity.
   (b) Authorization required for (Please tick mark appropriate activity/activities:

* delete whichever is not applicable.

   (I) Collection
   (II) Reception
   (III) Treatment
   (IV) Transport
   (V) Storage
   (VI) Disposal
   (c) In case of renewal of authorization previous authorization number and date.
   4. (a) Whether the unit is generating hazardous waste as defined in the Hazardous wastes (Management and Handling) Rules, 1989 and amendments made there under;
   (b) If so the type and quantity of wastes
5. (a) Total capital invested on the project :
   (b) Year of commencement of production :
   (c) Whether the industry works general/2 shifts/ round the clock :
6. (a) List and quantum of products and by-products :
   (b) List and quantum of raw material used :
7. Furnish a flow diagram of manufacturing process showing input and output in terms of products and waste generated including for captive power generation and demineralised water.

Part - B : Sewage and Trade Effluent

8. Quantity and source of water for :
   (a) Cooling m^3/d
   (b) Process m^3/d
   (c) Domestic use m^3/d
   (d) Others m^3/d
9. Sewage and trade effluent discharge :
   (a) Quantum of discharge m^3/d:
   (b) Is there any effluent treatment plant :
   (c) If yes, a brief description of unit operations with capacity :
   (d) Characteristics of final effluent :
   pH
   Suspended solids
   Dissolved Solids
   Chemical Oxygen Demand (COD)
   BIochemical Oxygen Demand [a][$(BoD_5/20^0C)/BoD_3/27^0C$]
   Oil and Grease
   (Additional parameters as specified by the concerned Pollution Control Board)
   (e) Mode of disposal and final discharge point : (enclose map showing discharge point :
   (f) Parameters and Frequency of self monitoring :
   [*] Read BOD (3 days at 27^0 C)

PART - C : STACK (CHIMNEY) AND VENT EMISSIONS

10. (a) Number of stacks and vents with height and dia (m) :
    (b) Quality and quantity of stack emission from each of the above stacks particulate matter and Sulphur dioxide (SO2) (Additional parameters as specified by the concerned Pollution Control Board) :
    (c) A brief account of the air pollution control unit to deal with the emission :
    (d) Parameters and frequency of self monitoring :

PART - D : HAZARDOUS WASTE

11. Hazardous Wastes :
    (a) Type of hazardous wastes generated as defined under the Hazardous Wastes (Management & Handling) Rules, 1989 :
    (b) Quantum of hazardous waste generated :
    (c) Mode of storage within the plant, method of disposal and capacity:
    12. (a) Hazardous Chemicals as defined unde the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989;
    (b) Whether any isolated storage is involved (if yes, attach details) Yes/No.

PART - E : TREATMENT, STORAGE AND DISPOSAL FACILITY

13. Detailed proposal of the facility (to be attached) to include :
    - (i) Location of site (provide map)
    - (ii) Name of waste processing technology
    - (iii) Details of processing technology
    - (iv) Type and Quantity of waste to be processed per day
    - (v) Site clearance (from local authority, if any)
    - (vi) Utilization programme for waste processed (Product Utilization)
    - (vii) Method of disposal (details in brief be given)
    - (viii) Quantity of waste to be disposed per day.
    - (ix) Nature and composition of waste
    - (x) Methodology and operational details of land filling/incineration.
    - (xi) Measures to be taken for prevention and control of environmental pollution including treatment of leachates
    - (xii) Investment on Project and expected returns.
    - (xiii) Measures to be taken for safety of workers working in the plant.

Place : _____ Signature _____

Date : _____ Designation _____

Uttaranchal Environment Protection and Pollution Control Board, Dehradun
CONSENT SEEKING FORM
FORM 1-A (Water)
[See Water Rule - 36 (i)]
(To be submitted in triplicate)
Application for consent for discharge/continuation of discharge under section 25/26 of the water (prevention and control of pollution) Act, 1974.

From_____ Date :_____
_____
_____

To,

The Member-Secretary,
Uttaranchal Environment Protection & Pollution Control Board,
E-115, Nehru Colony, Dehradun

Sir,

I/We hereby apply for CONSENT under sectin 25/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act No. VI of 1974) to bring into use any* new or altered outlet for the discharge of sewage/trade effluent* to begin with new discharge of sewage/trade effluent or continue to make discharge of sewage/trade effluent from land/premise owned by (1)_____ for a period of /up to (2)_____

1. Disposal of Liquid/Solid Waste :
   a) Sewage/sullage via drains/outfall sewers/treatment works.
   b) Trade effluent via drains/outfalls sewers/treatment works.
   c) Streams_____river or _____
   i) On land for irrigation bearing survey No. _____ adjoining/at a distance of _____ stream/river or_____
   ii) Lake, Pond adjoining/at a distance of stream/river or_____
   iii) Directly on land for open percolation into sub-terrain on strata or survey No. _____ Adjoining/at a distance of _____Stream/river.
   d) Solid Wastes into _____
2. The annexure appendices other particulars and plans in triplicate are attached herewith.
3. I/We furhter declare that the information furnished in the Annexure, appendices and plans is correct to the best of my/our knowledge.
4. I/We hereby submit that in case of change either of the point or the quantity of discharge or its quality, a fresh application for CONSENT shall be made and until such CONSENT is granted no change shall be made.
5. I/we hereby agree to submit to the Board an application for renewal of consent one month in advance of the date of expiry of the consented period for outlet/discharge, if to be continued thereafter.
6. I/we undertaken to furnish other information within one month of its being called by the Board.

7. I/we also undertake that we will conserve water, miantain Ambient Air Quality around our premises and plant more trees.

Your Faithfully,

Accompaniments :

Signature _____
Name of Applicant _____
Address of Applicant _____
_____

i) Application Form 1-A.
ii) Analysis or test reports if any name of Laboratory & its date _____
iii) Consent fees of Rs. _____ Paise_____ through D/D No._____ Bank_____ dated_____

*** NOTE :** Strike out entries not relevant.

Uttaranchal Environment Protection and Pollution Control Board, Dehradun
ANNEXURE TO APPLICATION FORM 1-A (Water)

Existing/New/Altered Outlet / Discharge

NOTE: Any applicant knowingly giving incorrect information or suppressing any information pertaining thereto shall be liable to punished under the Act.
While filling this Annexure, the applicant not concerned with any of the item shall state "Not concerned" against the relevant one.

1.	Full Name of the Applicant with Address	_____ _____ Tele No. _____ Fax No. _____
2.	Full Name of Land/ Premises/ Institute/ Factory/ Industry/ Local Body With Address :	_____ _____ Tele No. _____ Fax No. _____
3.	Give revenue/City Survey Number of Land/ Premises for which the application is made stating district, tehsil, pargana and village.	District _____ Tehsil _____ Pargana _____ Village _____ City Survey No./Mauza/ _____ House No. _____ Area in Hectare _____ Revenue Survey No. _____ Area in Hectare _____
4.	State month and year in which the land/ premises/institute/factory/industry was actually put into commission or is proposed to be put into commission or the month and year from which the local body is functioning	_____ _____ _____ _____ _____ _____
5.	State the Civil/Military/Defence Industrial Estate etc. under whose administrative jurisdiction the applicant's land/premises is situated	Collectorate _____ Municipality/Improvement Trust____ Village Panchayat _____ Cantonment _____ Defence _____ Department _____ Prohibited Area _____
6.	(a) State whether the land/premises institute/factory/industry has been declared as prohibited; (b) If yes, state the name of the authority and furnish a certified copy of the order under which the area has been declared as prohibited area	Yes/No.

7.	Is the Industry/Factory for which application is made closed on Sunday/Holiday.	Yes/No.
8.	State working season per yer for the Industry/Factory	Full Year From_____To_____ From_____To_____ From_____To_____ _____Every Year
9.	(a) Number of worker attending the facotry shift wise (b) Number of workers residing in the premises	_____ _____
10.	(For Local Bodies Only) (a) Present Population (b) Population covered under regular sewer facilities (c) Population having septic tank/pit privy facilities (d) Population covered by conservancy latrines	 _____ _____ _____ _____
11.	(For Industries only) : (a) Give the list of raw materials such as metals, alloys, chemicals, oils fuels, etc. used per month in Notice Metric Tons- Metal and Alloy Chemical Inorganic Dyes Organic Pesticides Oils and Grease Fuels : (a) Wood ..... (b) Coal ..... (c) Oil ..... (d) Gases ..... (e) Others ..... (B) Give the list of name of Product Sl. No. and by-products manufactured per month in (MT)	 Name/Weight Name/Weight Name/Weight Name/Weight Name/Weight Name/Weight Name/Weight Name/Weight Name/Weight
	(C) Give the list of Possible Intermediate products	
	Name of Product	Quantity in M.T. Per month
12	State daily quantity of water in litres Utilised.	Uses (Domestic/ Industrial/ Agricultural/ Other)
13.	(A) State the hourly maximum and daily quantity of effluents arising from land/ premises for which the application is made : (a) (b)	 Domestic Industrial

	(c) (d) (e) (B) State how measurement of rate and quantity are carried out :	Agricultural Other Total quantity of effluent	
14.	State whether storm water drains are kept separate from Industrial/Domestic effluents ?	Yes/No	
15	(a) Is domestic effluent allowed to get	Yes/No	
	(b) If yes, state ratio :	Domestic/Industrial	
16.	(a) Describe if any treatment for industrial or domestic effluent or one for combined effluent is made. If yes, state the process of treatment in brief (separately)	Yes/No	
	(b) Is the quality of effluent emitting either without or after treatment approved by any authority ?	Yes/No	
	(c) If approved, furnish the authority (two certified copies to be sent).		
17.	Is there any provision for disposal of :	Already Made	Proposed to be Made
	(a) Domestic effluent in public underground sewer	Yes/No	Yes/No
	(b) Industrial effluent in public underground sewer.	Yes/No	Yes/No
	(c) Give the name of public authority owning the sewer.	Yes/No	Yes/No
18.	Is there any provision for disposal of:	Already Made	Proposed to be Made
	(a) Domestic effluent overland for irrigation	Yes/No	Yes/No
	(b) Industrial effluent overland for irrigation	Yes/No	Yes/No
	(c) Domestic effluent in the underground strata	Yes/No	Yes/No
	(d) State the area of land used for : A above in hectares		
	(e) State the area of land used for : B above in hectares		
19.	Give the quantitative disposal of effluent in litres provided for the places mentioned below:	Domestic/ Industrial	Mixed
	(a) Stream/River (b) On land for irrigation (c) On land for percolation (d) Lake/Pond		

20.	Is there any provision for equalising or holding lagoons for tanks to store the effluents during unfavourable steam conditions : (a) Domestic effluent (b) Industrial effluent (c) Combined effluent	Already Made	Proposed to be made
21.	Is sufficient land available/can be made available ? In case pumping effluent; on-lands have to be considered		
22.	(a) Give details of composition of Domestic/ Industrial/combined effluent in respect of the following :	Effluent before treatment	Effluent after treatment

		E B T			E A T		
		At Max. Dis.	**At. Min. Dis.**	**At Ave. Dis**	**At Max. Dis.**	**At. Min. Dis.**	**At Ave. Dis**
(i)	(A) pH						
(ii)	(B) Colour-Units Hazen unit						
(iii)	Temperature ^0C						
(iv) (a) (b) (c)	Suspended Solids : Total mg/L Fix Mg/L Volatile mg/L						
(v) (a) (b) (c)	Dissolved Solids: Total mg/L Fix Mg/L Volatile mg/L						
(vi)	Total volatile solids mg/L						
(vii)	Ammonical Nitrogen (mg/L) N						
(ix)	Dissolved Oxygen mg/L						
(x)	B.O.D. 5 days 20 ^0C mg/L						
(xi)	C.O.D. mg/L						
(xii)	Oil and Grease mg/L						
(xiii)	Chloride mg/L as						
	(Cl)						
(xiv)	Phosphates (P) mg/L						
(xv)	Phenolic Compounds mg/L (as Phenol)						
(xvi)	Cyanides (as CN) mg./L						
(xvii)	Sulphate (as So_2) mg/L						
(xviii)	Sulhides (as S_4) mg/L						
(xix)	Insecticides mg/L						
(xx)	Total aresidual chlorine (as Cl_2) mg/L						
(xxi)	Flouride (asF) mg/L						

(xxii)	Boron (as B) mg/L						
(xxiii)	Aresenic (as As) mg/L						
(xxiv)	Barium (as Ba (mg/L)						
(xxv)	Percent Sodium						
(xxvi)	Cadmium (as Cd) mg/L						
(xxvii)	Copper (as Cu) mg/L						
(xxviii)	Lead (as (Pb) mg/L						
(xxix)	Chromium - (a) as Cr. (mg.L); (b) Valency as (Cr) mg/L						
(xxx)	Mercury (as Hg.) mg/L						
(xxxi)	Nickel (as Ni) mg/L						
(xxxii)	Selenium (as S) mg/L						
(xxxiii)	Silver (as Ag) mg/L						
(xxxiv)	Zinc (as Zn) mg/L						
(xxxv)	Any other metals mg/L						
(xxxvi)	Carbon Chloronform Extracts						
(xxxvii)	Pesticides (mg/L)						
(xxxviii)	Coliform organisms MPN per (100 mg) (monthly average)						
(xxxix)	Bioassay for Toxic constituents. TI 50 (96 hours)						

NOTE:(1) Furnish a copy of the analysis report of representative samples carried out by a competent laboratory.

(2) Methods of determination as approved by the Board will be followed for determination of above mentioned parameters.

(B) Is the effluent toxic ?	Yes/No
(C) State if the industrial effluent is having	Yes/No
(a) Unpleasant smell	Yes/No
(b) Irritating and/or harmful	Yes/No

	(c) Corrosive	Yes/No	
	(d) With colour	Yes/No	
(D) Is there any hidden change of temperature exceeding 10^0 C at any time.		Yes/No	
23	(A) Are facilities availabe with the applicant for requirement arising out of the following tests of the waste waters :		
	(a) Physical	Existing	Proposed
	(b) Chemical	Yes/No	Yes/No
	(c) Bacteriological	Yes/No	Yes/No
	(d) Toxicological	Yes/No	Yes/No
	(e) If yes, give details of equipments.	Yes/No	Yes/No
24.	Has the land / premises etc. for which application is made open ? Highly polluting material _____ Tox/ Organic/ Inorganic/ Microbiological		
	(A) Cooling Tanks		
	(B) Mixing Tanks		
	(C) Mixing Ponds		
	(D) Re-circulation wells		
25.	State details for solid wastes :		
		Describe Quantity	Method of Disposal
A	Seasonal Waste		
B	Spillage		
C	Rejected materials		
26.	Total Investment of Plant		

Accompaniments if any :-

Signature_____
Name and address of the applicant on behalf of _____
Name and Address of the Firmm _____
on behalf of which application is made _____

फैक्टरीज एक्ट में पंजीकरण का आवेदन–प्रपत्र

(तीन प्रतियों में)

फैक्ट्रीज एक्ट में पंजीयन/लाइसेंस का आवेदन–प्रपत्र

FORM NO. 4

(Rule 14)

Notice of occupation for registration and grant or renewal of licence. Written Notice Prescribed under section 6 & 7 (1) of The Factories Act 1948.

1. Full Name of the Factory and its Licence Number if already registered.
2. (a) Postal address and situation of the factory including polic station, tehsil and district.
   (b) Address to which communications relating to the Factory should be sent.
3. Nature of manufacturing process/processes :
   (a) Carried on in the factory during the last twelve months (In the case of Factories already in existence).
   (b) To be carried on the factory during the next twelve months (in case of all factories).
4. Names and value of principal products manufactured during the last twelve months.
5. (a) Maximum number of workers proposed to be employed on any one day during the year.
   (b) Maximum number of workers employed in any one day during the last twelve months.
   (c) Number of workers to be employed in the factory.
6. (a) Nature and total amount of power (H.P.) installed or proposed to be used.
   (b) Maximum amount of power (H.P.) proposed to be used.

Note :- If power is not proposed to be used originally but is introduced later the fact should be immediately communicated to the chief inspector of factories

7. In the case of a factory constructed or extended after the date or commencement of the rules.
   (a) Reference number and date of approval of the plans of site whether for old or new building and for construction or extension of factory by the State Government/Chief Inspector.
   (b) Reference number and date of approval of the arrangement if any made for the disposal of trade waste an efiluents and the name of the authority granting such approval.
8. Full name father's name and residential address of :-
   (i) The person who shall be Manager of the factory for the purposes of the act.

(ii) The occupier of the factory.

(a) The proprietor of the factory if it is a private firm or proprietory concern.

(b) The Director of Factory it is private company or firm.

(c) Where Managing Agents have been appointed the name of Managing Agents and their Directors.

(d) Share-holder in case of a private company where no Managing Agents have been appointed.

(e) The Chief Administrative Head of the factory if it is owned by Government or a public authority.

9. It the factory covered by the provisions of section 93 of the Factories Act (Act : LXIII of 1948) Full Name, Father's Name and Address of the premises or buildings in which the factory is situated.
10. Date on which the Manager assumed charge.
11. Date on which the occupier occupied the premises or occupy premises.
12. Amount of fee Rs. Rs._____
    Paid in _____ Treasury on_____
    Vide Challan_____(enclosed)

Full Signature of Occupier

_____ Full Signature of Manager_____

Full Signature of owner if any_____ Date _____

Notes :- (1) This form should be completed in Block Letter typed.

(2) If any of the person name against item under (8) is minor the fact should be clearly stated.

(3) In the case of a factory, where managing agent or agent have been apppointed as occupiers under the factories Companies Act. 1913 (VII of 1993) Information required in them 8 should be supplied in respect of that person or persons.

नान हेजाड़र्स कारखानों हेतु
कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत् कारखाना के रजिस्ट्रेशन व लाइसेन्स हेतु
चेक लिस्ट

1. (अ) क्या आकूपायर द्वारा कारखाने के रजिस्ट्रेशन व लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र निर्धारित प्रपत्र–4 पर सभी स्तम्भों की सूचना पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर तीन प्रतियों में नियम–7 में निर्धारित लाइसेन्स शुल्क स्थानीय ट्रेजरी में जमा करने के उपरान्त ट्रेजरी चालान की मूल प्रति सहित प्रस्तुत किया गया है ?

   (ब) क्या प्रार्थना–पत्र–प्रपत्र–4 के अन्त में ट्रेजरी चालान का विवरण अंकित किया गया है?

   (स) क्या प्रार्थना–पत्र प्रपत्र–4 के अन्त में आकूपायर, फैक्ट्री मैनेजर व कारखाना परिसर/भवन के स्वामी के यथास्थान पूर्ण हस्ताक्षर तिथि सहित अंकित हैं ?

2. क्या रजिस्ट्रेशन व लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु नियम–7 में निर्धारित शुल्क (शुल्क सारिणी की प्रति संलग्न है) विभाग द्वारा सत्यापित निम्न लेखा शीर्षक के अन्तर्गत स्थानीय ट्रेजरी में जमा कर दिया गया है ?

3. क्या कारखाना परिसर व उस पर निर्मित भवनों के मानचित्र का अनुमोदन/पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है और प्रपत्र–4 में यथास्थान अनुमोदन/पूर्व स्वीकृति का दिनांक सन्दर्भ सहित अंकित है ?

4. क्या कारखाने के आकूपायर के निर्धारण के सम्बन्ध में निम्न पत्रजात प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं:–

   (क) (1) क्या कम्पनी के सम्बन्ध में बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की अद्यतन सूची आवासी पतों सहित कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा सत्यापित तीन प्रतियों में संलग्न की गयी है ?

   (2) क्या कम्पनी के किसी एक डायरेक्टर को जिसे कारखाने के मामलों पर अल्टीमेट कन्ट्रोल प्राप्त हो, को बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स द्वारा प्रस्ताव पारित कर कारखाना अधिनियम, 1948

की धारा–2 (एन) के अनुसार आकूपायर निर्धारित किया गया है और प्रस्ताव की कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा सत्यापित तीन प्रतियाँ संलग्न की गयी है ?

(3)क्या कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत इनकॉरपोरेशन सर्टीफिकेट की कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न की गयी है ?

(4)क्या कम्पनी के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकिल ऑफ एसोसियेशन की कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न की गयी है ?

(ख) (1) क्या किसी एक पार्टनर को आकूपायर निर्धारित करते हुए फर्म के सम्बन्ध में पार्टनरशिप डीड की सत्यापित प्रति संलग्न की गयी है ?

(2) पार्टनरशिप में परिर्वतन की स्थिति में क्या संशोधित पार्टनर्स की सत्यापित सूची तीन प्रतियों में संलग्न की गयी है ?

(ग) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का स्थानीय निकाय के अधीन या नियंत्रित किसी कारखाने के सम्बन्ध में कारखाने के मामलों के प्रबन्धन हेतु आकूपायर की हैसियत से नियुक्त किये गये व्यक्ति/अधिकारी के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा जारी नियुक्ति पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न की गयी है ?

5. क्या कारखाना परिसर व उस पर निर्मित भवनों के मानचित्रों के अनुमोदन/पूर्व स्वीकृति पत्र में अंकित शर्तों का पूर्ण पालन कर दिया गया है और पालन की सूचना की प्रति संलग्न है?

नोट : सुलभ सन्दर्भ हेतु निम्न प्रपत्रों की प्रति संलग्न है :

(1) प्रार्थनापत्र, प्रपत्र सं. –4

(2) नियम–7 के निर्धारित लाइसेन्स फीस की सारिणी

(3) ट्रेजरी चालान हेड सहित।

दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन – प्रपत्र

सेवा में,

विशेष कार्याधिकारी,
औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।

पत्र संख्या : /दे0दून–प्रवर्तन (पंजीयन) 04 दिनांक :.....

महोदय,

आपके पत्र संख्या 2448–सी/औ0वि0–1/एकलखिड़की 2003.04 दिनांक 19.02.04 के संदर्भ में श्रम विभाग, उत्तरांचल द्वारा उत्तरांचल दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण किए जाने वाले प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र एवं उससे सम्बन्धित चेकलिस्ट इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।
संलग्न – उक्त ।

भवदीय,

एफ0 सी0 शर्मा
कृते अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल
298, हिमगिरि विहार, अजबपुर खुर्द,
देहरादून।

प्रपत्रा–ख
नियम 2–क (2)/धारा 4–ख (1)
रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन–पत्रा तथ्यों का विवरण

1. दुकान वाणिज्य अधिष्ठान का नाम : .....
2. स्थान : .....
3. स्वामी का पूरा नाम, जिसमें पिता/पति का नाम और उसके निवास स्थान का पता हो : .....
4. प्रबन्धक का पूरा नाम, यदि कोई हो, जिसमें पिता/पति का नाम और उसके निवास स्थान का पता हो : .....
5. भागीदार/(रों) का नाम, यदि कोई हो, और उनमें से प्रत्येक के निवास स्थान का पता (यदि भागीदार संस्था हो) : .....
6. कारोबार का प्रकार : .....
7. कारोबार प्रारम्भ होने का दिनांक : .....
8. दुकान वाणिज्य अधिष्ठान में नियोजित स्वामी के परिवार के सदस्यों के नाम

	संख्या	सम्बन्ध
पुरूष		
महिला		
तरूण व्यक्ति		
योग		

9. कर्मचारियो का नाम :
   (1) प्रबन्धक, गोपनीय और पर्यवेक्षी हैसियत में : .....
   (2) अन्य (श्रेणीवार) : .....
10. कर्मचारियों की कुल संख्या

	संख्या
पुरूष	
महिला	
तरूण व्यक्ति	
योग	

11. पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संख्या/ प्रमाण–पत्र इस आवेदन के साथ नत्थी किया जायेगा। :

12. वर्ष जिसके लिए नवीनीकरण अपेक्षति हो :

13. प्रेषित धन के ब्योरे कोषागार चालान या इण्डियन पोस्टल आर्डर (रेखित) या बैंक ड्राफ्ट (रेखित) संलग्न करो कोषागार या डाकघर कोषागार चालान/ इण्डियन पोस्टल फीस, शास्ति के लिए योग या बैंक का नाम आर्डर (रेखित) बैंक ड्राफ्ट (रेखित) भुगतान की गई :

    धनराशि

    संख्या

    दिनांक

    मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ, कि ऊपर दिये ब्योरे मेरी जानकरी और विश्वास में सही है।

स्थान :.....

दिनांक :.....

स्वामी के हस्ताक्षर

दुकान वाणिज्य अधिष्ठान के पंजीयन से सम्बन्धित चेक लिस्ट

(1) क्या दुकान/वाणिज्य अधिष्ठान पार्टनरशिप फर्म है अथवा कम्पनी है ?

(क) यदि पार्टनरशिप फर्म है तो क्या पार्टनरशिप डीड नियमानुसार बनाई गई है व डीउ की प्रति संलग्न की गयी है।

(ख) यदि फर्म कम्पनी है तो क्या कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है। (पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न की गयी है।)

(2) जिस परिसर में दुकान/वाणिजय अधिष्ठान कार्यरत है– क्या वह किराये पर है अथवा निजी भवन है।

(क) यदि किराये पर है तो क्या कारोबार प्रारम्भ की तिथि एवं आवेदन की तिथि के किरायेदारी की रसीद की प्रतियाँ संलग्न की गयी हैं।

(3) क्या दुकान/वाणिज्य अधिष्ठान व्यापार कर विभाग एवं नगर महापलिका से पंजीकृत अथवा लाइसेंस प्राप्त है?

(क) यदि हाँ तो तदर्थ किये गये आवेदन–पत्र और प्राप्त प्रमाण–पत्र की प्रतियां क्या संलग्न की गई है।

(4) दुकान/वाणिज्य अधिष्ठान में कारोबार प्रारम्भ होने का क्या कोई प्रमाण उपलब्ध है। (क्या संलग्न किया गया है।)

(5) क्या कारोबार प्रारम्भ होने की तिथि, कारोबार का प्रकार, स्थल के पते एवं कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या का निरीक्षक द्वारा स्थलीय सत्यापन कर दिया गया है।

(6) क्या दुकान/वाणिज्य अधिष्ठान का इसके पूर्व कोई पंजीयन कराया गया है ?

(7) क्या निर्धारित शुल्क (पंजीयन हेतु सत्यापन के उपरान्त) जमा कर दिया गया है और तत्सम्बन्धी मूल ट्रेजरी चालान की प्रति जमा हो गयी है ?

(8) क्या क्रमांक–7 में जमा शुल्क निर्धारित निम्न लेखा शीर्षक में ही जमा किया गया है ?

0230–श्रम एवं रोजगार

00–

800–अन्य प्राप्तियाँ

09–दुकान और वाणिज्य अधिकार अधिनियम के अधीन निबन्धन फीस

(9) क्या पंजीयन/नवीनीकरण के उपरान्त दुकान/वाणिज्य अधिष्ठान में संशोधन सत्यापन के उपरान्त करा लिया गया है?

(10) क्या दुकान/वाणिज्य अधिष्ठान के पंजीयन प्रमाण–पत्र को रद्द किये जाने के पूर्व उसके बन्दी की सूचना दुकान/वाणिज्य अधिष्ठान के स्वामी द्वारा नियमानुसार मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र सहित दी गयी है और क्या निरीक्षक द्वारा उक्त बन्दी का समाधान कर लिया गया है?

नोटः– सुलभ संदर्भ हेतु निम्न पत्रजातों की प्रति संलग्न हैंः–

(1) पंजीयन का प्रार्थना–पत्र, प्रपत्र–ख

(2) निर्धारित पंजीयन फीस की सारणी

नियम 2–क का संशोधन

उत्तरांचल दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली, 1963 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 2–क में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप–नियम (2), (4) से (6) और (10) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप–नियम रख दिये जायेंगे, अर्थातः

स्तम्भ–1

विद्यमान उप–नियम

(2) प्रत्येक दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान का स्वामी उक्त अधिनियम की धारा 4–ख की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्बद्ध निरीक्षण को प्रपत्र "ठ" में आवेदन–पत्र देगा। आवेदन–पत्र पर स्वामी हस्ताक्षर करेगा और उसके साथ नीचे तथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण फीस का भुगतान करने के सबूत में सम्बद्ध निरीक्षक के पक्ष में कोषागार चालान/बैंक ड्राफ्ट (रेखित) संलग्न करेगा। उद्ग्रहणीय फीस की धनराशि अवधारित करने के लिए वित्तीय वर्ष में जिनके संबध में रजिस्ट्रीकरण कराना अपेक्षित हो, किसी भी दिन ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में अधिकतम नियोजित कर्मचारियों की संख्या पर विचार किया जायेगा।

क्र. सं.	दुकान का वाणिज्य अधिष्ठकान की श्रेणी	प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए फीस
	भाग–1	रू.
1	जिसमें कोई कर्मचारी न हो	7
2	1 से 5 कर्मचारी नियोजित हो	30
3	6 से 10 कम्रचारी नियोजित हों	60
4	11 से 25 कर्मचारी नियोजित हों	100
5	25 से अधिक कर्मचारी नियोजित हों	125
	भाग–1	
1	ऐसा वाणिज्य अधिष्ठान जिसका प्रयोग नाट्यशाला या चलचित्र गृह के रूप में या किसी अन्य सार्वजनिक आमोद या मनोरंजन के लिए किया जाय।	200
2	तीन स्टार वाले स्तर के होटल	500
3	चार या पांच स्टार वाले स्तर के होटल या उसी स्तर के होटल	1000

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम

(2) प्रत्येक दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान का स्वामी उक्त अधिनियम की धारा 4–ख की उपधारा (1) में विनिदिष्ट अवधि के भीतर अपनी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्बद्ध निरीक्षण को प्रपत्र "ठ" में आवेदन–पत्र देगा। आवेदन–पत्र पर स्वामी हस्ताक्षर करेगा और उसके साथ नीचे तथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण फीस का भुगतान करने के सबूत में सम्बद्ध निरीक्षक के पक्ष में कोषागार चालान/बैंक ड्राफ्ट (रेखित) संलग्न करेगा। उद्ग्रहणीय फीस की धनराशि अवधारित करने के लिए वित्तीय वर्ष में जिनके संबध में रजिस्ट्रीकरण कराना अपेक्षित हो, किसी भी दिन ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में अधिकतम नियोजित कर्मचारियों की संख्या पर विचार किया जायेगा।

क्र. सं.	दुकान का वाणिज्य अधिष्ठकान की श्रेणी	प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए फीस
	भाग–1	रू.
1	जिसमें कोई कर्मचारी न हो	20
2	1 से 5 कर्मचारी नियोजित हो	75
3	6 से 10 कम्रचारी नियोजित हों	100
4	11 से 25 कर्मचारी नियोजित हों	200
5	25 से अधिक कर्मचारी नियोजित हों	250
	भाग–1	
1	ऐसा वाणिज्य अधिष्ठान जिसका प्रयोग नाट्यशाला या चलचित्र गृह के रूप में या किसी अन्य सार्वजनिक आमोद या मनोरंजन के लिए किया जाय।	300
2	तीन स्टार वाले स्तर के होटल	1000
3	चार या पांच स्टार वाले स्तर के होटल या उसी स्तर के होटल	2500

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

व्यापक परिचालन मसौदा

तकनीकी समिति : राष्ट्रीय भवन संहिता विषय समिति, सीईडी 46

प्राप्तकर्ता :

1) सिविल इंजीनियरी विभाग परिषद् के सभी सदस्य
2) राष्ट्रीय भव संहिता विषय समिति, सीईडी 46 के सभी सदस्य
3) अग्नि बचाव के पैनल, सीईडी 46 : पी 4 के सभी सदस्य
4) अग्नि बचाव विषय समिति, सीईडी 22 के सभी सदस्य
5) अग्नि सुरक्षा विषय समिति, सीईडी 36 के सभी सदस्य, और
6) रूचि रखने वाले अन्य निकाय।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संहिता है जो ऐसी न्यूनतम अपेक्षायें निर्धारित करती है ताकि भवनों के डिजाइन में लोगो को संरचनात्मक, अग्नि व स्वास्थ्य से संबधित सुरक्षाएं प्रदान की जा सकें।

भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय राष्ट्रीय संहिता के पुनरीक्षण का विशाल कार्य कर रही है। जिसके अन्तर्गत अब इस संहिता के विभिन्न भागों/अनुभागों के पुनरीक्षण के मसौदे परिचालित किये जा रहे हैं। इस संदर्भ में, भारत की राष्ट्रीय भवन संहिताः भाग 2 अग्नि एवं जीवन सुरक्षा ख्एसपी 7(भाग 4), का दूसरा पुनरीक्षण, प्रलेख : सीईडी 46;6077द्ध का मसौदा संलग्न है।

कृपया इस मसौदे का अवलोकन करें और अपनी सम्मतियाँ यह बताते हुए भेजें कि यदि यह मसौदा प्रकाशित हो जाए तो इस पर अमल करने में आपके व्यवसाय अथवा करोबार में क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं। सम्मतियाँ भेजने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2003 है।

यदि कोई सम्मति हो तो कृपया अधोहस्ताक्षरी को उपरलिखित पते पर संलग्न फोर्मेट में भेजें। कृपया अपनी सम्मतियों डाक द्वारा भेजने के अतिरिक्त, ई–मेल **(bisce@vsnl.net)** द्वारा भी भेजें।

धन्यवाद !

भवदीय,

संलग्नः उपरलिखित

(सतीश कुमार जैन)
निदेशक व प्रमुख (सिविल इंजीनियर्स)

DRAFT NATIONAL BUILDING CODE OF INDIA :

PART 4 FIRE AND LIFE SAFETY

[SECOND REVISION OF SP 7(Part 4)

1. SCOPE

This part covers the requirements for fire prevention, life safety and fire protection of buildings. The code specifies construction, occupancy and protection features that are necessary to minimize danger to life and property.

2. TERMINOLOGY

2.0 For the purpose of this part, the following definitions shall apply.

2.1 Automatic Fire Detection and Alarm System :- Fire alarm system comprising components for automatically detecting a fire, initiating an alarm of fire and initiating other actions as appropriate.

Note :- The system may also include manual fire alarm call.

2.2 ***Automatic Sprinkler System :-*** A system of water pipes fitted with sprinkler heads at suitable intervals and heights and designed to actuate automatically control or extinguish a fire by the discharge of water.

2.3 ***Building :-*** Any structure for whatsoever purpose and of whatsoever materials constructed and every part thereof whether used as human habitation or not and includes foundation, plinth, walls, floors, roofs, chimneys, plumbing and building services, fixed platforms, varandah, balcony, cornice or projection, part of a building or anything affixed thereto or any wall enclosing or intended to enclose any land or space and signs and outdoor display structures. Tents, SHAMIANAHS, tarpaulin shelters, etc, erected for temporary and ceremonial occasions with the permission of the Authority shall not be considered as building.

2.4 ***Building, Height of :-*** The vertical distance measured in the case of flat roofs, from the average level of the ground around and contiguous to the building or as decided by the Authority to the terrace of the last livable floor of the building adjacent to the external wall; and in the case of pitched roofs, up to the point where the external surface of the outer wall intersects the finished surface of the sloping roof; and in the case of gables facing the road, the mid-point between the eaves level and the ridge. Architectural features serving no other function except that of decoration, shall be excluded for the purpose of measuring heights.

2.5 ***Combustible Material :-*** The material which either burns itself or adds heat to a fire, when tested for non-combustibility in accordance with accepted standard [4(1)].

2.6 ***Covered Area :-*** Ground area covered by the building immediately above the plinth level. The area covered by the following in the open spaces is excluded from covered area (see Table 19) :

a) Garden, rockery, well and well structures, plant nursery, watepool, swimming pool (if uncovered), platform round a tree, tank, fountain, bench, *CHABUTARA* with open top and unenclosed on sides by walls and the like;

b) Drainage culvert, conduit, catch-pit, gully pit, chamber, gutter and the like;

c) Compound wall, gate, unstoreyed porch and portico, slide, swing, uncovered staircases, ramp areas covered by *CHHAJJA* and the like; and

d) Watchman's booth, pumphouse, garbage shaft, electric cabin or substations and such other utility structures meant for the services of the building under consideration.

Note: For the purpose of this part, covered area equals the plot area minus the area due for open spaces in the plot.

2.7 ***Downcomer :-*** An arrangement of fire fighting within the building by means of downcomer pipe connected to terrace tank through terrace pump, gate valve and non-return valve and having mains not less than 100 mm internal diameter with landing valves on each floor/landing. It is also fitted with inlet connections at ground level for charging with water by pumping from fire service appliances and air release valve at roof level to release trapped air inside.

2.8 ***Dry Riser :-*** An arrangement of fire fighting within the building by means of vertical rising mains not less than 100 mm internal diameter with landing valves on each floor/landing which is normally dry but is capable of being charged with water usually by pumping from fire service appliances.

2.9 ***Emergency Lighting :-*** Lighting provided for use when the supply to the normal lighting fails.

2.10 ***Emergency Lighting System :-*** A complete but discrete emergency lighting installation from the standby power source to the emergency lighting lamp(s), for example, self-contained emergency luminaire or a circuit from central battery generator connected through wiring to several escape luminaries.

2.11 ***Escape Lighting :-*** That part of emergency lighting which is provided to ensure that the escape route is illuminated at all material times, for example, at all times when persons are on the premises, or at times the main lighting is not available, either for the whole building or for the escape routes.

2.12 ***Fire Door :-*** A fire-resistive door approved for openings in fire separation.

2.13 ***Fire Exit :-*** A way out leading to an escape route.

2.14 ***Fire Lift :-*** The lift installed to enable fire services personnel to reach different floors with minimum delay, having such features as required in accordance with this part.

2.15 ***Fire Load :-*** Calorific energy, of the whole contents contained in a space, including the facings of the walls, partitions, floors and ceilings.

2.16 ***Fire Load Density :-*** Fire load divided by floor area.

2.17 ***Fire Resistance Rating :-*** The time that a material or construction will withstand the standard fire exposure as determined by fire test done in accordance with the standard methods of fire tests of material/structures.

2.18 ***Fire Resistance, Criteria of :-*** Fire resistance is a property of an element of building construction and is the measure of its ability to satisfy for a stated period some or all the following criteria :

a) Resistance to collapse

b) Resistance to penetration of flame and hot gases, and

c) Resistance to temperture rise on the unexposed face up to a maximum of 180^0 C and/or average temperature of 150^0C.

2.19 ***Fire Separation :-*** The distance in metres measured from the external wall of the building concerned to the external wall of any other building on the site, or

from other site, or from the opposite side of street or other public space to the building for the purpose of preventing the spread of fire.

2.20 ***Fire Separating Wall :-*** The wall provides complete separation of one building from another or part of a building from another or part of a building from another part of the same building to prevent any communication of fire or any access or heat transmission to wall itself which may cause or assist in the combustion of materials of the side opposite to that portion which may be on fire.

2.21 ***Fire Stop :-*** A fire resistant material, or construction, having a fire resistance rating of not less than the fire separating elements, installed in concealed spaces or between structural elements of a building to prevent the spread/propagation of fire and smoke through walls, ceilings and like as per the laid down criteria.

2.22 ***Fire Tower :-*** An enclosed staircase which can only be approached from the various floors through landings or lobbies separated from both the floor areas and the staircase by fire-resisting doors, and open to the outer air.

2.23 ***Fire Resisting Wall :-*** A Fire resistance rated wall, having protected openings, which restricts the spread of fire and extends continuously from the foundation to at least 1 m above the roof.

2.24 ***Floor Area Ratio (FAR) :-*** The quotient obtained by divided the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;

$$FAR = \frac{\text{Total covered area of all floors}}{\text{Plot Area}}$$

2.25 ***High Rise Building :-*** For the purpose of this part, all building 15m or above in height shall be considered as high rise buildings.

2.26 ***Horizontal Exit :-*** An arrangement which allows alternative degress from a floor area to another floor at or near the same leveling an adjoining building or an adjoining part of the same building with adequate fire separation.

2.27 ***Means of Egress :-*** A continuous and unobstructed way of travel from any point in a building or structure to a place of comparative safety.

2.28 ***Occupancy or Use Group :-*** The principal occupancy for which a building or a part of a building is used or intended to be used; for the purpose of classification of a building according to the occupancy, an occupancy shall be deemed to include subsidiary occupancies which are contingent upon it.

2.29 ***Plinth Area :-*** The built-up covered area measured at the floor level of the basement or of any storey.

2.30 ***Pressurisation :-*** The establishment of a pressure difference across a barrier to protect a stairway, lobby, escape route or room of a building from smoke penetration.

2.31 ***Pressurisation Level :-*** The pressure difference between the pressurized space and the area served by the pressurized escape route, expressed in pascals (Pa).

2.32 ***Roof Exits :-*** A means of escape on to the roof of a building, but acceptable only where the roof has access to it from the ground. The exit shall have adequate cut-off within the building from staircase below.

2.33 ***Site Plot :-*** A parcel (piece) of land enclosed by definite boundaries.

2.34 ***Stack Pressure :-*** Pressure difference caused by a temperature difference creating an air movement within a duct, chimney or enclosure.

2.35 ***Travel Distance :-*** The distance to be traveled from any point in a building to a protected escape route, external escape route or final exit.

2.36 ***Ventilation :-*** Supply of outside air into, or the removal or inside air from an enclosed space.

2.37 ***Venting Fire :-*** The process of inducing heat and smike to leave a building as quickly as possible by such paths that lateral spread of fire and heat is checked, fire fighting operations are faciliated and minimum fire damage is caused.

2.38 ***Volume to Plot Area Ratio (VPR) :-*** The ratio of volume of building measured in cubic metres to the area of the plot measured in square metres and expressed in metres.

2.39 ***Wet Riser :-*** An arrangement for fire fighting within the building by means of vertical rising mains with landing valves on each floor/landing for fire fighting purposes and permanently charged with water from a pressurized supply.

Note :- For definitions of other terms, reference shall be made to good practice [4(2)].

3. FIRE PREVENTION

3.1 CLASSIFICATION OF BUILDING BASED ON OCCUPANCY

3.1.1 General Classification

All buildings, whether existing or hereafter erected shall be classified according to the use or the character of occupancy in one of the following groups :

Group A	Residential	Group B	Educational	Group C	Institutional
Group A	Assembly	Group E	Business	Group F	Mercantile
Group G	Industrial	Group H	Storage	Group J	Hazardous

Note : The occupancies such as underground constructions like railway stations and power houses have not been included in this Code and shall be dealt separately.

3.1.1.1 Minor occupancy incidental to operations in another type of occupancy shall be considered as part of the main occupancy and shall be classified under the relevant group for the main occupancy.

Examples of buildings in each group are given in 3.1.2 to 3.1.10.

3.1.2. ***Group A Residential Buildings***

These shall include any building in which sleeping accommodation is provided for normal residential purposes with or without cooking or dining or both facilities, except andy building classified under Group C.

Subdivision E-3 Computer Installations.

Sudivision E-4 Telephone Exchanges.

Sudivsion E-5 Broadcasting Stations and T. V. Stations.

3.1.7 Group F Mercantile Buildings

These shall include any building or part of a building, which is used as shops, stores, market, for display and sale of merchandise, either wholesale or retail.

Mercantile buildings shall be further subclassified as follows :

Subdivision F-1 Shops, Stores, Departmental Stores market with area up to 500 m^2.

Subdivison F-2 Shops, Stores, Departmental Stores market with area more than 500 m^2.

Subdivision F-3 Underground shopping centers.

Storage and service facilities incidental to the sale of merchandise and located in the same building shall be included under this group.

3.1.8 Group G Industrial Buildings

These shall include any building or part of a building or structure, in which products or materials of all kinds and properties are fabricated, assembled, manufactured or processed, for example, assembly plants, industrial laboratories, dry cleaning plants, power plants, generating units, pumping stations, fumigation chambers, laundries, buildings or structures in gas plants, refineries, dairies and saw-mills, etc.

Buildings under Group G shall be further subdivided as follows :

Subdivision G-1 Buildings used for low hazard industries.

Subdivision G-2 Buildings used for moderate hazard industries.

Subdivision G-3 Buildings used for high hazard industries.

The hazard of occupancy, for the purpose of the Code, shall be the relative danger of the start and spread of fire, the danger of smoke or gases generated, the danger of explosion or other occurrences potentially endangering the lives and safety of the occupants of the buildings.

Hazard of occupancy shall be determined by the Authority on the basis of the fire loads of the contents, and the processes or operations conducted in the building, provided. however, that where the combustibility of the building, the flame spread rating of the interior finish or other features of the building or structure are such as to involve a hazard greater than the occupancy hazard, the greater degree of hazard shall govern the classification.

For determination of fire loads and fire load density for arriving at the classification of occupancy hazard, guidance including the calorific values of some common materials, is given at Annex A.

A broad classification of industrial and non-industrial occupancies into low, moderate and high hazard classes is given at Annex B, for guidance. Any occupancy not covered in Annex B, shall be classified in the most appropriate class depending on the degree of hazard.

Where different degrees of hazard of occupancy exist in different parts of a building, the most hazardous of those shall govern the classification for the purpose of this Code, except in cases where hazardous areas are segregated or protected as specified in the Code.

a) ***Subdivision G-1 :-*** This subdivision shall include any building in which the contents are of such comparative low combustibility and the industrial processes or operations conducted therein are of such a nature that there are hardly any possibilities for any self propagating fire to occur and the only consequent danger to life and property may arise from panic, fumes or smoke, or fire from some external source.

b) ***Subdivision G-2 :-*** This subdivision shall include any building in which the contents or industrial processes or operations conducted therein are liable to give rise to a fire which will burn with moderate rapidity or result in other hazardous situation and may give off a considerable volume of smoke, but from which neither toxic fumes nor explosions are to be feared in the event of fire.

c) ***Subdivision G-3 :-*** This subdivision shall include any building in which the contents or industial processes or operations conducted

therein are liable to give rise to a fire which will burn with extreme rapidity or result in other hazardous situation or from which poisonous fumes or explosions are to be feared in the event of a fire.

3.1.9 Group H Storage Buildings

These shall include any building or part of a building used primarily for the storage or sheltering (including servicing, processing or repairs incidental to storage) of goods, ware or merchandise (except those that involve combustible or explosive products or materials) vehicles or animals, for example, warehouses, cold storage, freight depots, transit sheds, storehouses, truck and marine terminals, garages, hangers, grain elevators, barns and stables, Storage properties are characterized by the presence of relatively small number of persons in proportion to the area. Any new use which increase the number of occupants to a figure comparable with other classes of occupancy shall change the classification of the building to that of the new use, for example, hangars used for assembly purposes, warehouses used for office purposes, garage buildings issued for manufacturing.

4.4.3 Horizontal Exit Allowance

When horizontal exit is provided in buildings of mercantile, storage, industrial business and assembly occupancies, the capacity per storey per unit width of exit of stairway in Table 21 may be increased by 50 percent and in buildings of institutional occupancy it may be increased by 100 percent.

TABLE 21 OCCUPANTS PER UNIT EXIT WIDTH

(Clause 4.4.2, 4.4.3 and C-1.6.2)

Sl. No.	Group of Occupancy	Number of Occupants		
		Stairways	Ramps	Doors
i)	Residential (A)	25	50	75
ii)	Educational (B)	25	50	75
iii)	Institutional (C)	25	50	75
iv)	Assembly (D)	40	50	60
v)	Business (E)	50	60	75
vi)	Mercantile (F)	50	60	75
vii)	Industrial (G)	50	60	75
viii)	Storage (H)	50	60	75
ix)	Hazardous (J)	25	30	40

4.5 Arrangements of Exits

4.5.1 Exits shall be be so located that the travel distance on the floor shall not exceed the distance given in Table 22.

4.5.2 The travel distance to an exit from the dead end of a corridor shall not exceed half the distance specified in Table 22, except in assembly and institutional occupancies in which case it shall not exceed 6 m.

4.5.3 Whenever more than one exit is required for any room space or floor of a building, exits shall be placed as remote from each other as possible and shall be arranged to provide direct access in separate directions from any point in the area served.

प्रोत्साहन सहायतायें

(PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-I, SECTION-I)

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
(Department of Industrial Policy & Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, January 08, 2003

. No. 1 (10) 2001-NER. The Government of India is pleased to make the following scheme of Central Grant or Subsidy for Industrial units in the State of Uttaranchal and Himachal Pradesh with a view to accelerating the industrial development in the States.

1. Short Title

The scheme may be called the Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2003.

2. Commencement and duration of the Scheme

It will come into effect from 7th January, 2003 and remain in force upto and inclusive of 06.01.2003.

3. Applicability of the Scheme

The scheme is applicable to all industrial units in the Growth Centres approved for Uttaranchal and Himachal Pradesh and also to the new industrial units or existing units, on their substantial expansion, in Growth Centres or Industrial Infrastructure Development Centres (IIDC) or industrial estates/parks/export promotion zones and commercial estates set up by states of Uttaranchal and Himachal Pradesh and to new industrial units or existing units on their substantial expansion in the specified thrust industries (as at Annexure) located outside these growth centres and other identified locations.

4. Eligibility period

The subsidy will be available during the duration of the scheme, to an eligible industrial unit for a period of ten years from date of commencement of commercial production

5. Definitions

(a) 'Industrial Unit' means any industrial unit where a manufacturing programme is carried on or suitable servicing unit as defined in M/o SSI Letter No. 2(3)/91-SSI. Bd datd 30-9-1991, other than that run Departmentally by Government.

(b) 'New Industrial Unit' means an industrial unit for the setting up of which effective steps were not taken prior to 7th January, 2003.

(c) 'Existing Industrial Unit' means an industrial unit existing as on 7th January, 2003.

(d) 'Substantial Expansion' means increase by not less than 25% in the value of fixed capital investment in plant and machinery of an industrial unit for the purpose of expansion of capacity/modernization and diversification.

(e) 'Effective steps' means one or more of the following steps :-

(i) that 10% or more of the capital issued for the industrial unit has been paid up;

(ii) that any part of the factory building required for manufacturing activity has been constructed;

(iii) that a firm order has been placed for any plant and machinery required for the industrial unit.

(a) 'Fixed Capital Investment' means investment in plant and machinery for the purpose of this scheme.

6. Extent of admissible subsidy

All eligible industrial units located in the Growth Centres or IIDC or industrial estates/parks/export promotion zones and commercial estates set up in Uttaranchal and Himachal Pradesh shall be given capital investment subsidy at the rate 15% of their fixed capital investment in respect of new units or additional investment in respect of substantial expansion by an existing units in the plant and machinery, subject to a maximum ceiling of Rs. 30 lakh.

6.1 Similar benefits would also be extended to the new industrial units or to the existing units, on their substantial expansion, in other Growth Centres or IIDC or industrial estates/parks/export promtion zones and commercial estates set up by the Governments of Uttaranchal and Himachal Pradesh, new industrial unit or to the existing units, on their substantial expansion in the specified thrust industries (as at Annexure) located outside these growth centres and other identified locations, would also be eligible for similar fiscal incentives.

7 Plant & Machinery

In calculating the value of plant and machinery, the cost of industrial plant and machinery as erected at site will be taken into account which will include the cost of productive equipment,such as tools, jigs, dies and moulds, insurance premium and their transportation cost.

7 (a) The amount invested in goods carriers to the extent they are actually utilised for transport of raw material and marketing of the finished products, will be taken into account.

7(b) Working capital including raw materials and other consumables stores, will be excluded for computing value of plant and machinery.

8. Designated agency for disbursement of subsidy

The designated agency for disbursement of Capital Investment Subsidy will be notified in consultation with the State Governments concerned.

9. Procedure for claiming Capital Investment Subsidy

Industrial units eligible for subsidy under the scheme will get themselves registered with the State Industries Department prior to taking effective steps for setting up the new units or undertaking substantial expansion of the existing units and indicate, in their claim for investment subsidy, their assessment of the toal fixed capital/additional fixed capital likely to be invested by them in the plant and machinery of their unit.

10. Procedure for disbursement of Capital Investment Subsidy

The State Government will set up a Committee consisting of a representative each of the State Finance Department and State Directorate of Industries and if the industrial unit is to be assisted by a financial institution, the representative of the financial institution concerned, which would go into each case to decide whether it should qualify for the grant of subsidy and also about the quantum of subsidy.

10.1 In respect of a new industrial unit set up without assistance from the financial institutions or the State Government, the subsidy will be disbursed to the unit by Designated Agency on the recommendation of the State Government at the time the unit goes into production. Similarly, in respect of substantial expansion by an existing industrial unit without assistance from the financial institutions of the State Government, the subsidy will be disbrused to the unit by Designated Agency on the recommendation of the State Governmet after substantial expansion has been effected and the unit has gone into the increased production. However, in such cases, whre the State Government is satisfied about the safety of the public funds, not more than half of the amount of the estimated subsidy may be released

prior to the unit going into production on the entrepreneur's furnishing a proof of having taken effective steps to the satisfaction of State Directorate of Industies and the remaining amount be released only after the unit goes into production.

10.2 In respect of an industrial unit to be assisted by the State Government, the subsidy will be disbursed to the unit by Designated Agency on the recommendation of the State Government. In such cases, the contract/agreement to be drawn up between the State Government and the unit concerned, may cover mortgage, pledge, hypothecation of the assests upto the amount of the subsidy. In respect of new industrial unit or in respect of substantial expansion of an existing industrial unit to be assisted by a financial institution the subsidy will be disbursed to the unit by the financial institution in as many instalments as the loan in disbursed by the financial instituion and simultaneously claimed by the financial institution from Designated Agency. In such cases, the contract/agrement to b e drawn up between the financial institution and the unit concerned may cover mortagage/pledge/hypothecation of the assests of the unit upto the amount of the loan to be advanced by the financial institution concerned and the subsidy.

11. Rights of the Centre/State Government/Financial Institutions

If the Central Government/State Government/Financial Institutions concerned is satisfied that the subsidy or grant to an industrial unit has been obtained by misrepresentation as to an essential fact, furnishing of false information or if the unit goes out of production within 5 years afte commencement, the Central Government/State Government/Financial Institution concerned may, after giving opportunity to the unit concerned of being heard, ask the unit to refund the grant or subsidy already received.

12. Without taking prior approval of the Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy and Promotion/State Government/Financial Institution concerned, no owner of an Industrial unit, after receiving a part or the whole of the grant or subsidy, will be allowed to change the location of the whole or any part of industrial unit or effct any substantial contraction or disposal of a substantial part of its total fixed capital investment, within a period of 5 years after its going into production.

13. In respect of all units to whom the grant or subsidy has been disbursed by the Financial Institution/State Government, certificate or utilization of the grant or subsidy for the purpose for which it was given, shall be furnished to the Central Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy and Promotion by the Financial Institution/State Government within a period of one year from the date of receipt of the last instalment/full amount.

14. After receiving the grant or subsidy, each industrial unit shall submit Annual Progress Report to the Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy and Promotion/State Government (as may be designated) about its working for a period of 5 years after going into production.

(S. JAGADEESAN)
Joint Secretary.

Annexure

THRUST INDUSTRIES INCLUDED IN ANNEXURE II OF O.M. NO. 1 (10)/2001-NER DATED 7-01-2003 OF NEW INDUSTRIAL POLICY AND OTHER CONCESSIONS FOR THE STATES OF UTTARANCHAL AND HIMACHAL PRADESH

Sl. No.	Activity	4/6 digit Excise Classification	Subclass under NIC Classification 1998
1.	Floriculture	-	-
2.	Medicinal herbs and aromatic herbs etc. processing	-	-
3.	Honey	-	-
4.	Horticulture and Agro based industries such as a. Sauces, Ketchup etc. b. Fruit, Juices & Fruit pulp c. Jams, Jellies, Vegetable juices, Puree, Pickles etc. d. Preserved fruits and vegetables e. Processing of fresh fruits and vegetables including packaging f. Processing, preservation packaging of mushrooms	21.03 2202.40 - 20.01 -	15135 to 15137 & 15139 - - - -
5.	Food Processing Industry excluding those included in the negative list	19.01 to 19.04	-
6.	Sugar and its by-products		
7.	Silk and Silk Products	50.04 50.05	17116
8.	Wool and Wool Products	51.01 to 51.12	17117
9.	Woven fabrics (Excisable garments)		
10.	Sports goods and articles and equipment for general physical exercise and equipment for adventure sports/activities, tourism (to be separately specified)	9506.00	
11.	Paper & paper products excluding those in negative list (as per excise classification)	-	-
12.	Pharma Products	30.03 to 30.05	-
13.	Information & Communication Technology Industry Computer Hardware Call Centres	84.71	- 30006/7
14.	Bottling of mineral water	2201	-
15.	Eco-Tourism Hotels, Resorts spa, entertainment/amusement parks and ropeways	-	55101
16.	Industrial gases (based on atmospheric fraction)		
17.	Handicrafts		
18.	Non-timber forest product based industries.		

DIRECTORATE OF INDUSTRIES, UTTARANCHAL

APPLICATION FORM FOR CLAIM OF CENTRAL CAPITAL INVESTMENT SUBSIDY SCHEME – 2003

1. a) Name of the Industrial Unit : _____
   b) Office address with Telephone No. (if any) : _____
   c) Factory Address with Telephone No. (if any) : _____
2. a) Constitution of the unit (please specify, whether Proprietor/ Partnership/ Private Limited/ Limited Company/ Co-operative Society) : _____
   b) Name(s), Address(es) of the Propietor/ Partners/ Directors of the Board of Directors/ Secretary and President of the Co-operative Society/Trustee : _____
   c) Date of Registration under the Companies Act/ or the concerned Act (Act should be clearly stated) : _____
   d) Registered Head Office of the company : _____
3. Details of Registration of the Unit _____
   a) SSI Registration :
   i) Provisional Registration No. : _____
   ii) Permanent Registration No. : _____
   b) Larg and Medium
      Number and date of industrial Licence/Letter of Intent/Industrial Entrepreneurs Memorandum : _____
   c) CIS registration No. & Date, CIS registration issued by _____
4. Whether the proposed/ New/ Existing unit undergoing substantial expansion* : _____
   a) In case of new/ proposed unit
   i) Name of the product manufactured/Activity : _____
   ii) Proposed date of commencement of production : _____
   iii) Date of going into commercial production : _____
   b) In case of existing unit undergoing substantial expansion
   i) Name of the product manufactured/ Activity before substantial expansion : _____
   ii) Name of the product manufactured/Activity after substantial expansion : _____
   iii) Proposed date of going into commercial production after expansion : _____
   iv) Date of going into commercial production after expansion : _____

*** Substantial expansion as defined in G.O.I. notification dated 08.03.2003 vide para-5(d)**

5. a) Details of Capital Investment : proposed (Attach C.A. Certificate)

		For Proposed/ new unit (Actual Investment in Lakhs Rs.)	For existing unit undergoing expansion (Actual Investment)		
			Prior expansion uipto 07.01.2003	Expansion after 07.01.2003	% increase
a)	Land				
b)	Site Development				
c)	Building				
	i) Office Building				
	ii) Factory Building				
d)	* Plant & Machinery				
e)	* Accessories				
f)	Installation and electrification				
g)	Preliminary & Preoperative exp.				
h)	* Miscellaneous fixed assets (Goods Carrier etc.)				
	TOTAL :-				

5. b) Details of effective steps taken in case of the New Industrial unit and position as on (Attach C.A. Certificate)

	Details	Prior to 07.01.2003	After 07.01.2003
(i)	Total Capital Issue (Rs.)		
(ii)	Capital issued paid up (Rs.)		
(iii)	% of capital issued paid (Rs.)		
(iv)	State of construction of factory building required for manufacturing Activity.		
(v)	State of placement of order for plant & machinery (in Rs.)		

5. c) Name of Bank/Financial Institution and A/C No.

(d) Means of Finance

		For proposed/ new unit (Please specify Actual or Proposed Investment)	For existing unit undergoing expansion (Please specify Actual or Proposed Investment)	
			Prior expansion	After Expansion
a)	Own Capital			
b)	Financial Institution/Bank i) Term Loan ii) Working Capital			
c)	Other Sources			

6. Land :

(a) Owned/Lease Hold and period of lease Rental :

(b) Value of Land/Annual Premium/Rent :

(Attached relevant documentary proof) * As specified in para-7 of the G.O.I.'s notification dated 08.01.2003

7. Power :
   a) Date of sanction of power and load :
   b) Connected load and date of connection :

Details of production of the unit (for proposed/new/expansion)

		Annual Proposed/ installed capacity of the new unit		Installed Capacity Prior Expansion		Annual Proposed/ Installed capacity after expansion	
		Quantity	Value in Rs.	Quantity	Value in Rs.	Quantity	Value in Rs.
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

8. Proposed/Working employment position in the unit :

Category	For New Unit	Expansion Unit Before	After
1. Managerial			
2. Supervisory			
3. Skilled			
4. Semi Skilled			
5. Others			
TOTAL :			

9. Claim of Central Capital Investment Subsidy :

	Particulars	Capacity Investment in Rs.	
		Proposed	Actual
(a)	The cost of industrial plant & Machinery erected or likely to be erected at site		
(b)	Cost of productive equipment, such as tools, jigs, dies and moulds, insurance premium and their transportation cost.		
(c)	Cost of goods carrier as admissible under para-7(a) of the G.O.I. notification dated 08.01.2003		
	Total Capital Investment :-		
(d)	Amount of CIS claimed @ 15%		

(Please enclose the certified copy of the bills and payment receipts of the item claimed for subsidy along with C.A. Certificate)

DECLARATION :- I/We hereby solemnly declare and affirm that the particulars/statement furnished above are true to the best of my/our knowledge and belief and if any statement made herewith in connection with this claim is detected as false or mis-represented, the amount of CIS granted by the Government will be refunded by me/us to Government as per rules/terms and conditions laid down in the agreement made for this purpose. I/We also affirm to be abide by the rules and regulations enforce under this scheme.

Place : Signature of the Applicant/ Authorised Signatory

Date :

REPORT OF THE RECOMMENDING AUTHORITY

1. Name of the unit of Address : _____
2. Whether the unit is located in the specified area or a thrust sector industry as specified in G.O.I. notification dated 07.08.2003 (Please specify) : _____
3. (a) Whether new unit or substantial expansion unit : _____
   (b) Whether the unit has taken effective steps for setting up of the new unit/undertaking substantial expansion prior or after 07.01.2003 : _____
   (c) In case of substantial expansion the percentage of increase in the value of fixed Capital Investment in plant & machinery : _____
4. Type of unit (SSI, Large & Medium) and Registration No. thereof : _____
5. CIS Registration No. & Date : _____
6. Name of the product manufactured/Activity : _____
   (a) In case of New/Proposed unit : _____
   (b) In case of substantial expansion : _____
      i) Prior expansion : _____
      ii) After expansion : _____
7. Date of proposed/Actual commencement of production : _____
   (a) Proposed : _____
   (b) Actual : _____
8. Whether the land is owned/lease/hold/rental : _____
9. Name of the Financing Agency/Bank : _____
10. Present position of the unit (about installation of the machinery/ production/ sales, etc.) : _____
11. Claims of by the unit and admissible subsidy : _____

Particulars	**Investment in Rs.**		**Subsidy Claimed**	**Subsidy Admissible in Rs.**
	Proposed	**Actual**		

12. Recommendations of the D.I.C./Recommeding Authority : _____

Place :
Date :

Signature of the Recommending Authority designation and seal

Certificate from the Registered Chartered Accountant
(For Proposed/New Unit)

Name of the Chartered Accountant : _____

I/We hereby certified that M/s. _____ (Name of the unit) has made the following capital investment on Plant & Machinery in their unit prior going into commercial production _____at _____ for manufacturing of _____by the industrial unit.

Sl. No.	Item		Value in Rupees
1.	Cost of Plant & Machinery (Enclose list of Plant & Machinery duly signed by the authorised signatory)	:	
2.	Other Productive Equipment (Tools, Dies, Jigs)	:	
3.	Insurance Premium	:	
4.	Transportation Cost of the Plant & Machinery	:	
5.	Other assests (Goods Carriers to the extent actually used for Transport of Raw Material and Finished Goods)	:	
	TOTAL	:	

NOTE : The value of Plant & Machinery is to be calculated according to the instructions vide Govt. of India, Ministry of Commerce and Industry (Deptt. of Industrial Policy & Promotion) Notification Dated 08.01.2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-1, Section-1.

We have checked the books of account of the invoices etc. and certified that the aforesaid information are verified and certified to be true. We also certify that all the aforesaid items have been duly paid for and no credit is arisen there against in the books of the unit.

Place :

Signature of the Chartered Accountant

Date :

Registration No.

[This certificate may not be produced in case of the unit where the investment in plant & machinery is upto Rs. 1.00 Laks]

Certificate from the Registered Chartered Accountant
[for existing unit undergoing expansion/diversification]

Name of the Chartered Accountant : _____

I/We hereby certified that M/s. _____ (Name of the unit) has made the following capital investment on Plant & Machinery in their unit at _____ (location of the unit) for expansion from _____to_____ The unit is engaged in production of _____and gone into commercial production after expansion/diversification on _____

Sl. No.	Item	Investment Prior expansion (Gross) Value in Rs.	Additional Investment made for expansion value in Rs.	Total Capitals Investment Value in Rs.
1.	Cost of Plant & Machinery(Enclose list of Plant & Machinery duly igned by the authorised signatory)			
2.	Other Productive Equipment Tools, Dies, Jigs)			
3.	Insurance Premium			
4.	Transportation Cost of the Plant & Machinery			
5.	Other assests (Goods Carriers to the extent actually used for Transport of Raw Material nd Finished Goods)			
	TOTAL			

NOTE : The value of Plant & Machinery is to be calculated according to the instructions vide Govt. of India, Ministry of Commerce and Industry (Deptt. of Industrial Policy & Promotion) Notification Dated 08.01.2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-1, Section-1.

e have checked the books of account of the invoices etc. and certified that the aforesaid information are verified and certified to be true. We also certify that all the aforesaid items have been duly paid for and no credit is arisen there against in the books of the unit.

Place :

Signature of the Chartered Accountant

Date :

Accountant
Registration No.

[This certificate may not be produced in case of the unit where the investment in plant & machinery is upto Rs. 1.00 Laks]

Bank/Financial Institution Certificate

Certified that _____
have been disbursed as on this date the amount to Rs. _____
sanctioned under Letter No. _____Dated_____
as shown below.

1.	Loan Amount previously disbursed upto	
2.	Total Amount disbursed upto date against the item (s) mentioned below :-	
	i) Land	
	ii) Building (excluding residential quarters)	
	iii) Plant & Machinery	
	iv) Others assets : Tools, Jigs, Dies and moulds and good carriers.	
	TOTAL	

Signature of a responsible officer of the
Bank/Financial Institution

Seal & Date

AFFIDAVIT

I Sri/Smt. _____S/o or D/o Sri/ _____ _____aged_____year by profession _____ do hereby solemnly declare and affirm follows :-

1. The I am a citizen of India and permanet residence of Village _____ P.O. _____in the District of _____Uttaranchal.
2. That I am Proprietor/Managing Partner/Managing Director of M/s. _____ and owners of land/building/plant & machinery of the above unit which industrial activity on _____.
3. That the particulars furnished in the claim application for the subsidy under the afforsaid scheme are/or will exactly that same as those submitted to the income Tax authorities in respect of industrial unit known as M/s. _____ situated at village _____of the district _____ That no subsidy grant under State Government/Central Government/Organisation etc. have been availed by me/us on the items mentioned in the claim application form.
4. That the particulars furnished in the application form and/or in connection with the application for subsidy are correct and true to be best of my knowledge and that in case of any particulars are found to be false or to be misrepresentation of essential fact. I shall be liable to punish under law of the land.
5. That, I Sri/Smt. _____ the deponent of above do hereby solemnly declare and affirm that statement made above are true to the best of my knowledge, belief and information in taken thereof.

   Identified by me.

   Signature (Advocate) — Signature (Deponent)

   Solemnly affirm before me by Sri _____ S/o Sri _____being identified by _____ Advocate on this day.

MAGISTRATE
(Seal)

Certified/Attested photocopies of the documents to be submitted along with the application form for claiming CIS

1. Constitution of the Unit :
   a) In case of partnership unit, registered deed of partnership with general power of attorney.
   b) In case of private limited/public limited company.
      i) Registration Certificate under the companies Act.
      ii) Memorandum and Article of Association.
      iii) List of Board of Directors.
   c) In case of Co-Operative Society.
      i) Resolution of the General Body for Registration of the unit under SSI, if any.
      ii) Registration Certificate
      iii) Memorandum and Article of Association.
2. Registration Certificate from the district industries centre (Provisional & Permanent) and LI/IL/IEM/ etc., if any.
3. Land & Building :
   a) In case of government land alloted by government : Allotment letter, Trace map and receipt on the premium paid to the government for the allotment.
   b) In case of lease hold from a private owner : Lease Deed Agreement along with general power of attorney and trace map.
   c) In case of ownland :
      i) Purchase deed.
      ii) Upto date non-incumbent certificate
      iii) Jamabandi copy and trace map
   d) In case of Government land alloted by any Government agency :
      i) Allotment letter and trace map
      ii) Deed of Agreement
   e) In case Industrial shed allotment by any Government agency:
      i) Allotment letter.
      ii) Deed of Agreement
4. Sanction letter from the Financial Institution/banks for Term Loan & working capital loan.
5. Power :
   i) Power Sanction Letter
   ii) First bill of SEB/POWER CORPORATION.
6. All bills, vouchers & money receipts on plant & machinery.

7. List of plant & machinery indicating name of the suppliers & its value and date of installation duly signed by the authorised signatory.
8. Certificate from a Chartered Accountant for plant & machinery as prescribed.
9. Project Report/Scheme of the unit approved by the Bank/Financial Institution/Concerned DIC, as the case may be.
10. List of employees indicating category, status & their wages.
11. Source of own finance/equity with supporting documents.
12. No objection certificate from the local bodies/authority and trade licences, if any.
13. NOC from the DIC/State Pollution Control Board.
14. Affidavit as per prescribed format.
15. Certificate from Bank/Financial Institution in support of Financial assistance as per format.
16. Any other documents/information, if required.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2000

सं. 11(1)/2000–डी0बी0ए0 –प्प, केन्द्र सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्रालय के समय–समय पर तथा–संशोधित दिनांक 23 जुलाई, 1971 की अधिसूचना सं. 6/26/71–आई0सी0 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती हैः–

1. "प्रारंभ तथा अवधि" शीर्षक के तहत पैरा–2 में मौजूदा पैरा के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएः–

"इस योजना को जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्कम, उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिये 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2007 तक के लिये और बढ़ाया जाता है।''

एस0 जगदीशन,
संयुक्त सचिव।

Transport Subsidy Scheme :

Published in Part I, Section I of the Gazette of India Extra-ordinary dated 27.07.1971 (No. 102) vide Notification No. F. 6(26) / 71-IC dated 23.07.1971 and amended vide Notification No. 6(26)/71-IC dated 28.02.1974 published in the Part I, Section I of the Gazette of India Extra-ordinary dated 28.02.1974 (No. 103) and Notification No. 6/3/75-RD dated 19.07.1978 Notification No. 11/1/90-DBA.II dt. 28.07.1993 & 29.09.1995 and No. 11(1)/98-DBA.II dated 29.01.1998.

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 1971

No. 6(26)/71-IC- The Government of India are pleased to make the following scheme for grant of subsidy on the transport of raw materials and finished goods to and from certain selected areas with a view to promoting growth of industries there :-

1. **Short Title :-** This Scheme may be called the Transport Subsidy Scheme, 1971.
2. **@ Commencement and Duration :-** It comes into effect from 15.07.1991, for selected areas (A), with effect from 24.08.1973 for selected areas (B), with effect from 1.12.1976 for selected areas (C) and with effect from 5.12.1977 for selected areas (D) and will remain in operation till 31.03.2007.
3. @ It is applicable to all industrial units (barring plantations, refineries and power generating units) both in the public and the private sectors, irrespective of their size in the selected areas (A), (B), (C) and (D).
4. **Definitions :-**
   (a) 'Industrial Unit' means and industrial unit where a manufacturing programme is carried on.
   (b) 'New Industrial Unit' means an industrial unit which has set up manufacturing capacity and come into production on or after the date of commencement of the Scheme.
   (c) 'Existing Industrial Unit' means an industrial unit which has set up manufacturing capacity and came into production before the date of commencement of the Scheme.
   (d) 'Substantial expansion' means increase in production of an industrial unit by 25 percent or more of the licenced or approved capacity.
   (e) 'Diversification' means manufacture of new article or articles by an industrial units by 25 percent or more (by value) of the approved or licensed capacity of the article or articles already manufactured by it during the preceding year.
   @ Amended vide Notification No. 11(1)/95-DBA. II Dated 28.07.93 dated 29.09.1995 and No. 11(1)/98-DBA.II dated 29.01.1998.
   (f) ** The Selected Areas (A) means the State of Jammu & Kashmir and the North-Eastern Region comprising the States of Assam, Meghalaya, Manipur, Nagaland and Tripura and the Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram, The Selected Areas (B) means the State of Himachal Pradesh and Hilly areas of Uttar Pradesh State comprising the districts of Dehradun, Nainital, Almora, Pauri Garhwal, Tehri Garhwal, Pithorgarh, Uttarkashi and Chamoli the Selected Areas (C) means the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep and the Selected Areas (D) means the State of Sikkim.
   (g) %

(h) 'Raw Material' means any raw material actually required and used by an industrial unit in its manufacturing programme as approved by the Government of India and/or by the Government of State/Union Territory in which the industrial unit is located.

i) 'Finished Goods' means the goods actually produced by an industrial unit in accordance with the manufacturing programme approved by the Government of India and/or the Government of State/Union Territory in which the industrial unit is located.

5. %

6. **Details of the Scheme :-**

i) A transport subsidy will be given to the industrial units located in the selected areas in respect of raw materials which are brought into and finished goods which are taken out of such areas.

ii) @ Industrial units will not be eligible for the transport subsidy for internal movement of raw materials and finished goods within the State of Jammu & Kashmir, the North Eastern Region, the State of Himachal Pradesh, the hilly areas of Uttar Pradesh, the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep and the State of Sikkim.

iii) @ In the case of Jammu & Kashmir, transport subsidy will be given on transport costs between the location of the industrial unit and rail head of Jammu or Pathankot, whichever is nearer. In the case of Himachal Pradesh, the transport subsidy will be given on transport costs between the location of the industrial unit in the States and the nearest rail-head viz. (i) Pathankot, (ii) Kiratpur Sahib, (iii) Nangal, (iv) Kalka, (v) Ghanauli, (vi) Yamuna Nagar, (vii) Barara & (viii) Hoshiarpur

In the case of hilly areas of Uttar Pradesh State, the transport subsidy will be given on the transport costs between the location of the industrial unit and the nearest rail-head viz., (i) Dehradun, (ii) Rishikesh, (iii) Moradabad, (iv) Bareilly, (v) Kotdwara, (vi) Shahajanhanpur & (vii) Rampur.

** Amended vide Notification No. 6/3/75-RD dated 19.07.1978.

@ Amended Vide Notfication No. F.6(26)/71-IC dated 28.02.1974 and No. 6/3/75-RD dated 19.07.1978.

% Deleted vide Notification No. 6(26)/74-IC dated 28.02.1974.

iv) *In the case of North-Eastern region comprising the States of Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura and the Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram the transport subsidy will be given on the transport costs between Siliguri and the location of the industrial unit in these States/Union Territories. While calculating the transport costs of raw materials the cost of movement by rail for Siliguri to the railway station nearest to the location of the Industrial unit will be taken into account. Similarly, while calculating the transprot costs of finished goods the costs of movement by road from the location of industrial unit to the nearest railway station and thereafter the cost of movement by rail to Siliguri will be taken into account. In the case of North- Eastern region, for raw materials moving entirely by road or other mode of transport in the Norht Eastern region, the transport costs will be limited to the amount which the industrial unit might have paid

had the finished goods moved from the location of the industrial units to the nearest railway station by road and thereafter by rail to Siliguri.

v) & In the case of Andaman & Nicobar Islands, the transport subsidy will be given on transport costs by sea and road between Madras Port and the location of the industrial unit in the Union Territory. In the case of Lakshadweep, the transport subsidy will be given on transport costs by sea and road between Cochin Port and the location of the industrial unit in the Union Territory. If any other port on the mainland is used for the purpose of transport subsidy, the transport costs will be taken at the industrial unit would have incurred had Madras or Cochin Port, as the case may be, been used, or the actual transport costs, whichever are less.

vi) & In the case of Sikkim, the tranport subsidy will be given on transport costs between the location of the industrial unit in the State and the rail head of Siliguri.

vii) + Freight charges for movement by road/sea will be determined on the basis of transport/transshipment rates fixed by the Central Government/State Government/Union Territory Administration concerned from time to time or the actual freight paid, whichever is less.

viii) $ Cost of loading or unloading and other handlings charges such as from railway station to the site of the industrial unit will not be taken into account for the purpose of determining transport costs. & Inserted vide Notification No. 6/3/75-RD dated 19.07.1978. * Amended vide Notification No. F. 6(26)/71-IC dated 28.02.1974. + Renumbered and amended vide Notification No. 6/3/75-RD dated 19.07.1978. $ Renumbered vide Notification No. 6/3/75-RDM dated 19.07.1978.

ix) $ All new industrial units located in the selected areas will be eligible for transport subsidy equivalent to 50 percent of the transport costs of both raw materials as well as finished goods.

x) $ Existing industrial units in the selected areas are also eligible for transport subsidy in respect of the additional transport costs of raw material and finished goods arising as a result of substantial expansion or diversification effect by them after the commencement of the Scheme. Transport Subsidy in such cases will be restricted to 50 percent of the transport costs of the additional raw materials required and finished goods produced as a result of the substantial expansion or diversification.

xi) + Transport Subsidy will also cover 50 percent of the transport charges for movement of steel from Gauhati stockyard of M/s. Hindustan Steel Ltd. to the site of the industrial units in the North-Eastern region and for movement of industrial raw materials from the State Corporation's depots situated in the hill districts of Uttar Pradesh to the sites of the industrial units located in the hill districts of the State.

xii) *$ The State Govt./Union Territory Admn. will set up a Committee consisting of the Director of Industries, a representative each of the State Industries Department and the State Finance Deptt. etc. on which a representative of the Ministry of Industrial Development will also be nominated. The Committee will operate at the State/Union/Territory

level and scrutinize and settle all claims of transport subsidy arising in the State/Union Territory. The claimants should be asked to provide proof of raw material, 'imported' into and finished goods 'exported' out of the selected State/Union/Territory/areas where the unit is situated from the registered Chartered Accountants. The committee may also lay down the production of any other documents which in their opinion is necessary to decide the eligibility of claimant for the transport subsidy. However, in the case of small units with a capital investment of Rs. 1 lakh or less the requirement of production of certificate from Chartered Accountant may be waived. subject to the the condition that such claims are properly verified by the State Govenment authorities before the subsidy is sanctioned/disbursed. After having scrutinized and settled the claims, the amount disbursed to industrial unit should first be adjusted against the outstanding ways and means of advances made to the State Government/Union Territory Administration for Centrally Sponsored Scheme in accordance with the procedure outlined in the Minstry of Finance Letter No. 2(17)/PII/58 dated 12.05.1958 and the balance, if any, shall be paid in cash to the State Govt./Union Territory Administration.

Provided that in the case of small units with a Capital Investment of Rs. 1,00,000 and less, the requirement of production of proof of import of raw material and export of finished products from registered Chartered Accountant will be substituted by a appropriate verification by the State Govt. authorities.

xiii) $ In order to check any misuse of transport subsidy Directorate of Industries in the State/Union Territories will carry out periodical checks to ensure that the raw materials and the finished goods in respect of which transport subsidy has been given were actually used for the purpose by a system of scrutinising of consumption of the raw materials and the output of the finished goods.

$ Renumbered vide Notification No. 6/3/75-RDM dated 19.07.1978.

xiv) $ Directorate of Industries of the State and Union Territories concerned will draw up procedures and arrangements not only for scrutinising the claims for transport subsidy but also arrange for prompt payment of the claims. The number of transport subsidy claims that may be preferred by an industrial unit should not ordinarily exceed one in a quarter. However, the Director of Industries may at his discretion entertain more number of claims in a financial year, if the financial position of the industrial unit so warrants.

xv) $ Directorates of Industries of the States and Union Territories concerned will lay down a system of pre-registration of the industrial units which are eligible for transport subsidy. At the time of registration the Directorate of Industries will fix and indicate the capacity of such units. They will also lay down procedure to ensure regular inflow of information regarding the movement of raw material and finished goods to and from the industrial units. The Directorate of Industries of the States and Union Territories should also lay down that statistics of production and utilization of raw materials should be

maintained and kept open for inspection on request by the Directorate of Industries.

xvi) $ The Ministry of Industrial Development will continuously review the arrangements made by the Directorate of Industries of the concerned States and Union Territories and suggest modifications in the procedure for scrutinizing the claim, payment of transport subsidy etc.

xvii) $ Notwithstanding the provisions of the Scheme Government of India and/or the Govt. State/Union Territory concerned have full discretion to refused to entertain or reject any claim for transport subsidy.

xviii) $ Any false statement made deliberately by an industrial unit or any misrepresentation of facts by it will disqualify it from the grant of transport subsidy for such period of time as the Government of India and/or the Government of State/Union Territory concerned may decide after giving a reasonable opportunity to the industrial unit to state its case.

$ Renumbered vide Notification No. 6/3/75-RDM dated. 19.07.1978.

संख्या : 2689/औ0 वि0–1/2001/242 उद्योग/2004

प्रेषक :

एस0 कृष्णन
सचिव, उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक उद्योग, देहरादून।

विषयः भारत सरकार की योजनान्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन उपादान तथा राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष परिवहन उपादान योजना नियमावली में दावों के सत्यापन की प्रक्रिया का सरलीकरण

दिनांक : 29 दिसम्बर, 2001

महोदय,

औद्योगिक विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश सं. 2010(11)/18–13–90 दिनांक 24, अगस्त 1990 तथा अनुवर्ती शासनादेश सं. 1136/77–6–2000–49 (एम)/88 दिनांक 1, अगस्त, 2000 एवं शासनादेश सं. 1153/77–6–2000–49(एस)/88 दिनांक 12.09.2000 में संशोधन करते हुये परिवहन उपादान योजना के अंतर्गत दाखिल किए गये दावों के निष्पादन तथा सत्यापन की प्रक्रिया का सरलीकरण एतद्द्वारा निम्नवत् किया जाता है।

1. उद्योग कार्यरत होने चाहिएं।
2. उद्योग की स्थापित क्षमता की पुष्टि वित्तीय संस्थाओं या प्लान्ट सप्लायर से होनी चाहिए।
3. उद्योग द्वारा क्रय किए गये कच्चे माल एवं उत्पादित माल की बिक्री की पुष्टि अन्तरिम तौर पर व्यापार कर में दाखिल मासिक/त्रैमासिक रिटर्न के आधार पर कर ली जाये। इसके आधार पर भुगतान करने के पश्चात अन्तिम सत्यापन कर विभाग के कर निर्धारण आदेश के आधार पर किया जाये। यदि इन दोनों में किसी प्रकार की भिन्नता हो तो कर निर्धारण के आँकड़ो को प्रमाणित माना जायें।
4. उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के संदर्भ में एवं उद्योग द्वारा परिवहन पर किए गये व्यय, को चार्टेड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण पत्र से सत्यापित कराया जाये।
5. उद्यामियों द्वारा अपना कच्चा माल एवं तैयार माल रजिस्टर्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी द्वारा ही बुक कराया जाय। रजिस्टर्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का परिवहन विभाग में पंजीकरण की अनिर्वायता नहीं है। यदि ट्रान्सपोर्ट कम्पनी साझेदारी फर्म हो या अन्य किसी शासकीय मान्यता प्राप्त एजेन्सी के साथ पंजीकृत है तो भी उसे रजिस्टर्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का दर्जा प्राप्त होगा एवं उपादान के मामलों मे ऐसी कम्पनी के द्वारा की गयी ढुलाई को मान्यता प्रदान की जाएगी।
6. माल की बिल्टी की प्रमाणित प्रतिलिपि दावे के साथ प्रस्तुत की जाय।
7. उपरोक्त सभी बिन्दुओं के संदर्भ में उद्यमी से शपथपत्र लिया जाय, जिसके असत्य पाए जाने पर एकमुश्त वसूली की जाएगी जिस पर 24 प्रतिशत दण्ड ब्याज भी देना होगा।
8. यह शासनादेश निर्गत होने के दिनांक से प्रभावी होगा तथा पूर्व में आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0 प्र0 द्वारा इस संबंध में जारी किए गये निम्नलिखित शासनादेश एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैः–
   (अ) उद्योग निदेशालय, उ0 प्र0, कानपुर का पत्रांक 854/63 दिनांक 01.09.1986
   (ब) उद्योग निदेशालय, उ0 प्र0, कानपुर का पत्रांक 886–93 दिनांक 28.08.87
   (स) उद्योग निदेशालय, उ0 प्र0, कानपुर (पूर्व अनुभाग–15) का पत्रांक 526–33 दिनांक 03.07.89
   (द) उद्योग निदेशालय, उ0 प्र0 पर्वतीय अनुभाग–15 के पत्रांक 853–86 दिनांक 03.08.93
   (य) औद्योगिक विकास विभाग–6, संख्या 1136/77–6–2000–49 (एम)/88 दिनांक 01.08.2000
   (र) औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग–6 संख्या 1153/77–6–2000–49 (एम)/88 दिनांक 12.09.2000

भवदीय,

एस0 कृष्णन्,
सचिव।

APPLICATION FOR REGISTRATION OF INDUSTRIAL UNIT FOR 75% TRANSPORT SUBSIDY

(TO BE SUBMITTED IN DUPLICATE)

1. Name & Address of the Unit
2. Name & Address of the Proprietor/ Director/ Partners
3. Registration/Licence No. of the unit with date & issuing authority
4. Whether New unit/Expansion of existing unit
5. Ownership/Partnership/Co-operative or Private Public Ltd. Propreitory etc.
6. Partnership Deed (A certified true copy to be enclosed)
7. Date on which the unit has gone into production or process to go into production.
8. Investment made for the Industrial Unit for
   (a) Land
   (b) Building
   (c) Plant & Machinery
9. Production capacity and requirement of Raw-Materials as per Licence Registration etc. (per annum)

   PRODUCTION PER ANNUM QUANTITY VALUE

   (a) Name of the Items
   (b) Name of the materials (List enclosed)
   (c) Source/Sources from which Raw-materials are obtained
   (d) Place where finished product are sold despatched

   (The figures given above are projected figure of 100% capacity. Actual production yet to begin)
10. In case of existing unit taking up substantial expansion or diversification after the commencement of this scheme
    (a) Consumption of raw materials & production of finished products during the year preceeding of expansions or diversification.
    (b) Raw material consumed
        (i) Finished goods Manufactured
        (ii) Raw-material purchased from outside to the Nearest Rail Head.
        (iii) Finished products sold to place outside from Nearest Rail Head
    (c) Details of expansion undertake

(i) Additional Capital Investments (For Plant & Machinery, Factory, Building, Land etc.)

(ii) Employment

(d) Capacity increased due to expansion (p/a)

Production (i) Item
(ii) Quantity
(iii) Value

(e) Requirement of Raw-Materials for expansion

Capacity (i) Item
(ii) Quantity
(iii) Value

Signature of the Applicant with Address

CERTIFICATE

Certified that I have personally visited the unit and examined the documents available and presented to me and found correct the information furnished in this application against items (mentioned items Nos.)

Certified that in absence of proper information/documents the information furnished in this application property.

Signature
Assistant Manager/Manager/General Manager,
DIC

GOVERNMENT OF UTTARANCHAL
DISTRICT INDUSTRIES CENTRE

No. ...../TSR/ Dated .....

To,

M/s. _____
_____
_____

Sub : Registration under Transport Subsidy Scheme

Sir,

With reference to your application dated _____ this office has recorded your application for registration under Central Transport Subsidy Scheme and has given the Transport Subsidy Registration as follows :-

No.	**DIC**	**TSR**	**Dated**			

This number is to be quoted in all Transport Subsidy Claim.

General Manager,
District Industries Centre

संख्याः– 1040 / औ0वि0 / ब्या0प्रो0सहा0–सात / 2004–169 उद्योग

विषय : लघु उद्योगों हेतु ब्याज प्रोत्साहन सहायता

दिनांक : 24 मई, 2004

महोदय,

प्रदेश की औद्योगिक नीति 2003 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले नई लघु औद्योगिक इकाईयों, पर्याप्त विस्तार / विविधिकरण करने वाली लघु औद्योगिक इकाईयों तथा रूग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों के लिए प्राविधानित ब्याज प्रोत्साहन सहायता से सम्बन्धित **"ब्याज प्रोत्साहन सहायता नियमावाली, 2003"** तथा आवेदन पत्रों के प्रपत्र अनुमोदन उपरान्त संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृपया उक्त योजना का समुचित प्रचार प्रसार कर राज्य के औद्योगिक नीति के अनुरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

भवनिष्ठ

संजीव चोपड़ा,
सचिव।

संख्याः– 1040 / औ0वि0 / ब्या0प्रो0सहा0–सात / 69–उद्योग / 2004

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन

अधिसूचना

देहरादून : दिनांक : 24 मई, 2004

राज्य शासन एतद्द्वारा दिनांक जुलाई 2003 से **"उत्तरांचल राज्य ब्याज प्रोत्साहन सहायता योजना, 2003"** नियमानुसार लागू करता है।

1. **संक्षिप्त नामः–** यह नियमावली ब्याज प्रोत्साहन योजना, 2003 कहलायेगी।
2. **योजना का प्रारम्भ और अवधिः–** यह योजना 1 जुलाई, 2003 से प्रभावी होगी तथा 31 मार्च, 2008 तक प्रवृत रहेगी।
3. **परिभाषाः–** इस योजना के सम्बन्ध में नयी लघु औद्योगिक इकाई, पर्याप्त विस्तार की लघु औद्योगिक इकाई तथा रूग्ण लघु औद्योगिक इकाई, सावधि ऋण व कार्यशील पूंजी आदि की परिभाषाएं वही होगी, जो विकास आयुक्त (लघु स्तरीय उद्योग) भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर अधिसूचित तथा विज्ञापित की गयी हैं।
4. **पात्रताः–**
   (क) प्रदेश में स्थापित होने वाली नई लघु औद्योगिक इकाईयाँ इस योजना के अन्तर्गत ब्याज प्रोत्साहन सहायता की पात्र होगी। साथ ही प्रदेश में स्थापित ऐसी इकाईयाँ, जिन्होंने अपने आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण एवं विविधिकरण हेतु वित्तीय संस्था / बैंक से ऋण लिया हो, उपादान की पात्र होगी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप वित्त पोषक संस्था/बैंक द्वारा अभिज्ञापित/घोषित ऐसी रूग्ण लघु औद्योगिक इकाईयाँ, जिनका पुर्नवासन प्रस्ताव सम्बन्धित वित्तीय संस्था/बैंक से अनुमोदित हो।

(ग) इकाई उद्योग विभाग में लघु उद्योग के रूप में अस्थाई अथवा स्थाई रूप से पंजीकृत हो।

(घ) इकाई किसी सार्वजनिक अथवा सहकारिता क्षेत्र के बैंक तथा वित्तीय संस्था से वित्त पोषित हो।

(ङ) यह सहायता योजना प्रभावी होने के दिनांक अर्थात दिनांक 1 जुलाई, 2003 के उपरान्त वित्तीय सहायता/ऋण प्राप्त करने वाली लघु औद्योगिक इकाईयों को ही प्राप्त होगी।

(च) ब्याज उपादान केवल उन्ही उद्योगो को अनुमन्य होग, जिनके द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज उपादान की सुविधा प्राप्त न की गई हो। अन्य शासकीय विभागों से सुविधा प्राप्त करने की दशा में इकाई द्वारा प्राप्त की गई वास्तविक धनराशि तथा देय धनराशि के अन्तर के बराबर अवशेष धनराशि का आंकलन कर अनुमन्य राशि का निर्धारण किया जायेगा। विशेष रूप से खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग के माध्यम से स्थापित इकाईयों को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, क्योंकि उन इकाईयों के लिये खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की योजना पृथक से लागू है।

(छ) ब्याज प्रोत्साहन सहायता केवल उन्हीं इकाईयों को उपलब्ध होगी, जो प्रोत्साहन सहायता की अन्तिम किश्त मिलने की तिथि के बाद कम से कम 3 वर्षो तक कार्यरत रहेगी, अन्यथा शासन को यह अधिकार होगा कि दी गई सहायता की समस्त धनराशि इकाई से वसूल कर ले।

(ज) यह प्रोत्साहन सहायता नये लघु उद्योगों को तथा वर्तमान में कार्यरत लघु इकाईयों को उनके आधुनिकीकरण एवं पर्याप्त विस्तारीकरण हेतु तभी उपलब्ध होगी, जबकि उन्होने राज्य वित्तीय संस्थाओं/सार्वजनिक अथवा सहकारिता क्षेत्र के बैंकों से ऋण लिया हो तथा मूलधन व ब्याज के भुगतान में किसी प्रकार की चूक न की हो।

(झ) ब्याज प्रोत्साहन सहायता औद्योगिक इकाई को अधिकतम 5 वर्ष अथवा योजना की अवधि तक ही देय होगी।

5. <u>स्वीकार्य ब्याज प्रोत्साहन सहायता की सीमाः–</u>

(क) लघु औद्योगिक इकाईयों द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण की ब्याज दर में तीन प्रतिशत की दर से ब्याज उपादान अनुमन्य होगा, किन्तु उपादान की अधिकतम सीमा रू0 2 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष होगी। दूरस्थ क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाईयों हेतु यह सहायता लिये गये ऋण की ब्याज की दर से 5 प्रतिशत की दर से दी जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 3 लाख प्रति इकाई

प्रति वर्ष होगी । दूरस्थ क्षेत्र में स्थापित इकाई का तात्पर्य ऐसी इकाईयों से है, जो राज्य में समुद्र तल से 3000 फिट या उससे अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में स्थापित हों।

(ख) ब्याज प्रोत्साहन सहायता की राशि प्रत्येक वर्ष में बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा चार्ज किये गये मूल ब्याज दर पर उपरोक्त प्रस्तर–(क) के प्राविधानानुसार बैंक द्वारा ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत किये गये क्लेम के आधार पर आंगणित की जायेगी किन्तु प्रत्येक दशा में प्रत्येक इकाई के लिए ब्याज प्रोत्साहन सहायता की राशि उक्त प्रस्तर–5(क) में दी गई प्रोत्साहन सहायता सीमा से अधिक नहीं होगी।

(ग) ब्याज प्रोत्साहन सहायता केवल मूल ब्याज दर के विरूद्ध देय होगी अर्थात विलम्ब शुल्क, शास्ति या अन्य कोई अतिरिक्त देय पर सहायता प्राप्त नहीं होगी।

6. **<u>ब्याज प्रोस्ताहन सहायता हेतु दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रियाः–</u>**

(क) पात्र लघु औद्योगिक इकाई की वित्तीय संस्था/बैंक, वितीय ऋण पर प्रचलित ब्याज दर के अनुरूप उपरोक्त प्रस्तर–4(क) व (ख) के प्राविधानुसार ब्याज प्रोत्साहन सहायता की धनराशि का आंगणन कर निर्धारित प्रारूप पर क्लेम इकाई के आवेदन पत्र सहित अपने जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करेंगे।

(ख) उक्त योजना के तहत ब्याज प्रोत्साहन सहायता के लिए पात्र लघु औद्योगिक इकाईयों को नये एककों को स्थापित करने अथवा विद्यमान एककों के विस्तारीकरण/विविधिकरण/पुर्नजीवीकरण के लिए वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था को ऋण के लिए आवेदन पत्र देने के साथ ही अपने को अपने जिले के जिला उद्योग केन्द्र में योजनार्न्गत पंजीकृत कराना होगा और सभी वांछित जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इस पंजीकरण में लिये जाने वाले ऋण, बैंक/वित्तीय संस्था का नाम भी देना होगा।

7. **<u>ब्याज प्रोत्साहन सहायता की स्वीकृतिः–</u>**

(क) प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में ब्याज प्रोत्साहन सहायता की स्वीकृति और उसकी मात्रा के बारे में अर्हता पर निर्णय लेने के लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर निम्नवत् गठित प्राधिकृत समिति ही सक्षम होगी।

1.	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	जिला अग्रणी बैंक अधिकारी	–	सदस्य
3.	सम्बन्धित वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था	–	सदस्य
4.	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	–सदस्य सचिव	

(ख) पात्र औद्योगिक इकाई को प्रोत्साहन सहायता की अग्रिम स्वीकृति प्रत्येक वर्ष बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा वार्षिक रूप से प्रस्तुत प्रारम्भिक आंकलन/क्लेम के आधार पर प्राधिकृत समिति द्वारा जारी कर उसकी स्वीकृति की सूचना सम्बन्धित वित्त पोषक वित्तीय संस्था/बैंक को दी जायेगी तथा यह स्वीकृति जारी होने के उपरान्त औद्योगिक इकाईयों को स्वीकृत सहायता धनराशि बजट आवंटन उपलब्ध होने पर उद्योग निदेशालय/जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था अग्रिम के रूप में प्राप्त इस राशि में से त्रैमासिक आधार पर ऋणी के प्रस्तुत एवं स्वीकृत क्लेम की धनराशि को ऋणी के खाते में जमा करेगे तथा यदि वर्ष के अन्त में बैंक/वित्तीय संस्था को अग्रिम के रूप में दी गई राशि में से त्रैमासिक रूप से स्वीकृत क्लेम की धनराशि ऋणी के खाते में जमा कराने के उपरान्त बच जाती है, तो इस धनराशि को सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था इकाई के अगले वर्ष के त्रैमासिक क्लेम की राशि के समायोजन मे करेंगे।

(ग) ब्याज प्रोत्साहन सहायता की अग्रिम स्वीकृति मिलने के उपरान्त प्रोत्साहन सहायता के क्लेम इकाई द्वारा अपनी वित्त पोषक वित्तीय संस्था/बैंक के माध्यम से ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से त्रैमासिक आधार पर सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र को इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन में आने तथा लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होन के पश्चात् प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत क्लेम का परीक्षण कर क्लेम ब्याज प्रोत्साहन सहायता नियमावली के अनुसार होने पर निर्धारित प्रारूप में देय ब्याज प्रोत्साहन सहायता धनराशि का उल्लेख करते हुए स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा तथा तदोपरान्त सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था को अग्रिम के रूप में अवमुक्त धनराशि में से उक्त स्वीकृत राशि को बैंक/वित्तीय संस्था ऋणी के खाते में जमा करेगी।

8. <u>ब्याज प्रोत्साहन सहायता के संवितरण हेतु प्रक्रियाः–</u>

(क) ब्याज प्रोत्साहन सहायता स्वीकृति के उपरान्त बजट आवंटन उपलब्ध होने पर उद्योग निदेशालय/जिला उद्योग केन्द्र क्लेम की राशि सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था को अवमुक्त करेगा तथा किसी भी दशा में यह प्रोत्साहन सहायता की राशि औद्योगिक इकाई को नगद में नही दी जायेगी।

(ख) ब्याज प्रोत्साहन सहायता का प्रथम क्लेम नई लघु औद्योगिक इकाई/विस्तार करने वाली इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने

के दिनांक से छः माह के अन्दर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। अपरिहार्य कारणों से हुए विलम्ब को प्राधिकृत समिति द्वारा गुण दोष के आधार पर माफ किया जा सकेगा।

(ग) ब्याज प्रोत्साहन की धनराशि इकाई की वित्त पोषक संस्था/बैंक को वितरित हो जाने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि इकाई तथा बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है एवं इस प्रकार गलत तरीके से सहायता प्राप्त की गई है, तो ब्याज प्रोत्साहन की राशि एक मुश्त वसूली योग्य हो जायेगी, जिसकी वसूली सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था तथा इकाई या दोनों से की जा सकेगी। यह राशि इकाई तथा बैंक/वित्तीय संस्था से भू–राजस्व वसूली के अनुसार वसूल की जा सकेगी तथा दोषी पाये जाने पर इकाई को सहायता से वंचित कर दिया जायेगा।

(ग) प्रोत्साहन सहायता अवमुक्त करने से पूर्व जिला उद्योग केन्द्र तथा औद्योगिक एकक के बीच इस आशय का अनुबन्ध/करार किया जायेगा कि इकाई सहायता की अन्तिम किश्त मिलने की तिथि के बाद कम से कम तीन वर्षों तक कार्यरत रहेगी।

9. **योजना का क्रियान्वयनः–**

(क) ब्याज प्रोत्साहन सहायता योजना का क्रियान्वयन/अनुश्रवण जिला स्तर पर सम्बन्धित जनपदों के जिला उद्योग केन्द्र तथा राज्य स्तर पर निदेशक उद्योग, उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा।

(ख) योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु निदेशक उद्योग, उत्तरांचल सक्षम होंगे।

उत्तरांचल के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

संजीव चोपड़ा,
सचिव।

स्वीकृति का प्रपत्र
कार्यालय, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र

पत्रांक दिनांक .....

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,

.....

.....

महोदय,

मैसर्स.....
जो.....(ऋणदाता बैंक का नाम) द्वारा वित्त पोषित है, को बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा उद्योग स्थापनार्थ वितरित ऋण पर जिला प्राधिकृत समिति की बैठक दिनांक .....में दिनांक ..... . से दिनांक ..... तक के दावे की धनराशि रू0..... (शब्दों में रूपया .....) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

भवदीय,

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र।

ब्याज प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन–पत्र

1. इकाई का पता :
   (क) कार्यशाला :
   (ख) कार्यालय :
   (ग) इकाई की अवस्थिति–सामान्य क्षेत्र/दूरस्थ क्षेत्र (समुद्र तल से 3000 फिट से अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्र) :
2. लघु उद्योग स्थाई पंजीकरण संख्या व दिनांक :
3. इकाई का संगठन :
4. इकाई के स्वामी/साझेदार/निदेशकों के नाम पते :
5. आवेदक का नाम व पता :
6. उत्पादित वस्तु/वस्तुओं का नाम एवं उत्पादन क्षमता :
7. परियोजना की लागत (इकाई की विस्तृत परियोजना संलग्न है) :
   (क) भूमि :
   (ख) भवन/कार्यशाला :
   (ग) मशीनरी एवं उपकरण :
   (घ) कार्यशील पूंजी :
8. योजना की वित्तीय व्यवस्था :
   (क) उद्यमी का अंशदान :
   (ख) बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण :
      1. साविध ऋण :
      2. कार्यशील पूंजी ऋण :
9. बैंक/वित्तीय संस्था का नाम, जहां से ऋण स्वीकृत/वितरित किया गया हो :
10. (क) स्वीकृत ऋण — स्वीकृत धनराशि — स्वीकृति का दिनांक
    1. सावधि ऋण
    2. कार्यशील पूंजी
    (ख) वितरित ऋण — वितरित धनराशि — वितरण का दिनांक
    1. सावधि ऋण
    2. कार्यशील पूंजी
    (ग) स्वीकृत/वितरित ऋण पर ब्याज दर
    1. सावधि ऋण
    2. कार्यशील ऋण
11. अन्य विवरण

ब्याज प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन–पत्र

सेवा में,

महाप्रबन्धक,

जिला उद्योग केन्द्र।

महोदय,

मैं0 .....को ब्याज उपादान अनुमन्य कराये जाने विषयक आपके पत्र सं. .....दिनांक..... ..... के क्रम में अवगत कराना है, कि इकाई को.....उद्योग स्थापनार्थ वितरित प्रोत्साहन सहायता का दावा निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तुत हैः–

1. बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा वितरित ऋण की धनराशि
   (क) सावधि ऋण
   (ख) कार्यशील पूंजी ऋण
   योग
2. ऋण स्वीकृत करने का दिनांक
3. ऋण वितरित करने का दिनांक
4. ब्याज की दर
   (क) सावधि ऋण
   (ख) कार्यशील पूंजी ऋण
5. ऋण/ब्याज की वापसी का कार्यक्रम
6. ऋण/ब्याज की वापसी कार्यक्रम के अनुसार ऋण/याज अदायगी की स्थिति
7. इकाई का खाता संख्या
8. देयक का विवरण

दिनांक..... से ..... तक (छः माही आधार पर)

ऋण धनराशि			**ब्याज की धनराशि**			**उद्यमी द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि**	**ब्याज प्रोत्साहन सहायता की धनराशि 3 प्रतिशत की दर से**
विवरण	**मूल वितरित धनराशि**	**बकाया**	**अवधि**	**दर**	**धनराशि**		
सावधि ऋण							
कार्यशील पूंजी							
योग							

9.	इकाई की अवस्थिति : सामान्य क्षेत्र/दूरस्थ क्षेत्र(समुद्र तल से 3000 फिट से अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्र)	:		

उक्त देयक के अनुसार दिनांक..... से दिनांक..... तक आगणित ब्याज पर ब्याज उपादन की धनराशि रू0 .....(शब्दों में रूपया.....) का भुगतान करने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर शाखा प्रबन्धक मुहर

संख्याः– 457 / औ0वि0 / ब्या0प्रो0सहा0–सात / 69–उद्योग / 2004
उत्तरांचल शासन, औद्योगिक विकास विभाग

दिनांक : देहरादून जून 20, 2004

कार्यालप ज्ञाप

प्रदेश की नई औद्योगिक नीति–2003 के अतर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली नई लघु औद्योगिक इकाईयों, पर्याप्त विस्तार / विविधिकरण करने वाली लघु औद्योगिक इकाईयों तथा रूग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों के लिये प्राविधानित ब्याज प्रोत्साहन सहायता से सम्बन्धित "उत्तरांचल राज्य ब्याज प्रोत्साहन सहायता नियमावली, 2003" में ब्याज प्रोत्साहन सहायता की सीमा दूरस्थ क्षेत्र में स्थापित लघु औद्योगिक इकाईयों के लिये ऋण की ब्याज दर में 5 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रु0 3.00 लाख प्रति इकाई निर्धारित की गई है। औद्योगिक नीति के अनुसार दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित इकाई से तात्पर्य ऐसी इकाईयों से है, जो राज्य में समुद्र तल से 3000 फिट या उससे अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में स्थापित हों। प्रदेश में कुछ जनपद ऐसे हैं, जिनका सम्पूर्ण भू–भाग पर्वतीय विषम परिस्थितियों का है, किन्तु उनमें अवस्थित कुछ क्षेत्र 3000 फिट से कम ऊँचाई पर हैं। अतः पर्वतीय भू–भाग के समान परिस्थितियों वाले क्षेत्रों को एक समान सहायता उपलब्ध कराने तथा दी गई व्यवस्था के सम्बन्ध में भ्रम की स्थिति को दूर किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ब्याज प्रोत्सहान सहायता की स्वीकार्यता सीमा के सम्बन्ध में दूरस्थ क्षेत्रों का निम्नवत् निर्धारण कर ब्याज प्रोत्साहन सहायता अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. राज्य के जनपद, उत्तरकाशी, चमोली, रूदप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा तथा टिहरी का समस्त भू–भाग पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं। अतः इन जनपदों में यदि कोई स्थान 3000 फिट से कम ऊँचाई पर भी अवस्थित हों, तो सम्पूर्ण जनपद के सभी विकास खण्डों को दूरस्थ क्षेत्र के रूप में इकाई मानते हुये 5 प्रतिशत की दर से किन्तु अधिकतम रू0 3.00 लाख प्रतिवर्ष ब्याज प्रोत्साहन सहायता के रूप में अनुमन्य होगी।
2. राज्य के हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर जनपद के सभी विकास खण्डों का भू–भाग मैदानी है तथा यह विकास खण्ड 3000 फिट से कम ऊँचाइ पर अवस्थित हैं। अतः इन जनपदों में ब्याज प्रोत्साहन सहायता 3 प्रतिशत की दर से किन्तु अधिकतम रू0 2.00 लाख प्रतिवर्ष ही अनुमन्य होगी।
3. राज्य के जनपद नैनीताल के हल्द्वानी व रामनगर विकास खण्ड, जनपद पौड़ी के दुगड्डा विकास खण्ड के कोटद्वार व सिगड्डी क्षेत्र, देहरादून के डोईवाला, रायपुर, विकासनगर व सहसपुर (मसूरी को छोड़कर) विकास खण्ड तथा जनपद चम्पावत का टनकपुर विकास खण्ड 3000 फिट से कम ऊँचाई पर अवस्थित होने के साथ–साथ इनका अधिकांश भू–भाग मैदानी है। अतः जनपद नैनीताल के हल्द्वानी व रामनगर, जनपद पौड़ी के दुगड्डा जनपद देहरादून के डोईवाला, रायपुर, विकासनगर व सहसपुर तथा जनपद चम्पावत के टनकपुर विकास खण्डों में 3 प्रतिशत की दर से किन्तु अधिकतम रू0 2.00 लाख प्रतिवर्ष ब्याज प्रोत्साहन सहायता अनुमन्य होगी, किन्तु इस विकास खण्ड़ों में जो स्थान 3000 फिट से अधिक ऊँचाई के हो, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी / सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र दिये जाने पर 5 प्रतिशत की दर से किन्तु अधिकतम रू0 3.00 लाख ब्याज प्रोत्साहन सहायता दी जायेगी। उक्त विकास खण्डों को छोड़कर इन जनपदों के अन्य विकास खण्डों में, जिनका भू–भाग पर्वतीय एवं दूरस्थ है, विकास खण्ड को इकाई मानकर 5 प्रतिशत की दर से किन्तु अधिकतम रू0 3.00 लाख प्रतिवर्ष ब्याज प्रोत्साहन सहायता अनुमन्य होगी।

संजीव चोपड़ा,
सचिव।

संख्याः– 476 / औ0वि0 / ब्या0प्रो0सहा0–सात / 69–उद्योग / 2004

उत्तरांचल शासन, औद्योगिक विकास विभाग

दिनांक : देहरादून अगस्त 04, 2004

अधिसूचना

उत्तरांचल शासन, औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–1040 / औ0वि0 / ब्या0प्रो0सहा0–7 / 69 / 2004, दिनांक 24 मई, 2004 से प्राख्यापित **"उत्तरांचल राज्य ब्याज प्रोत्साहन सहायता योजना, 2004"** नियमावली के प्रस्तर–4 (घ) के अन्तर्गत पात्रता की सीमा के अधीन **"इकाई किसी सार्वजनिक अथवा सहकारिता क्षेत्र के बैंक तथा वित्तीय संस्था से वित्त पोषित हो"** के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल महोदय निम्न स्पष्टीकरण जारी किये जाने की एतद् द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

स्पष्टीकरणः– इस प्रयोजन के लिए इकाई किसी सार्वजनिक अथवा सहकारिता क्षेत्र के बैंक तथा वित्तीय संस्था से वित्त पोषित हो, से अभिप्रेत है कि बैंक तथा वित्तीय संस्था राज्य में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ;छंजपवदंसप्रमक ठंदाद्धए रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक की श्रेंणी में रखे गये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ै;बीमकनसमक ठंदाद्धए सहकारी बैंक ;ब्व.वचमतंजपअम ठंदाद्धए अथवा केन्द्र / राज्य सरकार के वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य कर रही हो।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2003 से प्रभावशील होगी।

संजीव चोपड़ा,
सचिव।

औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन
(आई0एस0ओ0–9000/14000 हेतु सहायता)

1. प्रोत्साहन सहायता का नाम एवं उद्देश्यः–

यह वित्तीय प्रोत्साहन सहायता औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आई0एस0ओ0–9000/ आई0एस0ओ0–14000 प्रोत्साहन सहायता कहलायेगी।

योजना का उद्देश्य औद्योगिक इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता प्रबन्धन एवं पर्यावरण प्रबन्धन व्यवस्था में सुधार करना होगा।

2. **सहायता का स्वरूपः–**

प्रौद्योगिकी गुणवत्ता तथा पर्यावरण प्रबन्धन व्यवस्था में सुधार हेतु प्रदेश में स्थापित कार्यरत उद्योगों को उनके द्वारा आई0एस0ओ0–900/ 14000 प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने हेतु किये गये व्यय का 75 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रु0 2 लाख प्रति इकाई प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध कराया जायेगा, परन्तु किसी भी दशा में इस हेतु सभी स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान/प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति की धनराशि इस मद में किये गये व्यय से अधिक नहीं होगी।

3. **योजना हेतु पात्रताः–**

(क) प्रोत्साहन सहायता की पात्रता के लिये औद्योगिक एकक का लघु एवं कुटीर उद्योग/लघु उद्योग/अनुपूरक उद्योग/लघु स्तरीय सेवा व्यवसाय इन्टरप्राईज के रूप में प्रदेश के जिला उद्योग केन्द्र/खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से स्थाई लघु उद्योग पंजीयन अथवा भारत सरकार के औद्योगिक विकास विभाग से बृहत एवं मध्यम स्तरीय उद्योग के रूप में यथापरिभाषित आई0ई0एम0/ एल0ओ0आई0 प्राप्त करना आवश्यक है।

(ख) प्रोत्साहन सहायता हेतु वह सभी औद्योगिक इकाईयाँ पात्र होगी, जिनके द्वारा 24–6–2003 के बाद अपने उत्पाद की गुणवत्ता बृद्धि एवं पर्यावरण प्रबन्धन व्यवस्था में सुधार हेतु आई0एस0ओ0–9000 / 14000 प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो।

4. **योजना की अवधि :**

यह योजना दिनांक 24–6–2003 से प्रभावी होगी तथा 31–3–2008 तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि शासन द्वारा अन्यथा इससे पूर्व कोई अन्य निर्णय न लिया जाए। इस योजना के प्रारम्भ के साथ ही राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002–03 में लागू पूर्व आई.एस.ओ.–9000/14000 योजना समाप्त हो जायेगी।

5. **योजना की शर्तें एवं कार्यान्वयन का स्वरूपः–**

1. योजना उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल द्वारा संचालित की जायेगी। महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र जनपदों की पात्र औद्योगिक इकाईयों के

आवेदन–पत्र वांछित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों सहित निदेशालय को परीक्षणोपरान्त अपनी संस्तुति के साथ अग्रसारित करेगें।

2. सभी पात्र आवेदन पत्रों के प्रतिपूर्ति दावों पर राज्य स्तर पर गठित निम्न समिति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

1.	निदेशक उद्योग, उत्तरांचल	अध्यक्ष
2.	अपर निदेशक उद्योग	सदस्य
3.	संयुक्त निदेशक उद्योग	सदस्य
4.	कोआर्डिनेटर, स्टेप, आई.आई.टी, रूड़की अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो न्यूनतम सहायक प्रोफेसर स्तर का हो।	सदस्य (विशेष आमंत्री)
5.	प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल या उनका प्रतिनिधि	सदस्य

3. प्रमाणीकरण प्राप्त करने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया जायेगा।

4. आवेदन पत्र एवं अपेक्षित प्रमाण पत्र निर्धारित अनुलग्नक–1 व 2 प्रारूप पर प्रस्तुत किया जायेगा।

5. भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था अथवा अन्य स्त्रोतों से इस प्रयोजन हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त किये जाने/न किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित मूल्य रू0 100/– के नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र निर्धारित अनुलग्नक–3 के अनुरूप प्रस्तुत किया जायेगा। यदि अन्य संसाधनों से इस प्रयोजन हेतु किसी प्रकार की सहायता प्राप्त की गई हो, तो उपरोक्त अधिकतम सीमा तक अवशेष सहायता स्वीकृत की जा सकेगी, किन्तु इस हेतु सभी स्त्रोतों से प्राप्त प्रोत्साहन सहायता की धनराशि इस मद में किये गये कुल व्यय से अधिक नहीं होगी।

6. योजना में शासन द्वारा समय–समय पर संशोधन अथवा योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्णय लिये जा सकते हैं।

7. योजना के सम्बन्ध में किसी भी बिन्दु पर निदेशक उद्योग, उत्तरांचल का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

अनुलग्नक – 1

आई0एस0ओ0–9000/14000 प्रमाणीकरण प्रोत्साहन हेतु आवेदन–पत्र

1. इकाई का पता :
   (क) कार्यशाला :
   (ख) कार्यालय :
   (ग) दूरभाष सं. :
   (यदि प्रो0 उद्यमी अनु0जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग का हो, तो उल्लेख करें)
2. लघु उद्योग स्थाई पंजीकरण/आई.ई. एम./एल.ओ.आई. संख्या एवं तिथि (पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)
3. उत्पाद का विवरण, जो पंजीयन प्रमाण पत्र में अंकित हैं:–
4. 1. इकाई का पूंजी विनियोजन (लाख रू0 में)
   2. अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता:–
   3. सृजित रोजगार संख्या:–

   भूमि/भवन:–
   प्लाण्ट/मशीनरी:–
   मात्रा:–
   मूल्य (लाख रू0 में):–
5. आई.एस.ओ.–9000/14000 प्रमाणीकरण संख्या एवं दिनांक:–
6. प्रमाणीकरण के लिये अधिकृत संस्था का नाम व पता, नम्बर तथा प्रतीक चिन्ह:–
   (प्रमाणीकरण करने वाली संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें। प्रमाण पत्र में प्रमाणीकृत स्थल का पता, प्रमाणीकृत कार्यक्षेत्र, प्रमाण पत्र संख्या, तिथि एवं वैधता अवधि अंकित हो)
7. आई.एस.ओ–9000/14000 क्वालिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने में ब्यय की गई धनराशि का विवरण:–

क्र. सं.	उद्देश्य	प्रदान करने वाली संस्था का नाम	चालान संख्या व दिनांक	चालान की धनराशि	प्राप्ति संख्या व दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

1. प्रार्थना–पत्र शुल्क / प्रमाण –पत्र शुल्क।
2. एसैसमेन्ट / परीक्षण शुल्क।
3. वार्षिक शुल्क / लाईसेंन्स शुल्क।
4. प्रीसर्टिफिकेशन व्यय।
5. सलाह / प्रशिक्षण आदि व्यय ।
6. अन्य विविधि व्यय यदि कोई हो।

(उपरोक्त से सम्बन्धित किये गये भुगतान के बीजक एवं भुगतान प्राप्ति रसीद की प्रमाणित प्रतियाँ, प्रमाणीकरण हेतु किये गये कुल व्यय के चाटर्ड एकाउन्टेंट द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र सहित संलग्न करें)

8. प्रमाणीकरण हेतु पहले से प्राप्त प्रतिपूर्ति सहायता / अनुदान का विवरणः–
(यदि आई.एस.ओ–9000 / 14000 प्रमाणीकरण हेतु प्रदेश सरकार / केन्द्र सरकार / वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त की गई हो)
9. टिप्पणी / अन्य

अनुलग्नक – 2

Cerficiate from Chartered Accountant in respect of Proof of Expenditure incurred for acquiring ISO-9000/ISO-14000

(in a C.A. Letter Head)

TO WHOM IT MY CONCERN

The documents & records of M/s. _____ with their Regd. Office at _____ and factory located at _____ I.E.M./L.O.I./E.O.U./F.D.I./F.T.C./ Permanent SSI Registration No. _____ dt. _____ in respect of the expenditure incurred by them in acquiring ISO-9000/ISO-14000 Certificate (or its equivalent) have been verified, and it is certified that the said company have incurred a total expenditure of Rs. _____ (Ruppes_____ _____) towards Application fee; Assessment/Audit fee; Annual Fee/Licence fee; Training; Calibaration; and Technical Consultancy etc. (excluding hotel & travel expenses & Surveillance charges) in obtaining ISO-9000/ISO-14001 from the Certification Agency namely_____; as per the following details of payments :

Details of Payments (Name of Certification Agency/Orgn.) Amount paid (Ruppes in words)

- a) Application Fee paid to _____
- b) Assessment/Audit Fee paid to _____
- c) Annual Fee/Licence Fee paid to _____
- d) Calibartion Charges paid to _____
- e) Technical Consultancy Charges paid to _____
- f) Training Expenses paid to _____
- g) Other misc. Expenses related to Certification _____

  TOTAL _____

Signature of the Chartered Accountant with Name, Stamp & CA Membership Number)

Place : _____

Dated _____

- **(Payments at (a), (b) & (c) above should be supported by copies of receipts of payments made to the Certification Agency, duly attested. The payment receipts must indicate the purpose for which the payments have been made to the Certification Agency.)**

अनुलग्नक – 3

(रू0 100/– के नॉन जुडीशियन स्टेम्प पर पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित)

अनुबन्ध पत्र/घोषणा पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पति श्री ..... निदेशक/प्रबन्ध निदेशक/साझेदार/स्वामी मैसर्स ..... (पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता) ..... इकाई के कार्यस्थल का पूरा पता ..... जो भारत सरकार/उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल (जिला उद्योग केन्द्र) से बृहत एवं मध्यम स्तरीय उद्योग/लघु उद्योग/लघुत्तर उद्योग/अनुपूरक उद्योग के रूप में पंजीयन संख्या ..... दिनांक ..... से स्थाई रूप से पंजीकृत हैं, निम्न प्रकार से सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषित करता हूँ:–

1. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा आई.एस.ओ.–9000/14000 प्रमाणीकरण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही इस प्रकार की योजनाओं में किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति सहायता/अनुदान इससे पूर्व प्राप्त नहीं किया गया है।
2. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार / राज्य सरकार / वित्तीय संस्था द्वारा आई.एस.ओ.–9000/14000 प्रमाणीकरण हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु ..... (जहाँ से सहायता प्राप्त की है, का नाम व पता) इनसे रू0 ..... प्रोत्साहन सहायता/अनुदान के रूप में प्राप्त किया है।
3. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्था द्वारा आई.एस.ओ.–9000/14000 प्रमाणीकरण हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु चलाई जा रही .... (योजना का नाम) योजनान्तर्गत रू0..... ..... अनुदान/प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन किया है तथा अभी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।
4. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्था द्वारा आई.एस.ओ.–9000/14000 प्रमाणीकरण हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूति हेतु चलाई जा रही किसी भी योजनान्तर्गत प्रतिपूर्ति अनुदान/प्रोत्साहन सहायता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. कि यदि उपरोक्त औद्योगिक एकक, सहायता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त इस योजना के अतिरिक्त भारत सरकार/राज्य सरकार/ वित्तीय संस्था से संचालित इसी प्रकार की अन्य योजनाओं में प्रतिपूर्ति अनुदान/प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करता है, तो इस तथ्य को इस योजना में

प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करते समय सरकार/जिला उद्योग केन्द्र/उद्योग निदेशालय के संज्ञान में लायेगा तथा इस सम्बन्ध में योजनान्तर्गत निर्धारित दिशा–निर्देशों/शर्तों का पूर्ण पालन करेगा।

6. मैं (पूरा नाम) ..... पुत्र श्री .....प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/स्वामी/साझेदार सर्वश्री ..... (पूरा पता) यह घोषणा करता हूँ कि यदि आवेदन पत्र/अभिलेखों में प्रस्तुत विवरण व सूचना भविष्य में असत्य अथवा त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो मैं इसके लिये पूर्णरूप से जिम्मेदार रहूँगा तथा सरकार से प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि मय दण्ड ब्याज सहित, निदेशक उद्योग, उत्तरांचल/उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जमा किये जाने के आदेश पर एक माह के भीतर पूर्ण रूप से अदा करने का वचन देता हूँ।

गवाहों के हस्ताक्षर (नाम व पते सहित)

1.

2.

अनुबन्धकर्ता का नाम व पता
हस्ताक्षर
सील व मुहर सहित।

पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन पत्र

1. इकाई का पता :
   (क) कार्यशाला :
   (ख) फैक्ट्री स्थल :
2. लघु उद्योग स्थाई पंजीकरण/आई.ई.एम. /एल.ओ.आई. संख्या एवं दिनांकः
   (पंजीकरण की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)
3. उत्पाद का विवरण :
4. 1. इकाई का पूंजी निवेश (लाख रू0 में) — भूमि/भवनः– प्लाण्ट/मशीनरीः–
   2. अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमताः– — मात्राः– मूल्य (लाख रू0 में):–
   3. रोजगार सृजनः–
      (क) कुशल :
      (ख) अर्द्धकुशल :
5. (क) पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन संख्या व दिनांकः–
   (ख) पेटेण्ट किये गये उत्पादों का विवरण एवं वैधता अवधि :
   (ग) पेटेण्ट पंजीकरण करने वाली अधिकृत संस्था/प्राधिकारी का नाम व पता :
   (पंजीकरण की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)
6. पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन किये जाने में व्यय की गई धनराशि का विवरणः–

क्र. सं.	मद का विवरण जिस हेतु धनराशि व्यय की गई हो	संस्था/ ऐजेन्सी, जिसे भुगतान किया गया	चालान/ वाउचर की धनराशि/ संख्या एवं दिनांक	प्राप्ति संख्या एवं दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

(व्यय की गई धनराशि की सी0ए0 प्रमाण पत्र अनुलग्नक–1 पर प्रस्तुत किया जाय तथा व्यय की गई धनराशि के प्रमाणित बिल वाउचर एवं प्राप्ति रसीदें दावे के साथ संलग्न करें)

6. इकाई द्वारा इससे पूर्व इस मद में कोई प्रतिपूर्ति सहायता ली गई है अथवा नही : **(इस आशय का शपथ पत्र अनुलग्न–2 के अनुरूप दिया जाए)**
7. अन्य विवरण, यदि कोई आवश्यक हो :

निदेशक/साझेदार/स्वामी के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं (पूरा नाम) ..... पुत्र श्री ..... निदेशक/निदेशक/स्वामी/साझेदार सर्वश्री .....(पूरा पता) यह घोषणा करता हूँ, कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि आवेदन पत्र/अभिलेखों में प्रस्तुत विवरण व सूचना भविष्य में असत्य अथवा त्रृटिपूर्ण पाई जाती है, तो मैं सरकार से उपरोक्त कार्य के लिये प्राप्त प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता मय दण्ड ब्याज के अधिकृत अधिकारी द्वारा जमा किये जाने के आदेश पर, पूर्ण रूप से अदा करने का वचन देता हूँ।

निदेशक/साझेदार/स्वामी के हस्ताक्षर

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की संस्तुति

यह प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री .....(कार्यालय पता) ..... (इकाई के कार्य स्थल का पता) .....लघु उद्योग स्थाई पंजीयन संख्या/बृहत एवं मध्यम स्तरीय उद्योग पंजीयन संख्या .....दिनांक .... भारत सरकार द्वारा यथापरिभाषित एक लघुत्तर/लघु/लघु स्तरीय सेवा व्यवसाय इन्टरप्राईज/अनुपूरक उद्योग अथवा बृहत एवं मध्यम स्तरीय उद्योग के रूप में आई.एस.ओ. –9000/14000 प्रमाणीकरण संख्या .....दिनांक.....प्राप्त करते समय कार्यरत एवं उत्पादनरत थी तथा वर्तमान में भी निरन्तर कार्यरत एवं उत्पादनरत है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों के सत्यापन एवं जाँच के आधार पर इकाई द्वारा पेटेझट रजिस्ट्रेशन हेतु कुल व्यय धनराशि रु0 .....किया गया है। पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत इन्हें धनराशि रु0 .... प्रोत्साहन सहायता के रूप में स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। इकाई को इस योजना के अन्तर्गत सभी श्रोतों से प्राप्त अनुदान/प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति की धनराशि, इस मद में किये गये कुल व्यय से अधिक नहीं है।

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र।

अनुलग्नक–1

Cerficiate from Chartered Accountant in respect of Proof of Expenditure incurred for acquiring Patent Registration

(in a C.A. Letter Head)

TO WHOM IT MY CONCERN

The documents & records of M/s. _____ with their Regd. Office at _____ and factory located at _____ I.E.M./L.O.I./E.O.U./F.D.I./F.T.C./ Permanent SSI Registration No. _____ dt. _____ in respect of the expenditure incurred by them in acquiring ISO-9000/ISO-14000 Certificate (or its equivalent) have been verified, and it is certified that the said company have incurred a total expenditure of Rs. _____ (Ruppes_____ _____) towards Application fee; Assessment/Audit fee; Annual Fee/Licence fee; Training; Calibaration; and Technical Consultancy etc. (excluding hotel & travel expenses & Surveillance charges) in obtaining ISO-9000/ISO-14001 from the Certification Agency namely_____; as per the following details of payments :

Details of Payments (Name of Certification Agency/Orgn.) Amount paid (Ruppes in words)

- a) Application Fee paid to _____
- b) Assessment/Audit Fee paid to _____
- c) Annual Fee/Licence Fee paid to _____
- d) Calibartion Charges paid to _____
- e) Technical Consultancy Charges paid to _____
- f) Training Expenses paid to _____
- g) Other misc. Expenses related to Certification _____

  TOTAL _____

Place : _____

Dated _____

Signature of the Chartered Accountant with Name, Stamp & CA Membership Number)

- **(Payments at (a), (b) & (c) above should be supported by copies of receipts of payments made duly attested. The payment receipts must indicate the purpose for which the payments have been made.)**

अनुलग्नक–2

(रू0 100/– के नॉन जुडीशियल स्टेम्प पर पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित)

<u>अनुबन्ध पत्र/घोषणा पत्र</u>

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पति श्री ..... निदेशक/प्रबन्ध निदेशक/साझेदार/स्वामी मैसर्स ..... (पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता) .....इकाई के कार्यस्थल का पूरा पता ..... जो भारत सरकार/उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल (जिला उद्योग केन्द्र) से बृहत एवं मध्यम स्तरीय उद्योग/लघु उद्योग/लघुत्तर उद्योग/अनुपूरक उद्योग के रूप में पंजीयन संख्या ..... दिनांक ..... से स्थाई रूप से पंजीकृत हैं, निम्न प्रकार से सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषित करता हूँ:–

1. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही इस प्रकार की योजनाओं में किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति सहायता/अनुदान इससे पूर्व प्राप्त नहीं किया गया है।
2. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार / राज्य सरकार / वित्तीय संस्था द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु .... (जहाँ से सहायता प्राप्त की है, का नाम व पता) इनसे रु0 .... प्रोत्साहन सहायता/अनुदान के रूप में प्राप्त किया है।
3. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्था द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु चलाई जा रही ..... (योजना का नाम) योजनान्तर्गत रु0 ..... अनुदान/प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन किया है तथा अभी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।
4. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्था द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु चलाई जा रही किसी भी योजनान्तर्गत प्रतिपूर्ति अनुदान/प्रोत्साहन सहायता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. कि यदि उपरोक्त औद्योगिक एकक, सहायता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त इस योजना के अतिरिक्त भारत सरकार/राज्य सरकार/ वित्तीय संस्था से संचालित इसी प्रकार की अन्य योजनाओं में प्रतिपूर्ति अनुदान/प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करता है, तो इस तथ्य को इस योजना में प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करते समय सरकार/जिला उद्योग

केन्द्र/उद्योग निदेशालय के संज्ञान में लायेगा तथा इस सम्बन्ध में योजनान्तर्गत निर्धारित दिशा–निर्देशों/शर्तों का पूर्ण पालन करेगा।

6. मैं (पूरा नाम) .... पुत्र श्री .... प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/स्वामी/साझेदार सर्वश्री ..... (पूरा पता) यह घोषणा करता हूँ कि यदि आवेदन पत्र/अभिलेखों में प्रस्तुत विवरण व सूचना भविष्य में असत्य अथवा त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो मैं इसके लिये पूर्णरूप से जिम्मेदार रहूँगा तथा सरकार से प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि मय दण्ड ब्याज सहित, निदेशक उद्योग, उत्तरांचल/उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जमा किये जाने के आदेश पर एक माह के भीतर पूर्ण रूप से अदा करने का वचन देता हूँ।

गवाहों के हस्ताक्षर (नाम व पते सहित)

1.

2.

अनुबन्धकर्ता का नाम व पता
हस्ताक्षर
सील व मुहर सहित।

औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन

(प्रदूषण नियंत्रण साधनों के उपयोग पर प्रोत्साहन)

योजना का नामः— यह वित्तीय प्रोत्साहन सहायता औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण साधनों के उपयोग पर प्रोत्साहन सहायता कहलायेगी।

योजना का स्वरूपः— पर्यावरण के अधिकाधिक सुरक्षित रखे जाने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थित उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रक उपकरण स्थापित करने हेतु किये गये व्यय, जिसमें ऐसे प्लान्ट/मशीनरी तथा न्यूनतम सिविल कार्य सम्मिलित होग, का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रु0 1,00,000/— प्रति इकाई प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध कराई जायेगी, परन्तु किसी भी दशा में इस हेतु सभी श्रोतों से प्राप्त अनुदान/प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति की धनराशि इस मद में किये गये व्यय से अधिक नहीं होगी।

योजना का प्रारम्भः— यह योजना 24—6—2003 से प्रभावी होगी तथा दिनांक 31—3—2008 तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि शासन द्वारा अन्यथा इससे पूर्व कोई निर्णय न लिया जाए। इस योजना के प्रारम्भ के साथ ही राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002—03 में लागू पूर्व प्रदूषण नियंत्रण साधनों के उपयोग पर प्रोत्साहन सहायता योजना समाप्त हो जायेगी।

योजना हेतु पात्रताः— इस योजना हेतु प्रदेश में स्थित वह सभी पंजीकृत बृहत/मध्यम तथा लघु स्तरीय औद्योगिक इकाईयाँ पात्र होगी, जिन्होंने अपने उद्योग के प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु प्रदूषण नियंत्रक संयंत्र की स्थापना की हो तथा उससे प्रदूषण नियंत्रण में योगदान प्राप्त हुआ हो।

योजना का कार्यान्वयनः— 1. योजना उत्तरांचल राज्य के उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से संचालित की जायेगी। योजना का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु जनपद स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों पर गठित जिला स्तरीय समिति के द्वारा आवश्यक विचारोपरान्त स्वीकृति जारी की जायेगी।

1) जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2) क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
3) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

2. प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र की स्थापना के पश्चात इकाई द्वारा एक वर्ष की अवधि के भीतर उपादान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
3. इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मान्यता प्राप्त किसी कन्सल्टेन्सी एजेन्सी से परियोजना रिपोर्ट तैयार करायी जायेगी तथा परियोजना पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
4. समिति द्वारा मामला स्वीकृत होने पर बजट उपलब्धता को दृष्टिगत करते हुए इकाई को भुगतान किया जायेगा।
5. आवेदन पत्र एवं अपेक्षित शपथ पत्र निर्धारित अनुलग्नक–1 व 2 प्रारूप पर प्रस्तुत किया जायेगा।
6. भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था अथवा अन्य स्त्रोतों से इस प्रयोजन हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त किये जाने/न किये जाने पर सम्बन्ध में निर्धारित मूल्य रू0 100/– के नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र निर्धारित अनुलग्नक–2 के अनुरूप प्रस्तुत किया जायेगा। यदि अन्य संसाधनों से इस प्रयोजन हेतु किसी प्रकार की सहायता प्राप्त की गई हो, तो उपरोक्त अधिकतम सीमा तक अवशेष सहायता स्वीकृत की जा सकेगी, किन्तु इस हेतु सभी स्रोतों से प्राप्त प्रोत्साहन सहायता की धनराशि इस मद में किये गये कुल व्यय से अधिक नहीं होगी।
7. योजना में शासन द्वारा समय–समय पर संशोधन अथवा योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्णय लिये जा सकते हैं।
8. योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक उद्योग, उत्तरांचल द्वारा दिया जाने वाला निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

अनुलग्नक–1

<u>प्रदूषण नियंत्रण साधनों की स्थापना पर प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन पत्र</u>

1. इकाई का नाम व पता :
   (क) कार्यालय का नाम व पता :
   (ख) फैक्ट्री स्थल का नाम व पता :
2. पंजीकरण संख्या व दिनांक :
   (क) लघु उद्योग पंजीकरण संख्या व दिनांक :
   (ख) आई.ई.एम./एल.ओ.आई. संख्या व दिनांकः
3. उत्पाद :
4. पूंजी विनियोजन :
   (1) भूमि, भवन :
   (2) प्लाण्ट/मशीनरी :
   (3) प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर :
   (4) अन्य विविध मद :
5. उत्पादन क्षमता :
6. रोजगार :
7. प्रदूषण नियंत्रण यंत्र संयंत्र स्थापना पर व्यय का विवरण :
   (क) निर्माण कार्यों पर व्यय
   (ख) यंत्र/संयंत्र पर व्यय
   (ग) लेबोरेट्री पर व्यय
   (घ) परियोजना पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति/अनुमोदन का वितरण
   (उपरोक्त से सम्बन्धित किये गये व्यय/भुगतान के बीजक एवं भुगतान प्राप्ति रसीदों की प्रमाणित प्रतियाँ एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रमाण पत्र दावे के साथ प्रस्तुत किया जाय)
8. प्रदूषण नियंत्रण यंत्र संयंत्र हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य संस्था से प्राप्त सहायता का विवरण, यदि सहायता प्राप्त की गई हो। सहायता प्राप्त न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र अनुलग्नक–2 पर दिया जाय।
9. अन्य विवरणः–

निदेशक/साझेदार/स्वामी के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं (पूरा नाम) ..... पुत्र श्री ....निदेशक/निदेशक/स्वामी/साझेदार सर्वश्री .... (पूरा पता) यह घोषणा करता हूँ, कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि आवेदन पत्र/अभिलेखों में प्रस्तुत विवरण व सूचना भविष्य में असत्य अथवा त्रृटिपूर्ण पाई जाती है, तो मैं सरकार से उपरोक्त कार्य के लिये प्राप्त प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता मय दण्ड ब्याज के अधिकृत अधिकारी द्वारा जमा किये जाने के आदेश पर, पूर्ण रूप से अदा करने का वचन देता हूँ।

निदेशक/साझेदार/स्वामी के हस्ताक्षर

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की संस्तुति

यह प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री ....(कार्यालय पता) .... (इकाई के कार्य स्थल का पता) .... लघु उद्योग स्थाई पंजीयन संख्या/बृहत एवं मध्यम स्तरीय उद्योग पंजीयन संख्या .....दिनांक ..... भारत सरकार द्वारा यथापरिभाषित एक लघुत्तर/लघु/लघु स्तरीय सेवा व्यवसाय इन्टरप्राईज/अनुपूरक उद्योग अथवा बृहत एवं मध्यम स्तरीय उद्योग के रूप में प्रदूषण नियंत्रण के साधनों के स्थापना के समय कार्यरत एवं उत्पादनरत थी तथा वर्तमान में भी निरन्तर कार्यरत एवं उत्पादनरत है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों के सत्यापन एवं जॉच के आधार पर इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के साधनों के स्थापना हेतु कुल व्यय धनराशि रु0 ..... किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण के साधनों के स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत इन्हें धनराशि रु0..... ..... प्रोत्साहन सहायता के रूप में स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। इकाई को इस योजना के अन्तर्गत सभी श्रोतों से प्राप्त अनुदान/प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति की धनराशि, इस मद में किये गये कुल व्यय से अधिक नहीं है।

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र।

अनुलग्नक–2

(रू0 100/– के नॉन जुडीशियल स्टेम्प पर पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित)

<u>अनुबन्ध पत्र/घोषणा पत्र</u>

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पति श्री ..... निदेशक/प्रबन्ध निदेशक/साझेदार/स्वामी मैसर्स ..... (पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता) .....इकाई के कार्यस्थल का पूरा पता ..... जो भारत सरकार/उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल (जिला उद्योग केन्द्र) से बृहत एवं मध्यम स्तरीय उद्योग/लघु उद्योग/लघुत्तर उद्योग/अनुपूरक उद्योग के रूप में पंजीयन संख्या ..... दिनांक ..... से स्थाई रूप से पंजीकृत हैं, निम्न प्रकार से सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषित करता हूँ:–

1. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही इस प्रकार की योजनाओं में किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति सहायता/अनुदान इससे पूर्व प्राप्त नहीं किया गया है।
2. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार / राज्य सरकार / वित्तीय संस्था द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु .... (जहाँ से सहायता प्राप्त की है, का नाम व पता) इनसे रु0 .... प्रोत्साहन सहायता/अनुदान के रूप में प्राप्त किया है।
3. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्था द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु चलाई जा रही ..... (योजना का नाम) योजनान्तर्गत रु0 ..... अनुदान/प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन किया है तथा अभी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।
4. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्था द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु चलाई जा रही किसी भी योजनान्तर्गत प्रतिपूर्ति अनुदान/प्रोत्साहन सहायता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. कि यदि उपरोक्त औद्योगिक एकक, सहायता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त इस योजना के अतिरिक्त भारत सरकार/राज्य सरकार/ वित्तीय संस्था से संचालित इसी प्रकार की अन्य योजनाओं में प्रतिपूर्ति अनुदान/प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करता है, तो इस तथ्य को इस योजना में प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करते समय सरकार/जिला उद्योग

केन्द्र/उद्योग निदेशालय के संज्ञान में लायेगा तथा इस सम्बन्ध में योजनान्तर्गत निर्धारित दिशा–निर्देशों/शर्तों का पूर्ण पालन करेगा।

6. मैं (पूरा नाम) .... पुत्र श्री .... प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/स्वामी/साझेदार सर्वश्री ..... (पूरा पता) यह घोषणा करता हूँ कि यदि आवेदन पत्र/अभिलेखों में प्रस्तुत विवरण व सूचना भविष्य में असत्य अथवा त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो मैं इसके लिये पूर्णरूप से जिम्मेदार रहूँगा तथा सरकार से प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि मय दण्ड ब्याज सहित, निदेशक उद्योग, उत्तरांचल/उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जमा किये जाने के आदेश पर एक माह के भीतर पूर्ण रूप से अदा करने का वचन देता हूँ।

गवाहों के हस्ताक्षर (नाम व पते सहित)

1.

2.

अनुबन्धकर्ता का नाम व पता
हस्ताक्षर
सील व मुहर सहित।